लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र]

Eighth Session

[खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 7, मंगलवार, 29 जुलाई, 1969/7 श्रावण, 1891 (शक)
No. 7, Tuesday, July 29, 1969/ Sravana 7, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
182. पूर्वोत्तर रेलवे में पहली और दूसरी श्रेणी के पद भरने में मितव्ययता	Economy in the filling up of class I and class II posts on the North Eastern Railway	1—7
183. रेलवे माल डिब्बों का गंगा नदी में डूब जाना	Sinking of Railway Wagons in Ganga River	7—10
184. वायदा बाजार आयोग द्वारा छापे	Raids by Forward Market Commission	10—13
185. मृत्यु दण्ड के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन	Law Commission's Report on Death Sentence	14—15
186. दिल्ली में भूमिगत रेलवे	Underground Railway in Delhi	15—17
187. लोकोशेड रेलवे कालोनी, किशनगंज, दिल्ली	Loco Shed Railway Colony, Kishan Ganj, Delhi ..	18
194. दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये सुविधाएं	Amenities to Railway Employees in Delhi..	18—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
181. पूर्ण मद्यनिषेध का लागू करना	Enforcement of total prohibition	20
188. अस्पृश्यता का उन्मूलन	Eradication of Untouchability	20
189. तैयार इस्पात की खपत	Consumption of Finished Steel ..	20—21

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० सख्या S. Q. Nos.		
190. इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री द्वारा भारी इंजीनियरी निगम तथा अन्य उपक्रमों का निरीक्षण	S. & H. E. Minister's Visit to HEC and other undertakings	21—22
191. औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों द्वारा सहायक कारखानों की स्थापना	Starting of Ancillary Units in Industrial Areas by Scheduled Castes and Scheduled Tribes	22
192. जैसप एण्ड कम्पनी के अंशों के मूल्य का पुनर्निर्धारण	Revaluation of Share prices of Jessop and Co. ..	22—23
193. कारों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Prices of Car ..	23
195. दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant ..	24
196. सितम्बर, 1968 की हड़ताल के कारण मुअत्तिल किये गये रेलवे कर्मचारी	Suspension of Railway Employees in connection with September, 1969 Strike ..	24—25
197. रेलवे कर्मचारियों को पास तथा सुविधा टिकट आदेश (पी० टी० ओ०)	Passes and P.T.Os to Railway Employees ..	25
198. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी द्वारा कृषि उपकरणों का उत्पादन	Production of Agricultural Implements by Hindustan Machine Tools Co.	25—26
199. विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों द्वारा भारत में उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव	Offer from Indians Abroad to set up Factories in India ..	26—27
200. भारत में तथा अन्य देशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना	Setting up of Joint Ventures in India and in third countries ..	27—28
201. आम चुनावों पर व्यय	Expenditure on General Elections ..	28
202. पश्चिम बंगाल से उद्योगों का स्थानान्तरण	Shifting of Industries from West Bengal ..	28—29
203. रेलवे के माल डिब्बों तथा गोदामों से चोरी	Pilferage in Railway Wagons and Godowns ..	29—30
204. बिहार के एडवोकेट-जनरल का त्यागपत्र	Resignation of Bihar Advocate General ..	30

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
205. सेलम तथा होस्पेट में इस्पात संयंत्र स्थापित करना	Setting up of Steel Plants at Salem and Hospet	31
206. हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	Hind Galvanising and Engineering Company (P) Ltd.	31—32
207. छोटे पैमाने के क्षेत्रों में बेकार क्षमता	Idle Capacity of Small Scale Sector	32
208. बुनियादी उपभोक्ता उद्योगों पर से नियंत्रण हटाना	Removal of Controls from Basic Consumer Industries ..	33
209. इस्पात की कम मिलने वाली किस्मों के वितरण की योजना	Scheme for Distribution of Scarce Categories of Steel	33
210. नया रेलवे स्टेशन बनाने अथवा नई रेलवे लाइन बिछाने के बदले भूमिपतियों को मुआवजे	Compensation to Owners of Land Consequent on construction of a Railway Station or laying of a New Railway Line	34
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1201. महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Maharashtra State ..	34—35
1202. राजस्थान में नई रेल लाइन	New Railway Lines in Rajasthan	35
1203. दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्य के सम्बन्ध में प्रभारी निदेशक का वक्तव्य	Statement of the Director-in-charge on the Affairs of Durgapur Steel Plant	35—36
1204. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd.	36—37
1205. अंग्रेजों, हिन्दुओं तथा मुसलमानों के नामों के रेलवे स्टेशन	Railway Stations bearing British, Hindu and Muslim names ..	37
1206. आदिवासियों के लिये विशेष भूधृति अधिनियम	Special Tenancy Act for Tribes	37—38
1207. चौथी योजना में हरिजनों के लिये मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Harijans in Fourth Plan	38—39
1208. डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट कार्यालय, लखनऊ की उच्च शक्ति प्राप्त समिति	High Powered Committee of D.S's Office Lucknow ..	39
1209. गोंडा जिले (पूर्वोत्तर रेलवे) के लिये 'सी' ग्रेड के गार्डों के पद बनाना	Creating of Posts of Guards Grade 'C' in Gonda district (NE Rly.) ..	39

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1210. खादी तथा ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन	Asoka Mehta Committee Report on Khadi and Village Industries Commission	40
1211. चुनाव अभियान में शराब का प्रयोग	Use of Liquor in Election Campaign	40
1212. थूरभीटा भापटियाही रेल सेक्सन पर निर्माण कार्य	Work on Thurbhita-Bhaptiahi Section	40—41
1213. त्रिपुरा के लिये लोहे की नालीदार चादरों का कोटा	Quota of C.I. Sheets for Tripura	41
1214. मतदान केन्द्रों पर तैनात किये जाने वाले सरकारी कर्मचारी	Government Employees Deputed at Polling Booths	41—42
1215. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को औद्योगिक लाइसेंस देना	Grant of Industrial Licences to Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons ..	42—43
1216. थोड़ा-थोड़ा माल भेजने वालों को नई रेलवे सुविधाएं	New Rail Facility for small consignors	43
1217. गाजियाबाद तथा शाहदरा के बीच रेलगाड़ी चलाना	Running of Train between Ghaziabad and Shahadara ..	43—44
1218. उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करना	Setting up of Newsprint Factory in U. P. ..	44
1219. मेरठ-नई दिल्ली शटल रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बों में पंखों तथा रोशनी की व्यवस्था	Fans and Lights in Meerut—New Delhi Shuttle Train 3rd class compartments ..	44—45
1220. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में अलाभप्रद शाखा लाइनों का बन्द किया जाना	Closure of Uneconomic Branch Lines on North-East Frontier Railway ..	45—46
1221. अमृतसर में लघु उद्योगों का बन्द होना	Closure of Small Scale Industries in Amritsar	46
1222. जम्मू तथा काश्मीर के विधान मंडल के उप-चुनाव	Bye-Elections to Jammu and Kashmir Legislature ..	46—47
1223. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में पूंजी लगाना	Investment in Hindustan Steel Ltd.	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
1224.	भारतीय कारों तथा स्कूटरों का स्तर — Quality of Indian Cars and Scooters	47—48
1225.	हिन्डन नदी के पुल पर दोहरी पटरी — Double Tracks on Hindon Bridge	48
1226.	ज्वालामुखी रोड और गुलेर स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन — Halt Station between Guler and Jawalamukhi Road Stations ..	49
1227.	कान्दरोरी रेलवे स्टेशन पर माल साइडिंग — Goods Siding at Kandrori Station	49
1228.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड — Hindustan Cables Ltd.	49—50
1229.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड — Hindustan Cables Ltd.	50
1230.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के लिये मशीनें आदि — Machinery for Hindustan Cables Ltd.	50—51
1231.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की वस्तु सूची — Inventory held by Hindustan Steel Ltd. ..	51
1232.	शुल्क आयोग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश — ARC Recommendation on Tariff Commission ..	52—53
1233.	भारत में सिग्रेट उद्योग — Cigarette Industry in India ..	53—54
1234.	मदुराय डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में भूतपूर्व सैनिकों की वाणिज्यिक क्लर्कों के रूप में नियुक्ति — Appointment of Ex-Military Personnel as Commercial Clerks in Madurai Division (S. Rly.) ..	54
1235.	अजमेर डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों का दर्जा बढ़ाना — Up-grading of posts of Commercial Clerks in Ajmer Division (W. Rly.) ..	54—55
1236.	दक्षिण-पूर्व रेलवे में कमजोर नजर वाले 100 परिवहन कर्मचारियों को वाणिज्यिक क्लर्कों की श्रेणी में नौकरी देना — Absorption of 100 vision failed transportation staff in Commercial Clerks' Category of South Eastern Railway ..	55—56
1237.	पश्चिमी रेलवे के अजमेर स्थित कार्यालय में पार्सल क्लर्कों के काम का मापदण्ड — Working Yard stick for parcel clerks at Ajmer Parcel Office, W. Railway	56
1238.	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा बिजली के सामान का निर्यात — Export of electrical goods by Heavy Electricals Ltd., Bhopal	55—57

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1239. उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस	Licences for setting up of Industries ..	57
1240. औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन	Conference of Representatives of Industrial organisations ..	58
1241. गांधी शताब्दी वर्ष में मद्य-निषेध	Prohibition during Gandhi Centenary Year ..	58
1242. अस्पृश्यता निवारण	Eradication of Untouchability	58—59
1243. रेलवे लाइन का कन्याकुमारी तक बढ़ाया जाना	Extension of Railway line upto Kanyakumari	59
1244. अस्पृश्यता तथा जातिवाद	Untouchability and casteism	59
1245. भारत का औद्योगिक विकास	Industrial development of India	60
1246. पूर्वोत्तर रेलवे का डिवीजनल कार्यालय	Divisional Office of North Eastern Railway	60—61
1247. रंग रोगन कम्पनियों के उत्पादों की बिक्री	Sale of Froducts of Paints and Varnish companies ..	61
1248. रेलवे कर्मचारियों के लिये वर्दियों की व्यवस्था	Provision of Uniforms to Railway Staff ..	61—62
1249. राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों का चलाना	Introduction of more Rajdhani Expresses ..	62
1250. राजधानी में उद्योगों का सर्वेक्षण	Survey of Industries in the capital	63
1251. तेल के ढोल बनाने का लाइसेंस प्राप्त क्षमता	Licensed capacity for manufacture of Oil Barrels	63
1252. टाटा को फर्में	Tata Firms ..	64
1253. आगरा, मथुरा और नई दिल्ली के बीच रेलगाड़ी	Train between Agra, Mathura and New Delhi	64—65
1254. दक्षिण एक्सप्रेस के तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रा	Travelling in Third Class in Dakshin Express	65—66
1255. औद्योगिक लाइसेंस के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र	Pending applications for Industrial licences	66—77
1256. मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली	Machine Tools Corporation of India, New Delhi ..	67—68

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1257. अधिक अच्छी किस्म के उच्च शक्ति वाले इस्पात का उत्पादन	Production of better quality High Strength Steel ..	68
1258. बंसकंठा संसदीय उप-निर्वाचन	Banaskantha Parliamentary Bye-election ..	69
1259. राज्य सभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व	Representation to Union Territories in Rajya Sabha	69—70
1260. राष्ट्रपति का चुनाव	Election of President ..	70
1261. सीमेंट का उत्पादन तथा निर्यात	Production and Export of Cement ..	70
1262. महाराष्ट्र में अनारक्षित स्थान	Unreserved seats in Maharashtra ..	71
1263. महाराष्ट्र को औद्योगिक लाइसेंस	Industrial licences to Maharashtra ..	71
1264. तुगलकाबाद में माल का वितरण	Delivery of goods at Tughlakabad	71—72
1265. रेल के डिब्बों पर सैनिक शब्द वाली पर्चियों का लगाना	Pasting of slips Military on Railway Compartments ..	72—73
1266. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को दिये गये ऋण	Loan given to Hindustan Steel Limited ..	73—74
1267. रेलवे के वर्कशापों में अलौह धातुओं की रद्दी का बेचा जाना	Disposal os non-ferrous scrap in Railway workshops ..	74
1268. उद्योग स्थापित करने के लिये बेरोजगार इंजीनियरों को सहायता	Assistance to unemployed Engineers for setting up industries ..	74—76
1269. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किया गया कार्य	Working results of Hindustan Steel Ltd. ..	76—77
1270. रेलवे दुर्घटनायें	Railway accidents ..	77—79
1271. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के कार्य के परिणाम	Working Results of Hindustan Salts Ltd. ..	79—80
1272. मैसर्ज स्टेन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा तेल के बैरलों का सप्लाई न किया जाना	Non-supply of oil barrels by M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Co. ..	80

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1273. मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम्ज एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई	M/s Standard Drums and Barrel Manufacturing Company, Bombay	81
1274. मैसर्ज किलिक इण्डस्ट्रीज	M/s Killick Industries	81—82
1275. बिहार में ट्रक वाहकों को अधिभार की वापसी	Refunds a surcharge to truck operators in Bihar ..	82
1276. बोकारो इस्पात कारखाने में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by workers in Bokaro Steel Project ..	82—83
1277. रेलवे हाई स्कूलों के अध्यापक	Teacher of Railway High Schools ..	83
1278. अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ	All India Stations Masters' Association	83—84
1279. रेलवे संघ	Railway Unions	84
1280. रेलवे के कर्मचारी संघों को मान्यता	Recognition to Employees' Unions in Railways	84
1281. टेलको में मीटर गेज लाइन के लिये रेल इंजन का निर्माण	Manufacture of M. G. Locomotives at Telco ..	85
1282. पश्चिम बंगाल से औद्योगिक एककों का स्थानान्तरण के लिये आवेदन-पत्र	Applications for shifting of Industrial Units from West Bengal	86
1283. विदेशी सहयोग	Foreign collaboration	86—87
1284. कलकत्ता में वृत्ताकार तथा भूमिगत रेलवे	Circular and Tube Railways in Calcutta ..	87—88
1285. इन्जीनियरी सामान के उपभोक्ताओं को कठिनाइयां	Difficulties faced by consumers of engineering Products ..	88
1286. लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल की अनियमित सप्लाई	Irregular supply of raw materials to Small Scale Industries ..	88—89
1287. विद्यार्थियों को किराये में रियायतें	Fare concessions to students ..	89
1288. राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में मिलने वाला खाना	Food served in Rajdhani Express ..	89—90
1289. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, पिंजौर में ट्रेक्टरों का निर्माण	Production of tractors in Hindustan Machine Tools Factory, Pinjore	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1290.	उत्तर रेलवे में रामपुर से हल्द्वानी तक बड़ी लाइन	Broad gauge line from Rampur to Haldwani (N. Railway)	90—91
1291.	दिल्ली तथा मेरठ के बीच यात्रियों के यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण	Traffic survey of passengers between Delhi and Meerut	91
1292.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी	Delay in submission of report of Commissioner for scheduled castes and scheduled tribes	91
1293.	बोकारो इस्पात परियोजना को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करना।	Declaration of Bokaro Steel Project site as prohibited area	92
1294.	पश्चिम बंगाल विधान परिषद् के लिये चुनाव	Election to West Bengal Legislative Council ..	92
1295.	रेलवे में माल का लदान करने वालों के लिये भाड़ा सम्बन्धी योजना को लागू करना	Introduction of Scheme of freight forwarders on Railways	93
1296.	तेलंगाना आन्दोलनों के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Telengana agitations ..	93—94
1297.	विदेशों को भेजे गए प्रतिनिधि मण्डल	Delegations sent abroad	64
1298.	विदेशों में नियुक्त किये गये मंत्रालय के कर्मचारी	Ministerial staff posted in foreign countries	94
1299.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मेनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	Hindustan photo films manufacturing Co. Ltd. ..	95
1300.	उत्तर प्रदेश में उद्योग	Industries in Uttar Pradesh	95—96
1301.	भारतीय रेलवे में खान पान सेवा	Catering services on Indian Railways	96
1302.	भावनागर तारापुर रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Bhavnagar Tarapur Railway line	96—97
1303.	मुसलमानों के लिए सिविल संहिता	Civil code for Muslims	97
1304.	रूरकेला इस्पात कारखाने के क्रय अधिकारी का कलकत्ता से रूरकेला को स्थानान्तरण	Shifting of Rourkela Steel Plan purchase office from Calcutta to Rourkela ..	97—98

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1305. बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये इस्पात प्लेटों तथा उष्मसह ईंटों की आवश्यकता	Requirement of steel plates and Refractory bricks for Bokaro Steel Plant	98—99
1306. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मालिक कर्मचारी सम्बन्ध	Employer-employee relationship in Durgapur Steel Plant	99
1307. अखबारी कागज का उत्पादन	Production of Newsprint	100
1308. बहु विवाह	Polygamy	100—101
1309. लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of small scale industries Board	101
1310. वर्मा और ईरान को रेलवे लाइनों की सप्लाई	Supply of Railway tracks to Burma and Iran	101—102
1311. बिलेटों की कमी	Shortage of Billets	102—103
1312. बन्द माल डिब्बों में अनाज का भेजा जाना	Transportation of Foodgrains in covered Wagons	103
1313. आन्ध्र प्रदेश का औद्योगिक विकास	Industrial development of Andhra Pradesh	103—104
1314. चौथी योजना में कागज के कारखानें	Paper Mills during Fourth Plan	104—105
1315. जमालपुर (पूर्व रेलवे) में खलासी को साहसिक कार्य पर इनाम	Reward for an Act of Bravery to a Khalasi at Jamalpur (E. Rly.)	105
1316. टायरों का मूल्य अधिक होना	High price of tyres	105—106
1317. मोदी सार्थ समूह द्वारा कांग्रेस दल को चन्दा	Donations by Modi Group of companies to Congress Party	106
1318. आदिम जातियों की ऋण-ग्रस्तता	Indebtedness among Tribals	106—107
1319. डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों से जोड़े जाने वाले रेलवे अधिकारियों के सैलून	Railway officers saloons attached to Mail/Express Trains	107—108
1320. अंधों के लिए दिल्ली में प्रशिक्षण स्कूल	Training school for Blind in Delhi	108
1321. पनकी विशेष माल गाड़ी में रेलवे गार्ड की हत्या	Murder of Railway Guard on the Panki Special Goods Train	108—109

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1322.	मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर उपरि पुल	Overbridges on Railway Stations in M. P.	109
1323.	भुसावल से केन्द्रीय रेलवे के इटारसी सेक्शन तक रेलवे स्टेशनों में बिजली लगाना	Electrification of Railway Stations from Bhusaval-Itarsi Section of the C. Rly. ..	109
1324.	मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस	Licences to Birlas to set up Industries in Madhya Pradesh ..	109—110
1325.	खंडवा स्टेशन पर आरक्षण कार्यालय	Reservation office at Khandwa Station ..	110
1326.	बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल	Overbridge at Burhanpur Railway Station ..	110—111
1327.	रेलों में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on Railways ..	111—112
1328.	मोटर गाड़ी उद्योग	Motor Vehicles Industry	112
1329.	इलायापेरुमल समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Recommendations of Elayaperumal Committee Report	113
1330.	मुख्य लाइनों पर यात्री गाड़ियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Passenger Trains on Main lines	113
1331.	राजस्थान में रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था	Drinking Water at Railway Stations in Rajasthan	114
1332.	छोटे रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार	Improvement on Small Railway Stations ..	114
1333.	पश्चिम रेलवे में बाढ़ नियंत्रण के लिये की जाने वाली कार्यवाही	Step proposed to be taken to control floods on Western Railway ..	114—115
1334.	बांदा जंकशन (मध्य रेलवे) पर एक व्यक्ति का गाड़ी के नीचे आ जाना	Man Run over by a Train at Banda Junction (C. Rly.)	115
1335.	भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का चिह्न	Symbol of CPI (Marxist)	115
1336.	आसाम में कागज की लुगदी बनाने का कारखाना	Paper Pulp Factory in Assam	116

अता० प्र० संख्या
U.S.Q. Nos.

1337. राजस्थान में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Rajasthan	116
1338. नमक आयुक्त के कार्यालय को जयपुर से अन्यत्र ले जाना	Shifting of Salt Commissioner's Office from Jaipur ..	117
1339. बांदा जंकशन के लोको फिटर तथा ट्रेन क्लर्क	Loco Fitters and Train Clerks at Banda Junction ..	117
1340. अंधों के कल्याण के लिये विश्व परिषद्	World Council for the Welfare of Blind ..	117—118
1341. उत्तर रेलवे के गार्डों को मील भत्ता	Mileage Allowance to Guards on Northern Railway ..	118
1342. क्रोमियम स्टील का उत्पादन	Production of Chromium Steel ..	118
1343. सोनाई गांव के समीप रेलवे लाइन के आर पार समपार	Railway Crossing Across Railway Line near Sonai Village ..	119
1344. सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of cement ..	119
1345. मनीपुर में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Manipur	120
1346. चाय उद्योग में प्रयोग की जाने वाली मशीन का निर्माण	Manufacture of Machinery used in Tea Industry ..	120—121
1348. मध्यावधि चुनावों में अवैध मत पत्र	Invalid votes during Mid term Elections ..	121
1349. रेलवे स्टेशनों पर यात्रीकर	Passenger Tax charges on Railway stations ..	121—122
1350. रेलवे स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था	Electrification of Railway Stations ..	122
1351. सपहाला में मालगाड़ी के तेल टैंक में विस्फोट	Explosion in oil tank of goods train at Saphala	122
1352. मध्य प्रदेश में स्टेशनों का विद्युतीकरण	Electrification of Stations in Madhya Pradesh ..	122—123
1353. चुनाव अभियानों में अनुचित तरीकों का प्रयोग	Unfair practices in election campaigns ..	123
1354. पश्चिम बंगाल के माल डिब्बे निर्माताओं को क्रयादेश	Orders placed with West Bengal Wagon Builders ..	124
1355. रेल के सवारी डिब्बों का निर्यात	Export of coaches	124

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1356. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में डिवीजन बनाना	Divisionalisation on North East Frontier Railway	125
1357. मैसर्स तुंगभद्रा पल्प एण्ड बोर्ड लिमिटेड को इण्डिया शूगर्ज एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड, हास्पेट का एकमात्र विक्रय एजेन्ट नियुक्त करना	Appointment of M/s Tungabhadra Pulp and Board Ltd., as sole selling agents of India Sugars and Refineries Ltd. Hospet ..	125
1358. कर्मशियल क्लर्कों (दक्षिण रेलवे) के लिए कार्यकारी मापदण्ड	Working yard stick for commercial clearks (S. Railway) ..	126
1359. मदुरे डिवीजन (दक्षिण रेलवे में कर्मशियल क्लर्कों के पदों का समाप्त किया जाना	Abolition of posts of commercial clerks in Mudarai Division (S. Rly.) ..	126
1360. वाणिज्यिक क्लर्क	Commercial Clerks ..	127—128
1361. बिरला सार्थ समूह के विरुद्ध आरोप	Charges against Birla Group of concern ..	128
1362. सोनाई हाल्ट स्टेशन को एक क्रासिंग स्टेशन का रूप देना	Conversion of Sonai halt station into a crossing station ..	128—129
1363. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कम्पनी, ऊटकमण्ड	Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ootaccamund ..	129
1364. एसोशिएटिड बेयरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	Associated Bearing Co. Ltd., Bombay ..	129—130
1365. ग्लास कारबोयेज एण्ड प्रैस्ड वेयर्स लिमिटेड, बम्बई	Glass Carboys and Pressed Wares Ltd., Bombay ..	130
1366. काले बाजार में स्कूल और कालेज की उत्तर पुस्तकाओं की बिक्री	Sale of school and college Note books in Black Market ..	130
1367. अलवर स्टेशन	Alwar Station ..	131
1368. जैसप के अंश मूल्य निर्धारण के मामले में मध्यस्थ की रिपोर्ट	Report of Arbitrator in Jessop's share price Fixation case ..	131
1369. रेयन ग्रेड गूदा के लिये 'जूट स्टिक' का प्रयोग	Use of Jute sticks for Rayon Grade pulp ..	131—132
1370. राज्यों में बेगार	Forced labour in States ..	132—133

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1371. राजनीतिक आन्दोलनों के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Political Movements	133
1372. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों की बिक्री	Sale of H.M.T. Machines ..	133
1373. रूस से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के उत्पादों के लिये निर्यात बाजार की खोज के लिये भारत सोवियत संयुक्त समिति	Indo Soviet Joint Committee for finding export Makets for products of Soviet aided Projects ..	134
1374. मण्डी धनौरा रेलवे स्टेशन पर डाकुओं का हमला	Raid by Dacoits on Mandi Dhanaura Station ..	134—135
1375. अखिल भारतीय निर्माता संगठन द्वारा दिया गया आर्थिक विकास कार्यक्रम के लिये सुझाव	Programme for Economic Development suggested by All India Manufacturers Organisation ..	135—136
1376. रोलिंग स्टाक निर्यात संघ संवर्धन परिषद	Rolling stock export association promotion council ..	136—137
1377. फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial licences to Firms ..	137—138
1378. रूसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के फालतू उत्पाद	Surplus products of Soviet Aided projects..	138—139
1379. पश्चिम बंगाल विधान परिषद के लिये चुनाव	Elections to West Bengal Legislative Council	139
1380. निर्यात बढ़ाने के लिये भारत इंगलैंड का उपक्रम	Indo-British ventures to step up Exports ..	140
1381. गैर-सरकारी कम्पनियों में उच्च प्रबन्धकों की उपलब्धियां	Emolument of Top Executives in Private Firms ..	140—141
1382. बसुमती का पूंजी सम्बन्धी ढांचा	Capital structure of the Basumati ..	141—142
1383. परिवार तथा शिशु कल्याण योजनाओं के लिये यूनिसेफ से सहायता	Aid from UNICEF for Family and Child Welfare Schemes ..	142—143
1384. राज्यों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना	Setting up of Industrial Estates in States ..	143

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1385.	गोहाटी के समीप ट्रक और रेलगाड़ी में टक्कर	Truck Train Collision near Gauhati	.. 143—144
1386.	रेलवे में अपराध	Crimes on Railways	.. 144—145
1387.	चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के कारखाने	Public Sector Units in Orissa during Fourth Plan	145
1388.	खुर्दा रोड डिवीजन में उड़िया भाषा जानने वाले सुरक्षा सलाहकार	Oriya Knowing Safety Counsellors in Khurda Road Division	.. 145—146
1389.	भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on Indian Railways	.. 146—147
1390.	रामपुरहाट (पश्चिम बंगाल) के आदिवासियों की मांगें	Demands of Adivasis of Rampurhat (West Bengal)	147
1391.	ओखला औद्योगिक बस्ती (दिल्ली) में किराये की किश्तों की बकाया राशि	Arrears of Rent Instalments in Okhla Industrial Estate (Delhi)	.. 147—148
1392.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials by Bharat Heavy Electricals	148
1393.	सूखी बैटरियों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Dry Batteries	149
1394.	घाटपुरी स्टेशन पर संग चल टिकट निरीक्षक पर आक्रमण	Attack on Travelling Ticket Inspector at Ghatpuri Station	.. 149
1395.	वस्तु विनियम आधार पर आन्तरिक व्यापार	Internal Trade on Barter System	.. 149—150
1396.	दरभंगा और निर्मली (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच चलने वाली गाड़ियों में प्रकाश की व्यवस्था	Lighting Arrangements in Trains running between Darbhanga and Nirmali (N. E. Rly.)	.. 150
1397.	सकडी और हसनपुर के बीच सीधी रेलवे लाइन	Direct Railway Line between Sakri and Hasanpur (NE Rly.)	.. 150—151
1398.	दिल्ली हावड़ा डीलक्स रेलगाड़ी को बरास्ता वाराणसी चलाना	Running of Delhi Howrah-Deluxe Train via Varanasi	.. 151
1399.	सुलतानपुर से झांसी तक सवारी गाड़ी का विलम्ब से आना	Late Arrival of Passenger Train from Sultanpur to Jhansi	.. 151—152
1400.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सहायक विश्राम कक्ष	Subordinate Rest House at New Delhi Station	.. 152

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु	Death of Shri Din Dayal Upadhyaya	.. 152—158
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	.. 153—154
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	.. 154—157
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 158—159
ध्यान आकर्षण सूचना के बारे में	Re. Calling Attention Notice	159
बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) अध्यादेश के बारे में संविधिक संकल्प (अस्वीकृत) और	Statutory Resolution Re. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance (Negatived) and	
बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill	.. 160—183
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	160
श्री वेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	.. 164—165
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	.. 165—167
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	.. 167—168
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon	.. 168—170
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	.. 170—172
श्री एस० के सम्बन्धन	Shri S. K. Sambandhan	.. 172—173
श्री एम० वी० कृष्णप्पा	Shri M. V. Krishanappa	.. 173—174
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	.. 174—176
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	.. 176
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	.. 176—178
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	178
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhari	.. 178—179
श्री जी० भा० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani	.. 179—180
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	.. 180—181
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	.. 181—182

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 29 जुलाई, 1969/7 श्रावण, 1891 (शक)
Tuesday, July 29, 1969/ Sravana 7, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Economy in the Filling up of Class I and Class II Posts on the North Eastern Railway

*182. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7990 on the 29th April, 1969 and state:

(a) the reasons for not effecting economy in the matter of filling up Class I and Class II posts on the North Eastern Railway and Divisional Offices; and

(b) if the need for economy has not been kept in view while filling up Class I and Class II posts, the nature of action taken to fill up all the Class III and Class IV posts expeditiously?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष): (क) सभी राजपत्रित पदों की आवश्यकता के बारे में बारीकी से छानबीन की जाती है और जो पद अनिवार्य होते हैं, केवल उन्हीं को भरा जाता है।

(ख) तीसरी और चौथी श्रेणी में केवल वही पद खाली रखे जाते हैं, जिन्हें कुशलता पर प्रभाव पड़े बिना खाली रखा जा सकता है।

Shri Molahu Prashad: In reply to a question on the 29th April, 1969, it was stated that the sanctioned posts of Class III and Class IV employees were vacant but the posts of

Class I and Class II officers were not vacant, may I know whether it is a fact and, if not, will the Government let us know the number of posts of the Class I, Class II, Class III and Class IV kept vacant in view of economy measures? May I know the policy being followed by the Government in this regard ?

श्री परिमल घोष : जहां तक राजपत्रित अधिकारियों का संबंध है किसी भी रिक्त पद की पूर्ति करते समय व्यक्तिगतरूप से उसकी जांच की जाती है तथा पद के भरने के गुण दोषों की जांच करने के उपरान्त ही उस पद को भरा जाता है विशेषकर उत्तर पूर्व रेलवे में मितव्ययता को ध्यान में रखने के कारण कई प्रथम श्रेणी के स्थाई तथा अस्थाई पदों को समाप्त कर दिया गया है। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पद भी रेलवे में खाली पड़े हैं। कार्य प्रक्रिया में सरलीकरण, विद्युतीकरण तथा डीजल का प्रयोग करने के कारण कुछ पद फालतू हो गये हैं । यद्यपि कुछ श्रेणियों के कर्मचारी फालतू घोषित किये गये हैं, किन्तु फिर भी अन्य स्थानों पर कर्मचारियों की मांग है अतः हम फालतू कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर लगा सकते हैं जिससे कार्य भी प्रभावोत्पादक हो जायगा। इन स्थानों को इसी कारण रिक्त रखा गया है कि फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को अवसर दिया जा सके। उत्तर पूर्व रेलवे में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों को फालतू घोषित किया जा रहा है।

Shri Molahu Prashad : The Hon. Minister has given a clear reply. I wanted to know the number of posts kept vacant in the N. E. Railway and the number of posts kept vacant in the Divisional Office.

श्री परिमल घोष : पूर्वोत्तर रेलवे में तृतीय श्रेणी के रिक्त स्थानों की संख्या लगभग एक हजार है तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त स्थान की संख्या भी लगभग एक हजार से कुछ अधिक है।

Shri Molahu Prashad : May I know the reasons for not effecting economy in matter of filling-up Class I and Class II posts? The Government seem to the disinclined in explaining their policy in this matter. I want the Government should specify their policy.

श्री परिमल घोष : मैं बता चुका हूं कि इस रेलवे के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कुछ पदों को हमने समाप्त कर दिया है।

Shri K. N. Tiwary : In his reply the Hon. Minister has told that in certain categories some posts are rendered surplus, while certain categories are short of staff. May I know the names of the categories in which the staff is surplus and the number of posts rendered surplus by these categories ? May I also know the names of the categories wherein the staff is short and may I know the nature of shortage ?

श्री परिमल घोष : इस समय यह बताना कठिन है कि पूर्वोत्तर रेलवे में कुल कितने कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है। पूरे रेलवे विभाग में अनावश्यक कर्मचारियों की संख्या काफी है। हमने जो प्रक्रिया अपनाई है उसके अनुसार किसी भी रिक्त पद को तुरन्त सीधे नियुक्ति द्वारा भरने की बजाय उस मामले को रेलवे बोर्ड के समक्ष रखा जाता है तथा रेलवे बोर्ड का यह कर्तव्य है कि वह विभाग में यदि कहीं अनावश्यक कर्मचारी पाए तो उनको उस रिक्त स्थान पर लगाये।

Shri K. N. Tiwary: When this is the case, the Railway Board must have been aware of the number of surplus staff in the various categories. Simultaneously, the Board must be aware of those categories in which the staff is short. Therefore, the answer to the supplementaries put here should be given directly.

श्री परिमल घोष : डीजल के प्रयोग से तथा रेलवे के विद्युतीकरण तथा प्रक्रिया सरलीकरण से अनावश्यक कर्मचारियों की समस्या उत्पन्न हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ मध्यमान आंकड़े तो होंगे ही ।

श्री सु० कु० तापड़िया : माननीय मंत्री 30 जून या 1 जुलाई के आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं :

श्री परिमल घोष : किसी भी निश्चित तिथि के अनावश्यक कर्मचारियों की संख्या बताना इस समय कठिन है । इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : पूर्वोत्तर रेलवे में डिवीजन मंडलीयकरण व्यवस्था प्रारम्भ करने के बाद तथा सोनपुर से समस्तीपुर में कार्यालय का स्थानान्तरण करने के बाद सोनपुर कार्यालय को समाप्त करने से बहुत से कर्मचारियों को फालतू समझा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि वे कर्मचारी क्या कर रहे हैं । मैंने सुना है कि उनको छोटे मोटे काम दिये जा रहे हैं जो बिलकुल अनावश्यक हैं । आप उनके बारे में क्या करने की सोच रहे हैं ? क्या उनकी छंटनी की जायगी अथवा उन्हें कहीं अन्यत्र कार्य दिया जायगा ?

श्री परिमल घोष : यह बात स्पष्टत: बताई जा चुकी है कि विद्युतीकरण करने या डीजल का प्रयोग करने, यहां तक कि मण्डलीय योजना लागू करने पर किसी को सेवा से निकाला नहीं जाएगा । इस प्रक्रिया को अपनाये जाने पर कुछ कर्मचारियों को अनावश्यक घोषित किया जा सकता है । इसी कारण किसी भी रिक्त स्थान को सीधे न भरकर इस प्रक्रिया से प्रभावित हुए अनावश्यक समझे गये कर्मचारियों के द्वारा भरा जायगा । अत: इसी कारण कुछ पदों को नहीं भरा गया है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : कितने कर्मचारी फालतू हैं ?

श्री परिमल घोष : पूर्वोत्तर रेलवे में मण्डलीयकरण करने की योजना अभी लागू की है । यह अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है कि इससे कितने कर्मचारी अनावश्यक सिद्ध होंगे । किन्तु किसी भी कर्मचारी को छंटनी से निकाला नहीं जायेगा अर्थात् उन्हें अन्यत्र काम दिया जाएगा ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Whether it is a fact that the Railway Board have issued certain instructions recently wherein the creation of the post of a Dy. D. S. Class I has been sought and the provision have been made to appoint the Class III and Class IV employees on part time basis ? If it is a fact, are the Government aware of the fact that one of the main reasons leading to the Railway accidents in that these employees are overloaded with work and that these employees are given an allurement of over-time which creates a sense of carelessness in them ?

श्री परिमल घोष : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका रेल दुर्घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । किसी पद पर नियुक्ति करते समय उससे सम्बन्धित कार्यभार तथा अन्य बातों की उपयुक्त जांच करनी होती है तथा उसके बाद ही पद को भरा जाता है । अत: जिन रिक्त स्थानों को नहीं भरा गया उनका रेल दुर्घटनाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Om Prakash Tyagi: It has been stated by the Hon. Minister that nearly one thousand posts of Class III and Class IV each are kept vacant. Because of adundance of posts being kept vacant, the efficiency of the Railways is, naturally, affected. But there must be some limit of keeping these posts vacant. May I know, then, the time by which it will be necessary to fill-up these posts. Have you fixed any period of time during which you will fill-up these posts?

श्री परिमल घोष : रिक्त पदों को भरने के बारे में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, इन पदों को केवल प्रक्रिया में परिवर्तन लाने से अनावश्यक घोषित किया गया है। डीजल के प्रयोग से तथा भाप पद्धति को हटाने से, विद्युतीकरण और सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाने के कारण ही ये कर्मचारी फालतू हुए हैं। मैंने यह भी बताया है कि कार्यभार बढ़ने से अन्य स्थानों पर कुछ नए पदों को बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। अतः कुछ नये पद बनेंगे और कुछ पुराने पद अनावश्यक होंगे। जैसे ही इन दोनों स्थितियों में संतुलन देखा जायगा हम शेष रिक्त स्थानों को भर देंगे।

Shri Om Prakash Tyagi: If due to the lack of work these posts are declared surplus, they should be surrendered. But, in case the Government thinks that they have enough work to be provided for them, then, for how long the Railway Administration will keep these posts vacant?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका क्या अनुमान है ? कितने पदों को अनावश्यक घोषित करने की सम्भावना है ? एक प्रश्न भिन्न-भिन्न शब्दों में पूछा जा रहा है।

श्री परिमल घोष : मैं इस स्थिति को बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सरलीकरण तथा वैज्ञानिकन की प्रक्रिया को अपनाने से कुछ पद तो सदा के लिये अनावश्यक हो जाएंगे। चूंकि यह प्रक्रिया स्थायी है अतः कुछ नये पद भी बनाने होंगे। इस बारे में स्पष्ट रूप से यह भी कहा जा चुका है कि किसी कर्मचारी को निकाला भी नहीं जायगा। इसमें समय अवश्य लगेगा किन्तु जैसे ही नए पद बना दिये जाएंगे इन कर्मचारियों को उन पदों पर रख लिया जायगा। फिर भी कुछ स्थान रिक्त रहेंगे ही।

Shri Tulsidas Jadhav: May I know the reasons for not making Class III and Class IV staff of the Railways permanent during their continuous service for a long period ranging from eight to twelve years? The vacant posts of these classes are not being filled up by the Government and at the same time Class III and Class IV posts are not being made permanent. What are the reasons for that? Because the employees are treated temporary for a long time they are deprived of the facilities of provident fund etc.

श्री परिमल घोष : रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों को भी सब सुविधाएं प्राप्त हैं। परन्तु यह सच है कि बहुत अधिक लम्बे समय तक कुछ कर्मचारियों को स्थायी नहीं बनाया गया है। इस सम्बन्ध में कई अन्य कठिनाइयां हैं। यह प्रश्न केवल रेलवे विभाग में ही नहीं परन्तु केन्द्रीय सरकार के अन्य समस्त विभागों में भी विद्यमान है।

श्री शिवनारायण : वह स्पष्ट रूप से बतायें कि ये कठिनाइयां क्या हैं ;

Shri Tulsidas Jadhav: This is not a convincing argument that the staff in the Railways should be kept temporary for a long time as is a practice in other departments of central Government.

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): It is, infact, a painful procedure that an employee is kept in temporary capacity for a period of five, seven or eight years. All these matters will be considered denovo.

श्री मि० सू० मूर्ति : तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं । क्या यह स्थिति इन श्रेणियों में भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण है ?

श्री परिमल घोष : केवल अनुसचिवीय कर्मचारी वर्ग की तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों की नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मंत्री महोदय ने बतलाया है कि भारतीय रेलों में लाये जा रहे परिवर्तन के कारण कुछ पद रिक्त हो गए हैं तथा उन्हें रिक्त रहने की ही सम्भावना है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पर लागू है अथवा प्रथम और द्वितीय श्रेणियों पर भी उसी अनुपात से पद रिक्त रखे जा रहे हैं जिस अनुपात में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों में रिक्त रखे जा रहे हैं ?

श्री परिमल घोष : जहां तक अनुपात कायम रखने का सम्बन्ध है, इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देना इस समय मेरे लिए कठिन है । यह सत्य है कि इस प्रक्रिया को सरल तथा युक्ति संगत बनाने के लिये केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों को ही नहीं बल्कि प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के स्थानों को भी अतिरिक्त बनाया गया है उनमें से अनेक स्थानों को समर्पित कर दिया है ।

Shri Ishaq Sambhali: The area covered by N. E. Railway is thickly populated and poorest. It is also a fact that N. E. Railway is the most trouble some railway where the pessengers have to face many troubles and hardships. The Hon. Minister has stated that one thousand posts of Class III employees are lying vacant in this railway, that means a loss of eight thousand man hours per day to the N. E. Railway. It is evident that where such is the position how can we hope to improve the working of the railway? The question of these posts having been surrendered does not arise when these posts have already been approved and privision made. I want to know the difficulties being faced in filling up these vacancies. I may, for your information, tell you that corruption is reported to be prevalent in fulfilling the vacancies of Class III and Class IV employees in the railways. I do not know how far this is correct. I want to know the difficulties having been faced by Government that these vacancies have not been filled so far which has resulted in great loss to the railway.

श्री परिमल घोष : इन रिक्त पदों के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने अभी बताया है प्रक्रियाओं में सरलता लाने के प्रयत्न के कारण तथा रेलों को विद्युत चालित तथा डीजल चालित करने आदि की नई व्यवस्था के कारण निस्सन्देह कुछ कर्मचारी फालतू हो जाएंगे । इसका एक कारण यह और भी है कि भारतीय रेलों में कर्मचारी बहुत अधिक मात्रा में हैं और रेलों की वर्तमान आर्थिक स्थिति का कारण भी यही है । इस अध्ययन के आधार पर प्रक्रियाओं को कुछ साधारण बना दिया है और कुछ कर्मचारी भी फालतू हो गए हैं । इससे रेलों की कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस अध्ययन का उद्देश्य यह नहीं है । इस अध्ययन का उद्देश्य तो यही है कि कार्यकुशलता प्रभावित किए बिना क्या कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा

सकता है अथवा नहीं। कर्मचारियों के अधिक होने की समस्या केवल उत्तर पूर्वीय रेलवे के लिए ही आश्चर्यजनक नहीं है परन्तु अतिरिक्त कर्मचारी तो हमारी समस्त रेलवे प्रणाली में ही हैं।

Shri Ishaq Sambhali : Not a single question has been replied. I have asked a simple question, which does not involve so much information.

Railway Board, which is a white Elephant for us, has got all the facts and figures regarding staff position as to where and how much staff is surplus or otherwise. The Hon. Minister has not indicated the difficulties having being arisen in filling up the vacancies of one thousand emplopees lying vacant for a pretty long period and why have you not filled up these posts already approved ?

श्री परिमल घोष : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि प्रति दिन और प्रति महीने पद फालतू होते रहेंगे और इसके साथ ही साथ नए पद बनाए जायेंगे। इन पदों को न भरने का यही कारण हैं कि हम अन्य रेलों के द्वारा फालतू किए गए कर्मचारियों को रिक्त स्थानों पर नियुक्त करना चाहते हैं। यह अनवरत प्रक्रिया है। यह बात नहीं कि ये स्थान बहुत समय तक खाली पड़े रहेंगे। इन स्थानों को भरा जा रहा है और उन्हें फालतू भी बनाए जा रहे हैं।

श्री इसहाक साम्भली : अधिकारियों के कितने पद खाली हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आधारभूत बुराई तो कुछ और ही है, जिसका सम्बन्ध दो मंत्रियों के पारस्परिक सम्बन्धों से है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : इस बात की अपेक्षा करना बेकार होगा कि इससे रेलों के कार्य संचालन के खर्च में कमी होगी अथवा जिस परिस्थिति में रेलों में व्यक्तियों को कार्यरत किया जाता है, विशेषकर उस परिस्थिति में कर्मचारियों का मनोबल ऊपर उठ जाएगा। एक क्षण पूर्व माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया था कि भारतीय रेलों में अधिक कर्मचारियों का प्रश्न तो दीर्घकालिक है। अन्य महत्वपूर्ण बात जो उठाई गई थी वह यह है कि कुछ कर्मचारियों को बहुत अधिक लम्बी सेवा के पश्चात भी उन्हें अपने स्थानों पर स्थाई नहीं बनाया गया था। यदि सरकारी क्षेत्र का यही स्तर रहा तो मुझे आशा है कि हमारे माननीय मित्र, विधि मंत्री जी को शेखीपूर्ण दावे भरने के बजाय, जो उन्होंने कल भरे थे, इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। अब मैं माननीय रेलवे मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय में अथवा रेलवे बोर्ड में कोई अलग से कार्मिक नीति सम्बन्धी विशिष्ट प्रशासन विभाग है, जो समग्र रूप में कार्मिक नीतियों की जांच करता है और जो अनेक वर्षों से रेलवे में लगातार कार्य कर रहे कर्मचारियों के कार्यावधि की अनिश्चितता की समस्या को सुलझाए, रेलवे में वर्तमान प्रत्येक कार्य के कार्य-विवरण की जांच करे, सदा के लिए मानक-संख्या का निर्धारण करे और इस बात का आश्वासन दे कि जब तक ये समस्त स्थितियां सुप्रवाही नहीं होंगी तब तक आगे भर्ती नही की जायेगी।

श्री परिमल घोष : हमने पहले ही इस प्रश्न के ब्योरों की जांच करने के लिए रेलवे बोर्ड में विशेष अनुभाग की स्थापना की है। हमने पहले ही इस सदन में स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया है कि साधारणीकरण के कारण किसी प्रकार की छंटनी नहीं की जायेगी। अधिक

समय तक स्थानों का अस्थाई बने रहना तथा अतिरिक्त कर्मचारियों के स्थान, यहां इन दो प्रश्नों को उठाया है। इन दो प्रश्नों की जांच वास्तव में यह विशेष कोशिका कर रही है। मैं सदन में यही आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस बात पर ध्यान देंगे कि इतने थोड़े समय में ही अस्थायी कर्मचारी अधिक समय तक अस्थायी पदों पर न बने रहें, तथा फालतू कर्मचारियों को भी शीघ्र ही कार्यरत करने के लिए किसी प्रक्रिया को प्रस्तुत किया जाए।

Sinking of Railway Wagons in Ganga River

\+

*183. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been dsawn to a news-item published in the 'Organiser' dated the 31st May, 1969 in which it has been stated that 16 wagons, most of which contained important military hardware, recently sank in Ganga river at Faraka Ghat while shunting and even the wagon numbers of these wagons are not available ;

(b) the names of the Driver, Porter, Shunter and Gunner and whether it is a fact that these persons have sympathy with Pakistan ;

(c) whether Government apprehend that the military hardware might have been removed from the wagons beforehand and later on these wagons might have been consigned to the Ganga river ; and

(d) whether a detailed statement would be laid on the Table ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष): (क) 15-5-69 को फरक्का यार्ड में शंटिंग के समय चौदह माल डिब्बे अचानक नदी में गिर गये। सभी माल डिब्बों के नम्बर उपलब्ध हैं। चौदह माल डिब्बों में से तेरह में नमक, कोयला, कच्चा लोहा, सीमेंट, खाली बोतलें, फुटकर सामान और सूखी घास थी। एक मामले में, यद्यपि माल डिब्बे के नम्बर का पता है, लेकिन यह साफ-साफ लिखा नहीं है कि उसमें क्या लदा था। जहां तक मालूम है, इन माल डिब्बों में कोई सैनिक सामान नहीं था।

(ख) फरक्का यार्ड में शंटिंग कर्मचारी शंटिंग कर रहे थे उनके नाम इस प्रकार हैं :

1 शंटर	—	श्री विश्वनाथ
2 शंटिंग जमादार	—	श्री मोहम्मद अमीन
		श्री दिलशाद
3 शंटमैन	—	श्री शेख इशाक
4 कांटेवाला	—	श्री राम विलास
		श्री सरगम लाल

यह पता नहीं है कि ये व्यक्ति पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखते हैं या नहीं।

(ग) इस तरह की आशंका करने के किसी आधार का औचित्य नहीं दिखाई देता। जैसाकि ऊपर भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, इन माल डिब्बों में कोई सैनिक उपस्कर नहीं था।

(घ) उपर्युक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए, इस बात की आवश्यकता नहीं समझी जाती कि सभा-पटल पर और विवरण रखा जाय।

श्री रंगा : उन्होंने ऐसा क्यों सोचा ?

श्री परिमल घोष : मैं इसका उत्तर अभी दूंगा।

Shri Suraj Bhan: This incident happened on the night of 15th May. It is perchance that loose shunting was not allowed on that line where the shunting was taken place. It is necessary to run engine there very closely; but loose shunting was done. Secondly nothing was done for days after the accident took place. The accident took place on 15th and inquiry was started on 17th. The value of these wagons has been stated to be rupees four lakhs. The value of the contents or commodities is not known. Out of those wagons two were seen alone the water. These could have been lifted through the crane. But the Deputy Chief Mechanical Engineer, despite getting those two visible wagons, lifted through crane drowned them. All these things create suspicions that there is definitely something mischievous behind this incident. In view of the mischief being seen in all that whether the Hon. Minister will get the inquiry made by C.B. I. ?

श्री परिमल घोष : वस्तु स्थिति यह है। शंटिंग जमादार पायलट इंजन चला रहा था और इन चारों डिब्बों को शंटिंग लाइन से मुख्य लाइन पर ला रहा था, कांटे को गलत मिलाने से यह गलत लाइन पर चले गए और संयोगवश डिब्बे नदी में गिर पड़े। अब तक हमें प्राप्त सूचना के अनुसार हमें इस बात के अतिरिक्त और कुछ पता नहीं है कि दुर्घटनावश ही ये डिब्बे नदी में गिर पड़े। जहां तक डिब्बों में विद्यमान सामग्री का प्रश्न है, मैं इस सम्बन्ध में पहले ही बता चुका हूं कि उनमें कोई सैनिक सामान अथवा असला नहीं था। एक डिब्बे के बारे में यह पता नहीं कि उसमें क्या सामग्री थी क्योंकि उस पर साफ-साफ नहीं लिखा हुआ था परन्तु फिर भी हमारा यही अनुमान है कि उसमें भी कोई सैनिक सामग्री नहीं थी।

एक माननीय सदस्य : लूज शंटिंग।

श्री परिमल घोष : यह लूज शंटिंग का प्रश्न नहीं है। प्रश्न था कि कांटा गलत मिलाया गया और यही कारण था कि दुर्घटना हुई।

श्री रंगा : क्या इसके बाद उसे निकाल लिया गया है ?

Shri Suraj Bhan: I do not agree with the reply given by the Hon. Minister. The fact that the wagons fell in the river and the engine and its entire crew remained unhurt creates doubt and suspicion. The Hon. Minister has stated that the wagons contained cement or something else is not satisfactory. I want to know the name of the officer who has conducted the inquiry that has made you to reach this conclusion. According to my information there was definitely military hardware in the wagons and I even suspect that there was Military truck in one of the wagons and two military personnel were on the guard of that very wagon who are also missing. They were also killed there. I, therefore, want to know the mode of inquiry, the man who made the inquiry, and whether it is a fact that this inquiry was made by the same Deputy Chief Mechanical Engineer who kept silent for two days after the accident and made the two visible wagons sunk which could have been taken out easily ? In case the same officer has conducted the enquiry, we are not satisfied with this enquiry.

श्री परिमल घोष : यह जो प्रश्न उठाया है वह ठीक नहीं है। दुर्घटना के तुरन्त पश्चात् हमने मामले की जांच कराई। उस समय फरक्का में जो सम्बन्धित अधिकारी उस दुर्घटना की जांच की उसके ब्योरे एकत्रित किए और इसे निष्कर्ष पर पहुंचे कि कांटें के गलत मिलाये जाने के कारण यह दुर्घटना हुई थी। डिब्बों में सैनिक सामग्री के विद्यमान होने के सम्बन्ध में मैंने पहले ही बता दिया है कि डिब्बों में किसी प्रकार की सैनिक सामग्री नहीं थी। और डिब्बों पर सैनिकों के विद्यमान होने का भी प्रश्न तो बिल्कुल ही नहीं उठता।

Shri Suraj Bhan : Kindly let me know who has conducted the enquiry.

श्री परिमल घोष : एक रेलवे अधिकारी ने।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कोई उत्तर नहीं हुआ। जिस अधिकारी ने इस दुर्घटना की जांच की है। उसका पदनाम क्या है ? एक वित्त अधिकारी ऐसी जांच नहीं करता।

श्री परिमल घोष : फरक्का में उस समय उपलब्ध एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने इस दुर्घटना की जांच की थी। वह एक वरिष्ठ निरीक्षक है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Kindly tell his name.

श्री परिमल घोष : मुझे समझ नहीं आता कि नाम से क्या होगा।

श्री सूरज भान : वह डिप्टी चीफ मैकेनीकल इंजीनियर का अधीनस्थ कर्मचारी है।

श्री परिमल घोष : फरक्का में उस समय कोई डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर नहीं था। उस समय उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारी केवल एक वरिष्ठ निरीक्षक था। यार्ड में इस प्रकार की दुर्घटना तो बहुत ही साधारण बात है (**व्यवधान**)। मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं कि यार्ड में इस प्रकार की दुर्घटना का होना कोई विचित्र बात नहीं है।

श्री ए० श्रीधरन : दुर्घटना तो एक प्रकार की दिन चर्या हो गई है।

Shri Suraj Bhan : The Senior Inspector whom you are referring is subordinate to the Deputy Chief Mechanical Engineer and how can a subordinate go against his boss ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें अन्यथा बहुत अधिक समय लग जायेगा।

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि एक ट्रक पर कुछ सैनिक थे। अतः मैं इस परिस्थिति की जांच करूंगा, और इस समूचे मामले की पूर्ण जानकारी के लिए जांच करवाऊंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it not an unordinary thing ? Not an ordinary one.

Shri Brij Bhushan Lal : What was the reason that you started the inquiry on the 17th May when the accident took place on 15th May ? You kept silent for two days over such a major accident where fourteen wagons sank into the river ? It is said that the accident took place because of the wrong point. If it was so why the wagons fell into the river ? It is clear that this was definitely due to some sabotage. I want to know from the Hon. Minister whether he is prepared to set up a Judicial inquiry to go into all this matter ?

Dr. Ram Subhag Singh : Not a Judicial enquiry but we shall hold our enquiry.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के इस आश्वासन के पश्चात कि वे जांच करवाएंगे और सम्बन्धी तथ्यों को सभा में रखेंगे, हम अगले प्रश्न को लेते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want a clarification. So far as the assurance given by the Hon. Railway Minister, that he would order an inquiry, that is alright. But I have an objection to his following statement, if I have taken it correctly ;

"As far as we know, the wagons did not contain any military hardware."

Is that correct ?

श्री परिमल घोष : नहीं, यह ठीक नहीं है। मैं इसे अधिक स्पष्ट करता हूं। जहां तक उन डब्बों का सम्बन्ध है, 14 डब्बों की जांच की गई थी और उनमें से किसी में भी नहीं मिले मैं समझता हूं कि अब स्थिति स्पष्ट है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : परन्तु मूल उत्तर क्या था ?

श्री परिमल घोष : मुझे स्मरण नहीं है, परन्तु स्थिति यही है।

श्री रंगा : क्या उन डब्बों तथा उनके माल का विशेषत: लोहे तथा अन्य वस्तुओं के निपटान का प्रयत्न किया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि यहां व्यक्त सभी दृष्टि कोणों पर ध्यान रखा जाएगा और तथ्यों की जानकारी सदन को दे दी जाएगी।

Shri Jagannath Rao Joshi : This is a serious affair. The Hon. Minister said that it was due to wrong setting of the points but after the enquiry who was found to be responsible for that wrong setting and whether he has been punished or not **(Interruption)**..or it has been kept a secret ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब जांच होगी तब सदन में व्यक्ति सभी बातों पर ध्यान रखा जाएगा।

श्री समर गुह : मेरा एक सम्बद्ध प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मेरे पास कई नाम है जिनकी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता। परन्तु जांच की घोषणा होने के पश्चात मैंने प्रार्थना की थी कि और प्रश्न न पूछे जाएं और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है।

Shri Sheo Narain : Giving of an assurance does not mean that our questions should be ignored. We have a right to ask questions.

Raids by Forward Market Commission

*184. **Shri N. K. P. Salve :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Offices of different Companies which were raided by the Forward Market Commission during the period from January to June, 1969 in connection with the violation of the provisions of the Forward Contracts (Regulation) Act ; and

(b) the number of companies against which action has been taken for violation of the said Act ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). वायदा सौदे (विनियमन) अधिनियम 1952 के अन्तर्गत अपराधों की जांच करने तथा अभियोग चलाने का कार्य राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाता है, वायदा बाजार आयोग द्वारा नहीं। फिर भी, वायदा बाजार आयोग परामर्श तथा आवश्यक समन्वय प्रदान करता है। जनवरी-जून, 1969 की अवधि में विभिन्न राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुचित वायदा व्यापार करने वाली 77 फर्मों पर छापे मारे गये थे। यह मामले अभी तक विचाराधीन हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : वायदा सौदे (विनियमन) अधिनियम पर प्रतिबन्ध इस सदन के नियमों के समान ही है, उनका उल्लंघन अधिक होता है और पालन कम। मंत्री महोदय के इस कथन से आश्चर्य हुआ की इस सम्बन्ध में छापे मारने तथा उनका निरीक्षण करने का कार्य राज्य पुलिस द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि 77 फर्मों पर छापे मारे गये थे। क्या सरकार को विदित है कि अत्यन्त शक्तिशाली तथा प्रभावी व्यक्तियों द्वारा एक जाल रचा गया है, जो निरन्तर अटकले लगाते रहते हैं और लोगों को छुड़ाते हैं ? यदि हां, तो क्या वे मामले की जांच केन्द्रीय जांच विभाग से कराने को तथा आगे कार्रवाई करने को तैयार हैं ? विशेषतः जो कुछ पाया गया है उसके आधार पर वे वर्तमान अधिनियम को इस अवैधक कार्या-विधियों को रोकने के लिये पर्याप्त समझते हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केवल राज्य पुलिस ही उन मामलों की जांच कर सकती है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्रवर्तन निदेशालय की क्या स्थिति है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह पुलिस को विशेषज्ञ तथा तकनीकी जानकारी प्रदान करता है तथा उसे जांच तथा न्यायालयों में मामलों के प्रस्तुतीकरण में सहायता देता है। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय का यह मुख्य कार्य है। यदि माननीय सदस्य के सुझावों के अनुसार कुछ अधिक की आवश्यकता है तो उस पर विचार किया जाएगा। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, राजस्थान, पंजाब, उत्तर-प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दिल्ली के संघीय क्षेत्र में 77 छापे मारे गये थे। कई व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया था और मेरे पास उनका विवरण है : क्योंकि जांच कार्य चल रहा है अतः मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उनके नाम प्रकट करने का आग्रह न करें।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैंने नाम नहीं पूछे। मेरा प्रश्न था कि क्या उनको पता है कि प्रभावशाली व्यक्तियों ने अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने तथा अवैध कार्य-विधियों को चलाने के लिए एक जाल रचा है। दूसरे, मैंने पूछा था कि क्या इस मामले में राज्यों की पुलिस पर छोड़ना पर्याप्त है अथवा वास्तव में प्रभावी कदम उठाने के लिए सी० बी० आई० से जांच करवाना उचित है। अन्ततः क्या वे इन अधिनियम को दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए पर्याप्त समझते हैं।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : उन 77 मामलों में से जिनमें जांच की गई है, 59 मामले ऐसे थे जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लिए गये थे। अतः स्पष्ट है कि प्रवर्तन निदेशालय के लिए शिकायत करने का जब भी अवसर आता है, वह की जाती है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी जानकारी हो जो प्रवर्तन निदेशालय के पास न हो, और यदि वे उसे मेरे पास भेजें तो मैं निश्चय देखूंगा कि उस पर कार्रवाई की जाये। परन्तु जैसा कि सच है, पिछले 6 महीनों में पकड़े गये 77 मामलों में से 59 प्रवर्तन निदेशालय के संकेत पर ही पकड़े गये थे, स्पष्ट करता है कि निदेशालय इस मामले में जागरूक है।

जहां तक राज्य पुलिस द्वारा जांच का प्रश्न है और यदि मैं यह अनुभव करता हूं कि उक्त पुलिस अपना कर्त्तव्य नहीं निभा रही तो मैं मामले को सी० बी० आई० को सौंप दूंगा।

जहां तक दण्ड-विधान का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वर्तमान अधिनियम दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए पर्याप्त है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट पता चलता कि वे संतुष्ट हैं कि अवैध वायदा सौदों पर नियंत्रण एवं उस बारे में दण्ड लगाने का अधिकार सामान्य पुलिस के पास रहना चाहिए, बेशक उन्हें विदित होगा कि किस ढंग से हमारे देश में पुलिस अपना कार्य करती है।

क्या मंत्री महोदय इसे आश्चर्य की बात नहीं मानते कि 77 मामलों की सूची केवल पंजाब, हरयाना तथा दिल्ली आदि से ही सम्बन्धित हैं, जबकि यह भली प्रकार विदित है कि अवैध वायदा सौदे अधिकतर बम्बई कलकत्ता में ही होते हैं ? परन्तु उन स्थानों से कोई भी मामला पकड़ा गया प्रतीत नहीं होता। क्या वे समझते हैं कि यह सब सामान्य और स्वाभाविक है, अथवा क्या यह आवश्यक नहीं, जैसा कि श्री साल्वे ने सुझाव दिया है, कि कोई विशेष व्यवस्था अथवा सी० बी० आई० को अधिकार दिया जाये कि वे मामले की उचित ढंग से जांच करवाए।

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उन मामलों में से 5 मामले बम्बई से सम्बन्धित हैं, और हो सकता है कि इस अवधि में .....

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या 59 मामलों में से ?

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : नहीं, 77 में से। हो सकता है जनवरी से जून तक 8 मास की अवधि में पश्चिम बंगाल का कोई मामला नहीं था ; परन्तु पश्चिम बंगाल के मामले भी हैं।

जैसा मैंने बताया है, कि प्रवर्त्तन शाखा उचित कार्यवाही कर रही है, और जब भी ऐसे मामले उनको सूचित किए जाते हैं। वे पुलिस को जांच के लिए कहते हैं और यदि उन्हें पता चलता है कि वे जांच ढंग से नहीं कर रहे, तब वे भी पुलिस की सहायता करते हैं। यदि और कोई कार्रवाई आवश्यक होगी तो चेष्टा करूंगा कि सी० बी० आई० के माध्यम से कार्रवाई की जाए।

श्री रा० कृ० बिड़ला : जैसा कि हम सबको पता है, शेयर बाजार देश की अर्थ-व्यवस्था का मापदण्ड हैं। वायदा सौदों पर रोक लगाने से शेयरों के भाव 10 से 20 प्रतिशत घट गये, जोकि स्पष्टतः राष्ट्रीय क्षति है। क्या मंत्री महोदय इस रोक को उठा रहे हैं, जिससे कि अर्थ-व्यवस्था ऊपर उठ सके।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : प्रश्न वायदा बाजार आयोग के बारे में है। इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि पूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता ?

उपाध्यक्ष महोदय : वायदा बाजार आयोग शेयरों के वायदा बाजार पर नियंत्रण नहीं रखता।

श्री सु० कु० तापड़िया : तब भी यह उसके विभाग के अधीन तो आता है क्योंकि शेयरों के मूल्य घट रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सदस्य प्रतिबन्ध को बढ़ाना चाहते हैं अथवा हटाना चाहते हैं ? क्योंकि 'Uplifting' से अभिप्राय है कि इसे और दृढ़ करना।

Shri R. K. Birla : These people have not understood. Please send them some where to understand it. (**Interruption**)

श्री स० मो० बनर्जी : जहां तक मुझे पता है, वायदा-व्यापार पर रोक लगाने के बाद भी, कानपुर में उसका व्यवहार होता है।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वे उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मानता हूं कि वे मुझे मत नहीं देते।

श्री बलराज मधोक : वे आपको केवल धन देते हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : वे मत तो कांग्रेस को देते हैं, परन्तु धन इनको देते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : वे अभी इतने युवा हैं कि चोर बाजारी नहीं कर सकते, परन्तु वे ऐसा बनने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं आपका साथी हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : रोक लगाने के पश्चात्, राज्यों की सामान्य पुलिस को इसे कार्यान्वित करने के अलावा सरकार ने और क्या कदम उठाया। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वायदा सौदे रोकने के लिये केन्द्र ने क्या कदम उठाए ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक कानपुर का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य को निराश नहीं करूंगा। वहां आठ छापे मारे गये और 22 व्यक्ति पकड़े गये थे। जहां तक प्रश्न के शेष भाग का सम्बन्ध है, समस्त वायदा व्यापार को पुनर्आयोजित करने के लिए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और हम उस पर विचार कर रहे हैं। समिति की कौन-सी सिफारिशें लागू की जायें, इस पर विचार करते समय, मान्य सदस्यों के सुझावों का ध्यान रखा जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो एक पृथक जांच कोशिका स्थापित की जाएगी।

मृत्यु दण्ड के बारे में विधि आयोग की रिपोर्ट

+

*185. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री 25 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4280 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत्यु दण्ड को बनाये रखने के प्रश्न के बारे में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have made any attempts to bring this matter before the House as early as possible ? According to the Indian philosophers one who is not capable of blessing a dead body with life cannot be permitted to deprive a humanbeing of his life. Ovis is a country of sages, saints, luminaries and spiritual teachers who have always been busy into spreading their valuable thoughts. But the culmination of so called civilisation is that that we are practising the brutal conventions in our country. The country will not like to endure such practices now any more. In this context may I know whether the Hon. Minister are trying to bring this matter before the House as soon as possible ?

Shri M. Yunus Saleem : The Report of the Law Commission has been sent to the Press and the copy of the report will be laid on the tables of both the Houses as it is received from the Press duly printed. The Government will also take immediate action in this connection. The report will be sent to the Ministry of Home Affairs for implementation without any delay.

Shri Yashpal Singh : Before implementing the recommendations made in the report concerned this august House has got every right to discuss the matter and try to instill the sense of rapprochement and humanity among the people. What steps are being proposed to be taken by the Government in this matter ?

Mr. Deputy Speaker : Shri Raghubir Singh Shashtri.

Shri Raghubir Singh Shastri : Recently an important seminar concerning the same subject was organised in New Delhi by certain big organisations and intitutions concluded on the 27th of this month. Famous legal expert, judges, sociologists and politicians participated in that seminar. They made their suggestions and expressed their views on that important subject. May I know whether the Government will keep the suggestions made in this seminar in their mind and will take the decision on the subjeet in the light of those suggestions ?

Shri M. Yunus Saleem : Yes. It must be done.

Shri Prakash Vir Shastri : How far it is correct that in the Gandhi centenary yearthe death sentence, will be converted into life imprisionment as reported in the Newspapers ? May I know it clearly whether the persons who are to be hanged during this year will be sentenced

life imprisionment or the capital punishment will be converted into the life imprisionment to those cases which will be decided during this year. The country should be aware of the facts in this matter.

Shri M. Yunus Saleem : This matter is not related with the Ministry of Law. It is under the Ministry of Home Affairs. Your suggestion will be passed to the Ministry of Home Affairs.

Shri Randhir Singh : Under section 302 of the Indian Penal Code the words "to be hanged till one is dead" are against humanity. The practice of hanging a person is inhuman. In other countries the capital punishment is executed by shot-dead. In our country also one should not be hanged but one should be shot-dead if it is necessary to award one capital punishment. First of all I do not think it necessary to maintain the award of death sentence. May I know whether it is not possible to abolish the death sentence and to punish the criminals with other punishment, in view of the fact that the society has progressed very much ?

Shri M. Yunus Saleem : Two aspects are involved in this question ; one aspect is whether the capital punishment should be continued or not and the second aspect of the question is if the capital punishment is to be continued, how it should be executed. The Law Commission have considered all these aspects. In the existing law of the society certain opinions are expressed in this matter. Some of them are for the capital punishment and some of them are against it. But all of them are taken into consideration. As I have mentioned earlier the report will be submitted before the House and the matter will be discussed here. After that the Ministry of Home Affairs will place it before the House and tell about the nature of the implementation.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार यह बताएगी कि क्या उसने अपने एक माननीय मंत्री के इस सुझाव पर विचार किया है कि गांधी शताब्दी वर्ष में मृत्यु दण्ड को समाप्त कर देना चाहिये ?

श्री मु० यूनस सलीम : मैंने अभी बताया था इस सुझाव पर गृह-कार्य मंत्रालय विचार करेगा । विधि मंत्रालय इस पर विचार नहीं करेगा ।

श्री हेम बरुआ : यदि गृह-कार्य मंत्रालय इस बात पर विचार करेगा तो इस प्रश्न को विधि मंत्रालय की कार्य सूची में क्यों रखा गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि यह प्रश्न विधि आयोग के प्रतिवेदन से सम्बन्धित है ।

श्री हेम बरुआ : विधि मंत्री महोदय गृह-कार्य मंत्रालय का पक्ष ले रहे हैं और ऐसा करके वह आपकी तथा हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं ।

Underground Railway in Delhi

+

*186. **Shri Valmiki Choudhary :**

Shri R. K. Birla :

Shri N. R. Deoghare :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the suggestion regarding the underground Railway for basically solving the

problem of transport in Delhi has been considered; and

(b) if so, the decision taken in that regard and the details of the scheme, if any, formulated therefor?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). देश के महानगरों में बड़े पैमाने पर तेज परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त महानगर परिवहन दल विचार कर रहा है। इस दल को अभी यह सिफारिश करनी है कि दिल्ली के लिये उपयुक्त प्रणाली क्या होगी।

श्री रा० कृ० बिड़ला : रूस और कनाडा जैसे देशों में तथा लन्दन, न्यूयार्क, मोन्ट्रियल तथा अन्य ऐसे ही नगरों में भूमिगत रेलवे प्रणाली पूर्ण प्रचलित है। इस पद्धति से यातायात तथा घनी बस्तियों की समस्या को अधिक सुविधा रहती है। अतः मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह इस योजना को कब पूरा करेंगे। क्या मंत्री महोदय को मोन्ट्रियल में अपनायी गयी आधुनिक भूमिगत रेलवे पद्धति का पता है? क्या उन्हें विदित है कि वहां रबड़ टायर पद्धति चल रही है, उनकी रफ्तार भी अधिक है, यह पद्धति लाभप्रद भी है तथा इनकी स्थापना पर अन्य रेलों की अपेक्षा में लागत भी बहुत कम आती है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना को लागू करते समय इन बातों को भी ध्यान में रखा जायेगा?

श्री परिमल घोष : योजना आयोग ने महानगरीय परिवहन पद्धति का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया है तथा उपरि और भूमिगत रेल पद्धति के मामले पर अधिक ब्योरेवार जांच की गई है। हाल ही में उन्होंने कलकत्ता और बम्बई तथा उसके बाद दिल्ली और मद्रास में ऊपरी तथा भूमिगत रेलवे पद्धति का अध्ययन करने के लिये रेलवे के लिये नियत की गई सामान्य निधि के अलावा कुछ और निधि का भी नियतन किया है। कलकत्ता में यह पद्धति अपनाने के लिये प्रारम्भिक जांच हो चुकी है तथा तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करना शेष है। इसी प्रकार दिल्ली, बम्बई और मद्रास के बारे में जैसे ही आवश्यक ब्योरा प्राप्त हो जायेगा इसी प्रकार का तकनीकी और आर्थिक सर्वेक्षण इन नगरों के लिये भी किया जायेगा। प्रारम्भिक जांच होने के पश्चात् माननीय सदस्य द्वारा सुझायी गयी बातों पर विचार किया जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is highly regretted that the Central Government have been giving step motherly treatment to Delhi. As compared to the remaining metropolitan cities all over the world the population of Delhi has been increasing at higher rates and the extent of traffic has been reached such a high level in Delhi as it has become difficult to control the traffic and thereby the number of traffic accidents is increasing day by day. If the merits and the condition prevailing in Delhi and Calcutta were taken into consideration, preference would have been, then, given to Delhi in this regard. But I am constrained to mention that only because the Hon. Minister belongs to Calcutta and that the people of Calcutta can express their views in one common language which people of Delhi can not do, the Government and the Railway Department have given preference to Calcutta. May I know whether the matter pertaining to construct the underground railway or Ring Railway in Delhi will be expedited? May I also know whether this scheme will be accepted during the Fourth Five Year Plan and the funds will be allocated for this scheme?

श्री परिमल घोष : मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि योजना आयोग ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। आयोग ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है तथा सम्पूर्ण मामले के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है। कलकत्ता के बारे में प्रारम्भिक जांच कार्य पूर्ण होने के कारण ही इस मामले को उठाया गया है। माननीय सदस्य ने दिल्ली के बारे में सरकार का सौतेली मां का सा बर्ताव बताया है। मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य ने कलकत्ता की परिवहन स्थिति देखी होती तो वह कदापि ऐसा न कहते।

Shri Kanwar Lal Gupta: The Hon. Minister has not replied to my question. I wanted to know whether the scheme pertaining to the underground railway in Delhi will be approved and the funds for that scheme will be allocated during the Fourth Five Year Plan?

श्री परिमल घोष : इस मामले को योजना आयोग ने ले लिया है तथा कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में सर्वेक्षण करने का कार्य उसके कार्यक्रम में सम्मिलित है। प्रारम्भिक जांच कार्य पूरा होने के उपरांत तकनीकी सर्वेक्षण किया जायेगा।

Shri Maharaj Singh Bharti: In view of the fact that the suburban traffic in Delhi has increased very much but the Railway lines around the Delhi city have not been doubled. May I know whether the preference will be given to the construction of underground railway in Delhi or to the work of converting suburban railway lines into the double-lines within the length of 50 miles while adopting electrification in these lines?

श्री परिमल घोष : दिल्ली के उपनगरीय यातायात के सम्बन्ध में अवश्य कुछ कठिनाइयां हैं। पुरानी दिल्ली तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों से कुछ अतिरिक्त रेलवे लाइनें बनाने के बारे में मैंने मामला उठाया है तथा इन स्टेशनों से कुछ अधिक रेलगाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था करने के लिये हमने एक ऐसी रेलवे लाइन तैयार कर ली है जिससे मालगाड़ियां नई दिल्ली तथा पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर नहीं आयेंगी तथा वे उनसे बचकर निकल सकेंगी। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में विद्युतीकरण भी किया जायेगा तथा जैसे ही ये आवश्यकताऐं पूर्ण हो जायेंगी दिल्ली में उपनगरीय यातायात के लिये अधिक गाड़ियां उपलब्ध हो सकेंगी।

श्री कार्तिक उरांव : इस देश के लाखों व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं को जुटाने में असमर्थ हैं किन्तु हम लोग दिल्ली में भूमिगत रेलवे लाइनें बनाने की बात सोच रहे हैं क्या सरकार बतायेगी कि ऐसी कौन सी समस्यायें हैं जिनसे विवश होकर सरकार को दिल्ली में भूमिगत रेलवे लाइन बनाने को सोचना पड़ रहा है जबकि इस देश के लाखों व्यक्तियों की दशा दयनीय है।

श्री म० ला० सोंधी : प्रश्न संख्या 194 इस विषय से सम्बन्धित है अतः इस प्रश्न के साथ ही उसका उत्तर भी मिलना चाहिये। माननीय मंत्री को इस बात की कल्पना होगी ही।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री प्रश्न संख्या 194 का भी उत्तर दे पायेंगे।

श्री परिमल घोष : जी हां।

लोकोशेड रेलवे कालोनी, किशनगंज, दिल्ली

+

*187. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

श्री झा० सुन्दरलाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोकोशेड रेलवे कालोनी, किशनगंज, दिल्ली में बहुत से अनधिकृत लोग पटरियों आदि पर रह रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत 6 महीनों में इस कालोनी में बहुत से जघन्य अपराध हुए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां पर रहने वाले अधिकारी अनधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्तियों को वहां बसने के लिये प्रोत्साहित करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस कालोनी से अनधिकृत रूप से रहने वालों को हटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी हां । रेलवे बस्ती, किशनगंज, दिल्ली में कुछ अनिधकृत झुग्गियां हैं ।

(ख) 1969 में हत्या के केवल एक मामले की रिपोर्ट मिली है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) दिल्ली प्रशासन अनधिकृत बाशिन्दों की इस बस्ती को कई चरणों में हटाने के लिये कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि उसे झुग्गी वालों के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये सुविधाएं

*194. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों के लिये वर्तमान आवास व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है;

(ख) क्या इसके कारण दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर कुप्रभाव पड़ता है;

(ग) सरकार स्थिति में सुधार के लिये क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) दिल्ली में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों को अच्छी चिकित्सा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिकारियों को रेलवे कर्मचारियों को भी इस योजना के अन्तर्गत ले आने के लिये मना लिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). दिल्ली क्षेत्र में रेल कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 26,000 है, जिसमें से लगभग 8,000, अर्थात् 31 प्रतिशत कर्मचारियों को कर्मचारी क्वार्टर मिल चुके हैं। भारतीय रेलों पर कुल मिलाकर 38 प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर मिले हुए हैं, जिसकी तुलना में यह प्रतिशतता बहुत कम नहीं है। यद्यपि इस सम्बन्ध में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि अन्य महानगरों में रेलवे के आवास स्थान की स्थिति क्या है, फिर भी वह स्थिति दिल्ली से कोई अच्छी नहीं होगी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इससे दिल्ली संघ शासित प्रदेश के रेल कर्मचारियों की दक्षता पर विशेषरूप से अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) रकम की उपलब्धता के अनुसार, एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर, अतिरिक्त क्वार्टर बनाये जा रहे हैं।

(घ) दिल्ली, नयी दिल्ली को रेलवे कालोनियों में रह रहे रेल कर्मचारियों को पहले से पर्याप्त चिकित्सा, सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाएं सुलभ हैं। जिन स्थानों पर रेलवे की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां से दूर रहने वाले रेल कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की सम्भावना और वांछनीयता का पता लगाया गया था, लेकिन चूंकि रेल सुविधाओं के बदले केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का विकल्प देने के इच्छुक कर्मचारियों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया।

Shri Om Prakash Tyagi : It is the biggest Railway Colony in Asia but the people of that colony have not been provided with any facilities of parking, sanitation, latrines, etc. In lavatories no proper arrangement of water supply are available. The people of that colony have been living there like refugees. Apart from this, jhuggi dwellers on a great nuisance in that colony. They construct their jhuggis where they like in the colony. The situation is that you will find no end of the train of jhuggis at the both sides of the railway lines in Delhi if you want to go to find it. In the morning time those jhuggis dwellers are seen answering the call of nature at the both sides of the lines. And I want to say that if a foreigner watches such a condition of insanitation in India he will naturall naurish a wrong impression about India in his mind. In the circumstances, may I know whether the proper arrangements of water supply and the sanitation will be made in this colony. May I also know whether proper steps will also be taken to eliminate jhuggis from the colony in view of the fact that due to these unauthorised squatters the cases of theft have become common in this colony ?

श्री परिमल घोष : यह सच है कि रेलवे कालोनी में अनधिकृत रूप से बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। वर्ष 1967 में लगभग 211 ऐसी अनधिकृत झुग्गियां थीं। किन्तु अब दिल्ली प्रशासन ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने इस कार्य को कई चरणों में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया है क्योंकि गृह-कार्य मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार झुग्गियों को हटाने से पहले उनके रहने वालों को वैकल्पिक निवास स्थान देना होता है। अब इनकी संख्या घटकर 55 रह गयी है। मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ी ही अवधि में एक व्यवस्थित योजना के अनुसार रेलवे कालोनियों से सभी झुग्गियों को साफ कर दिया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्ण मद्यनिषेध लागू करना

*181. **श्री अदिचन :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्ण मद्यनिषेध को लागू करने के लिये कोई तिथि निश्चित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो समूचे देश में पूर्ण मद्यनिषेध कब तक लागू होने की सम्भावना है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Eradication of Untouchability

*188. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of Tourism and Civil Aviation told the Press in Delhi that the period from 1970 to 1980 should be celebrated as the eradication of untouchability decade ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether Government propose to constitute all party Committees for the eradication of untouchability on National, State, District, Block and Village level ;

(d) if so, their nature and programme ; and

(e) if not, the significance of the said statement of the Minister ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No such proposal is under consideration.

(c) and (d). Does not arise.

तैयार इस्पात की खपत

*189. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में तैयार इस्पात की वार्षिक खपत कितनी थी;

(ख) इसमें से कितनी मांग की पूर्ति भारतीय उत्पादन द्वारा की जाती है तथा कितने भाग की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है और प्रत्येक की मात्रा तथा मूल्य क्या है;

(ग) मिश्र धातु तथा विशेष इस्पात की कितनी खपत होती है तथा उनका भारत में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का उत्पादन होता है तथा कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का आयात होता है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अधीन तैयार इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के क्या प्रस्ताव हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). एक विवरण (विवरण क) सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1407/69] देशीय उत्पादन का मूल्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि उत्पादकों से यह सूचना नहीं ली जाती है।

(ग) एक विवरण (विवरण ख) सभा-पटल पर रख दिया गया है। ऊपर (क) में उल्लिखित कारण से विवरण में देशीय उत्पादन का मूल्य नहीं दिया गया है।

(घ) चौथी योजना अवधि में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं :—

(1) अधिष्ठापित की जा चुकी क्षमता के कम से कम 90 प्र० श० की प्राप्ति;

(2) भिलाई इस्पात कारखाने की 2.5 मिलियन टन की वर्तमान क्षमता का 3.2 मिलियन टन क्षमता तक विस्तार;

(3) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० का 1.00 मिलियन टन से 1.3 मिलियन टन तक विस्तार;

(4) बोकारो इस्पात कारखाने का प्रथम चरण पूरा करना जिसमें 1.7 मिलियन टन इस्पात के डले या 1.34 मिलियन टन तैयार इस्पात का उत्पादन होगा;

(5) बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता का 2.5 मिलियन टन इस्पात पिण्ड तक विस्तार और;

(6) प्लेटों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता।

S. and H. E. Minister's visit to H. E. C. and other Undertakings

*190. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Rabi Ray .
Shri N. Shivappa :
Shri R. K. Amin .
Shri Meetha Lal Meena :
Shrimati Ila Palchoudhuri :
Shri Zulfiquar Ali Khan :
Shri P. K. Deo

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he inspected certain Public Sector Undertakings including the Heavy Engineering Corporation, Ranchi during the first week of June, 1969 ;

(b) if so, the details of facts which came to his notice during this inspection; and

(c) the steps being taken to improve the situation ?

The Minister of Steel and Heavy Engineering (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). In order to have first-hand knowledge of their working, I visited the public sector undertakings under my Ministry located at Ranchi, Bokaro and Durgapur between the 2nd and 7th of June, 1969. At Ranchi, I went round the three units of the Heavy Engineering Corporation, viz., the Foundry Forge Project, Heavy Machine Building Plant and Heavy Machine Tools Plant and also the Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel; at Bokaro, the Steel Plant under construction ; and at Durgapur, the Steel Plant, Alloy Steels Plant and the Mining and Allied Machinery Corporation. I also had discussions with the authorities concerned including those relating to coordination between one undertaking and another, with a view to keeping up the tempo production and finding adequate orders for the future etc. The labour situation in the various Plants was also reviewed.

The nature of difficulties some of these undertakings are experiencing, such that constant vigilance and careful handling of plant/man-management are called for. The management is quite alive to these matters, and necessary action is being taken to ensure better working results.

औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों द्वारा सहायक कारखानों की स्थापना

*191. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्रों में सहायक कारखाने आरम्भ करने हेतु अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्रोत्साहन देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को कितनी वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यद्यपि केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये सहायक उद्योग स्थापित करने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है फिर भी, ग्रामीण तथा लघु उद्योग कार्यक्रमों के अधीन उन्हें सुविधाएं तथा रियायतें प्राप्त हैं ।

जौसप एण्ड कम्पनी के अंशों के मूल्य का पुर्ननिधारण

*192. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जौसप एण्ड कम्पनी के अंशों के मूल्यों का पुनः निर्धारण करने के

बारे में सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री एस० के० दास के पंचाट को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पंचाट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत सरकार का इरादा पंचाट को स्वीकार करने का है ।

(ख) और (ग). पंचाट की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कारों के मूल्य में वृद्धि

*193. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री जुगल मण्डल :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री से० व० पाटिल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार निर्माताओं ने यह धमकी दी है कि यदि सरकार भारत में निर्मित कारों के दाम बढ़ाने की अनुमति नहीं देती, तो वे मनमाने ढंग से उनके दाम बढ़ायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अप्रैल, 1969 में सवारी कारों के 3 निर्माताओं से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे कि उन्हें तदर्थ रूप से कारों का मूल्य में तत्काल वृद्धि करने की अनुमति दी जाए क्योंकि उन्हें स्वीकृत मूल्य पर गाड़ियों की बिक्री से काफी हानि हो रही है । इन अभ्यावेदनों में यह इशारा भी किया था कि यदि प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (1968) के आधार पर कारों के उचित मूल्य निर्धारण में कुछ भी विलम्ब किया गया तो वे मूल्य वृद्धि की इकतरफा कार्यवाही करेंगे ।

(ख) तीनों कार उत्पादकों को सूचित किया गया था कि सरकार तदर्थ रूप से कारों के मूल्य में वृद्धि की तब तक अनुमति नहीं दे सकती जब तक कि मोटर गाड़ियों के उचित मूल्य निर्धारण पर प्राशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (1968) पर निर्णय नहीं किया जाता । उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि सरकार अपेक्षा करती है कि कारों के मूल्य में वृद्धि सरकार की औपचारिक अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात ही की जाएगी ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

*195. **श्री रा० वें० नायक**
श्री एस० जेवियर :
श्री गु० च० नायक :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी बंगाल के उप मुख्य मंत्री के इस दृष्टि कोण को मानती है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की हालत अब भी अच्छी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को व्यवस्थित ढंग से तथा सुचारु रूप से चलाने के लिये भारत सरकार ने यदि कोई प्रयत्न किये हैं, तो क्या ; और

(ग) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि गत वर्ष तक इस कारखाने को कुल कितनी हानि हुई ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). दुर्गापुर इस्पात कारखाने का कार्यकरण कुछ समय से सन्तोषप्रद नहीं रहा है और अभी भी स्थिति यही है। कारखाने के सभी क्षेत्रों के कार्यचालक पर विचार करने के लिए सन 1966 में श्री घ० पांडे की अध्यक्षता में एक एक-जन विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। पाण्डे समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ शोधक उपाय किए गए हैं और पिछले वर्ष के आरम्भ में ब्रिटिश इस्पात के एक तकनीकी दल ने कारखाने का दौरा किया और इसके कार्याचालन का पुनर्विलोकन किया और कई सिफारिशें कीं। इस दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कारखाने के कार्यचालन में सुधार के लिये उपाय किए जा रहे हैं। इन सबके बावजूद उत्पादन के रूप में वास्तविक सुधार मुख्यतः दुर्गापुर इस्पात कारखाने के औद्योगिक सम्बन्धों के सामान्य होने पर निर्भर है।

(ग) वर्ष 1968-69 के अन्त तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने को कुल हानि 69 करोड़ रुपये के लगभग थी।

सितम्बर, 1968 की हड़ताल के कारण मुअत्तिल किये गये रेलवे कर्मचारी

*196. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री बलराज मधोक :
श्री प० मु० सईद :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के ऐसे अस्थायी तथा स्थाई कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें सितम्बर, 1968 की हड़ताल के कारण मुअत्तिल किया गया था और जिनकी सेवाएं समाप्त की गई थीं और जिन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है ;

(ख) उनकी रेलवे जोनवार और वर्गवार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) उनकी बहाली के मार्ग में क्या विशेष रुकावटें हैं ;और

(घ) अभी कितने मामले निलम्बित हैं और उनके बारे में निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें सूचना दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1408/69]

(ग) उन्हें ड्यूटी पर वापस इस लिये नहीं लिया गया है क्योंकि उनके विरुद्ध हिंसा, सरकारी कर्मचारियों, निष्ठावान कामगरों या उनके परिवारों को डराने या उनके विरुद्ध सक्रिय रूप से लोगों को भड़काने के आरोप हैं।

(घ) भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित कर्मचारियों के मामलों की हमेशा समीक्षा की जाती है। फिर भी, चूंकि बहुत से मामले अदालत में हैं, हर मामले में अन्तिम निर्णय अदालत का फैसला मालूम होने और उसकी जांच करने के बाद ही लिया जा सकता है।

रेलवे कर्मचारियों को पास तथा सुविधा टिकट आदेश (पी० टी० ओ०)

*197. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री 22 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1256 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को एक जैसे पास तथा सुविधा टिकट आदेश (पी० टी० ओ०) देने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 67 वें प्रतिवेदन पर विचार पूरा हो गया है ;और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समिति की सिफारिशों पर सविस्तार विचार किया गया था परन्तु सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत नहीं किया गया। फिर भी, यह विनिश्चय किया गया है कि पहली अगस्त, 1969 को और इस तारीख के बाद, राजपत्रित सेवा में आने वाले कर्मचारी और निर्धारित सीमाओं के अनुसार वेतन पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारी समान दर्जे के अर्थात पहले दर्जे के न कि पहला दर्जा "ए", के पास पाने के पात्र होंगे।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी द्वारा कृषि उपकरणों का उत्पादन

*198. **श्रीमती सावित्री श्याम** :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विचार मध्यम प्रकार के कृषि ट्रेक्टर,

डाई बनाने की मशीनें और मुद्रण मशीनें बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विदेशी सहयोग से अथवा इसके अपने द्वारा ही सम्भव होगा ;और

(ग) उत्पादन कब तक आरम्भ होगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). हिन्दुस्तान मशीन टूल लि० ने विदेशी पार्टियों के सहयोग से कृषि ट्रैक्टर, डाई बनाने की मशीनें तथा मुद्रण मशीनें बनाने का प्रस्ताव रखा है । इन योजनाओं के संबंध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

ट्रैक्टर : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के पिंजौर स्थित एकक की अप्रयुक्त क्षमता तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड के दुर्गापुर स्थिति कारखाने की अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग कर ट्रैक्टर निर्माण की सम्भवानाओं का पता लगाने के लिए कहा था । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और वह हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० तथा माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के विचाराधीन हैं । प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त इन कम्पनियों से ट्रैक्टर निर्माण के प्रस्ताओं की प्रतीक्षा की जा रही है ।

डाई बनाने की मशीनें : इन मशीनों के बनाने के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का स्विश पार्टी के साथ तकनीकी सहयोग करने का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया है । मई, 1969 में स्विश पार्टी के साथ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने एक करार कर भी लिया है ।

मुद्रण मशीनें : विभिन्न प्रकार की मुद्रण मशीनें बनाने के लिये सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० जर्मन डिमोक्रैटिक रिपब्लिक की एक पार्टी के साथ तकनीकी सहयोग करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था । इस बारे में सन्तोषजनक प्रगति होने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० ने विभिन्न प्रकार की मुद्रण मशीनें बनाने के लिये इटली की एक पार्टी के साथ बातचीत करना प्रारम्भ कर दिया है ।

ये सभी प्रस्ताव अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में हैं अतः अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि उत्पादन किस तारीख से प्रारम्भ होगा ।

विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों द्वारा भारत में उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव

*199. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन, कीनिया तथा अनेक अन्य देशों में रहने वाले भारतीय लोगों ने भारत

में नये कारखाने लगाने के लिये आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं तथा उन्होंने यह इच्छा प्रकट की है कि वे आधुनिक ट्रांजिस्टर रेडियो तथा मोटर गाड़ियों के पुर्जों समेत अनेक वस्तुएं बनाने हेतु नवीनतम उपकरण आयात करने के लिये पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा लगाने को तैयार हैं;

(ख) विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों द्वारा कितने तथा किस प्रकार के प्रस्ताव किये गये हैं तथा उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस पूंजी से स्थापित किये जाने वाले छोटे, मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। यह सत्य है कि ब्रिटेन, कीनिया तथा अन्य अनेक देशों के भारतीयों ने भारत में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये समय-समय पर अनेक बार पूछताछ की है।

(ख) और (ग). ऐसे प्रस्तावों की ठीक संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है। फिर भी जब कभी पूछताछ की जाती है, विकास आयुक्त इन लोगों को आवश्यक सूचना प्रदान करते रहते हैं।

भारत में तथा अन्य देशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना

*200. **श्री शारदानन्द :**
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तथा अन्य देशों में साझे उपक्रम स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाने के लिये उनके ब्रिटेन, हंगरी तथा रूस के दौरे के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) उन्होंने जिन देशों का दौरा किया है, क्या उनमें से किसी के साथ इस बारे में किन्हीं करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या हंगरी बिना जोड़ की ट्यूबों तथा अधिक दबाव वाले गैस सिलेंडरों का उत्पादन करने वाली दो सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना में सहयोग के लिए सहमत हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). इंगलैंड, हंगरी तथा सोवियत रूस की यात्रा करने का प्रयोजन इन

देशों और भारत के बीच औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र को विस्तृत करने की सम्भावनाओं का पता लगाना था जिससे विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान किया जा सके, निर्यात को और बढ़ाया जा सके तथा संयुक्त उत्पादन एवं इसी प्रकार के अन्य कार्य क्रमों को चलाने के उद्देश्य से इन देशों से अधिक निकट के सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें। किसी विशिष्ट करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे किन्तु इन देशों की सरकारों तथा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ और आगे औद्योगिक विस्तार करने की गुंजाइश तथा उसके तरीकों के बारे में बातचीत की गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ). हंगरी के अधिकारियों से इस देश में गैस सिलेंडरों तथा जोड़ सहित टयूबों के निर्माण के लिए हंगरी से मशीनों तथा उपकरणों का आयात करने के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी। इन परियोजनाओं की स्थापना और विशेषकर गैस सिलेंडरों के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इससे सम्बन्धित परियोजना प्रतिवेदन राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त हो चुका है और विचाराधीन है। हंगरी की पेशकश विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय इस परियोजना को कार्यान्वित करने के निर्णय के साथ ही किया जायेगा।

Expenditure on General Elections

*201 **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether some effective measures have been contemplated to check the heavy expenditure being incurred on General Elections ;

(b) whether it is also a fact that patriotic and honest people are not able to come forward as the elections have become very expensive ; and

(c) if so, whether Government propose to take any new decisions in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : The Election Commission is formulating proposals for a number of effective measures to check heavy expenditure incurred by candidates in General Elections ?

(b) It may be that some patriotic and honest persons without sufficient means find it difficult to contest elections.

(c) The Government will take decisions after considering the proposals from the Election Commission.

पश्चिम बंगाल से उद्योगों का स्थानान्तरण

*202. **श्री ओंकार सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल से हाल में ही 24 उद्योग

अन्य राज्यों में स्थानान्तरित हो गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी बंगाल के उद्योग मंत्री ने उसके वक्तव्य का खण्डन किया था ;

(ग) पश्चिमी बंगाल से अन्य राज्यों में जाने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल के कुछ उद्योगपति उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में अपने उद्योग स्थापित करने के बारे में उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से मिले थे ; और

(ङ) पश्चिमी बंगाल के उद्योगों के अन्य राज्य में स्थानान्तारण को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस बारे में कि हाल ही में पश्चिमी बंगाल से 24 उद्योग स्थानान्तरित हो गये हैं, कोई विवरण नहीं दिया गया । हां, लोक सभा के एक तारांकित प्रश्न (सं० 1397 दिनांक 29-4-1969) के उत्तर में यह कहा गया था कि 1966, 1967 एवं 1968 में 24 भारतीय कम्पनियों के पंजीकृत कार्यालय पश्चिमी बंगाल से अन्य राज्यों में स्थानान्तरित किये गये थे ।

(ख) समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

(ग) 1969 (1-1-69 से 30-6-69) में पश्चिमी बंगाल से क्रमशः हरयाणा तथा महाराष्ट्र को उपक्रमों के स्थानान्तरण करने के लिये केवल दो लाइसेंस जारी किये गये हैं । इन उद्योगों का सम्बन्ध चमकदार टाइल्स एवं औद्योगिक ब्रोवरों से है । 1968 में कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया ।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार से सुनिश्चित किया गया है कि उस राज्य में औद्योगिक विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सघन एवं सुविधाएं प्रदान करने के कारण उस राज्य में उद्योगों की स्थापना की संभावना के बारे में विभिन्न भागों से पश्चिमी बंगाल सहित कई पूंछताछ की गई थी । वैसी ही पूंछतांछ शायद हरयाणा सरकार की ओर भी की गई हो । फिर भी पश्चिमी बंगाल से उत्तर प्रदेश या हरयाणा को अधिष्ठापित उद्योगों के स्थानान्तरित करने के बारे में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं हैं ।

(ङ) पश्चिमी बंगाल से उद्योगों के स्थानान्तरित करने की कोई बड़ी समस्या नहीं है अतः सरकार इस मामले में कोई विशेष कदम उठाने का विचार नहीं रखती है ।

रेलवे के माल डिब्बों तथा गोदामों से चोरी

*203. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में माल डिब्बों तथा गोदामों में चोरी की घटनायें बढ़ रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे सुरक्षा दल चोरों को संरक्षण प्रदान करता है ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे में चोरी की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । चोरी गये माल के लिए दी गयी क्षतिपूर्ति की रकम में वृद्धि हुई है ।

(ख) जी नहीं । चोरी के लिए दोषी पाये जाने वाले या उससे साठगांठ करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है और उन्हें उपयुक्त दण्ड दिया जाता है ।

(ग) चोरी और उठाईगीरी की रोकथाम के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(1) प्रभावित खण्डों से गुजरने वाली और बेशकीमती सामान ढोने वाली माल-गाड़ियों के साथ सशस्त्र अनुरक्षक चलते हैं ।

(2) जिन बड़े और महत्वपूर्ण यार्डों में चोरी और उठाईगीरी की घटनाएं अधिक होती हैं, उनमें सशस्त्र पहरेदारों और कुत्ता-दस्तों द्वारा पहरा देने की व्यवस्था की गई है ।

(3) माल डिब्बों का रिवेट ठीक तरह से बन्द करने पर जोर दिया जाता है और निभार की व्यवस्था की गयी है ।

(4) बदमाशों का पता लगाने के लिये अपराध सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से सादी पोशाक में कर्मचारी तैनात किये जाते हैं ।

(5) बदनाम स्थानों का पता लगाने के उद्देश्य से चुने हुए जोड़े स्टेशनों पर एक मार्गदर्शी योजना चलायी गयी है, वहां प्रभावित सामानों के लदान, उनकी उतराई पर कड़ी नजर रखी जाती है ।

बिहार के महाधिवक्ता का पदत्याग

*204. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य के महाधिवक्ता के पदत्याग से उत्पन्न स्थिति पर महान्यायवादी की सलाह ली है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में क्या सलाह दी गई है ?

विधि मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेलम तथा होस्पेट में इस्पात संयंत्र स्थापित करना

*205. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु तथा मैसूर की सरकार ने क्रमशः सेलम तथा होस्पेट में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) तमिलनाडु (तत्कालीन मद्रास) की सरकार ने सेलम में इस्पात का एक नया कारखाना लगाने हेतु अप्रैल, 1966 के एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। मैसूर सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा था।

(ख) चौथी और पांचवीं योजनाओं में इस्पात की नई क्षमताओं के सृजन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

हिन्द गाल्वेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

*206. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री मैसर्स हिन्द गाल्वेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड के बारे में 25 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले सम्बन्धी सभी बातों और तत्सम्बन्धी सही कानूनी स्थिति का पता लगा लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्द गाल्वेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड ने संयुक्त संयंत्र समिति को लिखित दिनांक 22 अप्रैल, 1968 के अपने पत्र भेजे थे जिनकी एक एक प्रति संयुक्त संयंत्र संख्या एच० जी०/एच० एस०-ए०-2280/68 द्वारा वर्ष 1966-67 में उन्हें आवंटित किये गये अधिक इस्पात का समंजन करना स्वीकार कर लिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम ने इस फर्म को अनेक पत्र समिति को भी भेजी गयी थी जिनमें कहा गया था कि वह फर्म दिनांक 8 अगस्त, 1968 के अपने पत्र संख्या ओ० पी० एस० एस० एस०/3605 (एच० जी०) का अदालत में प्रयोग न करें क्योंकि भारतीय तेल निगम इस फर्म द्वारा वर्ष 1966-67 के दौरान आवंटित अधिक इस्पात को समंजित करने के विरुद्ध नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में वर्णित पत्रों को सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में पेश किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). पूर्ण विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कानूनी स्थिति के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छोटे पैमाने के क्षेत्रों में बेकार क्षमता

*207. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन ने छोटे पैमाने के उद्योगों की 30 से 40 प्रतिशत बेकार पड़ी क्षमता को पूरा प्रयोग करने में सहायता देने के बारे में क्या सक्रिय कार्यवाही की है ;

(ख) मंदी के कारण छोटे पैमाने के कितने एकक बन्द हो गये हैं या कितने एककों के बन्द होने की सम्भावना है ;

(ग) किन-किन उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन एककों को कठिनाइयों से बचाने के लिये केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन ने क्या प्रयास किये हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के तकनीकी अधिकारियों द्वारा लघु उद्योग एककों को मन्दी के कुप्रभाव से बचाने के लिये वहां उनमें निर्मित उत्पादों का विधीकरण करने का सुझाव देने हेतु अध्ययन किया जा रहा है ;

(ङ) उद्योगों में मन्दी आने के बाद वहां इस प्रकार के कितने अध्ययन किये गये हैं ; और

(च) क्या केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन या इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के पास इस प्रकार के अध्ययन अथवा तत्सम्बन्धी जानकारी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) अप्रयुक्त क्षमता के अस्तित्व का मुख्य कारण कच्चे माल, देशीय तथा आयातित दोनों ही की कमी थी। इन कठिनाइयों को पार करने के लिये हर उपाय किया जा रहा है।

(ख) मन्दी में 722 एकक बन्द हुए। इनमें से कुछ ने पुनः काम आरम्भ कर दिया है।

(ग) मन्दी से कई उद्योग प्रभावित हुए थे और विशेषकर मशीनी औजार उद्योग और धातु कर्मी उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ा।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च). मन्दी पर लघु उद्योग मण्डल द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसकी प्रतियां सभी लघु उद्योग सेवा संस्थानों को भेजी गई हैं।

बुनियादी उपभोक्ता उद्योगों पर से नियन्त्रण हटाना

*208. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने किन-किन बुनियादी उपभोक्ता उद्योगों पर से लाइसेंस सम्बन्धी नियन्त्रण हटा लिये हैं और उन उद्योगों को संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार चीनी, कपड़ा और सीमेंट, जैसे बुनियादी उपभोक्ता उद्योगों पर से लाइसेंस सम्बन्धी नियन्त्रण हटाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मई, 1966 से जिन उद्योगों पर से लाइसेंस उठा दिया गया उनको एक सूची (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1409/69]**

(ख) तथा (ग). सीमेंट उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने सम्बन्धी उपबन्धों से पहले ही मुक्त कर दिया गया है। वस्त्र तथा चीनी उद्योग को ठीक इसी प्रकार मुक्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। भविष्य में लाइसेंस हटाये जाने के प्रश्न पर औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट की जांच हो जाने के पश्चात ही विचार किया जायगा जो अभी हाल ही में प्राप्त हुई है, पूरी हो गई है तथा सरकार ने इसकी सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है।

इस्पात की कम मिलने वाली किस्मों के वितरण की योजना

*209. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात की कम मिलने वाली किस्मों के वितरण के लिये नई योजना बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). वर्तमान प्रणाली के, जो मई, 1967 से प्रचलित है, अनुभव के आधार पर सरकार दुर्लभ किस्मों के इस्पात के संवितरण की प्रणाली का इस समय पुनरीक्षण कर रही है।

Compensation to owners of land consequent on construction of a Railway Station or laying of a new Railway Line

*210. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any Gazette Notification is issued and notices are sent to the owners of the land separately when the work of construction of a Railway Station or laying of a new Railway line is started, so that the owners of land could claim compensation for it from Government ;

(b) if so, whether any such notices were issued to the owners of the land covered under the scheme of realignment of the Kangra Valley Railway line in Himachal Pradesh and also in respect of the land for the construction of new Sonai Railway Station in Uttar Pradesh ;

(c) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ;

(d) the terms and conditions under which the owner of a land, after it has been surveyed and marked for laying a new line, could sell it to another person and the action taken by Government if he sells the land by deceiving the purchasers ; and

(e) the number of such cases reported to Government and the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes Sir. Land required for the Railway purposes is acquired under the Land Acquisition Act through the State Govt. who issue necessary Gazette Notification and send notices to the individual owners of lands.

(b) So far as the realignment of Kangra Valley Railway line is concerned, all the necessary formalities for acquiring land are to be done by Beas Dam Authorities, who will then transfer the land to the Railways, as this work is being done as a "Deposit Work", chargeable to Beas Dam Project. It is understood that notifications under sections 4 and 6 of the Land Acquisition Act have been got issued by them.

With regard to the land acquisition of the new Crossing station at Sonai, the matter is under reference with the State Government.

(c) to (e). Do not arise in view of reply to (a) above.

महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों की स्थापना

1201. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये भी उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त की मंजूरी के लिये राज्य सरकार से सिफारिश करवाने की आवश्यकता है ;

(ख) गत तीन वर्षों में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में महाराष्ट्र राज्य में कितने उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति की गई तथा लाइसेंस दिये गये ; और

(ग) उद्योग कहां-कहां स्थापित किये गये हैं तथा जिन उद्योगों को स्थापित करने का प्रस्ताव है, वे किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) 294 ।

(ग) सभी जारी किये गये लाइसेंसों का ब्योरा जिसमें प्रस्तावित स्थापना स्थल, जहां दिखाया गया है, भी सम्मिलित है, वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, दि वीकली इंडियन ट्रेड जर्नल, दि मंथली जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित किया जाता है । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

राजस्थान में नई रेल लाइन

1202. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों में राजस्थान में कौन-कौन सी मीटर गेज लाइनें तथा बड़ी लाइनें बिछाई जाएंगी ;

(ख) यदि नई रेल लाइनों का निर्माण किया जायेगा तो अगले तीन वर्षों में कितने किलो मीटर गेज लाइनें तथा कितने किलोमीटर बड़ी लाइनें बिछाई जायेंगी ; और

(ग) क्या किन्हीं मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कितने किलो मीटर लम्बाई में तथा किस सेक्शन में ऐसा करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). रेलवे का विकास किसी राज्य अथवा क्षेत्र के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि राष्ट्रीय हित में समग्र विकास की दृष्टि से किया जाता है । धन की कमी के कारण अगले कुछ वर्षों में रक्षा की दृष्टि से अथवा विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता की दृष्टि से औचित्यपूर्ण कुछ ही नई लाइनों का निर्माण होने और अधिक यातायात वाले कुछ ही खण्डों के मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदले जाने की सम्भावना है । चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने वाले नई लाइनों के निर्माण और आमान परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अन्तिमरूप नहीं दिया गया है इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें से कौन सी योजनाएं, यदि कोई हों, तो पूर्णतया या आंशिक रूप से राजस्थान राज्य के अन्तर्गत आयेंगी ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्य के सम्बन्ध में प्रभारी निदेशक का वक्तव्य

1203. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रभारी निदेशक, मेजर जनरल बी० जी० बढ़ेरा ने कर्मचारियों के नाम अपने एक खुले पत्र में हाल ही में बताया है कि पिछले महीने कारखाने में पुनः जो अनेक घेराव हुए हैं, उनसे केवल कुव्यवस्था और गड़बड़ी ही फैलेगी ;

(ख) जनवरी, 1969 से जून, 1969 तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने में किन किन तिथियों को और कितनी बार घेराव हुए और जिन अधिकारियों के घेराव हुए उनके नाम और पद नाम क्या हैं और प्रत्येक घेराव की अवधि कितनी थी ;

(ग) अवैध अवरोध और घेराव के परिणाम स्वरूप कितने जन घण्टों की हानि हुई, और इस्पात के उत्पादन में कितनी हानि हुई ; और

(घ) इन घेरावों और अवैध रूप में कार्य रोकने की घटनाओं की रोक थाम के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

1204. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कब आरम्भ किया गया था ;

(ख) जब से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई है तब से इसमें कार्य करने वाले सात अध्यक्षों, नौ सचिवों तथा एक दर्जन महा प्रबन्धकों के नाम क्या हैं, और प्रत्येक की नियुक्ति की तिथि क्या है तथा सेवा की अवधि कितनी है तथा उनकी वार्षिक उपलब्धियां क्या-क्या हैं ;

(ग) रूरकेला इस्पात कारखाने में कितनी अवधि तक कोई भी महा प्रबन्धक नहीं रहा ;

(घ) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में छः महीनों तक कोई अध्यक्ष नहीं था और यदि हां तो इसका क्या कारण था ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस्पात कारखानों में सिविल सेवा अधिकारियों को नियुक्त करने की अपनी नीति को बदलने का है क्योंकि इस्पात परियोजनाओं में अधिकारी इस्पात कारखानों की स्थिति सुधारने में सफल नहीं है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 19 जनवरी, 1954 ।

(ख) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1410/69]**

(ग) राउरकेला इस्पात कारखाने के महानिदेशक की हिन्दुस्तान स्टील लि० के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप महानिदेशक का पद 6 दिसम्बर, 1967 से 19 मार्च, 1968 तक रिक्त था ।

(घ) पिछले उपाध्यक्ष 6 दिसम्बर, 1967 से सेवा-निवृत हुए थे और वर्तमान अध्यक्ष ने 30 मई, 1968 से पद-भार संभाला। यह एक महत्वपूर्ण पद है और इसके लिये आवश्यक योग्यता और अनुभव से युक्त उपयुक्त व्यक्ति के चुनाव तथा नियुक्ति में काफी समय लगा क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में खोज करना पड़ा। परन्तु इस पद पर एक उपयुक्त व्यक्ति के रखे जाने तक एक उपाध्यक्ष के पद के लिए स्वीकृति दे दी गई थी ताकि कम्पनी का प्रबन्ध कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे।

(ङ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उच्च पदों पर नियुक्ति उपयुक्तता, योग्यता और अनुभव के आधार पर की जाती है और इस उद्देश्य से भी उपलब्ध स्रोतों की छानबीन की जाती है।

अंग्रेजों, हिन्दुओं तथा मुसलमानों के नामों के रेलवे स्टेशन

1205. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंग्रेजों, हिन्दुओं तथा मुसलमानों के नामों वाले रेलवे स्टेशनों की वर्तमान संख्या क्या है ;

(ख) चूंकि देश से विदेशी शासन के अवशेष तथा मूर्तियों को शीघ्रता से हटाया जा रहा है अतः क्या विदेशी शासकों के नामों पर रखे गये रेलवे स्टेशनों के नामों को बदलने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी तक 45 रेलवे स्टेशनों के ब्रिटिश नाम ही चल रहे हैं। अन्य सभी स्टेशनों के नाम भारतीय हैं और इनमें से हिन्दू और मुस्लिम मूल के आधार पर स्टेशनों के नामों की कोई अलग-अलग प्रमाणिक संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) रेलवे स्टेशनों के वर्तमान नामों को बदलने के लिए सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

आदिवासियों के लिए विशेष भूधृति अधिनियम

1206. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समूचे भारत में ईसाइयों को छोड़ कर सभी आदिवासी ऋण में दबे हुए हैं अथवा सरकार द्वारा विशेष भूधृति

अधिनियम के रूप में लिए गए सभी संरक्षणात्मक उपायों का घोर उल्लंघन करके उनकी भूमि छीनी जा रही है ;

(ख) क्या आदिवासियों को विपत्तियों से निकालने के लिए सरकार का कुछ उपाय करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) से (ग). सरकार को आदिमजातीय लोगों के शोषण की सामान्य समस्या के बारे में पता है और इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने भी अपनी रिपोर्टों में इस बुराई का विश्लेषण किया है तथा उसके लिए समय-समय पर विभिन्न उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है।

कर्ज देने पर कानून द्वारा नियन्त्रण किया गया है। कर्ज-समझौता तथा निष्क्रयण के लिये भी उपाय किए गए हैं। उनके साथ-साथ सहकारिताओं के माध्यम से कर्ज के अन्य साधनों का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

आवश्यक जरूरतों की प्रदाय को उचित मूल्यों पर सुनिश्चित करने तथा आदिम जातियों की वन तथा कृषि-उत्पादनों के लिये उचित मूल्य प्राप्त कराने के लिये सहकारी संस्थाओं के निर्माण को बढ़ावा दिया गया है।

आदिम जातियों की भूमि का छीना जाना रोकने के लिये कानूनी उपाय किए गए हैं। दुरभिसंधि घोषणात्मक (हक) वादों को निष्फल करने के लिए राज्य सरकारों को सिविल प्रक्रिया संहिता, परिसीमा कानून तथा भू-राजस्व और अभिधारण अधिनियमों में उचित संशोधन करने की सलाह दी गई है।

Construction of Houses for Harijans in Fourth Plan

1207. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri J. Sundar Lal : **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of houses proposed to be constructed for Harijans during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether Government have framed any special regulations for giving ownerships of these new houses to the Harijans ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) to (c) . There are two housing schemes in operation in the Backward Classes Welfare sector :

(i) subsidies given for the construction of houses by Scheduled Castes/Tribes under the State Sector Programmes with central assistance ; and

(ii) grants-in-aid given to State Governments for the housing of sweepers and scavengers under Centrally Sponsored Programmes. Governmental assistance to individual beneficiaries under these schemes ranges between Rs. 900 and 1500. The Centrally Sponsored Scheme referred to above also supplements the Slum Clearance Scheme and the Low Income Group Housing Scheme of the Department of Works, Housing and Urban Development, wherever they are in operation, by contributing $12\frac{1}{2}\%$ of the ceiling cost of the house as subsidy to the beneficiaries. The physical targets under these schemes for the IV Five Year Plan have not been finalised.

Where assistance is extended to beneficiaries individually, the title to the houses constructed also vests with them. Where, however, assistance is extended through local bodies under the low income group housing scheme, the rules provide for the sale of the houses outright or on a hire purchase basis as also for the letting out of the houses on a no-profit-no-loss basis. Houses constructed under the Slum Clearance Scheme are rented out the slum evictees on a subsidised basis.

High Powered Committee of D. S.'s Office, Lucknow

1208. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2486 on the 11th March, 1969 and state :

(a) whether the various recommendations of the High Powered Committee of the Divisional Superintendent's Office, Lucknow have been examined and a final decision has been reached in respect of them or the necessary action taken thereon ;

(b) if so, the full details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the inordinate delay in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) As already stated in reply to Unstarred Question No. 2486 on 11th March, 1969, no High Powered Committee as such was set-up for the Office of the Divisional Superintendent, Lucknow. However, a High Powered Committee was appointed to enquire into all aspects of security and policing on the Railways and one of the sittings of this Commmittee was held in D. S. Office, Lucknow.

(b) The various recommendations of the High Powered Committee are currently under examination.

(c) These recommendations need very detailed examination which naturally takes time. There has been no inordinate delay in this regard.

Creation of posts of Guards Grade 'C' in Gonda Districts (N. E. Railway)

1209. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer the reply given to Unstarred Question No. 2485 on the 11th March, 1969 and state if the creation of posts of Guards Grade 'C' in Gonda Districts (North Eastern Railway) was justified on the basis of the work-load and the existing criterion for the creation of posts, what was the position on the basis of the past criterion and what it would be on the basis of the future criterion ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): The creation of posts was justified on the basis of workload and the existing yardstick for creation of posts. No change is contemplated at present in the criterion followed in the past for creation of these posts.

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सम्बन्ध में अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन

1210. **श्री हेमराज :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री सूरजभान :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री अदिचन :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 18 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सम्बन्ध में अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की राय प्राप्त हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तामिलनाडु, मैसूर, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, त्रिपुरा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप, पांडिचेरी, लक्कादीप तथा 18 फरवरी, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 68 में दिये गये राज्यों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं ।

(ख) शेष राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

निर्वाचन अभियान में शराब का प्रयोग

1211. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री निर्वाचन अभियान में शराब के प्रयोग के सम्बन्ध में 29 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब इस मामले की जांच पड़ताल कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) इस मामले का अन्वेषण अभी हो रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Work on Thurbhita-Bhaptiahi Section

1212. **Shri Valmiki Chowdhary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to restart the work on Thurbhita-Bhaptiahi section in 1969-70 which has been abandoned previously;

(b) if so, the amount allocated therefor; and

(c) the steps taken so far and being taken in that regard and the time by which the scheme would be completed?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). A similar unstarred Question (No. 346) was replied to on 22-7-1969. The position remains the same.

त्रिपुरा के लिये लोहे की नालीदार चादरों का कोटा

1213. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री त्रिपुरा के लिए लोहे की नालीदार चादरों के कोटे के सम्बन्ध में 29 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7967 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस शिकायत की जांच पूरी कर ली है कि त्रिपुरा के लिए नियत लोहे की नालीदार चादरों का कोटा त्रिपुरा से बाहर ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन ने सुनिश्चित कर लिया है कि त्रिपुरा को आवंटित कोटे के संघीय क्षेत्र से बाहर अन्य स्थान पर उठाए जाने में किसी प्रकार का गोलमाल नहीं हुआ है। उत्पादकों को त्रिपुरा के स्टाकिस्टों को किए गए संभरण सूचना प्रशासन को देने के लिए आदेश दे दिए हैं ताकि कोटों के उठाए जाने पर आवश्यक निगरानी रखी जा सके।

Government employees deputed at polling booths

1214. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that justice is not being done by the Government employees deputed at polling booths in the Elections to Lok Sabha and Legislative Assemblies ;

(b) whether it is also a fact that voters belonging to the weaker and poor classes are prevented by the persons belonging to the stronger, rich and other classes from casting their votes ;

(c) whether such incidents had taken place in Bihar and Uttar Pradesh during the last Elections ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to remedy the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Complaints were received from the Districts of Meerut and Muzaffarnagar

in Uttar Pradesh regarding intimidation or coercion of voters. From Bihar, there were a few complaints regarding apprehended intimidation.

(d) Proposals for making election process more peaceful are now under consideration by the Election Commission.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को औद्योगिक लाइसेंस देना

1215. **श्री कार्तिक उरांव** :क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को विशेष तौर के उद्योग चलाने के लिए लाइसेंस देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को ऐसे कितने लाइसेंस दिए गए ; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को उद्योग चलाने के लिए प्रोत्साहन देने और ऋण देने के लिए सरकार की कोई विशेष योजना है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर दिये जाते हैं और लाइसेंस स्वीकृत करते समय ये मुख्य बातें ध्यान में रखी जाती हैं :

(1) प्राथमिकता के आधार पर विकसित उद्योगों की आवश्यकता तथा पंच-वर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य ।

(2) प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे निवेश की आवश्यकता तथा अनावश्यकता उद्योग में निवेश को अनुत्साहित करना ।

(3) निर्यात उन्मुख/आयात बचत उद्योगों की स्थापना के लिये आवश्यकता किसी एक विशेष योजना में निहित विदेशी मुद्रा का व्यय ।

(4) कच्चे माल के संभरण की स्थिति ।

(5) उद्योगों को स्वामित्व के केन्द्रीयकरण तथा कुछ हाथों में नियंत्रित होने से बचाने की इच्छा ।

(6) संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता ।

(7) लघु स्तर वाले तथा कुटीर उद्योगों के संरक्षण की आवश्यकता और बड़े स्तर तथा लघु स्तर वाले क्षेत्रों के मध्य अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को रोकना ; और

(8) उस स्थान पर जहां एकक की स्थापना होती है, शक्ति, जल तथा परिवहन सुविधाओं की प्राप्ति ।

किसी समूह या समुदाय के आवेदन-पत्र को कोई विशेष वरीयता देने की व्यवस्था नहीं है।

(ख) अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को दिये गये लाइसेंसों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। गत तीन वर्षों में, सारे 925 लाइसेंस दिये गये। सभी दिये गये लाइसेंसों का ब्योरा "औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस तथा निर्यात लाइसेंस के साप्ताहिक बुलेटिन में," "साप्ताहिक भारतीय व्यापार पत्रिका" तथा "उद्योग तथा व्यापार की मासिक पत्रिका" में प्रकाशित किया जाता है। इन पत्रिकाओं की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) इस बारे में कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। फिर भी, लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये ऋण तथा अन्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं जिनका उपयोग दूसरों के साथ-साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति भी कर सकते हैं।

थोड़ा-थोड़ा माल भेजने वालों को नई रेलवे सुविधायें

1216. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे व्यापारियों को नई रेलवे सुविधायें देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और उसको कब से आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी नहीं। रेल द्वारा यातायात की बुकिंग के लिए खुदरा परेषकों को वही सुविधायें दी जाती हैं जो बड़े परेषकों को दी जाती हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

गाजियाबाद तथा शाहदरा के बीच रेलगाड़ी चलाना

1217. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि शाहदरा (दिल्ली) में रहने वाले हजारों लोग अध्ययन तथा आजीविका के लिये प्रतिदिन गाजियाबाद जाते हैं तथा सायंकाल 5-15 बजे

तथा 7-34 बजे के बीच गाजियाबाद तथा शाहदरा के बीच कोई रेल गाड़ी नहीं चलती जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है; और

(ख) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दिल्ली-शाहदरा और गाजियाबाद के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों की औसत संख्या 700 है। गाजियाबाद से दिल्ली-शाहदरा के लिए 17.15 बजे और 19.35 बजे कोई गाड़ी नहीं है।

(ख) 1 ए० टी० डी० आगरा-दिल्ली सवारी गाड़ी के समय में परिवर्तन करके इसे गाजियाबाद से 17.30 बजे छोड़ने की व्यावहारिकता की जांच की जा रही है।

Setting up of newsprint factory in U.P.

1218. **Shri Molahu Prashad :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether a proposal to set up a newsprint factory in Uttar Pradesh is under the consideration of Government ;

(b) if so, the site which has been selected for the purpose ;

(c) whether Government are aware of the fact that a special grass grows in Hastinapur area of Meerut District which is very useful for the production of paper ; and

(d) if so, whether Government intend to set up a newsprint factory in Hastinapur ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). No, Sir.

Fans and Lights in Meerut-New Delhi Shuttle Train in 3rd Class Compartments

1219. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be plea sed to state :

(a) whether Government are aware that there is no adequate arrangement of fans and lights in III Class compartments of Meerut-New Delhi shuttle, whereas in II Class compartments these facilities are available.

(b) if so, whether immediate steps would be taken to remove this disparity ;

(c) whether it is a fact that the Meerut-New Delhi shuttle is stopped at several places by the Railway officials which results in late arrival of the train at the destination ;

(d) whether valuable Government time is wasted thereby as a large number of Government employees travel by this train ; and

(e) if so, what remedial measures are proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Both II and III Class compartments have sufficient arrangements for light and fans. There have, however, been occasions when all the lights and fans, in this rake have not been working due to large scale thefts and pilferages of components. All out efforts are being made to restore the generating equipment and to provide full complement of lights and fans.

(c) to (e). The occasional detentions to 2 NM Meerut-New Delhi shuttle enroute are caused by alarm chain pulling, crossings with other trains, etc. All cases of avoidable detentions are taken up for corrective and remedial action.

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में अलाभप्रद शाखा लाइनों का बन्द किया जाना

1220. **श्री पी० सी० अदिचन :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :
श्री अजमल खां :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री रा० की० अमीन :
श्री एम० पी० राममूर्ति :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव चरण लाल :
श्री हेम बरुआ :
श्री एन० शिवप्पा :
डा० कर्णी सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डिवीजन विरोधी कर्मा परिषद ने इस वर्ष मई में केन्द्रीय रेलवे उपमंत्री को प्रस्तुत एक ज्ञापन में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में अलाभप्रद शाखा लाइनें बन्द करने का विरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी मांगें क्या थीं;

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी; और

(घ) देश में अलाभप्रद लाइनों के बन्द करने के बारे में सरकार की नवीनतम सामान्य नीति क्या है और तथाकथित अलाभप्रद लाइनें कौन-सी हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). 27 मई, 1969 के ज्ञापन के अनुसार परिषद के निम्नलिखित विषय हैं :

(i) यातायात की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में फिर से उचित संरेखण की आवश्यकता है ।

(ii) गाड़ियों की रफ्तार बढ़ायी जानी चाहिए;

(iii) परिचालन खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ गया है; और

(iv) चोरी, माल कम मिलने और क्षतिग्रस्त होने के कारण किये जाने वाले दावों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए ।

(ग) अलाभप्रद लाइनों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए अभी हाल में जो एक समिति बनायी गयी है, उसे यह ज्ञापन सौंप दिया गया है। निस्सन्देह, यह समिति परिषद के ज्ञापन में उठाये गये विषयों पर ध्यान देगी।

(घ) वर्तमान नीति यह है कि फिलहाल, किसी भी अलाभप्रद शाखा लाइन को तोड़ा नहीं जायेगा। वर्तमान गणना के अनुसार भारतीय सरकारी रेलों में 77 अलाभप्रद शाखा लाइनें हैं। इन लाइनों की एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1411/69]**

अमृतसर में लघु उद्योगों का बन्द होना

1221. **श्री अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में कच्चे माल की कमी के कारण अमृतसर तथा अन्य स्थानों में पेंच, नट, चटखनी तथा इस्पात की अन्य छोटी वस्तुएं बनाने वाले कई छोटे कारखाने बन्द हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में इस प्रकार के कितने कारखाने पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से बन्द हो गये हैं और इस कारण इन कारखानों के कितने कार्य-दिवसों की हानि हुई है;

(ग) इस तालाबन्दी के परिणामस्वरूप इन वस्तुओं के उत्पादन में कितनी कमी हुई है; और

(घ) इन कारखानों द्वारा उत्पादन की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जम्मू तथा कश्मीर के विधान मंडल के उप-निर्वाचन

1222. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा** :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री झा० सुन्दर लाल :
श्री बलराज मधोक :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर जनमत संग्रह मोर्चा एक पृथकतावादी संगठन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य विधान मंडल के लिये उप-निर्वाचन में भाग लेने के लिये यह शर्तें रखता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ये शर्तें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). निर्वाचन आयोग को ऐसी किन्हीं शर्तों का ज्ञान नहीं है ।

Investment in Hindustan Steel Ltd.

1223. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the total capital invested in the Hindustan Steel Ltd., is Rs. 1072.5 crores ;

(b) if so, the amount of interest being paid to foreign Companies annually on the amount invested by them as also the amount invested by each on which such interest is being paid ; and

(c) if the interest is paid in foreign exchange, the total amount paid so far and the amount to be paid in future on this account ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a). Total investment on capital account based on Government funds in Hindustan Steel Ltd. as on 31st March, 1969 amounted to Rs. 1091.5 crores (excluding short-term loan of Rs. 11 crores for working capital).

(b) The entire investment has been made by the Indian Government.

(c) Does not arise.

Quality of Indian Cars and Scooters

1224. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri P. C. Adichan :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that complaints are received regarding the deteriorating quality of cars and scooters being manufactured in India ;

(b) the steps taken to bring their quality at par with the International standards and the results achieved ; and

(c) whether the prices of cars and scootors would be reduced till improvements are made and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Interal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) Following complaints about deterioration in the quality of cars manufactured in the country, Government had appointed a Committee—the Motor Car Quality enquiry Committee—to investigate the causes of the deterioration in the quality of cars and to suggest remedial measures. The Committee made a number of recommendations for improving the quality of cars and others automobile products. These have been communicated to the car manufacturers for compliance. In order to ensure compliance, statutory directions have also been issued to the car manufacturers in respect of the more important of these recommendations. The matter has also been discussed individually with the representatives of the three car manufacturers and they have assured Government that they would implement the various recommendations of the Committee. Most of the recommendations made by the Committee, which are applicable to the scooter Industry as well, have also been communicated to the scooter manufacturers and they, and through them, their dealers have been advised to implement the various recommendations of the Committee. In the meantime, in pursuance of one of the recommendations of the Committee, a team of experts had been deputed to visit the plants of the three car manufacturers, with a view to assisting and advising the latter in strengthening their internal inspection organisation. The Team was also to suggest to Government the kind of external inspection organisation that should be set up to supplement the internal arrangements and how it can be made to function effectively. The Report of the Team has been received. Follow up action on the various recommendations of the Team is being taken.

It is hoped that with all these measures, there will be improvement in the quality of cars manufactured in the country.

(c) The selling prices of cars and scooters and determined with reference to a variety of factors including the cost of production of each unit. As such any interim reduction in prices pending improvements in quality of the vehicles does not appear feasible. Requests from the car manufacturers for an upward revision of car prices are also under Government's consideration. In reaching their decision; Government will take into account the present quality of the cars and the need for early improvement in their quality.

Double Tracks on Hindon Bridge

1225. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Maharaj Singh Bharti :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are only two Railway tracks on Hindon Bridge between Sahibabad and Ghaziabad whereas there are more than two tracks at both these stations ;

(b) whether a bridge having more than two tracks is proposed to be constructed for facilitating traffic ; and

(c) if so, when ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) There is no proposal at present.

(c) Does not arise.

ज्वालामुखी रोड और गुलेर स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन

1226. **श्री हेम राज :** क्या **रेलवे** मंत्री 25 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 963 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलेर तथा ज्वालामुखी रोड स्टेशनों के बीच लुनसु जहां पर एक औषधीय स्रोत है, पर एक हाल्ट स्टेशन बनाये जाने के प्रस्ताव की जांच कर ली गयी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). ज्वालामुखी रोड और गुलेर स्टेशनों के बीच प्रस्तावित स्थान पर एक गाड़ी हाल्ट खोलने के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की गयी है। प्रस्तावित स्थान के एक ओर पहाड़ी है और दूसरी ओर एक गहरा गड्ढा है। हाल्ट के लिए एक प्लेटफार्म और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में पहाड़ी को उड़ाने की जरूरत पड़ेगी, जिस पर भारी खर्च आयेगा। इसके अलावा प्रस्तावित स्थान पर रेलवे लाइन 50 में 1 के ग्रेड में है और खड़ी चढ़ाई के कारण जब गाड़ी एक बार रुक जायेगी तो उसे फिर से चलाने में कठिनाई होगी। इसलिए यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

कान्दरोरी रेलवे स्टेशन पर माल साइडिंग

1227. **श्री हेम राज :**

डा० सुशीला नैयर :

क्या **रेलवे** मंत्री 29 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7964 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर मुकरियां पठानकोट सैक्शन के कान्दरोरी रेलवे स्टेशन पर माल साइडिंग का निर्माण करने के लिए जांच कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर रेल प्रशासन से कहा गया है कि वे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये रखें और जब भी इस प्रकार की साइडिंग के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हो, सामान्य शर्तों पर इमदादी साइडिंग की व्यवस्था कर दे।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

1228. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की फैक्टरी की इमारत बनाने तथा अन्य अभिकरण लगाने के खर्चे वास्तविक और उसके मूल अनुमानों में 31 लाख रुपये का अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इतने अधिक अन्तर के क्या कारण हैं जबकि उक्त मदों के बारे में वास्तविक अनुमान सरलता से तैयार किये जा सकते थे; और

(ग) यदि हां, तो गलती करने व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकारी उपक्रमों (1968-69) की समिति ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की भूल चूक से संबंधित प्रश्नों की छानबीन कर ली है और समिति की सिफारिशें हिन्दुस्तान केबल्स के 27वें प्रतिवेदन में निहित हैं और वे पहले से ही सरकार के विचाराधीन हैं। ज्योंही विभिन्न सिफारिशों पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है, सरकारी उपक्रमों की समिति को उससे अवगत करा दिया जायेगा। सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों पर उनके अंतिम निर्णय प्राप्त हो जाने पर अग्रेतर उचित कार्य किया जायेगा।

हिन्दुस्तान केबल्स के किसी एक पदाधिकारी पर कोई ऐसी कार्यवाही करना उचित प्रतीत नहीं होता।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

1229. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिये मूल प्राक्कलन तैयार करते समय दरों की सूचियां मंगाई नहीं गई थीं और संशोधित प्राक्कलन तैयार करते समय ही दरों की सूचियां मंगवाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो संशोधित प्राक्कलनों में कितनी वृद्धि दिखाई गई थी तथा मूल प्राक्कलनों को अन्तिम रूप देने से पहले उपक्रम द्वारा दरों की सूचियां न मंगाई जाने के क्या कारण थे; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकारी उपक्रमों (1968-69) की समिति ने हिन्दुस्तान केबल्स लि० की भूल चूक से संबंधित प्रश्नों की छानबीन कर ली हैं और समिति को सिफारिशें हिन्दुस्तान केबल्स के 27वें प्रतिवेदन में निहित है और वे पहले से ही सरकार के विचाराधीन हैं। ज्यों ही विभिन्न सिफारिशों पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है, सरकारी उपक्रमों की समिति को उससे अवगत कर दिया जायेगा सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों पर उनके अन्तिम निर्णय प्राप्त हो जाने पर अग्रेतर उचित कार्य किया जायेगा।

हिन्दुस्तान केबल्स के किसी एक प्राधिकारी पर कोई कार्यवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के लिए मशीनें आदि

1230. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के लिये मशीनों की एक मुख्य मद जो

रूस में दिसम्बर 1968 में प्राप्त होने की आशा थी दिसम्बर, 1969 तक के लिये स्थगित की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मशीन के लिये अपेक्षित ढलाई तथा गढ़ाई के भारी पुर्जों के आयात करने का निर्णय करते समय हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड अथवा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने विदेशी सम्भरण से यह पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया था कि क्या वे ढलाई अथवा गढ़ाई की ये मशीनें सप्लाई करने के लिये तैयार हैं; और

(ग) क्या इस त्रुटिपूर्ण आयोजन के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकारी उपक्रमों (1968-69) की समिति ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की भूल चूक से संबंधित प्रश्नों की छानबीन कर ली है और समिति की सिफारिशें विचाराधीन है। ज्योंहि विभिन्न सिफारिशों पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है, सरकारी उपक्रमों की समिति को उससे अवगत करा दिया जायेगा। सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों पर उनके अंतिम निर्णय प्राप्त हो जाने पर अग्रेतर उचित कार्य किया जायेगा।

हिन्दुस्तान केबल्स के किसी एक पदाधिकारी पर कोई ऐसी कार्यवाही करना उचित प्रतीत नहीं होता।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की वस्तु सूची

1231. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की कितने मूल्य की वस्तु सूची थी ;

(ख) वर्ष 1968-69 के उत्पादन की तुलना में इस वस्तु सूची का अनुपात क्या है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के छः महीनों के उत्पादन के स्तर पर इस वस्तु सूची को स्थिर करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृ० चं० पन्त) : (क) और (ख). वर्ष 1968-69 के लिए हिन्दुस्तान स्टील के वार्षिक लेखे की इस समय लेखा-परीक्षा हो रही है। 31 मार्च, 1969 तक की वस्तु-सूची का ठीक मूल्य लेखे की लेखा-परीक्षा हो जाने एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन कर देने के बाद ही प्राप्त होगा।

(ग) वस्तु-सूची को उचित स्तर बनाये रखने की आवश्यकता के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पूर्णतया सचेत है और इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाए जा चुके है, यथा, किस्मों में कमी, स्टाक का युक्ति-करण, मानकी करण, आयातित सामानों के लिए आलेख तैयार करना और उनकी प्राप्ति आदि।

प्रशुल्क आयोग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

1232. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लागत मूल्य तथा प्रशुल्क सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग को समाप्त करने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो वैकल्पिक आयोग की सिफारिश करते समय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशुल्क आयोग के गठन तथा कार्यक्षेत्र में किन ठोस परिवर्तनों का सुझाव दिया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रशुल्क आयोग के संबंध में प्रशासकीय सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार अभी विचार कर रही है ।

(ख) प्रशासकीय सुधार आयोग ने प्रशुल्क आयोग के गठन तथा कार्यक्षेत्र में ठोस परिवर्तनों का सुझाव दिया है वे प्रशासकीय सुधार आयोग की सिफारिशों की संख्या 17 तथा 18 में निहित हैं और जिन्हें सदन के पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है ।

(ग) इस विषय के बारे में प्रशासकीय सुधार आयोग की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

विवरण

सिफारिश 17

लागत, मूल्य तथा प्रशुल्क आयोग के नाम का एक आयोग निम्नलिखित कार्य करने के लिए कानून द्वारा स्थापित होना :

(क) एक युक्तिपूर्ण नीति मूल्य के विकसित करने में सरकार को सहायता करने के लिए औद्योगिक उत्पादों और औद्योगिक कच्चे मालों तथा मध्यमों की कीमत का निर्धारण करना ।

(ख) चुने हुए औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन लागत के बारे में अध्ययन करना तथा ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहां लागत में कमी करना संभव तथा आवश्यक हो और ऐसी कमी प्राप्त करने के लिए सिफारिशें करना ; और

(ग) प्रशुल्क बचाने के संबंध में जांच करना तथा इन जांचों के आधार पर सरकार से सिफारिश करना ।

(2) सरकार मांग पर या सरकार की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् अपना स्वयं की इच्छा पर आयोग जांच और अध्ययन कार्य संचालित करेगा । यह मूल्य और लागत संबंधी अध्ययनों को पूरा करने में योजना आयोग को सहयोग करेगा ।

3. आयोग के पास वही शक्तियां होनी चाहिए जो जांच अधिनियम आयोग 1952 के अन्तर्गत नियुक्त जांच आयोग को दी गई थी ।

4. इस आयोग की स्थापना के पश्चात् प्रशुल्क आयोग समाप्त हो जाना चाहिए और उसके कार्यकारी इस नये आयोग में समाहत कर लेने चाहिए ।

सिफारिश 18

1. आयोग के पास पूरी अवधि के लिए 8 सदस्य होने चाहिए ।

2. आयोग के पास पर्याप्त कर्मचारी और विशेषज्ञ हों जो इसके कार्य को उचित ढ़ंग से पूरा करने के लिए चाहिए ।

3. आयोग के अध्यक्ष पद के लिए वरीयता किसी गैर सरकारी व्यक्ति को दो जायेगी जो उच्च सामर्थ्य एवं योग्यता रखता हो ।

4. सदस्यों में से दो शिल्पविज्ञानी होने चाहिए उनमें से दो आर्थिक क्षेत्र से सनदी तथा लागत लेखपाल से और प्रबन्ध विशेषज्ञ होने चाहिए ; एक सदस्य उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला हो एवं एक व्यापार संघ का प्रतिनिधि होना चाहिए ।

5. महानिदेशक, तकनीकी विकास तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार आयोग के कार्य से संबद्ध होने चाहिए । यद्यपि वे आयोग के सदस्य नहीं होंगे ।

भारत में सिग्रेट उद्योग

1233. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री मीठालाल मीना :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि देश का अधिकांश सिग्रेट उद्योग उन फर्मों के हाथों में केन्द्रीत है जो विदेशी नियंत्रण में हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में देश के सिग्रेट उद्योग की सही-सही स्थिति क्या है ; और

(ग) इस उद्योग में विदेशी प्रभुत्व को कम करने तथा संभवतः सिग्रेट उद्योग में विदेशी स्वामित्व को समाप्त करने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं तथा क्या इस उद्देश्य के लिये कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) 10 एककों की कुल वार्षिक क्षमता 576880 लाख नग है । इन 10 एककों में से 3 विदेशी स्वामित्व के हैं और इनकी कुल वार्षिक क्षमता 355200 लाख नग हैं ।

(ग) विगत तीन वर्षों में विदेशी स्वामित्व के एककों का उत्पादन सामान्यतः स्थिर रहा। सरकार की नीति भारतीय स्वामित्व की सिग्रेट कम्पनियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है ताकि भारतीय कम्पनियों के हिस्से को बढ़ाया जाये। ऐसी आशा है कि आगामी कुछ वर्षों में सिग्रेट की मांग की वृद्धि शनैः शनैः भारतीय स्वामित्व की कम्पनियों के उत्पादन में वृद्धि निहित हो जायेगी।

मदुरै डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में भूतपूर्व सैनिकों की वाणिज्यिक क्लर्कों के रूप में नियुक्ति

1234. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**

श्री चंद्रिका प्रसाद :

श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1945 से 1951 तक की अवधि में दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन में रक्षित स्थानों पर वाणिज्यिक क्लर्कों के रूप में नियुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या उन्हें उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता दी गई थी ;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों को नियुक्ति किस तारीख को की गई थी तथा उन्हें वरिष्ठता किस तारीख से दी गई थी ;

(घ) क्या सरकार को उपर्युक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित किये जाने के बारे में अखिल भारतीय वाणिज्यिक क्लर्क संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ग). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1412/69]

(ख) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

अजमेर डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों का दर्जा बढ़ाना

1235. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन के डिवीजन अधिकारियों

ने 9 जनवरी, 1963 के अपने पत्र संख्या ई० टी० 26/42 के द्वारा वाणिज्यिक क्लर्कों के कुछ पदों का दर्जा बढ़ाया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हालांकि उपरोक्त पत्र 9 जनवरी, 1963 को जारी किया गया था तथापि पत्र संख्या ई० टी० 26/42 के साथ संलग्न विवरण में उन पदों को 1 अप्रैल, 1961 से बढ़े हुए दर्जे में दिखाया गया था ;

(घ) पदों के दर्जे को 1 अप्रैल, 1961 से गढ़ा हुआ दिखाये जाने के क्या कारण हैं जबकि आदेश 9 जनवरी, 1963 को जारी किये गये थे ;

(ङ) क्या सरकार की अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ से पदों का दर्जा बढ़ाने में किये गये विलम्ब के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(च) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1-4-61 तक के वाणिज्यिक क्लर्कों के संवर्ग की वार्षिक समीक्षा करने के फल-स्वरूप पदों का दर्जा बढ़ाया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) दर्जों का बढ़ाना 1-4-61 से लागू नहीं किया गया । यद्यपि वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों का दर्जा बढ़ाने के लिए दिये गये आदेश 1-4-61 तक के संवर्ग की वार्षिक समीक्षा के आधार पर दिये गये थे, लेकिन उन्हें उस तारीख से लागू किया गया जिस तारीख को कर्म-चारियों ने उच्चतर वेतनक्रमों में कार्यभार ग्रहण किया था ।

(ङ) जी हां । आल इंडिया रेलवे कामर्शियल क्लर्कस एसोसिएशन, अजमेर के महासचिव से 1-4-61 से पिछले बकाओं का भुगतान करने के बारे में 24-5-69 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(च) इस मामले पर विचार किया गया और मांग इस विषय से सम्बन्धित सामान्य आदेशों के अनुसार स्वीकार नहीं की गयी कि यदि समीक्षाओं के आधार पर दर्जों का बढ़ाना या घटाना आवश्यक हो तो उसे आगे की तारीख से लागू किया जाय ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में कमजोर दृष्टि वाले 100 परिवहन कर्मचारियों को वाणिज्यिक क्लर्कों की श्रेणी में नौकरी देना

1236. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **रेलवे** मंत्री 29 अप्रैल, 1969 के दक्षिण-पूर्व रेलवे में कमजोर दृष्टि वाले 100 परिवहन कर्मचारियों की वाणिज्यिक क्लर्को की श्रेणी में नौकरी देने सम्बन्धी अतारांकित प्रश्न संख्या 8031 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और जानकारी एकत्र करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आवश्यक सूचना अनुबन्ध में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या-एल० टी०** 1413/69]

(ग) सवाल नहीं उठता ।

पश्चिमी रेलवे के अजमेर स्थित कार्यालय में पार्सल क्लर्कों के काम का मापदण्ड

1237. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **रेलवे** मंत्री पश्चिमी रेलवे के अजमेर स्थित पार्सल कार्यालय में पार्सल क्लर्कों के काम के मापदण्ड के बारे में 13 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9475 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(घ) जानकारी एकत्र करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 'क' में दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 1414/69]

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता ।

Export of Electrical Goods by Heavy Electricals Ltd., Bhopal

1238. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the foreign countries to which heavy electrical goods are supplied by the Heavy Electricals Ltd., Bhopal ;

(b) whether it has invited tenders from the Middle-East and Far-East countries for the supply of heavy electrical goods to them ; and

(c) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Heavy Electricals (India) Limited have supplied their goods to the following countries :

1. United Arab Republic.
2. Iraq.
3. Switzerland.

(b) and (c). Heavy Electricals (India) Limited have submitted tenders to several Middle East, Near East and Far East countries. By and large, the quotations have been fairly competitive and the position of orders from abroad is likely to improve in coming years. The policy of Government is to encourage such exports as far as possible.

Licences for setting up of Industries

1239. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons who were given licences for the setting up of industries during 1967, 1968 and 1969 ;

(b) the number of persons out of them who have set up industries so far ; and

(c) the names of industries for which it is not necessary now to get licences ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The number of licences issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, for the establishment of new industrial undertakings during 1967, 1968 and 1969 (upto 30th June) is as follows :

Sl. No.	Year	No. of licences issued.
1.	1967	59
2.	1968	35
3.	1969 (upto 30th June)	20
		114

(b) there is always a time lag between the issue of a licence and the actual commencement of production which, in many cases, takes two years of more. It is, therefore, too early to indicate precisely the number of licences, out of those issued during the last two years, which have gone into production. The Government, however, keep a watch over the progress of implementation of licences through half-yearly progress returns which the licensees are required to submit until the undertakings have been established. On requests made by the licensees, the validity periods of licences may be extended in suitable cases on justifiable grounds. In cases where the licensees fail to implement the licences even within the extended period, action for revocation is taken.

(c) Licences under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, are required only for those Industries which are included in the First Schedule to the Act. Industries not included in this Schedule are not required to obtain any licences. In addition to this, in exercise of the powers delegated under the Act, the Government have from time to time granted exemption to certain industries, included in the First Schedule, from the licensing provisions of the Act. A list of such industries which are at present exempted is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1415/69]**

Conference of Representatives of Industrial Organisations

1240. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether some fresh suggestions were offered to Government at the Conference of representatives of industrial organisations held in New Delhi recently ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) whether it is a fact that rules, regulations and machinery of Government are a great obstruction in industrial progress ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). It is not known to which Conference the Hon. Members are referring. A difinite reply could be given if this is specified clearly.

Prohibition During Gandhi Centenary Year

1241. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether some new decisions about prohibition are likely to be taken during the Gandhi Centenary year ;

(b) if so, whether suggestions have been received from the State Governments in this connection ; and

(c) when it would be possible to take a decision according to the spirit of the constitution ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) to (c). Prohibition is a State subject. The Central Government have no detailed information regarding the decisions likely to be taken by the State Governments in this behalf during the Gandhi Centenary year.

Eradication of Untouchability

1242. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Bhogendra Jha :**
Shri Prakash Vir Shastri . **Shri D. C. Sharma :**
Shri Prem Chand Verma : **Shri Nihal Singh :**
Shri Muhammad Sheriff :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to some of those decisions which were to be taken in connection with the eradication of untouchability from the country ;

(b) whether it is a fact that this evil still prevail in many States even after 22 years of Independence ; and

(c) if so, whether Government propose to take some further effective steps to check this evil ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) to (c). The problem of untouchability has been tackled by means of legislative measures, propaganda and welfare programmes for the social, educational and economic uplift of the Scheduled Castes. These measures are being expanded under the Fourth Plan. The practice of untouchability has almost died out in the urban areas. Sporadic cases, however, still occur in the rural areas.

The State Governments have been asked to take firm action whenever cases of untouchability occur, and measures are also under examination to amend the Untouchability (Offences) Act, so as to make it more effective.

Extention of Railway Line upto Kanya Kumari

1243. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Kanyakumari is a very important place due to religious or other considerations and thousands of pilgrims go there from all parts of the country every year ; and

(b) if so, whether Government propose to extend the Railway Line upto Kanyakumari ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Investigations carried out in 1965 revealed that the Tirunelveli-Nagercoil-Trivandrum M. G. line with a branch line to Cape Comorin was not likely to be financially viable. With a view to determine the present day cost and traffic and financial prospects of the line, taking into consideration any further developments that might have taken place in the area, since the previous investigation, it has been decided to re-assess the earlier survey reports of M. G. line and to undertake a fresh survey for an alternative B. G. alignment and these have been sanctioned recently. A decision regarding the construction of the project can be taken only after the surveys are completed and the results thereof known.

Untouchability and Casteism

1244. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government consider it proper to encourage inter-caste marriages with a view to abolish casteism and untouchability ; and

(b) if so, the action taken so far by Government in this direction and, if no, action has been taken in this regard, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) and (b). Some State Governments have introduced financial and other incentives to encourage inter-caste marriages. The value of marriages contracted purely for financial reasons is doubtful.

Industrial Development of India

1245. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one of the reasons for slow industrial development of India is the delay in issuing licences by Government ;

(b) whether Government propose to improve the licensing system and make rules to ensure that decisions are taken within the prescribed period ;

(c) if so, by what time such rules are likely to be made ; and

(d) if the reply to part (b) above, be in the negative, the reasons, therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) In any system of licensing, some delay is bound to take place in examining and approving proposals for grant of such licensing. A letter of intent, or subsequently an industrial licence is, however, of great assistance to entrepreneurs in the early implementation of their projects in that various other formalities such as foreign exchange and financing arrangements together with demand assessments etc. are able to be expedited. In the overall context, it may not be correct to assume that the licensing system itself has resulted in slowing down of industrial development but to the extent that the examination and disposal of applications can be expedited, the situation would certainly improve.

(b) The question of minimising delays in the disposal of applications has engaged the constant attention of Government and, wherever feasible, the licensing procedures have been streamlined and relaxed. Every effort is being made to ensure that decisions are taken within the prescribed period to the extent possible.

(c) and (d). With the submission of the Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee headed by Shri S. Dutt, the nature of industrial licensing and modifications in the existing licensing structure and procedures are under examination and it is expected that final decision in this regard would be taken in the immediate future.

Divisional Office of North Eastern Railway

1246. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway employees, who live in Muzaffarpur, are facing acute difficulty as a result of the location of the Divisional office of North Eastern Railway at Samastipur ;

(b) if so, the number of residential houses and office buildings constructed there so far ;

(c) whether the houses have been constructed on the Government land or on the land now acquired for the purpose ;

(d) if new lands have been acquired, the persons to whom they belonged and the area of the land acquired ;

(e) whether it is a fact that political motives and feelings are at play in the matter of acquiring lands for constructing new houses ; and

(f) if so, the details thereof?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No such complaints/ representations have been received from the staff after opening of Divisional Superintendent's Office at Samastipur.

(b) 12 quarters for staff and six sheds with plinth area of about 10,000 sft. for accommodating Divisional Office have been constructed so far.

(c) The quarters have been constructed on existing Railway land.

(d) No land has been acquired.

(e) and (f). Do not arise.

Sale of products of Paints and Varnish

1247. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while there is increase in the sale of products of the Paints and Varnish companies, the cost of production has also gone up as a result of which their profits have decreased ;

(b) whether it is also a fact that these Companies have threatened Government that in case their profits do not increase they would close these factories ;

(c) whether Government have any proposal to set up Paint and Varnish factories in the public sector ;

(d) if so, the location of such factories and the time by which they are likely to be set up ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) While there has been an increase in the value of output, information about sales realisation and profits are not readily available.

(b) and (c). No, Sir.

(d) and (e). Does not arise.

रेलवे कर्मचारियों के लिये वर्दियों की व्यवस्था

1248. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके अनुसार सारे देश में भारतीय रेलों के सभी लाइन कर्मचारियों को वर्दियां उपलब्ध हो जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) कर्मचारियों के किन-किन वर्गों की वर्दियां उपलब्ध की जा रही हैं ;

(घ) सभी कर्मचारियों को वर्दियां न देने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार कर्मचारियों को वर्दियां देने सम्बन्धी निर्णय कब तक कर लेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जिन कोटियों के कर्मचारियों को वर्दियां दी जाती हैं, उनकी एक सूची तैयार की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) केवल उन्हीं कोटियों के कर्मचारियों को वर्दियां दी जाती हैं जो लगातार सार्वजनिक सम्पर्क में आते हैं या जिन्हें अपने काम के ढंग के कारण वर्दी पहननी पड़ती है ।

(ङ) रेलवे बोर्ड द्वारा मार्च, 1969 में नियुक्त वर्दी समिति की रिपोर्ट मिलते ही रेल कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों की वर्दियों की सप्लाई, अभिकल्प और अनुसूची के सम्बन्ध में विनिश्चिय किया जायेगा ।

राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों का चलाना

1249. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० सुशीला नैयर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री बलराज मधोक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में और "राजधानी एक्सप्रेस" गाड़ियों को चलाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह एक्सप्रेस गाड़ियां दिल्ली से किन-किन स्थानों को चलायी जायेंगी ;

(ग) क्या इस बारे में सर्वेक्षण कर लिये गये हैं ;

(घ) क्या नई दिल्ली से गोरखपुर तक सीधी एक "राजधानी एक्सप्रेस" चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली से इन एक्सप्रेस गाड़ियों के प्रस्तावित गंतव्य स्थान इस प्रकार हैं :

(i) दिल्ली-अहमदाबाद (मीटर लाइन) ;

(ii) दिल्ली-बम्बई (कोटा के रास्ते)

(ग) आवश्यक जांच और अध्ययन का काम जारी है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

राजधानी में उद्योगों का सर्वेक्षण

1250. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग निदेशालय ने कोई सर्वेक्षण यह जानने के लिये किया हैं कि राजधानी-में कितने प्रकार के उद्योग हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या देश के अन्य बड़े नगरों में ऐसे ही सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल और जुलाई, 1969 में सर्वेक्षण किया गया है, और इसका विस्तृत ब्योरा प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा।

(ग) लघु उद्योग सांख्यिकी स्थायी समिति की पिछली बैठक में यह निश्चय किया गया था कि सभी राज्यों के बड़े नगरीय क्षेत्रों में ऐसे ही सर्वेक्षण किये जा सकते हैं।

तेल के ढोल बनाने की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

1251. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, इन्डस्ट्रियल कन्टेनर्स लिमिटेड और स्टील कन्टेनर्स लिमिटेड की तेल के ढोल बनाने की लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्रमशः 27,000 टन, 3,700 टन, 6,000 टन और 5,860 टन है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को प्रति दिन एक पारी के आधार पर 3,600 तेल के ढोल बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). प्राक्कलन समिति (1968-69) के 85वीं प्रतिवेदन में निहित सूचना की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो लोक सभा में 30 अप्रैल, 1969 को प्रस्तुत की गई थी। प्रतिवेदन के पृष्ठ 12, 21 से 24, 105 तथा 106 देखलें।

टाटा की फर्में

1252. **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में टाटा की फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन फर्मों में कितनी पूंजी लगी है ;

(ग) उनमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों में सरकार ने इन कम्पनियों को कितनी अग्रिम राशि दी ; और

(ङ) किन-किन एजेन्सियों ने अग्रिम राशि दी और इसकी ब्याज दर क्या थी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). एकाधिकार जांच आयोग द्वारा टाटा ग्रुप में सम्मिलित समवायों के नामों तथा 1966-67 में इन समवायों में से प्रत्येक की प्रदत्त पूंजी दिखाने वाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1416/69]

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत यह जानकारी देना आवश्यक नहीं है।

(घ) और (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है। मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आगरा-मथुरा और नई दिल्ली के बीच रेलगाड़ी

1253. **श्री ए० श्रीधरन :**

डा० सुशीला नैयर :

श्री क० लकप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में प्रातः दस बजे अपने कार्यालयों में उपस्थित होने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा दैनिक यात्रा पास रखने वालों अथवा उन लोगों के लिए जो छुट्टियों में प्रायः अपने घर जाते रहते हैं, के लिए आगरा, मथुरा और नई दिल्ली के बीच कोई रेलगाड़ी नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे यात्रियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है और यदि उन्हें दक्षिण एक्सप्रेस में यात्रा करने की अनुमति दे दी जाये तो उनकी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). झांसी-नयी दिल्ली खण्ड पर स्थित स्टेशनों के बीच 21 डाउन दक्षिण एक्सप्रेस से तीसरे दर्जे की यात्रा पर लगे हुए प्रतिबन्ध में छूट देने के प्रश्न की समीक्षा की गयी है और 1-9-69 से इस प्रतिबन्ध को समाप्त करने का निर्णय किया गया है ।

दक्षिण एक्सप्रेस के तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रा

1254. **श्री ए० श्रीधरन :**

डा० सुशीला नैयर :

श्री क० लकप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री दक्षिण एक्सप्रेस की तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रा के बारे में 29 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7958 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन मामलों में 483 किलोमीटर की कम से कम यात्रा के प्रतिबन्ध में ढील देने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली में काम करने वाले उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में ऐसी ढील देने का है जो छुट्टियों में अपने घर जाते हैं और जिन्हें प्रातः दस बजे दिल्ली/नई दिल्ली स्थित कार्यालय में उपस्थित होना होता है ;

(ग) दक्षिण एक्सप्रेस में मथुरा से दिल्ली तक के तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या का पता लगाने के लिये किये गये मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 21 डाउन/22 अप दक्षिण एक्सप्रेस में कम से कम 483 किलोमीटर यात्रा करने से सम्बन्धित प्रतिबन्ध में निम्नलिखित स्टेशनों के बीच यात्रा के लिये ढील दी गयी है :

21 डाउन

(i) नागपुर से भोपाल तक,

(ii) झांसी से नयी-दिल्ली तक,

(iii) ग्वालियर से नई दिल्ली तक,

(iv) भोपाल से ग्वालियर तक,

(v) वैतुल से भोपाल तक ।

22 अप

(i) भोपाल से नागपुर तक,

(ii) चन्द्रपुर से हैदराबाद तक,

(iii) बलहारशाह से हैदराबाद तक,

(iv) ग्वालियर से भोपाल तक,

(v) नयी दिल्ली से झांसी (शामिल है) तक के स्टेशनों तक,

(vi) भोपाल से वैतुल तक ।

(ख) 1-9-1969 से 21 डाउन दक्षिण एक्सप्रेस से झांसी-नयी दिल्ली खण्ड के किसी दो स्टेशनों के बीच तीसरे दर्जे में यात्रा करने के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध में ढील देने का विनिश्चय किया गया है ।

(ग) दक्षिण एक्सप्रेस में चलने वाले यात्रियों का अनुमान लगाने के उद्देश्य से मथुरा और नयी दिल्ली के बीच जून, 1969 में जहां-तहां अचानक जांच की गयी थी । तीसरे दर्जे में चलने वाले यात्रियों की संख्या 85 और 102 प्रतिशत के बीच पायी गयी ।

(घ) इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया है ।

औद्योगिक लाइसेंस के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

1255. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के समक्ष औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिये बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लम्बे अर्से से लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो लम्बित पड़े ऐसे आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) यह आवेदन-पत्र कितने वर्षों से पड़े हैं और वे किन-किन राज्यों से हैं ; और

(घ) उन्हें शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली) अहमद) : (क) से (ग). 1967 से 1969 (30-6-69 तक) लाइसेंस प्राप्ति के लिए प्राप्त 2482 आवेदनों में से 1572 का निपटान कर दिया गया है 910 निलम्बित हैं । निलम्बित आवेदनों में से 55 आवेदन 1967 में 230 आवेदन 1968 में तथा 625 आवेदन 1969 (30 जून 1969) में प्राप्त हुए हैं ।

राज्यवार और वर्षवार आवेदनों का सूचक एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1417/69] मंत्रालय की सम्बन्धित शाखायें 1967 से पूर्व से प्राप्त कुछ आवेदनों का विस्तृत विवरण तैयार कर रही हैं ।

(घ) औद्योगिक लाइसेन्स नीति की निरन्तर संवीक्षा की जाती है और प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया जाता है । इसका अतिरिक्त प्रशासनिक मंत्रालयों को लाइसेंस प्रदायक समिति से

बिना पूछे ही कुछ प्रकार के प्रकरणों के निपटान के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। लाइसेंस समिति की बैठक एक पक्ष में एक बार होती है जो आवेदन लाइसेंस समिति के समक्ष प्राप्ति की तिथि से छः सप्ताह के अन्दर नहीं रखे जाते हैं, उनके विवरण प्रत्येक हर मास लाइसेन्स समिति को प्रस्तुत किये जाते हैं। देय के कारणों पर विचार किया जाता है और आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर अध्यक्ष द्वारा निदेश किये जाते हैं। लाइसेन्स प्रणाली में भी कुछ देर लगती है, क्योंकि प्रत्येक योजना पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न मंत्रालय और तकनीकी अधिकारियों और संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श लेकर ही विचार किया जाता है। कुछ प्रकरणों में स्थिति इन कारणों से दुखदाई बन जाती है कि आवेदक प्रमुख बातों जैसे प्रावस्थाभाजित उत्पादन कार्यक्रम, आवश्यक विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध विदेशी सहयोग आदि की अधूरी सूचना देते हैं प्रायः उसके स्पष्टीकरण के लिये उन्हें लिखना पड़ता है। कुछ प्रकरणों में वह विशिष्ट उद्योग संवीक्षाधीन होता है। ऐसे प्रकरणों में सभी आवेदनों को एक साथ रखकर उस योजना के अतिरिक्त गुणों और प्रतियोगितात्मकता का ध्यान रखकर सर्वोत्तम योजना को लाइसेंस का ध्यान रखकर सर्वोत्तम योजना को लाइसेन्स प्रदान किया जाये।

मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इन्डिया नई दिल्ली

1256. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी ;

(ख) कारपोरेशन ने 31 मार्च, 1969 तक सरकार, बैंकों तथा अन्य निकायों से कितना कितना ऋण लिया ;

(ग) गत तीन वर्षों में कारपोरेशन द्वारा ब्याज के रूप में कितनी राशि दी गई ;

(घ) गत तीन वर्षों में निगम द्वारा किये गये काम का ब्योरा क्या है तथा उसने कितना लाभ कमाया और यदि कोई हानि हुई तो कितनी ; और

(ङ) यदि कोई हानि हुई तो उसके क्या कारण हैं और वर्ष 1969-70 के प्राक्कलन क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क)

	(रु० लाख में)	31-3-69 को (लाख रु० में)
अधिकृत पूंजी	400	400
चुकता पूंजी	05	217

(ख) कुछ नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मेसर्स स्कोडाएक्सपोर्ट प्रेस से विस्तृत प्रयोजन प्रतिवेदन जनवरी, 1966 में प्राप्त हुआ, प्रतिवेदन की संवीक्षा के पश्चात् मेसर्स स्कोडाएक्सपोर्ट से 83.06 लाख रुपये की कीमत के पूंजीगत उपकरण आयात करने के लिए, जिसके हेतु धन चैकोस्लोवाकिया के द्वितीय ऋण से प्राप्त होना था, सितम्बर, 1966 में करार किया गया। मशीन टूल्स कारपोरेशन इंडिया नामक कम्पनी ग्राउंडिंग मशीन टूल संयन्त्र अजमेर के प्रबन्ध के लिए जनवरी, 1967 में 4 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से बनाई गई। दिसम्बर, 1967 में अजमेर (राजस्थान) में संयंत्र के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया। दो प्रधान उत्पादन भवनों का निर्माण कार्य प्रायः पूरा हो चुका है। आयातित मशीनें स्थान पर आ चुकी हैं और कुछ मशीनों के हिस्सों को स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। तीन ग्राइंडिंग मशीनें जिन्हें प्रारम्भ में ही लगाया जाना है, के मोडिलों का तकनीकी प्रलेख प्राप्त हो चुका है। कम्पनी के शेयर पूंजी में 31-3-69 तक सरकार ने 217 लाख रुपये का निवेश किया है। 1968-69 के अन्त तक का व्यय 208.46 लाख रुपये है।

प्रायोजन निर्माण की स्थिति में है अतः लाभ और हानि का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अधिक अच्छी किस्म के उच्च शक्ति वाले इस्पात का उत्पादन

1257. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री प० मु० सईद :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "सुपर कंडक्टिंगमैगानेट" के इस्तेमाल से अपेक्षाकृत कम लागत पर अधिक अच्छी किस्म तथा उच्च शक्ति वाले इस्पात के उत्पादन की संभावना के बारे में पूना के इन्जीनियरी कालेज के अनुसंधानकर्ता डा० के० आर० सत्यनारायण द्वारा किये गये अनुसंधान की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में और आगे छानबीन करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने डा० के० आर० सत्यनारायणन द्वारा किये गये अनुसंधान का समाचार इंडियन एक्सप्रेस में देखा है।

(ख) और (ग). हिन्दुस्तान स्टील लि० ने कहा है कि उनको इस सम्भावना का पता है परन्तु अभी यह केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने अभी इस प्रक्रिया की जांच नहीं की है।

बनासकंठा संसदीय उप-निर्वाचन

1258. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्वाचन आयोग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गुजरात में बनासकंठा संसदीय उप निर्वाचन में सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया था कि कुछ मत-पेटियों को खोल लिया गया था और यदि हां, तो इस आरोप में कितनी सच्चाई थी ; और

(घ) इस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम की घोषणा को कुछ समय तक विचारित रखने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). जी, हां । एक अभ्यर्थी श्री मनुभाई अमर से तथा कुछ संसद्-सदस्यों अर्थात् श्री पीलू मोदी और प्रोफेसर एन० जी० रंगा का यह आरोप था और उनकी शिकायतें ये थीं कि अनेक मत-पेटियों के साथ गड़बड़ की गई है और मत-पेटियों में जाली मत पत्र डाल दिए गए हैं । उन्होंने बलपूर्वक आग्रह किया कि आरोपों और शिकायतों की तुरन्त जांच की जाए और परिणामों की घोषणा तब तक विचारित रखी जाय । उपनिर्वाचन आयुक्त ने, जिन्हें तुरन्त बनासकंठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालय पालनपुर भेजा गया, करीब तीन घन्टे तक जांच की और उन्होंने पाया कि यद्यपि कतिपय मत-पेटियों की बाहरी मुद्राएं और कपड़े के कुछ रैपरों की मुद्राएं टूटी हुई थीं किन्तु अन्दर की मुद्राएं बिल्कुल ठीक थीं । उसके पश्चात् तुरन्त ही नई दिल्ली से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निदेश पर निर्वाचन का परिणाम घोषित कर दिया गया । चूंकि बनासकंठा दिल्ली से काफी अधिक दूरी पर स्थित है और मार्गेतर स्थान है, इसलिए निर्वाचन के परिणाम की घोषणा में जांच के कारण देरी हो गई । यदि रिटर्निंग आफिसर ट्रंक टेलीफोन पर (जो खराब हो गया था) मिल जाता तो इस काम में लगने वाला समय शायद बहुत कम होता, क्योंकि वैसी दशा में पूरे मामले की जानकारी स्वयं रिटर्निंग अफसर से ही मिल गई होती ।

राज्य-सभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व

1259. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़, अण्डमान तथा लक्कादीव तथा कुछ अन्य संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ; और

(ख) क्या संवैधानिक रूप से यह आवश्यक नहीं है कि देश के प्रत्येक भाग को राज्य-सभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और यदि हां, तो उपरोक्त संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य-सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 80 (2) में यह उपबन्ध है कि राज्य-सभा में राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन संविधान की चतुर्थ अनुसूची में अन्तर्विष्ट तद् विषयक उपबन्धों के अनुसार होगा । चतुर्थ अनुसूची में चण्डीगढ़, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य-क्षेत्रों और कतिपय अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए किसी प्रतिनिधित्व का उपबन्ध नहीं है । इसलिए वर्तमान स्थिति संविधान के अनुसार ही है ।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

1260. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा उनके द्वारा त्याग-पत्र दिए जाने पर नये राष्ट्रपति का निर्वाचन कराने के लिए इस समय निर्धारित छः महीने की अवधि को कम करने का है ;

(ख) क्या इस अवधि को कम करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Production and Export of Cement

1261. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether sufficient quantity of cement is being produced to meet the requirements of the country ;

(b) whether a decision has been taken to export cement to other countries also ; and

(c) if so, the amount of foreign exchange likely to be earned thereby ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) During the year 1968 cement and clinker to the extent of 231611 and 41846 tonnes respectively were exported out of India earning a foreign exchange about Rs. 3 crores.

महाराष्ट्र में अनारक्षित स्थान

1262. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 के साधारण निर्वाचन में महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों ने कितने अनारक्षित स्थानों के लिए निर्वाचन लड़े; और

(ख) 1967 के साधारण निर्वाचन में सम्पूर्ण देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों ने कितने अनारक्षित स्थानों के लिए निर्वाचन लड़े ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) अनुसूचित जातियां—114

अनुसूचित जन जातियां—कुछ नहीं ।

(ख) जानकारी संग्रहीत की जा रही है ।

महाराष्ट्र में अनारक्षित स्थान

1263. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र को कितने औद्योगिक लाइसेन्स दिए गए ; और

(ख) लाइसेन्स प्राप्त कारखानों के नाम क्या हैं और वे कहां स्थित हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों में अर्थात 1966, 1967 तथा 1968 में महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने हेतु 294 औद्योगिक लाइसेन्स जारी किए गये थे ।

(ख) जारी किये गये सभी लाइसेन्सों का ब्योरा अनेक पत्रिकाओं जैसे दि वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेसेंज, इम्पोर्ट लाइसेसेंज, दि वीकली इंडियन ट्रेड जर्नल तथा दि मंथली जरनल आफ इंडस्ट्रीज एण्ड ट्रेड में प्रकाशित किये जाते हैं । इन पत्रिकाओं की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

तुगलकाबाद में माल का वितरण

1264. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तुगलकाबाद में बिल्टी दिखाये बिना ही माल दे दिया जाता है;

(ख) क्या ऐसा वितरण उन मामलों में भी किया जाता है, जिनमें प्रेषिती को स्वयं लिखा हुआ हो;

(ग) क्या इस तरीके के कारण भ्रष्टाचार होता है और क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी कि ऐसा वितरण केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हो; और

(घ) पिछले एक वर्ष में इस प्रकार कितनी वस्तुओं का वितरण किया गया, इसका पता लगाने के लिये क्या सरकार का तुगलकाबाद के वितरण के मामले की जांच कराने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). निर्धारित क्षतिपूर्ति बंध के निष्पादन पर सम्बद्ध रेलवे रसीद न पेश करने पर भी माल की सुपुर्दगी की अनुमति है लेकिन तुगलकाबाद स्टेशन पर 10-7-69 से पहले रेलवे रसीदें पेश किये बिना भेजने वाले के नाम बुक की गयी जलाने की लकड़ी, कोयला और इमारती लकड़ी के परेषणों की सुपुर्दगी करने में सही क्षतिपूर्ति बंध नहीं लिये जाते थे। 10-7-69 से स्थिति ठीक कर दी गयी है।

(ग) 10-7-69 से पहले तुगलकाबाद स्टेशन पर चालू परिपाटी भ्रष्टाचार का साधन हो सकती थी और इसीलिए यह परिपाटी बन्द कर दी गयी है।

(घ) निर्धारित क्षतिपूर्ति बंध पर रेलवे रसीद पेश किये बिना माल भेजने वाले के परेषणों की सुपुर्दगी के बारे में तुगलकाबाद में व्याप्त अनुचित परिपाटी से सम्बद्ध मामले की जांच की जा रही है और तभी ऐसी सुपुर्दगियों की मात्रा की भी जांच की जायेगी।

रेल के डिब्बों पर 'सैनिक' शब्द वाली पर्चियों का लगाना

1265. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेल के डिब्बों पर 'सैनिक' पर्चियां लगाये जाने से, आम जनता को बहुत कठिनाई होती है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालम है कि जिन डिब्बों पर 'सैनिक' पर्ची लगी होती है, उन पर अपना सैनिक एकाधिकार जमा लेते हैं, चाहे वे पर्चियां उस गाड़ी के लिये हों अथवा वे पुरानी लगी हों;

(ग) क्या उपर्युक्त बात को दृष्टि में रखते हुए तीसरे दर्जे के सामान्य यात्रियों को कभी-कभी दिल्ली और मद्रास के बीच 'जनता' जैसी गाड़ियों में खड़े होने का स्थान भी नहीं मिलता है; और

(घ) क्या सरकार अपने कर्मचारियों को ऐसी हिदायतें देगी कि जब वे डिब्बों पर नई पर्चियां लगायें तो जिन डिब्बों पर 'सैनिक' शब्दों वाली पुरानी पर्चियां लगी हों उन्हें उतार दिया करें ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). कुछ गाड़ियों में केवल सैनिक कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए अलग से डिब्बे आरक्षित किये जाते हैं। ऐसा उन गाड़ियों में नियमित रूप से यात्रा करने वाले सैनिक कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाता

है । जब ये डिब्बे सैनिक कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए आरक्षित किये जाते हैं तो उन पर उपयुक्त आरक्षण लेबुल या संकेत पट्ट लगा दिये जाते हैं और जब उनकी वैधता समाप्त हो जाती है तो उन लेबुल या संकेत पट्टों को हटा दिया जाता है । असैनिक यात्रियों द्वारा आरक्षण के लिए भी पर्याप्त जगह की व्यवस्था की जाती है ।

बिना आरक्षण वाले डिब्बों में उपलब्ध स्थान सीमित होने के कारण कभी-कभी महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में, जिनमें दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस गाड़ी भी शामिल है, डिब्बों में भीड़-भाड़ हो जाती है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को दिये गये ऋण

1266. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कितना ऋण दिया गया है और उस पर किस दर से ब्याज लिया जाता है;

(ख) क्या ऋण सम्बन्धी करार में ऐसी कोई शर्त है कि ऋण की उन किश्तों पर दंड के तौर पर अधिक ब्याज लिया जाय जिनका भुगतान समय पर नहीं किया गया हो; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार को किस्तों में ब्याज मिलता है और दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाता है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 31 मार्च, 1969 की स्थिति के अनुसार सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को निम्नलिखित ऋण दिये हुए थे :

(1) एक-एक मिलियन टन क्षमता के कारखाने के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3571 मिलियन रुपये का ऋण ।

(2) एक-एक मिलियन क्षमता के सर्वतोमुखी कारखानों के विस्तार हेतु तथा मिश्र-इस्पात कारखाना लगाने इत्यादि के लिए 1774 मिलियन रुपये के ऋण जिन पर ब्याज की दर साढ़े छः प्रतिशत प्रतिवर्ष है ।

(3) 110 मिलियन रुपये का एक अल्प-कालिक ऋण जिस पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत वार्षिक है ।

(ख) जी, हां, जैसा नीचे दिया गया है :

(1) ऊपर (क) (1) में उल्लिखित ऋण पर दण्ड स्वरूप ब्याज की व्यवस्था 1964 में की गई थी,

(2) ऊपर (क) (2) में उल्लिखित ऋण पर दण्ड-स्वरूप ब्याज की व्यवस्था उस तारीख

से लागू की गई है जिस तारीख को ऋण की शर्तों को अन्तिम रूप दिया गया था और कम्पनी को सूचित किया गया था ।

(3) किसी व्यतिक्रम के लिए दण्ड-स्वरूप ब्याज की व्यवस्था ऋण दिए जाने की तारीख से की गई है ।

(ग) जब कभी भी व्यतिक्रम हुए हैं ऊपर दी गई शर्तों के अनुसार दण्ड-स्वरूप ब्याज दिया गया है ।

रेलवे के वर्कशापों में अलौह धातुओं की रद्दी का बेचा जाना

1267. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के विभिन्न वर्कशापों से निकलने वाले अलौह धातुओं को रद्दी टेंडर मांगने के बाद बेचने के लिये खड़गपुर तथा अन्य स्थानों पर भेज दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस रद्दी को उन क्षेत्रीय लघु उद्योगों को बेचने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिनके पास परीक्षण करने की सुविधायें हों तथा जो उससे आई० एम० आई० के स्तर के पिंड बना सकें ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । हर रेलवे पर इकट्ठा होने वाले अलौह धातु की रद्दी को, जिसे रेलों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, रेलवे कारखानों या प्राइवेट एजेंसियों के जरिये मिश्रधातु में परिवर्तित कर दिया जाता है । रेलों को जिस अलौह धातु की रद्दी की जरूरत नहीं रहती उसका निबटारा नीलाम के जरिए या टेण्डर द्वारा बिक्री के जरिए कर दिया जाता है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । रेलों द्वारा अलौह धातु की रद्दी मिश्रधातु के पिंडों में परिवर्तित करने के लिए व्यापारियों से जो टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं, उनमें लघु यूनिटें भी भाग ले सकती हैं ।

उद्योग स्थापित करने के लिये बेरोजगार इंजीनियरों को सहायता

1268. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार इंजीनियरों को, छोटे पैमाने के, उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से, वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर कितनी लागत लगेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

इंजीनियरों, तकनीशियनों और अन्य तकनीकी योग्यता रखने वाले उद्यमियों को लघु उद्योगों की स्थापना में आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना 'माडल स्कीम' के नाम से तैयार की गई है और सभी राज्य सरकारों को भेजी गई ताकि वे राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत सहायतार्थ इसे भी सम्मिलित करलें । योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :

योजना का प्रमुख उद्देश्य ऐसे तकनीशियनों, इंजीनियरों और अन्य योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना और सहायता करना है जो लघु उद्योगों की स्थापना में विशेष रुचि रखते हैं और उन्हें चलाने में समर्थ हैं; किन्तु अपर्याप्त आर्थिक साधनों के कारण एक से एककों की स्थापना करने में असमर्थ हैं ।

2. राज्य क्षेत्र में यह योजना राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों द्वारा चलाई जायेगी ।

3. सभी ऐसे तकनाशियन, प्रोद्योगिकीविद, इंजीनियर तथा अन्य तकनीकी योग्यता रखने वाले व्यक्ति उदाहरण स्वरूप विज्ञान और वाणिज्य के स्नातक आदि किसी औद्योगिक एकक के पूर्णतः या अंशतः स्वामी नहीं हैं तो वे यह सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

4. अर्हता रखने वाले व्यक्ति कोई भी लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं किन्तु निम्नलिखित उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी :

(क) जो उद्योग आयात प्रतिस्थापन, निर्यात की उन्नति और कृषि निर्देश के उत्पादनों में सहायक हों;

(ख) जो बृहत् उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप में काम करें;

(ग) वे उद्योग जो उप भोज्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हों और देशीय कच्चे माल पर निर्भर हों ।

(घ) वे उद्योग जिनसे ग्रामीण कर्मशालाओं की स्थापना हो ।

5. लघु उद्योगों के प्रकरण में एक उद्योग को आर्थिक सहायता 6.00 लाख रुपये तथा सहायक उद्योगों के प्रकरण में 8 लाख रुपये से अधिक प्रारम्भ में नहीं मिलेगी ।

6. आर्थिक सहायता निम्नलिखित रुपयों में दी जायेगी :

(अ) **स्थान भवन और मशीनें**

40 प्रतिशत राशि राज्य के भाग के रूप में जहां कहीं आवश्यक समझा जाय, 55 प्रतिशत राशि लम्बी अवधि के ऋण के रूप में दी जा सकेगी और शेष 5 प्रतिशत राशि तकनीशियन

और इंजीनियर इत्यादि द्वारा स्वयम् जुटाई जायगी ।

(ब) **कार्यकारी पूंजी**

20 प्रतिशत अल्पकाल ऋण के रूप में प्राप्त हो सकेगी, 70 प्रतिशत वित्त प्रदायक संस्थाओं से प्राप्त करनी होगी और 10 प्रतिशत स्वयं उद्यमियों को देनी होगी ।

7. मशीनों आदि की खरीद के लिये दिया गया ऋण 7 वर्षों में चुकाया जायेगा जबकि अन्य कार्यों के लिए दी गई राशि 7 वर्षों के उपरांत 5 वर्षों में चुकानी होगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किया गया कार्य

1269. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के कार्य की जांच कर ली है तथा उससे उन्हें प्रगति की जानकारी मिली है अथवा अवनति की;

(ख) क्या इस कम्पनी का कार्य पिछले वर्षों के कार्य की अपेक्षा अच्छा है; इसके लाभ व हानि, उत्पादन, विक्रय, निर्यात तथा सामान की सूची सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या यह कम्पनी पिछले तीन वर्षों से उन्हीं अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही है—उसके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के क्या नाम हैं, अपने उन पदों पर वे कितने समय से हैं तथा उनके वेतन तथा भत्ते आदि क्या हैं तथा वे किस-किस संस्था अथवा विभाग से यहां आये हैं; और

(घ) पहले की कमियों को दूर करने के लिये पिछले वर्ष क्या विशेष उपाय किये गये तथा क्या जनता में इस कम्पनी की ख्याति तथा मान बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के 1968-69 के लेखों की इस समय लेखापरीक्षा की जा रही है । लेखापरीक्षा के बाद तथा उनके कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन के बाद ही लाभ और हानि, बिक्री तथा भण्डार सूचियों आदि के बारे में ठीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी । फिर भी 1967-68 की तुलना में इसके उत्पादन तथा बिक्री में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । उदाहरणतया बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 2.419 से बढ़कर 2.616 मिलियन टन हो गया है । कच्चा लोहा तथा बिक्री योग्य इस्पात की बिक्री जो 1967-68 में 1.081 थी और 2.374 मिलियन टन थी, 1968-69 में बढ़कर क्रमशः 1.139 और 2.815 मिलियन टन हो गई है । इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं का जहाज तक निःशुल्क मूल्य भी 1967-68 में 309.6 मिलियन से बढ़कर 1968-69 में 415.5 मिलियन रुपये हो गया है ।

(ग) जी नहीं। इस्पात संयंत्रों के वर्तमान चेयरमैन, जनरल मैनेजरों तथा सचिवों का ब्योरा निम्नलिखित है :

	नाम	नियुक्ति की तिथि	वेतन/वेतनमान
1.	श्री के० टी० चांदी, चेयरमैन [भूतपूर्व चेयरमैन, भारत का खाद्य निगम]	30.5.68	4000/-रुपये
2.	श्री आर० पी० सिन्हा जनरल मैनेजर, रूरकेला इस्पात संयंत्र [भूतपूर्व चीफ इन्जीनियर सेन्ट्रल इन्जीनियरिंग एण्ड डिजायन ब्यूरो एच० एस० एल० सेवा]	20.3.68	3000-3500 रुपये
3.	मेजर जनरल बी० पी० बडेरा निदेशक इंचार्ज दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	28.3.68	3000-3500 रुपये
4.	श्री जी० जगथापाची, आई० ए० एस० जनरल मैनेजर, भिलाई इस्पात संयंत्र	17.6.68	3000 रुपये
5.	श्री एच० भापा, आई० एम० पी० जनरल मैनेजर, अलाय इस्पात संयंत्र	1.8.67	2500-3000 रुपये
6.	श्री सी० वी० एस० मनी आई० ए० एस० सचिव, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	13.5.68	2000-2250 रुपये

(घ) जैसाकि 5 अप्रैल 1968 को सभा-पटल पर रखी गई 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का कार्य संचालन' नाम पुस्तिका में बताया गया है कम्पनी के कार्यसंचालन में सभी प्रकार के सुधार के लिए सरकार तथा कम्पनी द्वारा कुछ उपाय किये गये हैं। इन उपायों से चालू वर्ष में ही अच्छे परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना है।

रेलवे दुर्घटनायें

1270. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री बलराज मधोक :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री प० मु० सईद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1968 की तुलना में जनवरी से जून, 1969 में कितनी रेलवे दुर्घटनायें हुईं, कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितनी क्षति हुई ;

(ख) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही कहां तक सफल हुई है और क्या इस उद्देश्य के लिए कोई नये तरीके अपनाये गये हैं और यदि हां, तो वे नये तरीके क्या हैं ; और

(ग) क्या उन सेक्शनों के कर्मचारियों को, जिनमें कोई दुर्घटनायें नहीं हुई हैं, सरकार ने समुचित पुरस्कार दिए हैं और यदि हां, तो वे सेक्शन कौन से हैं और वे कर्मचारी कौन-कौन हैं?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) स्थिति नीचे दी गयी है :

	जनवरी 1968 **से जून** 1969 **तक**	
टक्कर, पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	496	472
मारे गये व्यक्तियों की संख्या	203	155
रेल सम्पत्ति को हुई अनुमानित क्षति	84,78,469 रु०	57,02,621 रु०

(ख) दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए समय-समय पर किये गये उपायों की सफलता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि 1968-69 में चालित गाड़ी किलोमीटर 4606 लाख था और इस वर्ष टक्कर, पटरी से उतरने, समपार पर दुर्घटनाएं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों के अन्तर्गत केवल 906 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई जबकि 1951-52 में चालित गाड़ी किलोमीटर 2982 लाख था और उस वर्ष इस तरह की 1,939 दुर्घटनाएं हुई थीं। इस तरह 1951-52 से, जबकि यातायात 54.5 प्रतिशत बढ़ा है, गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 53.3 प्रतिशत कम हुई है।

अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय भूल के कारण होती हैं। इसकी रोक-थाम के लिए विभिन्न कोटियों की रेल कर्मचारियों को पूरी तरह से प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया जाता है और जहां आवश्यक होता है, आवधिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। उनके काम पर कड़े पर्यवेक्षण के अलावा, ताकि वे संरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें, विभिन्न दृष्य-श्रव्य साधनों के द्वारा संरक्षा द्योतक प्रचार किया जाता है और हर व्यक्ति से निजी रूप से सम्पर्क स्थापित करके संरक्षा प्रेरक अभियान चलाया जाता है। यद्यपि मुख्य जोर कर्मचारियों को प्रशिक्षित, शिक्षित और प्रोत्साहित करने पर दिया जाता है, फिर भी मानवीय भूलों की रोक-थाम के उद्देश्य से उपलब्ध साधनों के भीतर और समग्र प्राथमिकताओं के अनुसार सरल प्रारम्भिक अन्तर्पाश से रेल-पथ परिपथन तक और स्वचल गाड़ी नियंत्रण जैसे विभिन्न प्रोद्योगिक उपाय बरते जाते हैं। लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि प्रोद्यौगिक युक्तियों से मानवीय भूल की घटनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इन युक्तियों के अनुरक्षण के लिये विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी और फिर उनको भूल से दुर्घटनाएं होंगी। इसलिए भारतीय रेलों में संरक्षा सुनिश्चित करने का बुद्धिमतापूर्ण तरीका यही है कि यथासम्भव व्यावहारिक प्रौद्योगिक युक्तियां अमल में लायी जायें और रेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और उनमें संरक्षण की भावना जागृत करने और इस दिशा में प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की जाये। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त परीक्षणों का विकास करने के उद्देश्य से मनोवैज्ञानिक अनुसंधान भी

किया जा रहा है कि क्या विभिन्न कोटियों के रेल कर्मचारियों में अपने काम को संरक्षापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से करने की अपेक्षित मनो-शारीरिक योग्यता है ।

(ग) 'खण्ड' शब्द का कोई निश्चित अभिधार्थ नहीं है और विभिन्न संदर्भों में यह अलग-अलग अर्थ देता है । लेकिन जो रेल कर्मचारी दुर्घटनाओं की रोक-थाम में सहायक होते हैं, उन्हें प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर समुचित रूप से पुरस्कृत किया जाता है । संरक्षा के अच्छे काम के लिए क्षेत्रीय रेलों, मण्डलों और अन्य एककों को संरक्षा शील्डें भी प्रदान की जाती हैं । क्षेत्रीय रेलों में संरक्षा के सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिये 1968 की रेल मंत्री की संरक्षा शील्ड दक्षिण-पूर्व रेलों को दी गयी ।

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के कार्य के परिणाम

1271. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में दिये गये कार्य के परिणामों की जांच कर ली है तथा क्या उन्हें इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की प्रगति अथवा अवनति की जानकारी मिली है ;

(ख) इस कम्पनी का कार्य पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक अच्छा है; लाभ व हानि, उत्पादन, विक्रय, निर्यात तथा सामान की सूची के बारे में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों से यह कम्पनी उन्हीं अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही है । इस कम्पनी के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, वे उन पदों पर कब से काम कर रहे हैं तथा उनके वेतन तथा भत्तों आदि का ब्यौरा क्या है और वे किस संस्था अथवा विभाग से यहां आये हैं ; और

(घ) इस कम्पनी के पहले की कमियों को दूर करने के लिए पिछले वर्ष के दौरान क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या जनता में इस कम्पनी की ख्याति तथा माल बनाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड का चालू वित्तीय वर्ष 30 सितम्बर, 1969 को ही समाप्त होने वाला है । अतः चालू वर्ष के लिए कम्पनी के कार्यकारी परिणामों के बारे में इस अवस्था में कुछ भी कहना कठिन है ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान कम्पनी की कार्य प्रणाली का मुकाबला इस वर्ष की कार्य प्रणाली के परिणामों के प्राप्त होने के पश्चात् ही उसके गत वर्षों के निष्पादन से किया जा सकता है ।

(ग) जी, नहीं । गत तीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष प्रबन्धक निदेशक तथा सचिव, जिन्होंने

कम्पनी की सेवा की है के बारे में जानकारी संलग्न की गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1418/69]

(घ) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड द्वारा उत्पन्न निरन्तर नुकसान पर सरकार ने चिन्ता व्यक्त की है और कम्पनी के निदेशक मंडल को निदेश दिये गए हैं कि उत्पादन लागत के मूल्य को नीचे लायें तथा घाटे की प्रवृत्ति को रोकें। इसके अनुसरण में निदेशक मंडल ने समितियों का गठन किया है (1) खरखोदा में घाटे की जांच करने के लिए (2) परियोजना प्रतिवेदन को पूर्ण करने के लिए तथा मंडी से प्रतिवर्ष चट्टानी नमक के 10,000 मी० टन निकालने के लिये संभावित अध्ययन।

मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा तेल के बैरलों का सप्लाई न किया जाना

1272. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के दिनांक 12 जुलाई, 1961 के पत्र संख्या आई० जी० एस० वी० एस० डी०/ 61 के उत्तर में मैसर्स स्टैन्डर्ड वैक्यूम रिफाइनरी कम्पनी, बम्बई, ने इस बात की पुष्टि की है की मैसर्ज स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई, ने एल्फाल्ट ड्रमों का निर्माण करने के लिये अपने कारखाने का सेवरी से ट्राम्बे में स्थानान्तरण करने के पश्चात् उन्हें तेल का कोई पीपा सप्लाई नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी अपने तेल बैरल संयंत्र को सेवरी से ट्राम्बे में स्थानान्तरित कर लिया है तथा उपरोक्त तेल शोध कारखाने (रिफाइनरी) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उसे विटुमैन ड्रम संयंत्र में परिवर्तित कर लिया है ; और

(ग) क्या मैसर्स स्टैन्डर्ड वैक्युम रिफाइनरी कम्पनी के उक्त पत्र की प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मे० स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी जून, 1959 तक शिवुरी में तेल के पीपे का निर्माण कर रही थी। उसने अपने तेल के पीपे बनाने वाले संयंत्र को जुलाई, 1959 में शिबड़ी से बदलकर ट्राम्बे में कर दिया किन्तु उसने अतिरिक्त मशीनें खरीद करके मे० बिटूमन (डामर) ड्रमों का निर्माण किया। ट्राम्बे में तेल के पीपों तथा डामर के ड्रमों का उत्पादन जुलाई, 1959 से प्रारम्भ किया। अप्रैल से जून, 1960 की अवधि में ट्राम्बे में तेल के पीपों के न बनने का कारण बाडी बनाने की चदरों तथा सिरे की चदरों के लिए इस्पात का स्टाक में न होना था। इस सम्बन्ध में तथ्यों के लिए किए गये पत्राचार का सुनिश्चय किया जा रहा है तथा एक विवरण यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम्ज एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई

1273. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने 1961 में मैसर्ज स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई की गम्भीर अनियमितताओं का पता लगाया था तथा इस्पात बनाने वालों को अनुदेश दिये थे कि वे उनको इस्पात की चादरों की सप्लाई न करें ;

(ख) क्या उनकी सप्लाई स्थगित किये जाने का कारण यह था कि स्टैण्डर्ड वैक्यूम आयल रिफाइनरी के साथ हुए एक करार के अनुसार फर्म तेल के बैरल बनाने का कारखाना सिचूरी से ट्राम्बे ले गई थी तथा उसने उक्त तेल शोधक कारखाने द्वारा सप्लाई की गई इस्पात की चादरों से तारकोल के ड्रम बनाने शुरू कर दिये परन्तु इसके साथ ही उसी संयंत्र के लिये उसे तेल के ड्रम बनाने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय से 18 गेज की चादरें भी मिलती रहीं ।

(ग) यदि हां, तो लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के बाद में किसके कहने पर तथा किन परिस्थितियों में सप्लाई स्थगित करने का आदेश वापिस ले लिया था ;

(घ) क्या यह आदेश वापिस लेने से पहले लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के द्वारा विस्तृत जांच की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्ज किलिक इण्डस्ट्रीज

1274. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उन परिस्थितियों का पूरा ब्योरा है जिनके अधीन मैसर्ज कपाडिया (स्टैंडर्ड ड्रम) ब्रदर्ज द्वारा मैसर्ज किलिक इण्डस्ट्रीज को अपने हाथों में लिया गया था;

(ख) क्या सरकार सम्बन्धित तथ्यों को सभा-पटल पर रखेगी ;

(ग) क्या मैसर्स कपाडिया ब्रादर्स द्वारा मैसर्ज स्टैन्डर्ड ड्रम के माध्यम से किए गए व्यापार के विरुद्ध जांच कार्य पूरा हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस कार्य के विरुद्ध क्या प्रारम्भिक तथ्य ज्ञात हुए हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) की गई जांच-पड़तालों से पता चला है कि कपाडियों ने खुले बाजार से हिस्से खरीद कर इस कम्पनी में पर्याप्त हिस्सेधारिता हित प्राप्त कर लिये हैं ।

(ख) नियंत्रक हिस्सेधारिता हित जो पहले, मैसर्स आप्टेज, गोल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि०, तथा निहालचन्द लालूचन्द प्राइवेट लि० में निहित थे, वह कपाडियों ने, इन पार्टियों तथा

कम्पनी के अन्य हिस्सेधारियों से प्राप्त कर लिये हैं। कम्पनी के यह हिस्से, बाजार में उत्कथित हैं, व इस प्रकार के हिस्सों की खरीद बिक्री के लिये सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

(ग) जांच पड़तालें की जा रही हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिहार में ट्रक वाहकों को अधिभार की वापसी

1275. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में टी० एम० वी० वाणिज्यिक गाड़ियों की बिक्री पर मैसर्स टैल्को द्वारा ट्रक वाहकों से लिये गये 3 प्रतिशत अधिभार की धनराशि उन्हें लौटा दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में शीघ्र ही कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी अभी नहीं।

(ख) उत्पादनकर्ता इस मामले में प्रयत्नशील हैं।

बोकारो इस्पात कारखाने में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1276. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण कर्मचारी अपनी मांगों के बारे में ठेकेदारों के जिद भरे रवैये के कारण हाल ही में हड़ताल करने पर बाध्य हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि उनकी उचित मांगें शीघ्र पूरी की जायें ;

(ग) अब बोकारो में कितने निर्माण कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) उनमें कितनों को भविष्य में कारखाने के नियमित कर्मचारी बनाये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). गत महीने ठेकेदारों द्वारा इस्पात संविरचन और सिविल इन्जीनियरिंग कार्यों के लिये रखे गये कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। यह हड़ताल बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के आह्वान पर की गई थी। यह यूनियन मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है। मंत्री महोदय द्वारा हस्तक्षेप करने पर हड़ताल खत्म कर दी गई और बोकारो इस्पात नगर की इस्पात संविरचन संस्था के सदस्य यूनियन के प्रतिनिधि सभी विवादास्पद विषयों को बिहार सरकार के श्रम-आयुक्त को

मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजने पर सहमत हो गये। श्रम-आयुक्त ने दोनों पक्षों से कहा है कि वे सभी विवादास्पद विषयों पर अपने लिखित बयान दाखिल कर दें।

(ग) तथा (घ). बोकारो में काम कर रहे ठेकेदारों द्वारा प्रायोजना के निर्माण-कार्य के लिए लगभग 30,000 कामगार रखे गए थे इनमें से अधिकांश कामगार अकुशल या अर्द्ध-कुशल श्रेणियों के हैं जिनके लिए इस आधुनिक कारखाने में रोजगार की सम्भावनाएं सीमित हैं। जिन कामगारों के पास आवश्यक योग्यताएं और अनुभव है उन्हें दीर्घकालीन रोजगार देने के प्रश्न पर अन्य लोगों के साथ-साथ, बोकारो इस्पात प्रयोजना में उत्पादन आरम्भ होने के समय विचार किया जायेगा।

Teachers of Railway High Schools

1277. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Teachers of Railway High Schools have been demanding for the last several years that the recommendations of the Kothari Commission be made effective in those Schools;

(b) whether it is also a fact that Government have agreed to do so;

(c) if so, from which date; and

(d) the additional amount to be spent by Government every year as a result thereof?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) Yes, with some modifications.

(c) 1-5-1969.

(d) About Rs. 12 lakhs.

All India Station Masters Association

1278. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a meeting of the Central Executive Committee of the All India Station Masters' Association was held in Delhi on the 18th May, 1969;

(b) if so, whether the Resolution passed at the said meeting has been sent to Government or the Railway Administration for implementation;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reaction of Government thereon?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (d). It is understood that the Central Executive Committee of the All India Station Masters' Association met at New Delhi on 18/19-5-69 and passed resolutions interalia dealing with organisational matters and also the service conditions of the category of staff, with particular reference to revision of pay scales of Station Masters.

All these demands have been examined in the past and could not be acceded to except that the question of laying down a unified channel of promotion for them is already being examined in consultation with the Railway Administrations.

Also the question of providing some relief to staff who may have reached the maximum of their scales of pay is under active consideration and is expected to be finalised shortly.

Railway Unions

1279. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of workers and employees working on the Indian Railways ;

(b) the number of the permanent and temporary employees and workers amongst them separately ;

(c) whether it is a fact that besides the All India Railwaymen's Federation and the All India National Railwaymen's Federation, the Railway employees have formed other Unions also on the basis of their categories ;

(d) if so, the number of such other Unions and the names of the prominent and influential Unions among them ;

(e) whether Government have enquired about the influence and membership of such Unions ; and

(f) if so, the number of members of such Unions, union-wise ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) and (b).

(i) Permanent	—	1,139,552	
(ii) Temporary	—	223,637	
Total		1,363,189	(as on 31.3.68.)
(iii) Casual Labour	—	3.4 lakhs (approx.)	

(c) Yes, Sir.

(d) Government have no precise information with regard to the number of such Unions or indication as to which, among them, is prominent or influential.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

Recognition to Employee's Unions in Railways

1280. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is fact that Government have under consideration a proposal to grant recognition to those unions and organisations of the Railway employees which have been formed on the basis of categories ; and

(b) if so, the time by which Government propose to take a final decision in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Manufacture of M. G. Locomotives at Telco

1281. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri P. Ramamurti :**
Shri Satya Narain Singh : **Shri Mohammad Ismail :**
Shri Ganesh Ghosh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had concluded an agreement with TELCO (Jamshedpur) for the manufacture of Railway engines for metre gauge lines ; if so, the details therefor ;

(b) whether it is also a fact that Government have given them an order for continuing the supply of engines even after 1970 ; if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that TELCO has refused to accept the order keeping in view the fixed price of the engine ;

(d) whether it is also a fact that TELCO has decided to close the Loco and to retrench the workers employed therein on the plea that they are not getting orders from Government ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. A statement is attached.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) M/s. TELCO have advised that after March 1970 they will switchover to the production of other items. The Ministry of Railways are not aware if any worker now employed on production of locomotives will be retrenched.

(e) Does not arise.

Statement

The Government entered into an agreement with M/s. Tata Engineering and Locomotive Co. Ltd., (Telco) for the manufacture and supply of boilers and locomotives for a period of 16 years from 1st June, 1945 to 30th May, 1961.

2. Under the agreement, during the development period, i.e. until the Company attained production at the annual rate of 100 boilers (including those fitted on locomotives) and 50 locomotives, the actual cost of production was agreed to be paid without any element of profit. After the development period, the prices for each price period (which was to be one year or such longer period as might be mutually agreed upon) were to be negotiated and settled in advance, on the basis of estimated cost of production, plus 7% profit on the capital employed, i.e. written down capital value of fixed assets plus working capital.

3. On the expiry of the 16-year agreement, a further order was placed on M/s. Telco for the manufacture and supply of 325 locomotives during the period 1. 6. 1961 to 31. 3. 1966. The price payable for these locomotives was settled by negotiation and this order was completely executed. The price of a YG loco was fixed at Rs. 3,80,750/- and a YP loco Rs. 3,78,750/- subject to escalation.

4. The current agreement with M/s. Telco is for the manufacture and supply of 200 MG Steam locomotives during the period from 1. 4. 1966 to 31. 3. 1970. M/s. Telco have not agreed to accept any further order after the completion of the current agreement and the Government do not propose to procure MG Steam locomotives from TELCO.

पश्चिम बंगाल से औद्योगिक एकक का स्थानान्तरण के लिये आवेदन-पत्र

1282. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल से औद्योगिक एकक बाहर ले जाने के कितने आवेदन-पत्रों पर अभी निर्णय नहीं किया गया है ;

(ख) उन पार्टियों के नाम क्या हैं तथा वे कौन-कौन से उद्योग कहां-कहां पर ले जाना चाहती थीं ; और

(ग) उन्होंने उद्योग बाहर ले जाने के लिये क्या-क्या कारण बताये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस के दो आवेदन-पत्र एक मेसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, तथा दूसरा मैसर्स बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का जो ड्रम तथा बैरल निर्माण करने की क्षमता के कुछ अंश को मद्रास स्थानान्तरित करने के बारे में हैं, इस समय अन्तिम रूप से निर्णय करने के लिये विचाराधीन हैं। ये आवेदन-पत्र इण्डिया आयल रिफाइनरी, मद्रास द्वारा इन वस्तुओं की मांग को देखते हुए तथा मद्रास क्षेत्र में ड्रम एवं बैरलों की मांग बढ़ जाने के कारण प्रस्तुत किए गए थे।

विदेशी सहयोग

1283. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है जब कि वह उपभोक्ताओं तथा निर्यात के पक्ष में है ;

(ख) इसे ऐसे एक ही नियम के अन्तर्गत लाने के क्या कारण हैं कि इसे अपने लिए विदेशी मुद्रा स्वयं प्राप्त करनी होगी ;

(ग) जिसके लिए देशी जानकारी उपलब्ध थी उसके लिए आयात की गई जानकारी का ब्योरा क्या है ; और

(घ) गत दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में प्रयोग में लाए गए भारतीय पेटेन्टों की संख्या कितनी है और यदि नहीं तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को विदेशी पेटेन्टों का प्रयोग न करने देना उचित है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विदेशी सहयोग के प्रत्येक प्रस्ताव पर गुणों के आधार पर विचार किया जाता है यद्यपि ऐसे क्षेत्र जिनमें सहयोग हो सकता और जिनमें सहयोग नहीं हो सकता है की निर्देशक रूप रेखा सरकार ने सामान्य शर्तों और उपबन्धों के साथ निर्धारित कर दी है। पर्याप्त निर्यातो-

न्मुख विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को प्रोत्साहन दिया जाता है किन्तु गैर-आवश्यक वस्तुएं तथा उपभोग की वस्तुओं के लिए प्रायः ऐसे सहयोग की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर विदेशी मुद्रा के झंझटों की दृष्टि से ही विचार नहीं किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये हैं (I) वाणिज्यिक उपभोग के लिए क्या सम्बंधित टेक्नालाजी देश में उपलब्ध है। (II) क्या संबंधित पूंजीपति वस्तुओं का आयात इतना अधिक है कि बिना सहयोग के प्रस्ताव के योजना के कार्यान्वियन में देश को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी। (III) क्या सहयोग की स्वीकृति पहले से विद्यमान उस क्षेत्र के अथवा उस क्षेत्र से सम्बन्धित उद्योगों को संकट पैदा करेगी। (IV) क्या प्रस्ताव में विदेशी पेटेंटों ट्रेड के नाम आदि का अनधिकृत उपयोग है। (V) क्या प्रस्तावित उत्पादन योजना कच्चे माल और पुर्जों सम्बन्धी हमारी नीति के अनुकूल है और (VI) क्या निर्मित किए गए उत्पाद निर्यात करने योग्य हैं और यदि हां तो क्या सहयोग से हमारा निर्यात बढ़ेगा।

(ग) क्या ऐसी देशी जानकारी उपलब्ध है जिसका उपयोग सम्बन्धित वस्तु के उत्पादन में अभिरुचि रखने वाला उपक्रम वाणिज्यिक तौर पर कर सके। तकनीकी जानकारी के आयात की सामान्य रूप से अनुमति नहीं दी जाती।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विगत दो वर्षों में प्रयुक्त भारतीय पेटेंटों की ठीक-ठीक संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है। फिर भी, विदेशी पेटेंटों के इस्तेमाल की अनुमति देने के मामले में सरकार की नीति कठोर नहीं रही है। इस प्रकार के प्रत्येक मामलों में गुणों के आधार पर विचार किया जाता है इस संबंध में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में भेदभाव नहीं बरता जाता।

कलकत्ता में वृताकार तथा भूमिगत रेलवे

1284. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री रवि राय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे तथा भूमिगत रेलवे बनाने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को पूरा किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). फिलहाल चौथी योजना में महानगर परिवहन योजनाओं के लिये 50 करोड़ रुपये का केवल एक आवंटन किया गया है जिसमें 30 करोड़ रुपए दमदम से प्रिंसेप घाट तक उपनगरीय विसर्जन लाइन के निर्माण के लिए और 4.4 करोड़ रुपए निर्माण के लिए संकेत व्यवस्था सहित शीघ्र संक्रमण प्रणाली की

व्यावहारिकता अध्ययन के लिये भी शामिल है। चौथी योजना में शीघ्र संक्रमण प्रणाली के पूरा होने की कोई सम्भावना नहीं है लेकिन उपनगरीय विसर्जन लाइन के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण शीघ्र ही शुरू किया जाएगा और उसके बाद निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

इन्जीनियरी सामान के उपभोक्ताओं की कठिनाइयां

1285. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **ओद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्पादों की घटिया किस्मों तथा निर्माताओं द्वारा विक्री के बाद की सेवा व मरम्मत की सुविधाएं न देने के कारण आटोमोबाइल्स, एयर कन्डीशनर्ज, रेफ्रिजिरेटर्ज आदि इन्जीनियरी सामान के उपभोक्तताओं द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों की जानकारी है ; और

(ख) क्या सरकार इन शिकायतों का विस्तार से अध्ययन करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये उपायों की सिफारिश करने हेतु एक समिति को नियुक्ति करेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) किसी भी नए उद्योग के सामने इन कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है, और आशा है कि शीघ्र ही ये दूर हो जायेंगी। फिर भी जब कभी उत्पादकों को इनके बारे में बताया जाता है वे इन पर ध्यान देते हैं। अभी इन शिकायतों की जांच के लिए किसी समिति को नियुक्त करने का प्रस्ताव नहीं है। आटोमोबाइल्स के मामले के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी और इसकी रिपोर्ट कार्यान्वित की जा रही है।

लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल की अनियमित सप्लाई

1286. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों से नियमित रूप में कच्चा माल प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है ;

(ख) क्या बड़े पैमाने में उद्योगों द्वारा छोटे पैमाने के लघु उद्योगों को अनियमित रूप से कच्चा माल देने के कारण उन्हें प्रतिवर्ष होने वाली हानि के बारे में सरकार ने अनुमान लगाया है ; और

(ग) क्या सरकार का बड़े पैमाने के उद्योगों को यह परामर्श देने का विचार है कि उनके उत्पादन का कुछ भाग लघु उद्योगों को विक्रय के लिए रक्षित किया जाए ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ग) लोहा और इस्पात जैसी नियंत्रित वस्तुओं से सम्बन्धित लघु उद्योगों के लिए अलग से आवंटन किया जाता है । फिर भी बड़े पैमाने के उद्योगों के अधिकांश उत्पादों के वितरण पर सांविधिक नियन्त्रण नहीं लगाया जाता है ।

विद्यार्थियों को किराये में रियायतें

1287. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्यार्थियों को छुट्टियों में भाड़े की रियायत के अन्तर्गत उन्हें सामान्य यात्री गाड़ियों से यात्रा करनी होती है जबकि उनसे डाक अथवा एक्सप्रेस गाड़ी का किराया लिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विद्यार्थियों से लिया जाने वाला किराया तथा अन्य देय किराए में अन्तर मामूली होने के कारण तथा लम्बी यात्रा में सामान्य गाड़ियों में यात्रा करने से कठिनाई अधिक होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी ऐसी रियायतों का लाभ नहीं उठाते हैं ; और

(ग) इस अनियमितता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यह सही नहीं है कि विद्यार्थियों को रियायतें देने में उन्हें सवारी गाड़ियों में यात्रा करनी पड़ती है जब कि उनसे किराया मेल अथवा एक्सप्रेस गाड़ियों का लिया जाता है । रियायती किराये सवारी गाड़ियों के सामान्य किराये से भी बहुत कम होते हैं और शर्त यह लगाई जाती है कि इन रियायती टिकटों पर की जाने वाली यात्रा यदि 481 किलोमीटर से कम हो तो उस यात्रा के लिए केवल सवारी गाड़ियों का ही उपयोग किया जा सकता है ।

(ख) यह सही नहीं है, क्योंकि रियायती किराए और सवारी गाड़ी के पूरे किराये में नाममात्र का ही अन्तर नहीं होता । 481 किलोमीटर या अधिक लम्बी दूरी की यात्राएं मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों से की जा सकती हैं ।

(ग) ऐसी कोई अनियमितता नहीं है अतः किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है ।

राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में मिलने वाला खाना

1288. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि कोई व्यक्ति राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में यह महसूस करता है कि उसकी भूख उसे दिए गए खाने की निर्धारित मात्रा से नहीं मिट सकती है तथा वह और खाना लेना चाहता है तो वह उसे आसानी से उपलब्ध नहीं किया जाता है चाहे वह

अतिरिक्त मात्रा की कीमत भी देना चाहता हो जिसके कारण वह परेशान और क्षुब्ध होता है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाहीं करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों को दिया जाने वाला भोजन काफी बड़ी संख्या में यात्रियों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त पाया गया है क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस में प्रथम चार महीनों में 21000 से अधिक यात्रियों को भोजन दिया गया, लेकिन उनमें से केवल 9 यात्रियों ने भोजन के अपर्याप्त होने के बारे में टिप्पणी की। भोजन की सप्लाई में वृद्धि चाहने वाले यात्रियों के लिये व्यवस्था है, जैसे गाड़ी में समोसा, आलू बोडा, काजू, आलू पपड़ी, चाकलेट आदि बेचने का प्रबन्ध है, और आर्डर देने पर उबले अंडे और आमलेट भी सप्लाई किये जाते हैं।

Production of Tractors in Hindustan Machine Tools Factory, Pinjore

1289. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri S. R. Damani :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the production of tractors in the Hindustan Machine Tools Factory, Pinjore ;

(b) the number and type of tractors to be produced there each year and its sale price ; and

(c) when the production is likely to start ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The National Industrial Development Corporation was commissioned by Hindustan Machine Tools Ltd. and the Mining and Allied Machinery Corporation Ltd. to examine the feasibility of manufacture of tractors by utilising the spare capacity available at the Pinjore Unit of the Hindustan Machine Tools Ltd. and the factory of the Mining and Allied Machinery Corporation Ltd. at Durgapur. The Report of the National Industrial Development Corporation which has since been received is presently being examined by the Hindustan Machine Tools Ltd. and the Mining and Allied Machinery Corporation Ltd. Detailed proposals from these Companies for tractor manufacture after consideration of the report of the National Industrial Development Corporation are awaited.

Broad Gauge Line from Rampur to Haldwani (N. Railway)

1290. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has been agreed to in principle by the Northern Railway to construct a Broad Gauge line from Rampur to Haldwani ; and

(b) if so, the progress made so far in that regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) For considering the construction of a broad gauge line from Rampur to Haldwani a fresh traffic survey has been sanctioned on 13. 2. 1969.

(b) The survey is being carried out by the North Eastern Railway.

Traffic Survey of Passengers between Delhi and Meerut

1291. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the date on which traffic survey of the passengers boarding the trains and alighting from them on all the stations between Delhi and Meerut was made ;

(b) whether it is a fact that the number of passengers travelling in III Class in the trains which run during the day is much more than the capacity of the trains ; and

(c) whether the policy of Government is to discourage railway travel or that they should travel by bus or taxis ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No such survey was made.

(b) During a census of passengers travelling in trains taken in April, 1969, it was found that the occupation of third class compartments in certain trains between Delhi and Meerut exceeded the seating capacity from 8 per cent to 26 per cent.

(c) No. The occupation of trains is watched regularly and arrangements made to introduce new trains subject to availability of line capacity and rolling stock or to attach additional coaches on existing trains subject to availability of room thereon.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी

1292. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन संसद् में प्रस्तुत करने तथा राज्य सरकार द्वारा आयुक्त को आवश्यक जानकारी सप्लाई करने में देरी प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है ।

(ख) यदि हां, तो भविष्य में प्रतिवेदन शीघ्र तैयार करने तथा समय पर प्रस्तुत करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात परियोजना को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करना

1293. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री प० मु० सईद :
श्री समर गुह :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार से कहा है कि बोकारो इस्पात परियोजना के स्थान को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाये तथा वहां एक पृथक पुलिस जिला बनाया जाये और वहां पर बिहार मिलिटरी पुलिस रखी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां । बोकारो के लिये एक अलग पुलिस जिला बनाने का प्रस्ताव किया गया है । इस पुलिस जिले के कर्मचारी भी राज्य के दूसरे पुलिस जिलों के कर्मचारियों की तरह होंगे, इसमें सेना-पुलिस के कर्मचारी नहीं होंगें । इस सम्बन्ध में 22 जुलाई, 1969 को लोक-सभा में अ० प्र० सं० 277 और 397 के उत्तरों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् के लिये निर्वाचन

1294. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल विधान सभा के कुछ सदस्यों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से पूरे जोर के साथ यह बात कही है कि विधान परिषद् के निर्वाचन न किये जायें क्योंकि परिषद् समाप्त करने के प्रस्ताव को देखते हुए ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि पश्चिमी बंगाल विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक, 1969 को संसद् के दोनों सदन पारित कर चुके हैं इसलिये पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् के लिए निर्वाचन कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में माल का लदान करने वालों के लिये भाड़ा सम्बन्धी योजना को लागू करना

1295. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री प० मु० सईद :
श्री गु० च० नायक :
श्री दे० अमात :
श्री प्र० के० देव :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में माल का लदान करने वालों के लिये भाड़े सम्बन्धी नई योजना लागू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कलकत्ता और मद्रास तथा कलकत्ता और बम्बई के बीच पूरा माल डिब्बा भर "फुटकर" परेषणों को इकट्ठा करके भेजने के लिये एक फ्रेट फार्वर्डर योजना शुरू की गयी है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत फ्रेट-फार्वर्डर के रूप में काम करने के लिये प्राधिकृत पार्टियां रेलवे से असम्बद्ध अपने साधनों के जरिये माल भेजने वालों के उन पैकेजों को इकट्ठा करेंगी, जो उपयुक्त चार स्टेशनों में से किसी एक स्टेशन को भेजे जाने हों और पूरा माल डिब्बा परेषणों के रूप में प्रत्येक गंतव्य के लिये इकट्ठा किया गया माल रेलवे को मालिक जोखिम पर वहन करने के लिए प्रस्तुत करेंगी । रेलें पूरा माल डिब्बा भार के इन परेषणों को प्रति माल डिब्बे के हिसाब से अधिसूचित एकमुश्त दर पर ढोयेंगी । यह दर विसर्पी मान के आधार पर है, अर्थात् जब फ्रेट-फार्वर्डर किसी एक कैलेंडर महीने में किसी निर्दिष्ट गंतव्य के लिए 10 से अधिक माल डिब्बे बुक करता है, तो प्रति माल डिब्बा दर कम हो जाती है । माल के लदान और उसकी उतराई का काम फ्रेट फार्वर्डर को करना पड़ेगा और इसका पर्यवेक्षण रेलवे नहीं करेगी । गंतव्य स्टेशन पर फ्रेट-फार्वर्डर माल डिब्बे की सुपुर्दगी लेकर, माल को विभिन्न पार्टियों में वितरित करने की व्यवस्था करेगा । फ्रेट-फार्वर्डर रेलवे का एजेंट या ठेकेदार नहीं होगा ।

तेलंगाना आन्दोलनों के कारण रेलवे को हानि

1296. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों ने, जिन्हें तेलंगाना आन्दोलनकर्ता बताया गया है । दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद-वाडी सेक्शन के बीच सभी संचार साधन काट दिये हैं ;

(ख) इस आन्दोलन के दौरान रेलवे को अब तक कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ग) भविष्य में रेलवे की सम्पति की रक्षा करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। सिकन्दराबाद और वाडी खंड (बड़ी लाइन) के बीच विभिन्न उपखंडों में तेलंगाना आन्दोलनकारियों द्वारा कई बार संचार साधन काट दिये गये थे।

(ख) 30 जून, 1969 तक लगभग 1,96,000 रुपये।

(ग) जिन रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण की आशंका होती है, वहां रेलवे सुरक्षा दल, रेलवे सुरक्षा विशेष दल, रेलवे पुलिस और जिला पुलिस के सशस्त्र रक्षक (पर्याप्त संख्या में) तैनात किये जाते हैं। इसके अलावा रेल सम्पत्ति और दूर संचार उपस्कर की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पैदल पहरेदारों और ब्रेकयान के साथ इंजनों द्वारा चलने वाले पहरेदारों की व्यवस्था भी की जाती है। इंजीनियरिंग गैंगमैनों द्वारा जोरदार गश्त लगाने की व्यवस्था की गई है। खतरे की आशंका वाले खंडों में महत्वपूर्ण गाड़ियां रक्षकों की संरक्षा में चलायी जाती हैं। राज्य पुलिस से उपयुक्त स्तर पर सम्पर्क रखा जाता है ताकि रेल सम्पत्ति की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जा सके।

विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधिमंडल

1297. **श्री राम चरण** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इनके मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों (31 मार्च, 1969) के दौरान कुल कितने प्रतिनिधिमंडल विदेशों को भेजे गये ;

(ख) उन प्रतिनिधिमंडलों ने किन-किन देशों का दौरा किया ; और

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल पर कितना धन व्यय किया गया ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1419/69]**

Ministerial staff posted in foreign countries

1298. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of officers of his Ministry posted to the foreign countries during the last three years ; and

(b) the number of persons belonging to the Scheduled Castes among them, along with class-wise break-up ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) None, Sir.

(b) Does not arise.

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड

1299. **श्री रामचरण :**
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोगकर्ताओं ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को रंगीन फिल्में बनाने सम्बन्धी विस्तार योजना में सहायता करने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं और किस प्रकार की सहायता की पेशकश की गई है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां । ब्रिटेन मेसर्स कोडक, इटली की मेसर्स फेरेनिया तथा मेसर्स पूर्वी जर्मनी की मेसर्स ओरबो, रंगीन फिल्मों के उत्पादन में हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमंड से सहयोग करने में रुचि दिखाई है । जर्मनी की मेसर्स अगाफा-गेवर्ट ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि० से सहयोग करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये कुछ और समय की मांग की है ।

(ग) इन सभी पार्टियों से प्राप्त होने वाली टेक्नोलोजी के प्रकार तथा क्षेत्र लगने वाली राशि, अन्य ब्योरे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं तथा इनका हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कम्पनी द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है । एच० पी० एफ० द्वारा सभी आवश्यक विवरण प्राप्त हो जाने, उसी आधार पर उनकी तुलनात्मक अध्ययन कर लेने तथा कौन सा सौदा अधिक लाभप्रद रहेगा, इस दृष्टि से उनकी समीक्षा कर लेने के पश्चात् ही सरकारी निर्णय की प्राप्ति की जा सकती है ।

Industries in Uttar Pradesh

1300. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact the number or industries set up in Uttar Pradesh during the last three Five Year Plans is insufficient keeping in view the area and population of the State due to which this State has remained backward ; and

(b) if so, whether Government propose to instruct the Licensing Committee to issue maximum number of industrial licences to this State with a view to end the present imbalanced development ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) During the period from 1952 to 1966, 737 licences including

232 licences for setting up new industrial undertakings were granted for U. P. During the period from 1967 to June, 1969, 31 licences including 10 licences for setting up new industrial undertakings were granted for locations in this State. The important public sector projects set up in Uttar Pradesh during the last three plan periods are the Antibiotics unit at Rishikesh, the Heavy Electrical plant at Hardwar; the Diesel Locomotive plant at Varanasi; the Triveni Structurals plant; Singrauli Coalfields, Mirzapur, and the Fertilizer plant at Gorakhpur. It is always Government's endeavour to bring about more rapid industrialisation in the relatively under-industrialised regions of the country.

(b) The licensing Committee is already giving preference to the establishment of industries in the under-developed areas to the extent that this is consistent with techno-economic considerations. The pace of industrial development of any state will however, depend to a large extent, on the ability of the State Government to attract investments through creation of infrastructure and other facilities.

भारतीय रेलवे में खान-पान सेवा

1301. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री परिमल घोष की अध्यक्षता में नियुक्त खान-पान समिति की जो सिफारिशें लागू की गई हैं, उनका ब्योरा क्या है तथा उनका ब्यौरा क्या है जो अभी तक लागू नहीं की गई हैं ;

(ख) उन सिफारिशों को लागू न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारतीय रेलवे की खान-पान सेवा आत्मनिर्भर है, और यदि हां, तो उन्हें कितनी वार्षिक हानि होती है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1420/69]**

(ग) भारतीय रेलों की खान-पान सेवाएं अब कुल मिलाकर आत्मनिर्भर हैं ।

भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन का निर्माण

1302. **श्री द० रा० परमार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन को आरम्भ करने के लिये कितनी बार सर्वेक्षण कार्य किया गया है ;

(ख) इसके परिणामों का ब्योरा क्या है ;

(ग) इस प्रस्तावित रेलवे लाइन के सर्वेक्षण कार्य पर कुल कितना खर्च किया गया है ;

(घ) क्या यह कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में लिया जायेगा ;

(ङ) यदि हां, तो कब ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चार विभिन्न अवसरों पर इस लाइन के लिये सर्वेक्षण कराये गये थे ।

(ख) 1949 में सौराष्ट्र सरकार के आदेश पर प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये थे। अब इन सर्वेक्षणों के परिणाम उपलब्ध नहीं हैं। रेलवे बोर्ड ने 1952 में इस लाइन के यातायात सर्वेक्षण के लिए पहली स्वीकृति दी। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित लाइन अलाभप्रद पायी गयी। 1956 में दूसरी बार प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये। 1956 की सवक्षण रिपोर्ट के अनुसार इसे 161 कि० मी० लम्बी लाइन की लागत और वित्तीय लाभ फिर लाभप्रद पाये गये। अन्त में जनवरी, 1966 में इंजीनियरिंग रिपोर्ट को अद्यतन बनाने के साथ नये यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गयी। सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ग) लगभग 1.52 लाख रुपये।

(घ) से (च). रेलवे द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट की जांच की जा रही है और सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अच्छी तरह विचार किये जाने के बाद ही इस प्रायोजना के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जा सकेगा।

Civil Code for Muslims

1303. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Government have asked for the opinion of Muslim women and their Associations in regard to the enactment of a Civil Code for Muslims;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) if so, the opinion expressed by those Associations and the action taken by Government thereon; and

(d) the reasons for which Government do not take a decision to prepare a Civil Code?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) and (b). No, Sir. Since there is no proposal for the enactment of a Civil Code for Muslims, the question of asking for the opinion of the Muslim Women and their Associations does not arise.

(c) Does not arise.

(d) Since there is no uniformity of views among the different sections of the citizens of India as to the enactment of a uniform code of laws relating to marriage, succession etc., there is no such proposal.

रूरकेला इस्पात कारखाने के क्रय-अधिकारी का कलकत्ता से रूरकेला को स्थानान्तरण

1304. **श्री रवि राय :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने के क्रय-कार्यालय का जो इस समय कलकत्ता में है, रूरकेला में स्थानान्तरण कर दिया जायेगा ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में उनके साथ तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष के साथ बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाने की कलकत्ता स्थित क्रय-कार्यालय शाखा 2 अप्रैल, 1969 से बन्द कर दी गई है और उसे राउरकेला स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

(ख) और (ग). पश्चिमी बंगाल के उप मुख्य-मंत्री ने इस विषय पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष के साथ बातचीत की थी । इस बातचीत के परिणामस्वरूप यह फैसला हुआ था कि कुछ प्रभावित कर्मचारियों को कलकत्ता में ही रहने दिया जाएगा और उन्हें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कलकत्ता स्थित दूसरे कार्यालयों में रख लिया जायगा ।

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए इस्पात प्लेटों तथा उष्मसह ईंटों की आवश्यकता

1305. **श्री रवि राय :** **श्री विभूति मिश्र :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री लोबो प्रभु :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने सोवियत रूस को 10,000 टन इस्पात प्लेटों तथा 18,000 उष्मसह ईंटों की तुरन्त सप्लाई करने को कहा है जिनकी बोकारो इस्पात संयंत्र को तुरन्त आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को देखते हुए कि भारत में एक दर्जन उष्मसह ईंट निर्माता हैं, जिन्होंने अन्य कोक भट्टियों को भी ईंटों की सप्लाई की है, उनके बोकारो इस्पात संयंत्र को अच्छी ईंटें सप्लाई करने में असमर्थ होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने ने कारखाने को चालू करने के कार्यक्रम को देखते हुए उष्मसह की पूर्ति के लिए भारतीय उष्मसह निर्माताओं को आर्डर दिए थे परन्तु उनमें से कुछ निर्माता बोकारो स्टील लि० द्वारा निर्धारित विवरण के अनुसार निश्चत समय के भीतर उष्मसह की पूर्ति करने में असमर्थ थे । अतः कारखाने को चालू करने के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आयात करना पड़ा । अब भी बोकारो के लिए आवश्यक अधिकांश उष्मसह की पूर्ति भारतीय निर्माताओं द्वारा ही की जाएगी ।

देशीय निर्माताओं की विफलता के कारण आयात की जाने वाली उष्मसह ईंटों का ब्योरा इस प्रकार है :

कोक भट्ठियों के लिए	(टन)
सिलिका ब्रिक्स	12701
डोर लाईनिंग फायरक्ले ब्रिक्स	406
स्टैण्ड पाइप	98
योग	13,205
धमन भट्ठियों के लिये	
हाई एल्युमीना ब्रिक्स	1932
फायरक्ले प्रथम श्रेणी गोस्ट 1598-53	293
फायरक्ले द्वितीय श्रेणी गोस्ट 1598-53	1,173
फायरक्ले प्रथम श्रेणी गोस्ट 1599-53	1,744
योग	5,142
कुल योग	18,347

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मालिक-कर्मचारी सम्बन्ध

1306. **श्री रवि राय :**

श्री हेम बरुआ :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस ने, जिन्हें दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन की कमी की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजा गया था, बताया है कि वहां पर कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह भी बताया है कि सारी गड़बड़ मालिक-कर्मचारी सम्बन्ध तनावपूर्ण होने के कारण हैं ; और

(ग) मालिक-कर्मचारी सम्बन्धों में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कोई ऐसी रिपोर्ट भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Production of Newsprint

1307. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Maharaj Singh Bharati : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri S. Kundu :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the present annual requirement of newsprint and its production in the country ;

(b) the amount of foreign exchange being spent at present per annum on the import of newsprint ;

(c) the estimated requirement of newsprint during the Fourth Five Year Plan ; and

(d) the action taken by Government to meet the requirement ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : (a) The present annual requirement of newsprint is of the order of 180,000 tonnes per annum. The present production of newprint in the country is about 45,000 tonnes per annum.

(b)

Year	Value
1968-69	Rs. 12,95,18,000/-

(c) 2,60,000 tonnes per annum by the end of the Fourth Plan period, as estimated by the Development Council ;

(d) (i) The expansion programme of the National Newsprint and Paper Mills Ltd., from the present 30,000 tonnes to 75,000 tonnes per annum is under implementation. It is expected that the enhanced capacity will fully materialise by 1970-71. During the current year the production is expected to increase from 30,000 to 45,000 tonnes.

(ii) A Newsprint Scheme with a capacity of 75,000 tonnes per annum in public sector is under consideration by Government.

(iii) A Newsprint Mill in the private sector with a capacity of 60,000 tonnes per annum is also under consideration.

Polygamy

1308. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that polygamy is still in vogue in the country and it has legal sanction, while it has been declared illegal in many countries and several organisations in the country have been urging to abolish polygamy ;

(b) the reasons for discrimination against women belonging to minority community in a secular State like India ; and

(c) the time by which Government propose to enforce a common Civil Code for all the pnople in the country.

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Yes, Sir.

(b) Since polygamy is in vogue among the Muslims according to personal law applicable

to them and among Scheduled Tribes according to custom and usages applicable to such tribes, the question of discrimination does not arise.

(c) Since there is no uniformity of views among the different sections of the citizens of India as to the enactment of a uniform code of laws relating to marriage, succession etc., it is not possible to enforce a common Civil Code for the present.

लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशें

1309. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कोचीन में हुई लघु उद्योग बोर्ड की 26वीं बैठक की सभी सिफारिशें क्रियान्वित कर दी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन पर किए गए निर्णयों का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). लघु उद्योग बोर्ड की 26वीं बैठक की अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं । वित्त से सम्बन्धित सिफारिशों पर सम्बन्धित प्राधिकारों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

बर्मा और ईरान को रेलवे लाइनों की सप्लाई

1310. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री जनार्दनन : **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्भरणकर्ताओं द्वारा बर्मा और ईरान के क्रयादेशों के अनुसार उनकी रेलों की आवश्यकताएं समय पर पूरी न किए जाने के कारण देश को 7 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा की हानि होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्पादकों को अपेक्षित बिलेट सप्लाई न करने के कारण वर्तमान संकट पैदा हुआ है ;

(ग) क्या बर्मा की सरकार के साथ किए गए करार के अनुसार भारत ने 25 जून, 1969 तक 100 टन रेलवे सामग्री सप्लाई करनी थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या क्रयादेश पूरा किया जा सकेगा और यदि नहीं, तो कितनी हानि होगी और उत्पादकों को बिलेटों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे भविष्य में सप्लाई किए जाने वाले माल की किश्त समय पर भेजी जा सके ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). प्राप्त सूचना के अनुसार एक भारतीय निर्यातक ने फरवरी 1969 में 78,000 टन रेल की पटरी और कुछ मात्रा में रेल पथ सामग्री को जिसका कुल मूल्य लगभग 7 करोड़ रुपए था, बर्मी रेलवे के लिए निर्यात करने का आदेश प्राप्त किया था। रेल-पथ सामग्री के एक निर्माता को शुरू में आवश्यक किस्म के बिलेट की प्राप्ति में कठिनाई हुई थी। यह कठिनाई अब हल हो गई है और उपयुक्त किस्म के बिलेट की सप्लाई का प्रबन्ध कर दिया गया है। ऐसा पता चला है कि उपर्युक्त निर्यातक को जून, 1969 के मध्य तक 700 टन रेल-पथ सामग्री की पूर्ति करनी थी लेकिन पूर्ति नहीं की गई। स्पष्ट है कि निर्यातक ने पूर्ति करने के लिए और समय प्राप्त कर लिया है।

2. ऐसा पता चला है कि ईरान की राजकीय रेलवे ने रेल-पथ सामग्री के लिए भारत के दो संविरचनकर्ताओं को आदेश दिया है। शुरू में इनमें से एक संविरचक को वित्तीय-प्रबन्ध पूरा करने में देर करने के कारण बिलेट की पूर्ति में कुछ देर हुई थी। समझा जाता है कि अब इस तरह की कोई कठिनाई नहीं है।

बिलेटों की कमी

1311. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात पुनर्वेलन उद्योग के प्रतिनिधियों ने अभी हाल में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष से भेंट की तथा पुनर्वेलन हेतु बिलेटों की भारी कमी संबंधी अपनी कठिनाइयां उनके समक्ष रखीं ;

(ख) यदि हां, इस समय किस सीमा तक बिलेटों की कमी है तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का ठीक ढंग से कार्य न करना इसके लिए कहां तक उत्तरदायी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने तथा विदेशों में किए गए वायदों तथा इस्पात उत्पादों की स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए बिलेटों का आयात करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार किस प्रकार इस स्थिति का मुकाबला करने का है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) बिलेट की पूर्ति हेतु इस्पात पुनर्वेलन उद्योग संस्था तथा उपभोक्ता दोनों ही हिन्दुस्तान स्टील लि० और मंत्रालय को अभिवेदन दे रहे हैं।

(ख) प्रायोजना प्रतिवेदन के अनुसार दुर्गापुर इस्पात कारखाने को प्रतिवर्ष 370,000 टन बिलेट की पूर्ति करना है। आशा है कि इस वर्ष दुर्गापुर इस्पात कारखाना 100,000 टन की पूर्ति करेगा। इस हद तक पूर्ति में कमी हुई है।

(ग) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

(घ) उत्पादकों को बिलेट का अधिक से अधिक उत्पादन करने की सलाह दी गई है। दुर्गापुर के फालतू पिण्डों को पुनर्वेलकों को बेचने के लिए काटा जा रहा है। निर्यात के क्षेत्र में देश की साख बनाए रखने के लिए अनिवार्य छोटी मोटी मात्राओं के अतिरिक्त बिलेट के निर्यात के लिए नए करार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

बन्द माल डिब्बों में अनाज का भेजा जाना

1312. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वर्षा ऋतु में बन्द माल-डिब्बों में अनाज भेजने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध कर लिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितने बन्द माल-डिब्बों की आवश्यकता होगी और रेलवे द्वारा कितनी माल-डिब्बों की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सन्तोषजनक प्रबन्ध कर लिये गये हैं कि शेष खुले मालडिब्बे तिरपालों से ढके हुए होंगे ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) आमतौर पर अनाज के परिवहन के लिए बन्द मालडिब्बे सप्लाई किये जाते हैं और इस उद्देश्य से अधिक से अधिक बन्द माल डिब्बे प्राप्त किये जा रहे हैं। चूंकि अनाज का परिवहन मौसमी होता है जो फसल कटने और अनाज की वसूली के तुरंत बाद बहुत बढ़ जाता है, इसलिए व्यस्तकाल में कुछ सीमा तक खुले मालडिब्बों का उपयोग अपरिहार्य हो जाता है।

(ख) बन्द माल डिब्बों की आवश्यकता दिन-प्रति-दिन की जाने वाली मांगों पर निर्भर करती है। खाद्य मंत्रालय और भारत के खाद्य निगम के सहयोग से समुचित योजना के अनुसार अनाज की ढुलाई करने के फलस्वरूप लादे गये खुले माल डिब्बों का प्रतिशत जो कि 1968 में बड़ी लाइन पर 15 और मीटर लाइन पर 4.3 था 1969 की पहली छमाही में घटकर बड़ी लाइन पर 7.8 और मीटर लाइन पर 1.1 हो गया।

(ग) जी हां।

आन्ध्र प्रदेश का औद्योगिक विकास

1313. **श्री रा० बरुआ** : **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री बे० कृ० दासचौधरी** :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने आन्ध्र

प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के हेतु उस राज्य के लिये 238.5 करोड़ रुपये की औद्योगिक योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) कब तक अन्तिम निर्णय किए जाने की संभावना है ;

(घ) आन्ध्र प्रदेश को अखिल भारतीय स्तर पर लाने के लिये उन्होंने और किन-किन बातों का सुझाव दिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) और (घ). नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड एण्ड इकोनोमिक रिसर्च ने आन्ध्र प्रदेश की चौथी औद्योगिक योजना के कार्यक्रम नामक अपने हाल ही के अध्ययन द्वारा राज्य में चौथी योजना के दौरान औद्योगिक विकास पर 238.54 रु० की राशि के व्यय करने का सुझाव दिया है, जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :

केंद्रीय सहायता	78.50
राज्य सरकार	54.34
गैर-सरकारी क्षेत्र	105.70
योग	238.54 करोड़

प्रस्तावित कार्यक्रम का विस्तृत ब्योरा और सुझाव नेशनल कौंसिल और एप्लाइड एण्ड इकोनोमिक रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दिया है जिसकी प्रति संपद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) और (ग). चौथी योजना के लिये केंद्रीय क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रम और योजनाएं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे में पृष्ठ 253-260 पर दी गई है । राज्य सरकार की चौथी योजना के अन्तर्गत इन योजनाओं पर होने वाला प्रस्तावित कुल परिव्यय ग्रामों में बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर 8.50 करोड़ रुपये और ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर 8.50 करोड़ रुपये हैं ।

चौथी आयोजना में कागज के कारखाने

1314. **श्री पी० विश्वम्भरन्** :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में जिन नए कागज के मिलों को स्थापित किये जाने के प्रस्ताव हैं उनकी संख्या क्या होगी, वे कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे, उनकी उत्पादन-क्षमता क्या होगी, और उन पर लागत कितनी आएगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य-मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : कागज उद्योग लाइसेंस मुक्त है किन्तु जहां तक सरकार को ज्ञात है कोई कागज/लुगदी

मिल गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी सरकारी क्षेत्र में कागज/लुगदी/अखबारी कागज एकक स्थापित करने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। उनके संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है अतएव इस समय उनके विवरण देना सम्भव नहीं है।

जमालपुर (पूर्व रेलवे) में खलासी को साहसिक कार्य पर इनाम

1315. **श्री मधु लिमये :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस वर्ष मार्च में किसी समय भागलपुर लूप लाइन पर जमालपुर में, गुण्डों के पंजे से एक लड़की को बचाने के एक खलासी के साहसिक कार्य के बारे में एक संसत्सदस्य का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उन गुण्डों पर मुकदमा चलाया गया है अथवा उन्हें छोड़ दिया गया है ; और

(ग) क्या उस खलासी को अपने इस वीरता के कार्य के लिये पुरस्कृत किया गया है अथवा परेशान और दंडित किया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच रेल प्रशासन, सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गयो थी, लेकिन इस तरह को कोई घटना हुई हो, यह सिद्ध नहीं हो सका।

(ग) सवाल नहीं उठता।

टायरों का मूल्य अधिक होना

1316. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बजट सत्र में एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद से लेकर अब तक बाजार में टायरों के अत्याधिक मूल्यों की ओर निर्माताओं तथा वितरकों के अत्याधिक लाभ की जांच की है ;

(ख) क्या मोदी यूनिट के अतिरिक्त और कारखानों की भी स्वोकृति दी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने मोटर गाड़ी टायर निर्माताओं को परामर्श दिया था कि टायरों और ट्यूबों के खुदरा मूल्य की सूची प्रकाशित करें अतः सभी आटो टायर निर्माताओं ने 7 जुलाई, 1969 से प्रभावी मूल्य सूचियां प्रकाशित की हैं। मोटर गाड़ियां टायर तथा ट्यूबों को पहले ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है। और राज्य

सरकारें उस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का यदि वे आवश्यक समझें प्रयोग कर इसके मूल्यों के विनियमन की कार्यवाही कर सकती हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मोदी सार्थ समूह द्वारा कांग्रेस दल को चन्दा

1317. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1968 से मार्च 1969 तक के वर्ष में मोदी सार्थ समूह ने कम्पनी अधिनियम के अधीन कांग्रेस दल को कोई चन्दा दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). मोदी समूह से सम्बन्धित कुछ कम्पनियों से, 31 मार्च, 1969 की वर्ष समाप्ति के तुलन-पत्र, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार अभी मिसिल करने के लिये देय नहीं है । वर्तमान में उपलब्ध, इस प्रकार के तुलन-पत्रों की परिनिरीक्षा से प्रकट होता है कि इस समूह से सम्बन्धित दो कम्पनियों ने, 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक की अवधि में, निम्नांकित ब्योरों के अनुसार, कांग्रेस दल को चन्दे दिये ।

कम्पनी का नाम	राशि जो दी गई
	रु०
1. मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०	5,000
2. मोदी इन्डस्ट्रीज लि०	50,000

टिप्पणी :— 1 अप्रैल, 1968 तथा 31 मार्च, 1969 की अवधि के मध्य पड़ने वाले वर्ष समाप्ति के तिथियों वाले तुलन-पत्रों में दिखाये गये चन्दे, इस अवधि में दिये गये मान लिये गये हैं ।

आदिम जातियों की ऋण-ग्रस्तता

1318. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को ऋण ग्रस्तता, भूमि से हटाने और अन्य मुश्किलों की और घर छोड़ने की उन विशेष परिस्थितियों की जानकारी है कि जिसमें समूचे भारत के आदिम जातियों के लोगों और विशेषतः छोटा नागपुर और सन्थाल परगना के लोगों को रहना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उन जातियों को समाप्त होने से बचाने के लिए स्वयं-सेवी सामाजिक एजेंन्सियों की सहायता के लिये अनुदान देने के बारे में क्या विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) तथा (ख). भारत सरकार को अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं का पता है। उन्हें हल करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने भी अपनी रिपोर्टों में उनकी समस्याओं का विश्लेषण किया है और समय-समय पर उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है।

कर्ज देने पर कानून द्वारा नियंत्रण किया गया है। कर्ज-समझौता तथा निष्क्रमण के लिए भी उपाय किए गए हैं। उनके साथ-साथ सहकारिताओं के माध्यम से कर्ज देने के अन्य साधनों का भी प्रबन्ध किया गया है। आदिम जातियों की भूमि का छीना जाना रोकने के लिए कानूनी उपाय किए गए हैं।

आवश्यक जरूरतों की प्रदाय को उचित मूल्यों पर सुनिश्चित करने तथा आदिमजातियों की वन तथा कृषि-उत्पादनों के लिए उचित मूल्य प्राप्त कराने के लिए सहकारी संस्थाओं के निर्माण को बढ़ावा दिया गया है।

अखिल भारतीय आकार की जिन स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याणार्थ समाज सेवा में रुचि है, उन्हें केन्द्रीय सरकार सीधे वित्तीय सहायता देती है। इसी प्रकार स्थानीय आकार की स्वयंसेवी संस्थाओं को राज्य सरकारों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।

डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों से जोड़े जाने वाले रेलवे अधिकारियों के सैलून

1319. **श्री विमलकान्ती घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किस-किस स्तर के रेलवे अधिकारी अपने सैलूनों को डाक/एक्सप्रेस/डीलक्स गाड़ियों से जुड़वा सकते हैं ;

(ख) नई दिल्ली से मई, 1969 में पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ी की तरह चलने वाली विभिन्न डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ जुड़ाने वाले अधिकारियों के पदनाम क्या हैं ;

(ग) उक्त महीने में इन गाड़ियों के विभिन्न दर्जों की प्रतीक्षा सूची पर औसतन कितने नाम थे;

(घ) इन अधिकारियों को साधारण प्रथम दर्जे/वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने के लिये क्यों नहीं कहा गया और प्रतीक्षा सूची में इन अधिकारियों के लिये कितने स्थानों का नियतन किया गया और कितने स्थान इन्हें दिये गये ; और

(ङ) रेलवे को इस प्रकार अनुमानतः कितनी आय होती ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यदि गुंजाइश हो, तो केवल प्रशासकीय ग्रेड के वरिष्ठ रेल अधिकारियों के निरीक्षण डिब्बों को कुछ डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाने की अनुमति दी जाती है। डीलक्स, जनता और कुछ अन्य एक्सप्रेस गाड़ियों में डिब्बे लगाने की अनुमति नहीं दी जाती।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1421/69]

(घ) मई के महीने में, अतिरिक्त भीड़-भाड़ की निकासी के लिए विभिन्न डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में 150 अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाये गये। कुछ दिन अतिरिक्त डिब्बे लगाये जाने के बावजूद, भार-सम्बन्धी सीमाओं के कारण, प्रतीक्षा सूचियां समाप्त नहीं की जा सकीं। कुछ ऐसे भी अवसर आये जबकि फालतू सवारी डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण गाड़ियों में डिब्बों की संख्या को बढ़ाया नहीं जा सका।

इनमें से प्रत्येक गाड़ी में केवल एक या दो अवसरों पर निरीक्षण डिब्बे लगाये गये थे, लेकिन ऐसा यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया था कि प्रतीक्षा सूची को पहले समाप्त करने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किये जा चुके हैं।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

अन्धों के लिये दिल्ली में प्रशिक्षण स्कूल

1320. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्धों के लिए प्रशिक्षण स्कूल खोलने सम्बन्धी दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) इस स्कूल के कब चालू हो जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) 1969-70 के बजट में इस प्रयोजन के लिए 91,300 रुपये की राशि रखी गई है।

(ग) स्कूल को चालू वित्तीय वर्ष में स्थापित किये जाने की सम्भावना है।

पनकी विशेष माल गाड़ी में रेलवे गार्ड की हत्या

1321. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टूंडला से कानपुर जाने वाली पनकी विशेष माल गाड़ी में 14 मई, 1969 को उसके पनकी पहुंचने पर उसमें एक रेलवे गार्ड केबिन में मरा हुआ पाया गया था ;

(ख) क्या उस मामले की कोई जांच की गई थी और अपराधी को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ग) उक्त गार्ड के परिवार को सरकार ने कितनी वित्तीय अथवा दूसरी सहायता दी थी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पनकी विशेष गाड़ी का गार्ड ब्रेकयान में बेहोश हालत में पाया गया और उसके सिर में अनेक चोटें थीं। अस्पताल ले जाते समय वह रास्ते में मर गया।

(ख) जी हां। 15-5-1969 को कानपुर स्टेशन की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/394 के अन्तर्गत अपराध सं० 243 के रूप में एक मामला दर्ज किया। अब तक एक अपराधी पकड़ा गया है।

(ग) मृतक गार्ड की पत्नी के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000 रुपये मंजूर किये गये हैं।

Overbridges on Railway Stations in M. P.

1322. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of overbridges on Railway Stations in Madhya Pradesh ;

(b) the number of bridges constructed there during the past two year ; and

(c) the number of bridges which are more than 20 years old and have been repaired from time to time ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Presumably the Hon. Member is referring to foot-overbridges. If so, 82.

(b) 4.

(c) 18.

Electrification of Railway Stations from Bhusawal-Itarsi Section of the Central Railway

1323. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number and names of Railway Stations from Bhusaval to Itarsi in Madhya Pradesh which have not been electrified ; and

(b) the date by which all these stations are likely to be electrified ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 21 stations. Names of stations are given in Annexure 'A'. **[Placed in Library. See No. LT-1422/69]**

(b) It is not possible to indicate the date by which these stations will be electrified as power supply is not available, close by at present at these stations.

Licences to Birlas to set up Industries in Madhya Pradesh

1324. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether applications have been received from the Birla Group of concerns for new

licences for setting up new industries in 1969-70 and if so, the names of those industries ;

(b) the decisions taken thereon ; and

(c) if no decisions have been taken, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). During 1969-70 (1st April to 15th July, 1969) one application has been received from one of the Birla Group of concerns for the setting up of a New Industrial Undertaking for the manufacture of Beer in Madhya Pradesh or Tamil Nadu or Rajasthan. The application was received only on the 17th May, 1969, and is still under consideration.

Reservation Office at Khandwa Station

1325. **Shri G. C. Dixcit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Reservation Office at Khandwa Station was closed on the 25th May, 1969 from 1 P.M. to 1.45 P.M.—the door of the office was closed and bolted from outside and whether it is also a fact that there is a board on the office that the office would remain open from 06.00 hours to 22.00 hours ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that the Clerks of the office often go out of the Railway Station from 1 P.M. to 2 P.M. to take lunch ;

(d) whether it is also a fact that there is no lunch break from 1 P.M. to 2 P.M. for the Railway staff ; and

(e) if so, whether Government would consider the question of providing one hour's break ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Reservation Office at Khandwa was not closed from 1 P.M. to 1.45 P.M. on 25th May, 1969 but the Enquiry-cum-Reservation Clerk had left the office unattended during this period. A board is exhibited at this office showing the working hours from 6 to 22 hours.

(b) The Enquiry-cum-Reservation Clerk was unauthorisedly absent for which disciplinary action has been initiated against him.

(c) No.

(d) Yes.

(e) As the staff are rostered in two separate shifts between 6 hours to 14-30 hours and 14.30 hours to 23.00 hours, no lunch break is being granted. Besides, during the duty hours there are periods of inaction when staff can have refreshments in their seat, if they so desire.

Overbridge at Burhanpur Railway Station

1326. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the overbridges provided at Bhopal, Khandwa, Bhusaval and Itarsi Railway Stations have been constructed in such a manner that not only the passengers can cross from one platform to another, but they can go out of the Railway station ; and

(b) the reasons for believing that if such an overbridge is provided at Burhanpur Rail-

way station (M.P.) the passengers would go out without ticket, when such possibility is not anticipated in regard to Bhopal, Khandwa, Bhusaval and Itarsi Railway stations ?

The Minister of Railways (Dr.Ram Subhag Singh) : (a) and (b). The overbridges provided at Bhopal, Khandwa, Bhusaval and Itarsi are so constructed that not only the passengers can cross from one platform to another, but the public residing on one side of the station can pass over the overbridge to the other side of the station. Adequate arrangements by way of additional staff have been provided at these stations to ensure that passengers without ticket are not able to escape from the platform on to the foot overbridge undetected or vice versa.

The extension of the existing foot overbridge is not desirable as the entrance to the bridge from the south side is through the third class waiting hall and in the event of extension of the foot overbridge on to the other side, the waiting hall will become a public thoroughfare resulting in inconvenience to passengers. The provision of an independent foot overbridge providing access from one side of the station on the other side at Burhanpur station can be undertaken only if the State Government or the local Municipal authorities are prepared to pay the cost of such a work.

Ticketless Travel on Railways

1327. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Nathu Ram Ahirwar :
Shri N. R. Deoghare :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of passengers found travelling without ticket in different classes of compartments in various Railways Zones during the years 1967, 1968 and upto 20th July 1969 ;

(b) the different kinds of punishments awarded to them for this offence ; and

(c) the scheme being prepared by Government to stop this practice of ticketless travelling completely ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The tally of passengers detected travelling without ticket is no being maintained separately for different classes of accommodation in which such passengers are detected travelling. The total number of passengers detected travelling without tickets or with improper tickets during the years 1967, 1968 and in the year 1969 upto 30th June (figures upto 20th July, 1969 are not yet available) is as under :

1967	1,00,09,160
1968	1,07,52,141
1969 (January to June)	56,22,910

(b) (i) The ticket checking staff can recover excess charges in addition to the fares due.

(ii) The different kinds of punishment which may be awarded to ticketless passengers by the Law Courts are as under :

(a) Recovery of excess charges in addition to the fares due ;

(b) Fines (subject to a minimum of Rs. 10/- and a maximum of Rs. 500/-) ;

(c) Imprisonment for a period not exceeding three months ;

(d) A court may order a habitual offender to execute a bond, with or without sureties, for such amount at it may think fit for a period upto three years.

(c) Frequent surprise checks on various sections and massive checks at important junction stations by mobilising a large number of tickets checking staff, R.P.F. and Government Railway Police personnel and accompanied by Railway Magistrates are being conducted.

Instructions have also been issued to Railways to associate village elders, boy scouts, students and volunteers from Social Service Organisations with the checking of ticketless travelling. Efforts have also been made to tackle this problem from a social angle by carrying out a campaign against ticketless travel through newspapers, posters, announcements through loudspeakers at stations etc. As students have been figuring prominently in regard to this problem, various measures have been taken to make them realise that ticketless travel is a social evil. Apart from taking up the matter through educational institutions, lectures on the subject have been arranged by retired senior Railway officers in educational institutions.

With a view to providing more stringent penalties for ticketless travel, an Ordinance was promulgated amending sections 112 and 113 of the Indian Railways Act, 1890, with effect from 10-6-1969.

मोटर गाड़ी उद्योग

1328. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मोटर गाड़ी उद्योग निर्माताओं से निर्मित की जा रही यात्री तथा वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के मूल्य का मदवार विस्तृत लेखा देने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है यदि वे अपेक्षित लेखे प्रस्तुत न करें ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) यात्री तथा व्यवसायिक, मोटर गाड़ियों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 (1) (घ) के उपबन्धों के अन्तर्गत विहित, लागत लेखा अभिलेख (मोटर गाड़ियां) नियम, 1969, दिनांक 17 मई, 1969 के अन्तर्गत दिये गये ब्योरों के अनुसार, लागत लेखा अभिलेख संधारण करना अपेक्षित है। यह कथित नियम, 1 जनवरी, 1970 से लागू हो जायेंगे।

(ख) जहां कोई कम्पनी ऊपर कथित नियमों का उल्लंघन करेगी तो वह कम्पनी तथा इस कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी, जो इस प्रकार की चूकों के लिये उत्तरदायी है, जुर्माने की सजा के भागी होंगे, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, जहां तक इस प्रकार के उल्लंघन यथा-पूर्व पाये जायेंगे, तो उनके लिये, और जुर्माना देना पड़ेगा, जो पहले उल्लंघन की अवधि के पश्चात, जिस दिन से ऐसे उल्लंघन लगातार पाये जायेंगे, पचास रुपये प्रतिदिन की सीमा तक होगा।

इलायापेरुमल समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

1329. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की दशा सुधारने सम्बन्धी इलायापेरुमल समिति की कितनी सिफारिशों को पूर्णत: अथवा अंशत: कार्यान्वित कर लिया गया है ; और

(ख) अभी कितनी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) तथा (ख). इलायापेरुमल समिति की अस्पृश्यता सम्बन्धी विभिन्न सिफारिशों को विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों और अन्य प्राधिकारियों को टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है। उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने पर निर्णय लिए जायेंगे ।

Increase in Number of Passenger Trains on Main Lines

1330. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are considering to increase the number of Passenger trains almost on all main lines, keeping in view the heavy rush of passengers in the third class Railway compartments ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) when and which new railway service is propose to be started on the Western Railway Broad-Gauge line between Delhi and Bombay via Kota and Baroda ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). A review of overcrowding on various sections of Indian Railways has recently been undertaken. On those sections where the review has revealed overcrowding, additional train accommodation is being provided by introducing additional trains, extending the run of existing trains, augmentation of loads by dieselisation/electrification etc.

In addition to 47 trains introduced/extended with effect from 1-4-69, we have since introduced/extended an additional 20 trains.

Based on the review of over-crowding, the loads of 40 trains on the broad gauge and 38 trains on the metre gauge have also been augmented by one to three coaches wherever necessary and feasible.

The continuing programme to relieve overcrowding envisages introduction of additional new trains like the Bhubaneswar-New Delhi Express service, an Express train between Lucknow and Katihar, an additional Express train on the Madras-Madurai metre gauge route, etc., apart from dieselisation of 57/58 Bombay-Amitsar Expresses between New Delhi and Itarsi, depending upon the availability of requisite resources.

(c) A techno-economic examination of the proposal for a high speed train between New Delhi and Bombay Central is being made.

Drinking Water at Railway Stations in Rajasthan

1331. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway stations in Rajasthan on the Wertern Railway where there is no provision of drinking water for the passengers.

(b) whether it is a fact that even at present saline water is being supplied for drinking on Chaksu Railway station between Sawai Madhpur and Jaipur ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the steps being taken by Government to make available drinking water at all these stations ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Nil.

(b) and (c). Water available from the Railway well at Chaksu being saline, travelling watermen, with supply of portable drinking water from adjoining stations have been introduced on trains 205 UP, 206 DN and 17 UP, 18 DN for supply of water to passengers at Chaksu station.

(d) Does not arise in view of reply to (a) above.

Improvements on Small Railway Stations

1332. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as compared to the bigger Railway Stations and Junctions small Railway stations are not properly attended to as regards their improvement, development, arrangements and passenger facilities ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Improvements to Railway Stations whether small or big are carried out as and when found necessary strictly on merits of each case. Passenger amenities on Railway stations are also provided as per norms laid down on a programmed basis in consultation with Railway Users' Consultative Committee with which public opinion is also associated and which takes into consideration the comparative needs of various stations and total availability of funds.

Steps Proposed to be taken to Control Floods on Western Railway

1333. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take steps to control the possibilities of floods and the likely damage therefrom to the Railway track and property on the Western Railway in the ensuing rainy season ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Flood protection schemes involve construction of dams, provision of flood embankments and channelisation of rivers which can only be drawn up and implemented by the State Govt. Unless such schemes are implemented by the State Government the flooding of Railway track cannot be altogether

prevented. However steps are taken by the Railway to minimise the destructive effects of floods. There already exists on the Railways a special organisation to investigation cases of damage to track due to floods and to formulate schemes for raising banks to prevent overtopping and to increase waterways under Railway bridges where necessary.

Man Run Over by a Train at Banda Junction (C. Rly)

1334. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a few months back a man of Pun Village was fatally run over by a train while crossing the railway line at the Banda Railway Junction on the Central Railway ; and

(b) if so, the name of the deceased person as was registered in the Railway Police Station, the nature of the Panchayat Nama and the date of accident ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) The name of the deceased was Bori as registered by the police. The Panchnama was conducted by the Government Railway Police, Banda. The accident occurred on 3.4.1969.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का प्रतीक

1335. **श्री समर गुह** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को दिये गये 'हथौड़ा-हंसिया तारे' के निर्वाचन प्रतीक के बारे में 11 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा निर्वाचन प्रतीक भारत की प्रभुता तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आधारभूत विचार के विरुद्ध माना जा सकता है ;

(ख) क्या भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा ऐसे प्रतीक का प्रयोग भारत के मतदाताओं के मन पर विदेशी प्रभाव जमाने के लिए सीधा प्रयास है ; और

(ग) क्या हमारे देश की राष्ट्रीय प्रभुता तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के रक्षणार्थ सरकार, निर्वाचन आयोग का ध्यान इस ओर दिलाने पर विचार करेगी कि किसी भी पार्टी को कोई ऐसा निर्वाचन प्रतीक आवंटित न किया जाये, जो किसी देश दूसरे के राष्ट्रीय प्रतीक से मिलता जुलता हो और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को दिया गया निर्वाचन प्रतीक लौटा लिया जाये ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस सम्बन्ध में एक सरकार का कोई मत नहीं है ।

(ग) ऊपर के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम में कागज की लुगदी बनाने का कारखाना

1336. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में कागज की लुगदी बनाने के कारखाने के स्थापना स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ; और

(ग) क्या कारखाने के लिये स्थान चुन लिया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). आसाम में प्रस्तावित लुगदी। कागज मिल के कार्यान्वियन के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

1337. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में वर्ष वार किन उद्योगों को आरम्भ किया गया है ; और

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनका चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) राजस्थान में अब तक निम्नलिखित केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं :

1. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर (1965)
2. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (1967)
3. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, खेतड़ी (1966-67)
4. मशीन टूल्स कारपोरेशन लि०, अजमेर (1968)

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के नाम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के नाम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रतिवेदन प्रारूप के 253 से 360 पर दिये गये हैं।

नमक आयुक्त के कार्यालय को जयपुर से अन्यत्र ले जाना

1338. **श्री रा० को० अमीन :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के नमक निर्माताओं ने शिकायत की है कि नमक आयुक्त का कार्यालय जयपुर में होने के कारण उन्हें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह कार्यालय गुजरात में स्थापित करना वांछनीय है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस कार्यालय का स्थानांतरण करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सभी राज्यों के नमक निर्माताओं के हित में यह आवश्यक है कि नमक आयुक्त का कार्यालय जयपुर जैसे मध्य में स्थित स्थान में होना चाहिए क्योंकि नमक आयुक्त को लाइसेंस जारी करने के अलावा अन्य बहुत से प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं ।

Loco Fitters and Train Clerks at Banda Junction

1339. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Loco Fitters and Train Clerks are put on duty for 12 hours a day at the Banda Junction of the Central Railway while work for 8 hours is taken from the employees at all other places ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to stop injustice which is being done to the above mentioned employees of the said Station ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Under the Hours of Employment Regulations, on the basis of their work-load, the Loco Fitters and Train Clerks at Banda have been classified as "Essentially Intermittent" and rostered to 12 hours daily duty which includes at least 6 hours of inaction. These two categories of employees at other stations are rostered to either 8 hours or 12 hours daily duty when classified as "Continuous" or "Essentially Intermittent" as the case may be, depending on the work load. This, therefore does not amount to any injustice. However, the classification of these employees at Banda is being re-examined to see if there is any justification for a change in classification.

World Council for the Welfare of Blind

1340. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken to hold a conference in India of the World Council for the Welfare of the Blind ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law and the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir.

(b) The Fourth Assembly of the World Council for the Welfare of the Blind is to be held in New Delhi from 6th to 18th October, 1969, at the invitation of the National Association for the Blind, Bombay, which is the host. About 300 delegates from 51 member countries of the World Council are expected to participate. The Government of India have given grant-in-aid to the National Association for the Blind to cover a part of the expenditure.

उत्तर रेलवे के गार्डों को मील भत्ता

1341. **श्री अदिचन** : क्या **रेलवे** मंत्री 3 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3757 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ जिले (उत्तर रेलवे) के गार्डों को मील भत्ता देने की मांगों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । माननीय सदस्य का आशय संभवतः पूर्वोत्तर रेलवे के गार्डों की उन मांगों से है जिनसे इससे पूर्व का प्रश्न सम्बन्धित है ।

(ख) एक बयान संलग्न है जिनमें मांगों और उन पर की गयी कार्रवाई का ब्योरा दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1423/69]

क्रोमियम स्टील का उत्पादन

1342. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर स्थित एलाय स्टील प्लांट द्वारा भारत में पहली बार थोड़ी मात्रा में बढ़िया किस्म का क्रोमियम स्टील पैदा तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में बढ़िया किस्म का क्रोमियम इस्पात तैयार किया गया है । इस कारखाने में इस इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने की अपेक्षित क्षमता है । इस कोटि के इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिये अपेक्षित कोटि का कच्चा माल प्राप्त करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

Railway Crossing Across Railway Line Near Sonai Village

1343. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residents of Sonai village situated on the Mathura-Hathras Metre gauge line have sent a number of applications to the General Manager of the North Eastern Railway for the grant of a connection of Railway crossing on the other side of the village across the Railway line but necessary sanction has not so far been accorded ;

(b) whether it is also a fact that some Members of Parliament have also forwarded applications of certain persons of Sonai village together with their recommendation letters ;

(c) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(d) the time by which necessary sanction for the connection is likely to be granted ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). No representation has been received for a level crossing across the railway line near Sonai village.

(c) and (d) . Do not arise.

सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि

1344. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना अवधि में सीमेंट के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि गांवों में मकान बनाने, खत्तियां बनाने या कंक्रीट से कुएं बनाने, खलिहानों तथा पक्की नहर के निर्माण के लिये कुल सीमेंट उत्पादन का बहुत थोड़ा भाग ही प्रयोग में लाया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि कार्यों के लिए सीमेंट का अधिक भाग नियत करने का है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में सीमेंट के अन्तिम उपयोगों का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चतुर्थ योजना के अन्त तक उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि का अनुमान लगभग 60 लाख मी० टन का है ।

(ख) गांवों में मकानों, खत्तियों, कुओं के निर्माण आदि में कितनी खपत होगी इस बारे में सही सूचना प्राप्त नहीं है । इन क्षेत्रों की मांग पूर्णतः पूरी की जा रही है ।

(ग) सारे देश में सीमेंट की खुले आम बिक्री में वृद्धि हुई है । ऐसे संकेत हैं कि ग्रामीण खपत भी बढ़ रही है और इसे विद्यमान सम्भरण द्वारा पूरा किया जा रहा है । कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं हुई है ।

(घ) साधारणतः सीमेंट का प्रयोग निर्माण कार्यों जैसे इमारतें, बांध, पुल, परियोजनाएं, मकान आदि में किया जाता है । प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत विस्तृत ब्योरेवार खपत की सूचना प्राप्त नहीं है ।

मनीपुर में उद्योगों की स्थापना

1345. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री मनीपुर में उद्योगों की स्थापना करने के सम्बन्ध में 22 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7249 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है कि क्या मणिपुर में बड़े तथा मध्यम उद्योगों के लिये 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था तकनीकी आर्थिक अध्ययनों तथा एक या एक से अधिक परियोजनाओं के लिये जिनके इन अध्ययन से चलाये जाने की सम्भावना है, के निदेश के एक हिस्से को पूरा करने के प्रयोजन हेतु कीं गई है। तकनीकी आर्थिक अध्ययन के पूरा हो जाने के बाद ही इन परियोजनाओं को चालू करने के बारे में निश्चित किया जा सकेगा। इस संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास के लिये 71 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

चाय उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीन का निर्माण

1346. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चाय उद्योगों के लिए भारतीय चाय बागानों की आवश्यकताओं को पूरी करने और विदेशों को निर्यात करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनों का निर्माण होता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मशीन का निर्माण करने वाली भारतीय कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) भारत में पूर्ण रूप से निर्मित चाय संयंत्र की कीमत विदेशों में बने इसी प्रकार के संयंत्र की तुलना में कितनी है;

(घ) उन देशों के क्या नाम हैं या जिन्हें भारत में निर्मित चाय की मशीन का निर्यात किया जाता है और वर्ष 1967 और 1968 में प्रत्येक देश को अलग-अलग कुल कितनी कीमत की मशीनों का निर्यात किया गया; और

(ङ) यदि इस समय कुछ क्रयादेश को पूरा करना है तो उनकी कीमत क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन्हें क्रयादेश दिये है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत का चाय संयंत्र निर्माण करने वाला उद्योग इतना सूक्ष्म है कि वह भारतीय

चाय बागानों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इस स्थिति में है कि दूसरे देशों को इन संयंत्रों का निर्यात भी करता है ।

(ख) चाय संयंत्रों के भारतीय निर्माताओं के नाम परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1424/69]

(ग) कीमतों की उचित तुलना करना कठिन है क्योंकि यहां विभिन्न विशिष्ट विवरणों वाली चाय मशीनें कई प्रकार की हैं तथा एक संयंत्र की किस्म से दूसरे किस्म की कीमत में काफी विभिन्नता होती है ।

(घ) 1967-68 तथा 1968-69 में भारत में निर्मित चाय की पत्ती काटने वाली अथवा रोलिंग मशीनें जो दूसरे देशों को निर्यात की गई हैं, उन देशों का नाम तथा प्रत्येक निर्यात की गई मशीन की कीमत, आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन द्वारा रखे गये आंकड़ों के अनुसार, परिशिष्ट 'ख' में दी गई है; **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1424/69]

(ङ) प्राप्त सूचना के अनुसार, कलकत्ता की एक फर्म के पास कीनिया से 3 लाख रु० की कीमत का एक निर्यात आदेश हैं । आगे, पूर्वी अफ्रीकी देशों तथा लंका से चाय संयंत्र के संभरण के लिए भारतीय निर्यातकर्ताओं को नियमित रूप से क्रयादेश प्राप्त होते ही रहते हैं ।

Invalid Votes During Mid-Term Elections

1348. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1099 on the 15th April, 1969 regarding invalid Votes during mid-term elections and state :

(a) whether the requisite information in respect of parts (b) and (c) of the question referred to above has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when this information is likely to be collected and laid on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Chief Electoral Officers of the concerned States have been reminded to expedite the required information.

Passenger Tax Charges on Railway Stations

1349. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6483 on the 15th April, 69 and state :

(a) the names of the 139 railway stations of Indian Railways where passenger-tax is charged ;

(b) whether the accounts for 1968-69 have since been closed ; and

(c) if so, the total revenue earned by Government from such a tax ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) It is presumed that the Hon'ble Member refers to Terminal (Pilgrim) tax. A statement furnishing the names of all railway stations in respect of which the Terminal (Pilgrim) tax is levied, is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1425/69]**

(b) No. The accounts for 1968-69 are expected ; and

(c) to be closed by about the end of August, 69. The figures of total revenue earned from the Terminal (Pilgrim) tax are being collected.

Electrification of Railway Stations

1350. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to unstarred question No. 7977 on the 20th April, 1969 and state :

(a) the names of those railway stations out of 3792 unelectrified stations, which are proposed to be electrified during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the Railway stations zone-wise which have not been electrified so far ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha in due course.

Explosion in oil tank of goods train at Saphala

1351. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had to suffer heavy lossess on account of explosion in an oil tank of a goods train in Saphala situated at a distance of 70 kilometres from Bombay ;

(b) if so, the number of persons injured and the value of loss suffered by Government ;

(c) whether Government have conducted any enquiry into the causes of the explosion ; and

(d) if so, the result thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). The cost of damage to railway property as a result of this accident was estimated at approximately Rs. 42,000/-. In this accident 77 persons were injured of whom 20 sustained grievous injuries, 14 minor injuries and the remaining 43 only trivial injuries.

(c) Yes.

(d) According to the finding of inquiry committee the accident was due to petrol from a leaky tank wagon falling on live cinders dropped on the track by the steam engines hauling the train.

Electrification of Stations in Madhya Pradesh

1352. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7978 on 29th April and state :

(a) the names of stations situated in Madhya Pradesh which could not be electrified ; and

(b) number of stations in Madhya Pradesh which will be electrified during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A list is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1426/69]**

(b) 17 stations have already been programmed for electrification in 1969-70.

Electrification of further stations during the Fourth Five Year Plan would depend on the availability of Power Supply at economical rates etc.

निर्वाचन अभियानों में अनुचित तरीकों का प्रयोग

1353. **श्री रा० की० अमीन : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार के वित्त मंत्री ने भिलोडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में हाल में एक निर्वाचन सभा में भाषण करते हुए प्रत्येक गांव में जल सप्लाई करने के लिये 45 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना के बारे में घोषणा की थी जिसका समाचार 4 जून, 1969 को 'गुजरात समाचार' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्री द्वारा निर्वाचन अभियान में भाग लिये जाने तथा ऐसी घोषणा किये जाने के कार्य को निर्वाचन अभियान का अनुचित तरीका समझा जा सकता है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अपने दल के अभ्यर्थी के निर्वाचन अभियान मंत्री द्वारा भाग लेना अनुचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रतिनिधिक संसदीय लोकतंत्र में दल प्रणाली की सरकार में, मंत्री अपने दल के हितों की एकदम उपेक्षा नहीं कर सकता। यह बात कि निर्वाचन अभियान के दौरान मंत्री द्वारा की गई घोषणा निष्पक्ष निर्वाचन के हित में है या नहीं, हर मामले की परिस्थितियों और तथ्यों पर निर्भर करती है। इस मामले में 'गुजरात समाचार' में प्रकाशित संवाद से यह प्रकट होता है कि भिलोडा निर्वाचन क्षेत्र में कई सार्वजनिक सभाओं में मंत्री महोदय द्वारा जो घोषणाएं की गई बताई गई हैं, वे जल की सुविधाएं उपलब्ध कराने की बहुत बड़ी योजना से संबंधित हैं जो न केवल उस निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रों और गांवों से संबंधित है वरन गुजरात राज्य के प्रत्येक गांव और क्षेत्र से संबंधित हैं इन परिस्थितियों में यह कहना कठिन है कि संयुक्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत मामले में निर्वाचनों में औचित्य की सीमाओं का अतिक्रमण किया है।

किन्तु उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक कार्रवाई करने के बारे में मंत्री द्वारा दिये गये वचनमात्र किसी भ्रष्ट आचरण की कोटि में नहीं आते हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि एक अभ्यर्थी द्वारा दिया गया यह वचन कि यदि मैं निर्वाचित हो जाऊंगा तो मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि विकास योजनाओं पर होने वाला व्यय मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किया जाए, अनुज्ञेय माना गया है।

पश्चिम बंगाल के माल डिब्बे निर्माताओं को क्रयादेश

1354. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक रेलवे मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के माल-डिब्बे निर्माताओं को वर्षवार कुल कितनी कीमत के क्रयादेश दिये; और

(ख) उक्त अवधि में माल डिब्बा निर्माताओं ने वर्षवार कुल कितनी कीमत के क्रयादेशों (प्रतिशत में) को पूरा किया ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1427/69]**

रेल के सवारी डिब्बों का निर्यात

1355. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैराम्बूर स्थित इंटग्रेल कोच फैक्टरी विदेशों को रेल के सवारी डिब्बों का निर्यात करती है;

(ख) यदि हां, तो 1967-68 तथा 1968-69 में प्रत्येक देश को कुल कितने मूल्य के सवारी डिब्बों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या इस फैक्टरी को 1969-70 के लिये किसी देश से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक देश से कुल कितने मूल्य के माल के संबंध में क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। सवारी डिब्बा कारखाने ने अभी तक केवल बोगी ट्रकों का निर्यात किया है।

(ख) 1967-68—अभी तक निर्यात की गयी बोगियों का कुल मूल्य इस प्रकार है :—

(1) थाईलैंड को भेजी गयी 2 बोगियों का मूल्य 47,000 रु० (लगभग)।

(2) जैसप एण्ड कं० लिमिटेड, कलकत्ता के द्वारा बर्मा को भेजे गये 66 बोगियों का मूल्य 16.50 लाख रुपये।

1968-69—कुछ नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) निम्नलिखित आर्डर प्राप्त किये गये हैं :

देश	विवरण	मूल्य
थाईलैंड	45 बोगियां	10.44 लाख रुपये
तैवान	100 बोगियां	23.17 लाख रुपये

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में डिवीजन बनाना

1356. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में डिवीजन बनाने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है और उसे कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1 मई, 1969 से मंडल प्रणाली के आधार पर काम शुरू किया गया है । कटिहार, अलीपुर दुआर और लमडिंग में मुख्यालय के साथ तीन पूरे मंडल तथा तिनसुकिया में मुख्यालय के साथ एक परिवहन मंडल की स्थापना की गयी है ।

मैसर्स तुंगभद्रा पल्प एण्ड बोर्ड लिमिटेड को इण्डिया शूगर्ज एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड, हास्पेट का एकमात्र विक्रय एजेंट नियुक्त करना

1357. **श्री स० अ० अगडी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में हास्पेट स्थित मैसर्ज मोरारकाज आफ इन्डिया शूगर्ज एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड, ने अंशधारियों के सामान्य निकाय की स्वीकृति के बिना इन्डिया शूगर्ज एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड हास्पेट तथा सालारजंग शूगर मिल, मुनीराबाद द्वारा उत्पादित चीनी का विक्रय करने के लिये तुंगभद्रा पल्प एण्ड बोर्ड लि०, मुनीराबाद नामक सहायक कम्पनी को एकमात्र विक्रय एजेंट नियुक्त किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन्डिया शूगर्ज एण्ड रिफाइनरीज लि० को उक्त कम्पनी ने मुरारकाज प्रबन्ध के अन्तर्गत आकर जाली नामों से कई बार एकमात्र विक्रय एजेंट नियुक्त किये हैं जिससे जाली फर्मों का समापन करके करों की चोरी की है; और

(ग) जब से इन्डिया शूगर्ज एण्ड रिफाइनरीज लि०, हास्पेट मोरारकाज के प्रबन्ध के अन्तर्गत आई है तब से अब तक उसने किन-किन नामों के एकमात्र विक्रय एजेंट नियुक्त किये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). यह सूचना संग्रह की जा रही है वे सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

कर्मशियल क्लर्कों (दक्षिण रेलवे) के लिये कार्यकारी मापदण्ड

1358. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या रेलवे मंत्री कर्मशियल क्लर्क (दक्षिण रेलवे) के लिये कार्यकारी मापदण्ड के सम्बन्ध में 8 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5657 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी अब तक एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कृपया अनुबन्ध देखें । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1428/69]

(ग) सवाल नहीं उठता ।

मदुरे डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में कर्मशियल क्लर्कों के पदों का समाप्त किया जाना

1359. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या रेलवे मंत्री मदुरे डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में कर्मशियल क्लर्कों के पदों को समाप्त किये जाने के बारे में 13 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9523 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में अब तक जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कृपया अनुबन्ध 'क' देखें (हिन्दी अनुवाद बाद में दिया जायेगा) । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1429/69]

(ग) सवाल नहीं उठता ।

वाणिज्यिक क्लर्क

1360. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **रेलवे** मंत्री वाणिज्यिक क्लर्कों तथा वाणिज्यिक निरीक्षकों के बारे में 6 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8577 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी तथा उत्तर रेलवे को छोड़कर अन्य रेलों में 450-575 रुपये और 370-475 रुपये के वेतनमानों में वाणिज्यिक क्लर्कों के पद न रखने के क्या कारण हैं;

(ख) पूर्वी रेलवे में 5553 वाणिज्यिक क्लर्क होने के बावजूद 335-425 रुपये के वेतनमान में केवल तीन ही पद देने के क्या कारण हैं जबकि दक्षिण रेलवे में ऐसे पदों की संख्या 20 है, यद्यपि वहां वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या केवल 4378 है;

(ग) ऊंचे वेतनमान के पद किस आधार पर मंजूर किये जाते हैं;

(घ) विभिन्न रेलवे जोनों में वाणिज्यिक क्लर्कों के उच्च ग्रेड के पद रखने के बारे में भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये समान नीति निर्धारित करने का विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). 110-200, 150-240, 205-280, 250-380, और 335-425 रुपये के पदक्रमों में वाणिज्य क्लर्कों के पदों का वितरण प्रतिशत के आधार पर इस प्रकार किया गया है :

पदक्रम	प्रतिशत के आधार पर वितरण
335-425 रु० (अ) 250-380 रु० (अ)	2
205-280 रु० (अ)	38
150-240 रु० (अ)	35
110-200 रु० (अ)	55

370-475 और 450-575 रु० के पदक्रम में वाणिज्य क्लर्कों के पद प्रतिशत वितरण के क्षेत्र से बाहर हैं और इन्हें मुख्य वाणिज्य क्लर्कों को, उनके विशिष्ट कार्यभार के आधार पर आवंटित किया जाता है। इसके अलावा, निर्धारित प्रतिशत के अनुसार, 250-380 रु० और 335-425 रु० के दो पदक्रमों में पदों की कुल संख्या सभी पदक्रमों में वाणिज्य क्लर्कों के पदों की कुल संख्या का 2 प्रतिशत होनी चाहिए। दोनों पदक्रमों में पदों का वितरण अलग-अलग पदों के कार्यभार पर निर्भर करता है और इन्हें लागू करना रेलों पर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार, विभिन्न रेलों के बीच 335-425 रु० के पदक्रम के पदों की कुल संख्या और सभी पदक्रमों में पदों की संख्या के बीच अनुपात समान नहीं हो सकता। प्रतिशत के आधार पर विभिन्न पदक्रमों

में पदों के वितरण की वर्तमान प्रणाली से निचले तीन पदक्रमों में पदों के वितरण में एकरूपत आ जाती है, जो आम स्टेशनों और माल गोदामों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लि पर्याप्त है ।

बिरला सार्थ समूह के विरुद्ध आरोप

1361. **श्री हेम बरुआ :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह : **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिरला सार्थ समूह के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच की शर्तें क्या हैं और देश में अब तक बिरला सार्थ समूह के विरुद्ध क्या विशेष आरोप लगाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). संभवत: माननीय सदस्य का निर्देश राज्य सभा सदस्य श्री चन्द्रशेखर द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में दिये गये बिड़ला सार्थ समूह के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की ओर है ।

सरकार ने, इन आरोपों की जांच के लिए अपेक्षित प्रबन्ध को प्रकृति के बारे में चिन्तनीय विचार करने के पश्चात्, उन मामलों की जांच में सहयोग देने के लिए, जो अनेक कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा पहले ही विचाराधीन है, के बारे में शीघ्र कार्यवाही करने तथा इन मामलों को शीघ्र सरकार के निर्णय के लिए उपस्थित करने के लिए, मंत्री मंडल सचिवालय में, न्यायिक पृष्ठभूमि तथा कानूनी कार्यों में अनुभव प्राप्त एक विशेष आयुक्त की नियुक्ति कर दी है । विशेष आयुक्त को, संबंधित विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों से कागज-पत्र तथा सूचना मंगाने का अधिकार प्राप्त है ।

Conversion of Sonai Halt Station into a Crossing Station

1362. **Shri Sheopujan Shastri :**
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of representations received from the land management committees, Legislators, public and Members of Parliament from Sonai area from January, 1969 to-date for converting Sonai Halt station into a crossing station on Mathura-Hathras Metre Gauge line and for constructing the building of the station two furlongs away from the existing station ;

(b) the action taken by the Government thereon ; and

(c) the date by which the construction work of the Station would be started ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) A representation was received from the Societies and residents of Sonai area through three Members of Parliament.

(b) As the site for locating the proposed crossing station at a distance of about 1 kilometre from the existing Sonai halt station towards Raya side has been finalised with the approval of the local public and after examining all technical and other aspects, further examination for siting the crossing station at a distance of 2 furlongs has not been considered necessary.

(c) State Government's approval for shifting the halt station is still awaited. After receipt of the same, construction work of the crossing station at the proposed site will be taken up.

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कंपनी, ऊटकमंड

1363. **श्री उमानाथ :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री नम्बियार : **श्री के० रमानी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊटकमंड स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कंपनी काफी अच्छी किस्म की एक्सरे फिल्मों का निर्माण नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कंपनी अच्छी किस्म की एक्सरे फिल्मों का निर्माण करे और पर्याप्त मात्रा में, इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). ऊटकमंड स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कंपनी का उत्पादन अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। फिर भी इसके द्वारा उत्पादित एक्सरे फिल्म एक कोटि की हैं। जो देश में बेचे जाने वाले किसी भी आयातित ब्रांड के मुकाबले की हैं। उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है और आशा की जाती है कि 1969-70 के अन्त तक उत्पादन इस स्तर तक पहुंच जाएगा कि देश में एक्सरे फिल्म की अनुमानित मांग को व्यावहारिक रूप से पूरा किया जा सकेगा।

Associated Bearing Co. Ltd., Bombay

1364. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Shardanand :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2537 on the 11th March, 1969 and state :

(a) the value in terms of rupees of the Ball bearings, tapered roller bearings, pendulum weighting arms, cradles, centring steeve inserts, tape-tension pulleys and top rollers exported from 1965 to 1968 out of the products manufactured by the Associated Bearing Company Ltd., Bombay; and

(b) the amount of foreign exchange sanctioned by Government to this firm from 1965 to 1968 and the amount out of it actually given ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a)	1965	—	Nil
	1966	—	Nil
	1967	—	Rs. 8,863
	1968	—	Rs. 2,46,079

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Glass Carboys and Pressed Wares Ltd., Bombay

1365. **Shri Bansh Narain Singh** :

Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1092 on the 25th February, 1969 and state :

(a) the steps proposed to be taken in future by Government to ensure regular supply of production data from the Glass Carboys and Pressed Wares Limited, Bombay ; and

(b) the value of the goods exported by this firm during the last three years ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The unit has since been transferred to the Small Scale Sector and, therefore, according to the prescribed procedure, production returns are not required to be submitted to the Central Government but only to the State authorities.

(b) The firm is not enrolled with the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council and information regarding value of exports, if any, by this firm, is not readily available.

Sale of School and College Note Books in Black Market

1366. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that School and College note books are being sold in black market at 40 per cent higher prices in Ghaziabad ;

(b) whether it has happened for the first time ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) There is no control price for school and college note books. The district authorities of Meerut (U. P.) have, however, intimated that the supply of note books in the open market is plentiful and it is not correct that books are sold in black market at 40 per cent higher prices.

(b) and (c). Do not arise.

Alwar Station

1367. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Alwar Station, after developing it into a junction, would be connected with such a short route via Kosi or Bharatpur or any other place as would involve minimum expenditure ; and

(b) in case, for the time being, it involves more expenditure, whether a survey thereof would be made so as to include it in the future programme of constructing new railway lines ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). The question of developing Alwar as a junction station would arise if there was a proposal to construct a new railway line connecting Alwar, and Kosi or Bharatpur or some other place. Due to financial stringency it is not possible to consider construction of such a rail link at present.

जैसप के अंश मूल्य निर्धारण के मामले में मध्यस्थ की रिपोर्ट

1368. **श्री भगवान दास** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसप के अंश मूल्य निर्धारण के मामले में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस० के० दास को मध्यस्थ नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो इसमें कितना समय लगा ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) मध्यस्थ ने अपनी नियुक्ति की स्वीकृति के 3 वर्ष 7 मास और 26 दिन बाद 21 अप्रैल को अपना निर्णय दे दिया है ।

(ग) उन्होंने प्रत्येक अंश (शेयर) का मूल्य 50 रु० ठहराया है ।

रेयन ग्रेड गूदा के लिये 'जूट स्टिक' का प्रयोग

1369. **श्री भगवान दास** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन ग्रेड गूदे के उत्पादन के लिए 'जूट स्टिक' को उपयुक्त पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रगति की है ;

(ग) क्या सरकार का विचार आसाम और पश्चिम बंगाल में कारखाने लगाने का है ; और

(घ) कितने मूल्य के रेयन के गूदे का आयात किया जाता है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जूट स्टिक से रेयन ग्रेड लुगदी के बनाने पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जूट तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला कार्य कर रही है। लुगदी के उत्पादन का तरीका प्रयोगशाला स्तर पर इस अवस्था को पहुंच गया है कि यह (पायलट प्लांट) पर बनाया जा सकता है। परन्तु इसे वाणिज्यिक प्रयोग के योग्य बनाने के लिए छानने की क्रिया में ज्यादा छूछ का रहना तथा अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करना है। इस स्तर पर जूट स्टिक से रेयन ग्रेड लुगदी के निर्माण के हेतु संयंत्रों की स्थापना का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) रेयन लुगदी के आयात के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। फिर भी, 1966-67 में लुगदी की सभी किस्मों के आयात का मूल्य रु० 10,30,70,000 था।

राज्यों में बेगार

1370. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के हाल ही के प्रतिवेदन के अनुसार न केवल राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और मैसूर में अपितु केरल और तामिलनाडु में भी एक प्रकार की श्रमिकों की दासता अभी तक विद्यमान है, जिसके अन्तर्गत निर्धन आदिमजातियों के लोगों का शोषण कुछ धनी जमींदार द्वारा बेरहमी से किया जा रहा है ;

(ख) क्या श्रमिकों से इस प्रकार बेगार लेना संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं है ;

(ग) केन्द्रीय आदिमजातीय कल्याण परामर्शदाता मण्डल द्वारा 12 वर्ष पूर्व इस आशय की जो सिफारिशें की गई थीं कि आदिवासियों द्वारा लिए गए समस्त ऋण, जो तीन वर्ष पुराने हों, बट्टे खाते में डाल दिए जाने चाहिए, उसकी उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने श्रमिकों की बेगार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विधि मत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) से (घ). संविधान के अनुच्छेद 23 के अधीन मानव का पण्य और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध है और विधि के अनुसार दण्डनीय है। अलबत्ता बंधित श्रम की प्रथा कुछ राज्यों में विद्यमान है। राज्य सरकारें इस समस्या पर पूरी तरह से विचार कर रही हैं और उन्होंने इस बुराई को दूर करने

के लिए विभिन्न कार्यकारी और विधायी उपाय किए हैं। इन विभिन्न उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण तारांकित प्रश्न 40 के उत्तर में सभापटल पर रखा गया था।

Loss to Railways due to Political Movements

1371. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total amount of loss sustained by the Indian Railways on account of Gheraos, strikes and political riots during the financial years 1967-1968 and 1968-69 ; and

(b) the measures being adopted by Government to ensure that Railway Department do not suffer a loss in future on account of political movements ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The total amount of damages caused to the Railway property on account of Gheraos, strikes and political riots during the years 1967-68 and 1968-69 have been estimated at Rs. 27,28,000/- and Rs. 19,17,000/- respectively.

(b) Railway Protection Force/Railway Protection Special Force are being increasingly deployed to protect Railway property and to assist the State Police in handling such situations. Closest liaison is being maintained with the State authorities who deal with Law and order problems. Sustained efforts are being made to project before the public the baneful effects of destruction of national assets like Railway property.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों की बिक्री

1372. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन तथा पश्चिम जर्मनी की कम्पनियों के साथ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों को बेचने संबंधी करार पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने ब्रिटेन की एक पार्टी के साथ बेचने के करार पर हस्ताक्षर किये हैं। अब तक कंपनी ने अपने उत्पादों के बेचने के लिए फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों को बेचने के लिए सरकार ने कोई सीधा करार नहीं किया है।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा ब्रिटेन की पार्टी के बीच का करार वाणिज्यिक करार है। ऐसे करारों के विवरण को बताना उपयुक्त नहीं समझा जाता है।

रूस से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के उत्पादों के लिये निर्यात बाजार की खोज के लिये भारत-सोवियत संयुक्त समिति

1373. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री मोहन सिंह ओबराय :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में रूस की सहायता से सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई परियोजनाओं के उत्पादों के लिए रूस और तीसरे देशों में निर्यात बाजार का पता लगाने के लिए भारत-रूस संयुक्त समिति की स्थापना की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब स्थापित की जायेगी और इस समिति के सदस्य कौन कौन होंगे और इसके विचारार्थ विषय क्या होंगे ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जून 1969 में मास्को में रूसी नेताओं से बातचीत के मध्य रूस की तरफ से यह इच्छा व्यक्त की गई कि वह भारत के हरिद्वार के हैवी इलैक्ट्रीकल इक्विपमेंट प्लान्ट में निर्मित मशीनों को तीसरे देशों को निर्यात करने में सहयोग करेगा। रूसी सहयोग से स्थापित अन्य हैवी मशीन बनाने वाले संयंत्रों के बारे में भी इसी प्रकार की सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की गई। इस हेतु चतुर्थ योजना की अवधि में विशेषकर ऐसे उपकरणों के लिए जो हरिद्वार संयंत्र में निर्मित होते हैं, एक संयुक्त निर्धारण किया जायेगा। ऐसी आशा की जाती है कि यह निर्धारण कार्य 3-4 महीनों में पूरा हो जायेगा और इसी मध्य या इसके पश्चात् तीसरे देशों के प्रतिनिधियों से इस मामले पर बातचीत होती रहेगी।

मंडी धनौरा रेलवे स्टेशन पर डाकुओं का हमला

1374. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जून, 1969 को डाकुओं के एक गिरोह ने उत्तर रेलवे के गजरौला-मुजफ्फरपुर सेक्शन में मंडी धनौरा रेलवे स्टेशन पर हमला किया था और उसने सहायक स्टेशन मास्टर और तीन यात्रियों को घायल कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में चलती रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर ऐसी कितनी घटनायें हुईं ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले 6 महीनों में उत्तर रेलवे में स्टेशन-परिसरों में 4 और चलती गाड़ियों में 4 ऐसी घटनाएं हुईं ।

(ग) डकैती और लूट आदि की ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षकों ने अपने हलकों में पड़ने वाले रास्ते के कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सशस्त्र रक्षक तैनात कर दिए हैं। ये रक्षक दिन के समय सरकारी रेलवे पुलिस के पर्यवेक्षण में चलते हैं और रात में महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुक जाते हैं । (पर्यवेक्षण कर्मचारियों द्वारा भी विशेष जांच की जाती है) । छोटे स्टेशनों पर पुलिस भी गश्त लगाती है ।

अखिल भारतीय निर्माता संगठन द्वारा दिया गया आर्थिक विकास कार्यक्रम के लिये सुझाव

1375. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय निर्माता संगठन ने गत मई में हुये अपने वार्षिक सम्मेलन में पूर्ण आर्थिक विकास के लिए 5 सूत्री-कार्यक्रम का सुझाव दिया था ;

(ख) क्या इस संगठन ने उस प्रस्ताव की एक प्रति सरकार को भेजी है ;

(ग) यदि हां, तो सुझाए गए कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

(घ) अखिल भारतीय निर्माता संगठन द्वारा सुझाया गया कार्यक्रम नोट कर लिया गया है ।

विवरण

अखिल भारतीय निर्माता संगठन द्वारा सुझाये 5 सूची कार्यक्रम का ब्योरा

1. लाइसेंस उपबन्धों, मूल्य तथा वितरण सम्बन्धी नियन्त्रणों और असाधारण प्रशासनिक विलम्ब, जिनसे उन्नति में बाधा उपस्थित होती है, आदि को कम से कम करने के लिए सरकार को उचित मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए ।

2. खपत पर रोक लगाने के बजाय वस्तुओं और सेवाओं की निपज अधिकतम संभव प्रोत्साहन देकर कमी के स्थान पर प्रचुरता की अर्थ व्यवस्था का निर्माण करने पर जोर देना चाहिए ।

3. बचत बढ़ाने के लिए मूल्य स्थायी रखने में अधिकतम सजगता बरतनी चाहिए जिससे वे बचत औद्योगिक विकास के काम में लाई जा सकें।

4. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के औद्योगिक संस्थानों में प्रबन्धात्मक क्षमता के उच्चतम मानदंडों को ग्रहण करना चाहिए जिससे कि विनियोजित साधनों से सामान और सेवाओं के उत्पादन की आशा बंध सके। क्षेत्र के उपक्रमों को विशेषकर सरकारी प्रतियोगितात्मक मूल्यों पर उच्च किस्म का मूल, कच्चा माल और सामान उपलब्ध कराना चाहिए। जिससे कि वे लाभदायक तथा वाणिज्यिक स्तर पर चल सके। कौशलपूर्ण भूमिका जो उन्हें निभानी है, इसकी दृष्टि से उन्हें निजी क्षेत्र के एककों के साथ घुलमिल कर काम करना चाहिए जिससे कि गत तीन वर्षों में परिलक्षित पूर्ण क्षमता के कम उपयोग को और संभरण में असंतुलन को बचाया जा सके।

5. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला तथा सहकारिता औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संकायों तथा अन्य संकायों द्वारा किए गए उत्पाद अनुसंधान और विकास के कार्यों पर अधिकतम संभव ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि विश्व भर में तीव्र गति से हुए तकनीकी विकास के साथ संबंध बनाए रखा जाए। सहयोगी प्रबन्धों के आधार पर तकनीकी जानकारी आयात करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि देशी प्रतिभा के विकास में अवरोध न आ जाए। प्रकरणों में पहुंच वास्तविक होनी चाहिए जिससे कि उचित प्रकरणों में तकनीकी सेवाएं व्यक्तिगत रूप में या दलों में प्राप्त करने में शीघ्रता से प्रोत्साहन दिया जा सके। इसका लाभ विदेशी मुद्रा के परिव्यय में कमी तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विदेशी तकनीकी ज्ञान का अनुकूलन करने की अधिकतर संभावना है।

रोलिंग स्टाक निर्यात संघ संवर्धन परिषद

1376. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोलिंग स्टाक निर्यात संघ का संगठन तथा गठन ब्योरा क्या है और विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी निर्माता संस्थानों को इस निकाय में किस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया जाता है ;

(ख) यह रोलिंग स्टाक निर्यात संवर्धन परिषद रेलवे बोर्ड और/अथवा वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय के अन्तर्गत किस सीमा तक कार्य करती है ; और

(ग) इस वर्ष फरवरी में इस संगठन के गठन से अब तक सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं को इस संगठन के द्वारा मिले ऋयादेशों का अलग-अलग ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). चल स्टाक निर्यात संस्था एक गैर-सरकारी संगठन है जो कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्टर की गई है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बाजार का सर्वेक्षण, विदेशों में प्रचार स्थानीय एजेटों की नियुक्ति, विदेशों में प्रतिनिधि मण्डल भेजने आदि जैसे उपायों द्वारा रेलवे के चल स्टाक के निर्यात में सहायता, सुरक्षा, अनुरक्षण, वृद्धि एवं उन्नति करना है। गैर-सरकारी क्षेत्र के 13 माल डिब्बा निर्माता, सवारी डिब्बा कारखाना, पैरम्बूर, भारत अर्थमूवर्ज लि० (रेल डिब्बा विभाग), बैंगलूरू और भारत का राज्य व्यापार निगम, इस संस्था के सदस्य हैं। संस्था के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 10 और 11 के अनुसार संस्था के मामलों का प्रबन्ध एक कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में नीचे लिखे अनुसार सदस्य शामिल होते हैं :—

(1) रेलवे बोर्ड द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।

(2) वाणिज्य मंत्रालय (अब विदेश व्यापार एवं पूर्ति) द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।

(3) संयुक्त प्लांट समिति द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।

(4) संस्था के वार्षिक महा सम्मेलन में सदस्यों द्वारा चुने गये 5 व्यक्ति।

रेल मंत्रालय और विदेश व्यापार एवं पूर्ति मंत्रालय इस संस्था को निर्यात सम्बन्धी पूछ ताछ के बारे में ऐसी सूचना देते हैं जिसमें इसके सदस्यों को दिलचस्पी हो सकती है। इसके बाद संस्था इन सूचनाओं तथा विभिन्न व्यापारिक पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि से इकट्ठी की गई दूसरी सम्बन्धित सामग्री आदि की जानकारी संस्था के सदस्यों को देती है। संस्था के सदस्य ऐसी पूछतांछ की जांच पड़ताल करते हैं और अपने सामान की दरें सीधे या राज्य व्यापार निगम जैसी निर्यात एजेंसियों की मार्फत भेजते हैं। अभी तक स्वयं संस्था ने अपने नाम से कोई टेंडर पेश नहीं किया है। चूंकि सदस्य ऐसी सूचना के आधार पर अपनी दरें भेजते हैं जो उन्हें न केवल संस्था से बल्कि उसी समय अन्य साधनों से भी मिली होती हैं, इस लिए निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि इस संस्था के प्रभाव से उन्हें कितने आर्डर मिले हैं।

Issue of Industrial Licences to Firms

1377. **Shri Valmiki Choudhary:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of applications for industrial licences received so far from the first 10 firms of the industrialists out of those about which mention has been made in the Report of the Monopolies Commission ;

(b) the number of licences issued to those firms after the said report was submitted and the complete details in respect thereof; and

(c) the steps taken by Government to check the rise of monopolistic tendencies ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Firm-wise statistics of number of applications for industrial licences received are not maintained.

(b) Information regarding the licences issued to the large Business Houses upto 31st December, 1966, is available in the Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee which has already been laid in the Parliament.

The number of licences issued to the First Ten Firms mentioned in the Report of the Monopolies Inquiry Commission (1965), in order of the value of their assets, since 1st January 1967 is given below :—

	1967	1968	1969 (upto June 1969)	Total
1. Tata	4	5	3	12
2. Birlas	3	5	4	12
3. Martin Burn	1	—	—	1
4. Bangur	2	—	—	2
5. A.C.C.	—	2	—	2
6. Thapar	1	1	1	3
7. Sahu Jain	—	—	—	—
8. Bird Heilgers	1	3	—	4
9. J. K. Singhania	6	2	—	8
10. Soorajmull Nagarmull	—	1	3	4
Total ..	18	19	11	48

The details of all licences issued are published in a number of Journals, viz. the Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences; the Weekly Indian Trade Journal and the Monthly Journal of Industry and Trade. Copies of these Journals are supplied to the Library of the Parliament.

(c) With a view to check the rise of monopolistic tendencies, the Government have already introduced the Monopolies and Restrictive Trade Practices Bill, 1967, in the Parliament which is under discussion at present. The Industrial Licensing Policy Inquiry Committee has also examined this matter. The Report of this Committee has, however, been submitted to the Government recently, and it has already been placed before the Parliament. The recommendations made in this Report are under consideration of the Government.

रूसी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के फालतू उत्पादन

1378. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
डा० रानेन सेन :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस की सरकार भारत में रूस द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं

के फालतू उत्पादों को बेचने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो किये गये करार का ब्योरा क्या है ; और

(ग) फालतू उत्पादों की मात्रा कितनी है और इस समय वस्तुतः कितनी हानि हुई है और उनके न बिक सकने के कारण क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जून, 1969 में मास्कों में रूसी अधिकारियों के साथ हुई बात-चीत में अन्य बातों के साथ-साथ यह बात भी आई थी कि बढ़ते हुये निर्यात में रूसी सहयोग की आवश्यकता है जिससे हरिद्वार के हैवी इलैक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट प्लांट में बनने वाली मशीनों और उपकरणों को अन्य देशों को भेजा जा सके। इससे उस फालतू क्षमता को प्रयोग में लाने में सहायता मिलेगी जो 1971-72 से 1973-74 की अवधि में प्रगट हो जाने की आशा है। रूस इस संबंध में सहायता करने के लिए सहमत था और विस्तृत बातें अगले कुछ महीनों में विशेषज्ञों द्वारा तय की जायेंगी। आशा है इस संबंध में रूसी विशेषज्ञों का एक छोटा दल अगले कुछ सप्ताहों में हरिद्वार संयंत्र को देखने जाएगा। रूसी सहयोग से स्थापित अन्य भारी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में बनने वाले उपकरणों तथा मशीनों के निर्यात को बढ़ाने में सहयोग करने के प्रश्न पर भी सामान्य रूप से चर्चा की गई और सोवियत पक्ष इस बारे में यथासंभव अधिकाधिक सहायता करने के लिए सहमत हो गया है। इसका और विस्तृत ब्योरा रूस के परामर्श से संबंधित उपक्रमों द्वारा तैयार किया जाएगा।

पश्चिमी बंगाल विधान परिषद के लिये निर्वाचन

1379. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री हेम बरुआ :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने पश्चिमी बंगाल विधान परिषद के लिए होने वाले निर्वाचनों को स्थगित कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संसद ने अभी तक कोई ऐसा विधान पारित नहीं किया है जिसके अनुसार राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो निर्वाचन न कराने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिमी बंगाल विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक, 1969 को संसद के दोनों सदन पारित कर चुके हैं।

(ग) ऊपर के (ख) भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात बढ़ाने के लिये भारत-इग्लैंड का उपक्रम

1380. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उनका ध्यान 11 जून, 1969 को "स्टेट्समैन" में "निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत इग्लैंड का उपक्रम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त देश का निम्नलिखित भाग ठीक कहा गया है ;

> "सबसे पहले संयुक्त निर्माण कार्यक्रमों का प्रस्ताव है जिनके अन्तर्गत निर्माण सुविधाओं का एक हिस्सा विशेषकर उन कामों का जो प्रमुख रूप से श्रमिकों पर निर्भर करते हैं, भारत में होगा। श्री फख्रुद्दीन अली अहमद द्वारा दिये गये प्रस्ताव के दूसरे पहलू का संबंध अन्य देशों में संयुक्त पूंजी निवेश के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग की संभावनाओं में है।" और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) मेरी हाल की ब्रिटेन यात्रा के समय सरकारी तथा औद्योगिक प्रतिनिधियों से बातचीत करते समय जो विषय सामने आए, वे ये थे—उत्पादन के संयुक्त कार्यक्रमों की संभावना जिसके अन्तर्गत विशेष रूप से श्रमप्रधान उत्पादों के भारत में उत्पादन एककों की स्थापना भी आती है जिससे कि संयोजित उत्पादन को जो भारत या ब्रिटेन कहीं पर भी हो, अन्य देशों में निर्यात किया जा सके। अन्य विकासशील देशों में उद्योगों की स्थापना के लिए दोनों देशों के औद्योगिक उपक्रमों में सहयोग की सम्भावनाओं पर भी बातचीत हुई।

Emolument of Top Executives in Private Firms

1381. **Shri Jyotirmoy Basu :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the ceiling imposed on salaries paid to top executives by private firms is being reviewed by the Department of Company Affairs ;

(b) if so, the ceiling imposed during the last three years and the salary and perquisites received by the Managing Directors of the following firms ;

(1) Associated Cement Company ; (2) Burmah Shell; (3) Delhi Cloth Mills ; (4) Dunlop Rubber ; (5) Hindustan Lever ; (6) Imperial Tobacco ; (7) Hindustan Motors ; (8) Indian Iron and Steel ; (9) Tata Iron and Steel ; and (10) Oil India ;

(c) whether Government are considering the issue of reduction in the present ceiling on the salaries ; and

(d) if so, what will be the rate of reduction ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). The ceiling on salaries of Managing/Whole-time Directors, Managers in public limited companies in the private sector is being reviewed.

(b) Statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT 1430/69].**

बसुमती का पूंजी सम्बन्धी ढांचा

1382. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बंगाली दैनिक समाचार पत्र "बसुमती" के पूंजी संबंधी ढांचे का ब्योरा क्या है ;

(ख) इसकी पूंजी किन-किन साधनों से प्राप्त की गई थी ; और

(ग) इसकी निधि को किस काम में लाया जाता है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). सम्भवतः प्रश्न का निर्देश बसुमती प्राइवेट लिमिटेड की ओर है, जिसके पास कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला बंगला दैनिक "बसुमती दैनिक" है। इस कम्पनी का 31-12-1967 तक का पूंजी विन्यास, साथ-साथ निधि के साधन बताते हुये, निम्नलिखित है :—

हिस्सा पूंजी

प्रेषित तथा अभिदत्त

(1) 100 रु० प्रति हिस्से की दर के, 3000, इक्विटी हिस्से, नकद के बजाय अन्यथा, पूर्व प्रदत्त निर्धारित किये गये।	3,00,000 रु०
(2) 100 रु० प्रति हिस्से की दर के 5835 हिस्से, नकद पूर्व प्रदत्त निर्धारित किये गये।	5,83,500 रु०
(3) हिस्सा जमा	69,500 रु०
(4) आरक्षित तथा आधिक्य	2,17,48 रु०

ऋण-पूंजी

(1) **प्रतिभूति ऋण**

बैंकों से ऋण :

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया लि० (समाचार मुद्रण-पत्र सामग्री के उप-प्राधोयन पर)	52,630 रु०

(2) **प्रतिभूति-रहित ऋण :**

अन्य ऋण तथा अग्रिम-धन :		
आन्ध्र बैंक लि०	11,280 रु०	
अन्य	114,800 रु०	
प्रतिभूति रहित ऋणों पर प्राप्त ब्याज	36,187 रु०	1,62,267 रु०
(3) विविध जमाकर्ताओं तथा अभिकर्ताओं, कर्मचारियों आदि सहित, वर्तमान देयता तथा प्रावधान ।		13,08,386 रु०
	योग :—	26,93,769 रु०

(ग) पूंजी/देयता की बाबत निम्नलिखित परिसम्पत्तियां/हानियां है ।

(1) निश्चित परिसम्पत्तियों का मूल्य (ख्याति सहित)	5,48,377 रु०
(2) वर्तमान परिसम्पत्तियां	13,63,178 रु०
(3) ऋण तथा अग्रिम धन	2,36,124 रु०
(4) विविध व्यय (हानियों सहित)	5,46,150 रु०
योग —	26,93,769 रु०

परिवार तथा शिशु कल्याण योजनाओं के लिये 'यूनिसेफ' से सहायता

1383. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-'यूनिसेफ' करार के अन्तर्गत भारत को परिवार तथा शिशु कल्याण योजनाओं के लिये कुल कितना धन मिला ;

(ख) किन राज्यों को ऐसी सहायता नहीं मिल सकी ; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) 27,75,000 रुपये ।

(ख) केरल और नागालैण्ड ।

(ग) 'यूनिसेफ' सहायता के अन्तर्गत आरम्भ किया गया परिवार तथा शिशु कल्याण कार्यक्रम प्रथम चरण में समेकित शिशु कल्याण प्रदर्शन परियोजना और समन्वय कल्याण विस्तार परियोजनाओं जिनको सामुदायिक विकास खण्डों के अन्तर्गत शुरू किया गया था, सम्बन्धित

हैं। अत: 175 परिवार तथा शिशु कल्याण परियोजनाएं, जिनको 1969-70 के अन्त में आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है, विद्यमान परियोजनाओं से ही सम्बन्धित हैं। चूंकि नागालैण्ड में ऐसी कोई परियोजना नहीं थी अत: परिवार तथा शिशु कल्याण कार्यक्रम वहां आरम्भ नहीं किया जा सका। केरल में पहले शिशु कल्याण प्रदर्शन परियोजना को परिवार तथा शिशु कल्याण परियोजना में परिवर्तित करने का कार्य शुरू किया गया है। राज्य सरकार कार्यक्रम के ढंग को अपनाने के लिये सहमत नहीं हुई है।

राज्यों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना

1384. **श्री तुलसी दास दासप्पा :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसूर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, राज्यवार कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गईं ; और

(ख) राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गत तीन वर्षों में मैसूर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थापित औद्योगिक बस्तियों की सं० क्रमश: 9,11,7 और 18 थी।

(ख) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये राज्यों को निम्नलिखित शर्तों पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई :—

(1) कर्ज लेने के एक वर्ष पूरा होने वाले दिन से मूलधन तथा ब्याज को 15 समान किश्तों में भारत सरकार को वापस करना होगा।

(2) कर्ज पर वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई ब्याज पर लागू होगी। सन 1968-69 के कर्ज की ब्याज दर 5.50 प्रतिशत वार्षिक रही।

Truck-Train Collision near Gauhati

1385. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a truck collided with a Passenger train on an un-manned railway level crossing between Bindukuri and Dekargaon stations near Gauhati ;

(b) if so, the number of casualties and the loss of property as a result thereof ; and

(c) whether an enquiry has been held into the causes of the accident and, if so the findings thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes. This accident occurred on 3.6.1969.

(b) In this accident, 3 persons were killed and one sustained minor injuries. The cost of damaged to railway property was estimated at approximately Rs. 3,073/-.

(c) Yes. According to the finding of the inquiry committee the accident was due to the negligence of the motor truck driver who did not exercise proper vigilance and caution before negotiating the unmanned level crossing.

रेलवे में अपराध

1386. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में गाजियाबाद-अम्बाला, गाजियाबाद-मुरादाबाद, कासगंज-फर्रुखाबाद टूण्डला-फर्रुखाबाद गजरौला-नजीबाबाद, बिजनौर, मेरठ-बुलन्दशहर और हरिद्वार-मुजफ्फरनगर रेल मार्गों पर डकैतियां, लूटमार, हत्या तथा चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष मार्गवार ऐसे कितने अपराध इन रेल मार्गों पर हुए;

(ग) कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और दण्ड दिया गया;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन मार्गों पर यौन सम्बन्धी अपराध बढ़ गये हैं;

(ङ) मनसूरपुर स्टेशन पर गुन्डों द्वारा जिस लड़की को निर्वस्त्र कर दिया गया था, रेलवे पुलिस द्वारा उसकी रक्षा न की जाने के क्या कारण थे;

(च) क्या यह सच है कि रेलवे पुलिस के यात्रा करने वाले कर्मचारी संरक्षण को समुचित व्यवस्था न होने के कारण अपने आपको असुरक्षित अनुभव करते हैं; और

(छ) इन रेलवे मार्गों पर अपराधों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) गाजियाबाद-सहारनपुर-अम्बाला मार्ग पर जघन्य अपराध की घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई है ।

(ख) 1969 में प्रत्येक मार्ग पर जितने मामलों की सूचना दी गयी उनकी संख्या नीचे दी गयी है :

खण्ड	उन मामलों की संख्या जिनकी सूचना दी गयी ।			
	हत्या	डकैती	लूट	चोरी
सहारनपुर-अम्बाला के रास्ते गाजियाबाद	—	1	—	18
गाजियाबाद-मुरादाबाद	—	—	3	58
कासगंज-फर्रुखाबाद	2	—	1	उपलब्ध नहीं है
टूंडला-फर्रुखाबाद	—	—	3	1
गजरौला-बिजनौर-नजीबाबाद	—	—	1	15
मेरठ-बुलन्दशहर	—	—	—	2
हरिद्वार-मुजफ्फरनगर	—	—	—	6

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या — 31
दोषी ठहराये गये व्यक्तियों की संख्या — 8

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सरकारी रेलवे पुलिस को इस प्रकार की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की गयी थी ।

(च) जी नहीं ।

(छ) (1) यात्रियों तथा उनके सामानों की संरक्षा के लिए रात की सभी महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के सशस्त्र रक्षक तैनात किये जाते हैं ।

(2) जिन स्थानों एवं खंडों पर घटनाएं अधिक होती हैं, उनमें सरकारी रेलवे पुलिस के पर्यवेक्षण कर्मचारियों द्वारा अचानक जांच की जाती है ।

(3) रेलों में ऐसे अपराधों की जांच के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं ।

(4) क्षेत्र के बुरे चरित्र वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा सिविल पुलिस और सरकारी रेलवे पुलिस से निकट सम्पर्क रखा जाता है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के कारखानें

1387. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में कुछ सरकारी कारखानें स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के लिए नियत किये गए कारखानें के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). प्रस्तावित केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के नाम जिनकी स्थापना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान की जानी है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट के मसौदे में पृष्ठ 253-260 पर दिये गए हैं । तल्चुर में कोयले पर आधारित उर्वरक योजना की स्थापना करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

खुर्दा रोड डिवीजन में उड़िया भाषा जानने वाले सुरक्षा सलाहकार

1388. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुर्दा रोड डिवीजन में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की जानकारी कराने के लिये सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो खुर्दा डिवीजन में ऐसे कितने सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किये गये हैं, जो उड़िया भाषा में उपरोक्त नियम अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। वे तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को भी पढ़ाते हैं।

(ख) चार। उन में से सभी उड़िया बोल सकते हैं।

भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा

1389. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री अब्दुल गनीदार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष भारतीय रेलों में लगभग 10 लाख लोग बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये थे और उनसे अतिरिक्त किराया वसूल किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन से अधिक किराये के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ;

(ग) बिना टिकट यात्रा करने वाले ऐसे लोगों की अनुमानित संख्या क्या थी जो उपरोक्त अवधि में पकड़े नहीं गये और जिन से अधिक किराया वसूल नहीं किया जा सका तथा सरकार को इस कारण अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(घ) हमारे राजकोष को होने वाली इस भारी हानि और इस बुराई को रोकने के लिये सरकार क्या प्रभावी कायवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1968-69 में बिना टिकट यात्रा करते हुए 1,11,75,5080 व्यक्ति पकड़े गये।

(ख) उनसे निम्नलिखित रकम वसूल की गयी :

(1) किराये के रूप में 2,58,54,237 रुपये।

(2) अतिरिक्त प्रभार के रूप में 82,51,772 रुपये।

(ग) 1968-69 में बिना टिकट यात्रा करते हुए जो व्यक्ति पकड़े नहीं जा सके और इसलिए जिनसे प्रभार नहीं लिया जा सका, उनकी संख्या लगभग 10.5 करोड़ थी और इस कारण रेलों को लगभग 15 और 20 करोड़ रुपये के बीच हानि हुई।

(घ) विभिन्न खण्डों पर बार-बार आकस्मिक जांच की जाती है और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बड़ी संख्या में टिकट परीक्षण कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जांच की जाती है जिसमें कुछ मजिस्ट्रेट भी साथ होते हैं।

रेलों को हिदायतें भी दी गयी हैं कि बिना टिकट यात्रा की जांच के काम में गांव के बड़े-बूढ़ों, बालचर स्काउटों, विद्यार्थियों और समाज-सेवी संगठनों के स्वयंसेवकों का सहयोग लें। बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध समाचार-पत्रों, इश्तहारों, स्टेशनों पर लाउड-स्पीकरों द्वारा घोषणा,

आदि के माध्यम से आन्दोलन चला कर इस समस्या का सामाजिक दृष्टिकोणों से हल निकालने के भी प्रयत्न किये गये हैं। चूंकि विद्यार्थी इस समस्या के प्रमुख अंग रहे हैं, इसलिए उन्हें इस बात को महसूस कराये जाने के लिये, कि बिना टिकट यात्रा एक सामाजिक बुराई है, विभिन्न उपाय किये गये हैं। शिक्षा-संस्थाओं के माध्यम से इस मामले को सुलझाने के अलावा, शिक्षा संस्थाओं में इस विषय पर सेवा-निवृत्त वरिष्ठ रेल अधिकारियों के भाषणों की व्यवस्था की जाती है।

बिना टिकट यात्रा के लिए अधिक कठोर दण्डों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, 10-6-1969 से भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 112 और 113 में एक अध्यादेश जारी करके संशोधन किया गया है।

रामपुरहाट (पश्चिम बंगाल) के आदिवासियों की मांगें

1390. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **विधि और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रामपुरहाट में आदिवासी नेताओं का हाल ही में कोई सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो आदिवासी नेताओं ने क्या मांग प्रस्तुत की थी और जिन मांगों को सरकार का स्वीकार करने का विचार है, उनका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार को सम्मेलन के प्रायोजकों से अब तक कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

ओखला औद्योगिक बस्ती (दिल्ली) में किराये की किश्तों की बकाया राशि

1391. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला औद्योगिक बस्ती में गैर-सरकारी अलाटियों की ओर 1969 की पहली तिमाही में 20.56 लाख रुपये की राशि बकाया थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और उनके परिणामस्वरूप इस काम में कितनी सफलता मिली है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) ओखला औद्योगिक बस्ती शेडों के आवंटियों पर 1969 की पहली तिमाही तक 20.56 लाख रुपये की किराये की राशि बकाया थी।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा उठाये गये कदमों के परिणाम स्वरूप पहली तिमाही के दौरान 1,24,151 रुपये वसूल किये गये। शेडों के अलाटियों को 31 मार्च, 1969 तक बकाया

राशि जमा करने के निर्देश देने का निश्चय किया गया है। ताकि वे किराया खरीद योजना में भाग ले सकें तथा शेष राशि 1 सितम्बर, 1969 से किराया खरीद प्रीमियम के भाग के रूप में किस्तों में वसूल की जा सके। तथा 1969 की दूसरी तिमाही में 1,70,837 रुपये।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा कच्चे माल का आयात

1392. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड कच्चे माल का आयात करता आ रहा है जिससे वह विभिन्न प्रकार का माल बनाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार कुल कितने कच्चे माल का आयात किया गया और इससे कितने मूल्य का माल तैयार किया गया ; और

(घ) कच्चे माल के आयात घटाने के लिए क्या क्या उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी हां, विशेष प्रकार के कच्चे पदार्थ जो कि देश में उपलब्ध नहीं हैं, तैयार माल का उत्पादन करने के लिये इस समय आयात किये जा रहे हैं।

(ग) गत तीन वर्षों में आयातित कच्चे पदार्थों और उत्पादित सामान के मूल्य नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	एकक वार आयातित पदार्थों की कुल संख्या (मूल्य लाख रुपये में)			एकक वार आयातित सामान का मूल्य (मूल्य लाख रुपये में)		
	तिरुचि	हैदराबाद	हरिद्वार	तिरुचि	हैदराबाद	हरिद्वार
1966-67	300.89	290.00	12.15	403.00	156.00	17.69
1967-68	407.79	451.00	26.76	1081.00	641.00	28.09
1968-69	560.08	780.00	455.37	1572.00	1143.00	450.21

(घ) विभिन्न संयंत्र धातु व्यूरोज, देशीय विकास और बाजार अनुसंधान एकक अधिकतम देशीय क्षमता के विकास के कार्यान्वयन सुनिश्चय के लिये स्थापित किये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में अथक प्रयासों के फलस्वरूप आयातित मात्रा में धीरे 2 कमी आ रही है। अकेले तिरुचि शाखा के विकास एकक ने ही 1967-68 में देशीय प्रतिस्थापन द्वारा लगभग 50 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की। हैदराबाद एकक में आयातित होने वाले पदार्थों का प्रतिस्थापन करके 30 लाख रुपये की बचत करना संभव हुआ अन्यथा उसका आयात करना पड़ता। आयातित प्रतिस्थापन एकक की गतिविधियों कच्चे पदार्थों के प्रतिस्थापन, ग्रे आपरू के विकास, इस्पात और मिश्रधातु इस्पात से बनी हुई वस्तुओं पर आधारित हैं।

सूखी बैटरियों के मूल्यों में वृद्धि

1393. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूखी बैटरियों के दो निर्माताओं ने ट्रांजिस्टरों में काम आने वाली कुछ किस्मों की बैटरियों के दाम बढ़ा दिये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टार्चों और ट्रांजिस्टरों में काम आने वाली सूखी बैटरी को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है और क्या उक्त निर्माताओं ने सरकार की अनुमति से इनके दाम बढ़ाये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और सरकार इस मामले के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). टार्च एवं ट्रांजिस्टर्स में प्रयोग की जाने वाली शुष्क बैटरियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है । कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों का मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार प्रदान किया गया है ।

घाटपुरी स्टेशन पर संग-चल टिकट निरीक्षक पर आक्रमण

1394. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के बरेली-कासगंज सेक्शन पर घाटपुरी स्टेशन पर 18 जून, 1969 को बिना टिकट यात्रा करने वाले छात्रों ने एक संगचल टिकट निरीक्षक पर आक्रमण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अपराधी लोगों को पकड़ लिया गया है और क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, एक व्यक्ति ने, जो तीन अन्य लोगों के साथ था, चल टिकट निरीक्षक पर गोली चलायी ।

(ख) इस मामले में जिसकी अभी पुलिस जांच कर रही है, अभियुक्त व्यक्तियों में से अब तक एक गिरफ्तार किया गया है ।

वस्तु विनियम आधार पर आन्तरिक व्यापार

1395. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि भारत के आन्तरिक व्यापार में कितने

प्रतिशत आन्तरिक व्यापार अब भी वस्तु विनियम के आधार पर होता है ;

(ख) यदि हां, तो वार्षिक व्यापार कितने प्रतिशत है और किन क्षेत्रों में तथा किन-किन शर्तों पर होता है ; और

(ग) यदि कोई अनुमान नहीं लगाया गया, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकार को वस्तु-विनिमय के आधार पर किये गये आन्तरिक व्यापार की मात्रा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसे आंकड़े इकट्ठे करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

दरभंगा और निर्मली (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच चलने वाली गाड़ियों में प्रकाश की व्यवस्था

1396. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा और निर्मली के बीच चलने वाली गाड़ियों में विशेषकर स्टेशनों के बीच रात के समय प्रायः प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती है ; और

(ख) यदि हां, तो स्टेशनों के बीच बत्तियों के बन्द हो जाने के कारण हैं और उस लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में नियमित प्रकाश व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसे इस कार्य में कितनी सफलता मिली है।

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय गाड़ियों के सभी डिब्बों में सम्पूर्ण साज-सज्जे के साथ बत्तियों की व्यवस्था न करने से है। बल्बों की कमी के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं था। अब बल्ब मिल गये हैं और बल्बों के सम्पूर्ण साज-सज्जे के साथ ये सेवाएं संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं।

सकड़ी और हसनपुर के बीच सीधी रेलवे लाइन

1397. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सकड़ी और हसनपुर पूर्वोत्तर रेलवे के बीच एक सीधी रेलवे लाइन बिछाये जाने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) सरकार इस कार्य को कब शुरू करने जा रही है ; और

(घ) यदि सरकार इस परियोजना पर काम शुरू नहीं करना चाहती तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) और (घ). धन की कमी के कारण इस क्षेत्र में और कोई नई लाइन बनाने के सम्बन्ध में फिलहाल, विचार करना सम्भव नहीं है ।

Running of Delhi-Howrah Deluxe-Train via Varanasi

1398. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Ram Singh Ayarwal : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a scheme to run the Delhi-Howrah Deluxe train via Varanasi instead of Mirzapur, between Allahabad and Moghal Sarai ;

(b) if so, the date from which that scheme would be implemented ; and

(c) if such a scheme is not under consideration of Government, whether they would consider the same ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). It is proposed to divert 81Up/82Dn Howrah-New Delhi biweekly Air-conditioned Expresses via Varanasi in the time table to come into force from 1.10.69.

(c) Does not arise.

Late Arrival of Passenger train from Sultanpur to Jhansi

1399. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the passenger train which starts from Sultanpur reaches Jhansi late daily ;

(b) if so, the number of days on which the aforesaid train was late during the period from 1st April to 30th June, 1969 and the maximum and the minimum period of its late arrival ;

(c) whether it is also a fact that on account of late arrival of this train, the trains bound for Bombay, Manikpur, Allahabad and Delhi leave Jhansi due to which the passengers have to wait at the Jhansi Station for the whole day long ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) During April to June 1969, 108Up Sultanpur-Jhansi passenger reached Jhansi late on 88 occasions. The maximum and minimum extent of late arrival during this period was 9 hours-40 minutes and 30 minutes respectively.

(c) No.

(d) Late running of 108 Up Sultanpur-Jhansi passenger, which is worked by the incoming rake of 107 Dn. Jhansi-Sultanpur passenger, is caused chiefly due to heavy incidence of alarm chain pulling on these trains on the Jhansi-Kanpur-Lucknow section. During the 3 months from April to June, 1969, there were 86 cases of alarm chain pulling

on these trains between Jhansi and Kanpur alone. The unscheduled detentions caused by alarm chain pulling result in these trains losing path on the busy Kanpur-Lucknow section. Among the measures being taken to improve the running of these trains are intensive checks to eliminate alarm chain pulling and increasing the margin at Sultanpur to ensure right time starts for 108 Up Sultanpur-Jhansi passenger.

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सहायक विश्राम कक्ष

1400. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक सहायक विश्राम कक्ष है ;

(ख) क्या उसमें पर्याप्त फर्नीचर और साज सजावट आदि ठीक ढंग से की गई है ;

(ग) यदि नहीं तो राजधानी के सहायक विश्राम कक्ष में इतने घटिया किस्म के फर्नीचर साज-सजावट के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of Public Importance and request that he may make a statement thereon :

> "The demand made by more than 70 Members of Parliament to the effect that a Judicial Commission, vested with the necessary and effective powers, be appointed to find out the facts regarding the murder of Shri Din Dayal Upadhyaya, the late President of Jan Sangh."

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : महोदय, सरकार को 22 जून, 1969 को संयुक्त ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त हुई थी, जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों द्वारा जारी किया गया था तथा जिसमें मांग की गई थी कि श्री दीन दयाल उपाध्याय के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए जांच शक्तियों सहित एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए । यह ज्ञापत 9 जून, 1969 को वाराणसी के विशेष सैशन जज द्वारा न्यायनिर्णय घोषित करने के बाद जारी किया गया था । जिसमें श्री दीन दयाल उपाध्याय की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किये गये दो व्यक्तियों को कत्ल के अपराध से निर्दोष घोषित किया गया था तथा उनमें से एक को श्री दीन दयाल उपाध्याय की वस्तुओं की चोरी करने के अपराध में 4 वर्ष की कैद की सजा दी गई थी ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 14 फरवरी, 1968 को अपने वक्तव्य में मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के अनुरोध पर जांच का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय किया गया था। इसलिये न्याय निर्णय की एक प्रति उत्तर प्रदेश सरकार को भेजना जरूरी था, ताकि वे उन दो व्यक्तियों के छोड़ने के विरुद्ध अपील करने के प्रश्न पर विचार कर सकें। राज्य सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

मैं आशा करता हूं कि सभा मेरे साथ सहमत होगी कि सभा के अधिकांश सदस्यों की गहरी चिन्ता को देखते हुए भी मेरे लिये यह बताना संभव नहीं होगा कि इस मामले में भविष्य में क्या कार्यवाही की जायेगी, क्योंकि राज्य सरकार के निर्णय की जानकारी प्राप्त होने के बाद ही हम भविष्य की कार्यवाही के बारे में निर्णय कर सकेंगे। फिर भी मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें इस बात की तीव्र इच्छा है कि जनता का कोई भी जिम्मेदार वर्ग यह महसूस न करे कि तथ्यों का पता नहीं लगाया गया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have been disappointed to hear the statement made by the Home Minister. An attempt has been made since the very beginning to suppress this matter. First of all it was said that the death of Shri Din Dayal Upadhyaya was caused in a railway accident. Later on a case of theft was fabricated and it was said that the motive of the murder was theft and the murderers were thieves. At that very time it was pointed out by us that there were some mysterious reasons behind his murder and those should be brought to light. Some clues were also given by us to the C.B.I. But after that we kept quiet, because the case was **sub-judice**. But we can no longer keep quiet. I want to know from the Hon. Minister why a Judicial Commission is not being appointed to inquire into the death of Shri Din Dayal Upadhyaya even after the judgment has been given by the Special Sessions Judge Varanasi. The judge has said in his judgement, "The evidence of murder not having been proved against the accused, the problem of truth about the murder still remains". So I want to know as to why a Judicial Commission is not being appointed to find out the truth.

Now I do not think that any useful purpose will be served by filing an appeal against the Judgement of the Special Sessions Judge. I want to know whether any new facts will be known or whether any new evidences will be taken by filing an appeal. The judge has himself observed in his judgement, "whether the motive for this crime was political is not a point directly involved in the case, but this obviously is a question very much linked up with the identity of the killers. Theoritically, even if the accused were killers, they might have been acting as the agents of a political group and it is always difficult to prove the negative. Nevertheless, once the killers are found, the problems of motivation can be more confidently sorted out."

So I want to know whether these basic questions as to who were the killers, what was their motive etc. could be solved by filing an appeal. The Home Minister knows that this is a weak case and that is why he is asking the U. P. Government to file an appeal. The main purpose behind this move is not to appoint a Judicial Commission.

There are so many mysteries in the case as to where the murder was committed and why the dead body was kept near the railway lines. There is nothing to show in the C.B.I. report as to where Shri Upadhyaya was killed. According to C.B.I. the accused got into the train at Rajghat Station, whereas according to the judge there was no evidence on record to prove that Shri Upahhyaya was alive at Varanasi. The evidence of the Railway Conductor had not been recorded. So when there are numerous issues involved in this case and the

public is eager to know them I want to know why a high powered Judicial Commission is not being appointed? The Central Government is competent enough to appoint a judicial commission. So I want to know why this is being delayed?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को जानता हूं तथा स्वयं मेरी भावनायें भी ऐसी ही हैं। परन्तु यह मामला यहीं समाप्त नहीं होता है। यदि राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय करती है तो स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। जब एक मामले पर न्यायिक निकाय द्वारा विचार किया जा रहा हो, तो क्या उसकी न्यायिक आयोग द्वारा जांच का करना उचित होगा। इस मामले में निर्णय लेना कि अपील की जाय अथवा नहीं भारत सरकार का काम नहीं है। हमने न्यायिक निर्णय की जो कुछ जांच की है, वह राज्य सरकार को भेज दी है तथा राज्य सरकार अपने कानूनी सलाहाकारों की सलाह से निर्णय करेगी। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। यह मामला किसी विशेष दल के नेता का नहीं है, यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक राजनैतिक नेता की हत्या की गई है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee: I am of the opinion that U. P. Government will not take a decision of filing an appeal without consulting the Central Government. So in case Central Government decides to appoint a Commission then there will be no necessity for them to file an appeal.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं, यह तरीका सही नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: I want to know whether additional facts will be known by filing an appeal. Will fresh evidence be taken and whether the Hon. Minister will act as a lawyer in the case?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं वकील जरूर हूं लेकिन मैं इस मामले की वकालत नहीं करना चाहता हूं। मैं कानूनी तर्क पेश नहीं कर रहा हूं। मेरी भावनायें भी वही हैं, जो माननीय सदस्य की हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): Shri John Lobo, an official of C.B.I. was sent by the Central Government to investigate this matter. He started his work on 18th February and by the dint of his ability he brought to light many valuable facts. He was of the opinion that it was a political murder. But all of a sudden the Central Government called him back and a junior officer of D.S.P. rank was appointed in his place. I want to know why he had been called back and Shri Bijal has been deputed in his place?

Secondly I, want to know whether the State C.I.D. after making an enquiry had suspected Shiv Tehl, Muni Lal, Satya Narain Tiwary, Ram Dass T.C. and Rajender Rastogi, who are members of the Communist Party. Is it a fact that the State C.I.D. is of the opinion that Ram Awadh who was arrested on the charge of murder, is a member of the Communist Party? Is it a fact that such reports have been received from the State C.I.D. that he is a Member of Mazdoor Sabha and had supported the Communist candidate of that constituency in the elections? I want to know whether Government wants to have an elaborate enquiry so that full facts are brought to light.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य ने जांच की विस्तृत बातों का उल्लेख किया है। मेरे पास इस समय सब तथ्य नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उपमहा-निरीक्षक श्री लोबो को वापस बुलाया गया था। उन्हें जांच करने को कहा गया था और लगभग

सारी जांच उन्होंने ही की थी। स्वाभाविक रूप से उनके स्थान पर एक दूसरा अधिकारी भेजा गया था जिसकी सहायता लेना उन्होंने वांछनीय समझा था।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : क्यों का कोई उत्तर नहीं है। जब एक व्यक्ति जांच करता है तथा वह किसी व्यक्ति को जिसको वह योग्य समझे, सहायता लेना चाहता है, तो उसकी सहायता ले सकता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The question is that a D.I.G. was called back and a D.S.P. was sent in his place. Is it proper to do so ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि श्री लोबो को वापस बुलाया गया था। सरकार द्वारा उन्हें वापस बुलाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : माननीय गृह मंत्री से यह सुन कर मुझे खुशी हुई कि उनकी भी भावनायें वही हैं जो जनता की हैं और विशेषतया जो उन संसद सदस्यों की हैं, जिन्होंने उनके पास पत्र लिखा है। परन्तु बाद में उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह उससे उलटी कार्यवाही करना चाहते हैं। पत्र लिखने वाले माननीय सदस्यों की इच्छा यह थी कि एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाय। यदि माननीय मंत्री की भी वही भावनायें होतीं तो उन्हें इस सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिये था। अपील दायर करने से कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण इसे रद्द कर दिया जायेगा। यह तो केवल समय नष्ट करना है।

दूसरे मुख्य मंत्री ने गृह मंत्री को लिखा था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच करवाई जानी चाहिये। केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है और इसलिये वह लिख सकते हैं कि चूंकि साधारण जांच से तथ्यों तथा सचाई का पता नहीं लगा है, इसलिये एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया जाये।

तीसरे केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच संतोषजनक नहीं थी और न्यायाधीश महोदय उनकी कहानी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए थे। न्यायाधीश ने इस बात को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था कि श्री उपाध्याय को बाहर फेंका गया तथा खम्बे से टकराने से उनकी मृत्यु हुई। न्यायाधीश का विचार था कि उनकी हत्या डिब्बे में ही की गई क्योंकि डिब्बे में खून के निशान पाये गये थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की खोज नहीं कर सकी कि शाल तथा पायजामा वहां क्यों थे तथा 5 रुपये का नोट उनके हाथ में क्यों था तथा उनका शव इस स्थिति में क्यों पाया गया। जब केन्द्रीय जांच ब्यूरों इतनी महत्वपूर्ण जांच में पूरे तथ्यों का पता न लगा सकी, तो हमारी समझ में नहीं आता है कि इस जांच को किसके द्वारा पूरी कराया जायेगा। इसलिये इसका हल केवल यह है कि : (1) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बारे में जांच करवाई जाये ; (2) हत्या के बारे में सचाई का पता लगाया जाये तथा इस आरोप की कि यह एक राजनीतिक हत्या है, जांच की जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि एक उच्च शक्ति आयोग नियुक्त

किया जाए । अत: गृह मंत्री को उत्तर प्रदेश सरकार को अपील न करने तथा एक उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने का तुरन्त निदेश देना चाहिए ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य चाहते हैं कि आयोग के कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाया जाये और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांचकर्त्ता अधिकारियों को भी आयोग की जांच के क्षेत्राधिकार में लाया जाय । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । पहले तो यह जांच ही बहुत कठिन थी, क्योंकि इसमें कोई प्रयत्क्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं था । दूसरे माननीय न्यायाधीश ने अपने निर्णय में जांचकर्ता अधिकारियों पर कोई अक्षेप नहीं लगाया है । मैंने माननीय न्यायाधीश का निर्णय पढ़ा है तथा मैं कह सकता हूं कि यह बहुत अच्छा तथा संतुलित निर्णय है । उन्होंने केवल इतना ही कहा कि परिस्थितियों पर आधारित जिस साक्ष्य पर मामला बनाया गया है, वह साक्ष्य इतना विश्वस्त नहीं है कि उसे स्वीकार किया जाये । चूंकि माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में तर्क पेश किये थे, इसलिए मुझे इनका उल्लेख करना पड़ा, अन्यथा मैं नहीं समझता कि जांच की प्रक्रिया में कोई खामी रही है । मान लो हम आयोग की नियुक्त करते हैं, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि सच्चाई का पता लग जायगा । परन्तु यदि अन्ततः यह ज्ञात होता है कि इस मामले में अपील नहीं की जा सकती अथवा राज्य सरकार अपील न करने का निर्णय लेती है, तो अवश्य इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

Shri Deven Sen (Asansol) : Keeping in view the Judgement delivered by the Judge in this case to the effect that evidence of murder not having been proved the problem of truth about the murder still remains, it is the duty of the Home Minister to find out the truth and it is more essential to do so. Because the President of a Political Party is murdered. The Home Minister or the Police can not escape from their responsibility.

My first question is as to why the investigation in the matter was done by the Central Government, when normally it is the duty of the State Government to make investigation? I want to know whether it was done on the request or pressure of the State Government or on the request or pressure of the Jan Sangh Party or on the request or pressure of any body else or any other party. This point needs clarification. The officers of the State Government had found a piece of cloth. When the investigation was entrusted to the Central Government, this piece of cloth was also handed over to the officers of the Central Government. But the Central Government Officers made no enquiry about that piece of cloth. This shows that the attitude of the State Government officers was different from that of Central Government officers. So far as this enquiry is concerned. Is it correct?

The story made out by the Government, which is being reported in the papers, that Shri Upadhyaya was thrown out of the compartment and many other things should be contradicted by Jan Sangh. Witnesses on behalf of Jan Sangh to the effect that it was a political murder should be produced. Full facts about this murder have not come to light. It is said that full facts have not been brought to light. So, I submit that a Commission should be appointed so that full facts are brought to light. I want to know whether Government will do so?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : तथ्यों अथवा जांच की प्रक्रिया के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । जांच आयोग के बारे में मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : He has asked about the difference in the enquiry

made by Central Government and the enquiry made by State Government. This question has not been answered.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : राज्य सरकार ने स्वयं केन्द्रीय सरकार को जांच अधिकारी नियुक्त करने को कहा था । उन्होंने इस मामले में राज्य खुफिया विभाग की सहायता भी ली थी । जांच के बारे में दोनों की राय भिन्न नहीं थी ।

Shri Bal Raj Madhok (South-Delhi) : Sir, I along with Shri Vajpayee went to Varanasi immediately after the death of Shri Din Dayal Upadhyaya. I went to Mugal Sarai and saw that place where his dead body was found. I also saw that place where his clothes were found and I saw those clothes also. There was a very small wound on the back side of Shri Upadhyaya's head which was caused by a sharp edged weapon. A small stain of blood was there on his pull-over. The murder was committed by an expert killer. The S.S.P., S.P., D.M. and A.D.M. were along with me there and all of them were of the opinion that a murder had been committed and there was no question of an accident.

Now the question is as to what was the motive of the murder. There can be three motives—one motive may be that of theft, but the question of theft does not arise because he had Rs. 26/- and a watch with him. The second motive may be that of personal vendetta. But no body can even imagine that some one would kill Shri Din Daval Upadhyaya due to personal vendetta. So the ultimate conclusion of all of us including the police officers and the D.M. that it was a political murder.

My friend Shri Deven Sen had asked that proofs should be given to the effect that it was a political murder. The circumstances evidences were there at that time with us but we knowingly did not disclose them at that time because we did not want to make political game out of this murder as was done at the murder of Mahatma Gandhi. It was our broad heartedness. As Shri Kachwai has pointed out we are of the opinion that there are such elements in the country which believe in violence and want to destroy democracy and have no hesitation in committing such murders. So the question is whether such political murders would be committed in this country and facts about them would not be made known to the public. Threatening letters are being received daily by me as well as by others in which it is clearly written that you would be kllled. So the question is that if such incidents reoccur then what will be the future of democracy ? It is the duty of the Government to take necessary steps in this direction.

I want to know whether U. P. Government had asked any advice from the Centre or not, whether they should file an appeal ? And if they have what advice was given to them knowing full well that no useful purpose would be served by filing an appeal. Why a Commission is not being appointed by Government so that full facts are made known ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य ने एक मौलिक प्रश्न उठाया है और मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार की इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी है । मैं जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहता हूं । परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, हमारा राय देने का कोई प्रश्न नहीं है । मुख्य मंत्री से बातचीत होने पर मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को केवल यह सलाह दे सकता हूं कि इस मामले पर इसमें निहित महत्वपूर्ण बातों को देखते हुए विचार किया जाए और तदनुसार निर्णय किया जाए । मैंने कोई राय नहीं दी है और न ही कोई राय दी जानी चाहिये । परन्तु यदि सरकार अपील दायर न करने का निर्णय करती है, तो अवश्य ही आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी): इससे पहले कि आप अगली मद को लें, मैं आपका ध्यान बहुत महत्वपूर्ण मामले अर्थात प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के अनशन की ओर, जिसके में बहुत से ध्यान आकर्षण सूचनायें तथा स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं, दिलाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का सम्बन्ध है·· (**अन्तर्बाधा**) ····मैं अगली मद को लेता हूं । सभा पटल पर पत्र रखे जायें ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम, के वर्ष 1967-68 की कार्य समीक्षा तथा भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : महोदय, मैं श्री चे० मु० पुनाचा की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम, के वर्ष 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 1403/69]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के बारे में विवरण

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Shiddheshwar Prasad) : Sir, on behalf of Dr.K. L. Rao, I lay on the Table of the House a statement on Rural Electrifi ation Corporation, **[Placed in Library. See No. LT-1406/69]**

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, 1969

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राज भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 (दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अधीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, 1969 की एक प्रति (हिन्दी संस्करण) ।

(2) 1967-68 के विनियोग लेखे, रेलवे, भाग I—समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)।

(3) वर्ष 1967-68 के विनियोग लेखे, रेलवे, भाग II विस्तृत विनियोग लेखे की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)।

(4) वर्ष 1967-68 के ब्लाक लेखे, (ऋण लेखों के पूंजी विवरणों सहित) संतुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे, रेलवे, की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)।

[**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 1404/69]

लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन अधिसूचनायें

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : महोदय, मैं श्री मुहम्मद यूनस सलीम की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) एस० ओ० 2837 जो दिनांक 11 जुलाई, 1969 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संसदीय तथा संविधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी आदेश, 1966 की अनुसूची सात के भाग ख में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(2) एस० ओ० 2838 जो दिनांक 11 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी आदेश, 1966 की अनुसूची सात के भाग ख में कतिपय शुद्धियां तथा संशोधन किए गए।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1405/69]

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में
RE : CALLING ATTENTION NOTICE

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं.....(**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना आप कुछ नहीं कह सकते। यह प्रश्न मुख्य रूप से राज्यों से सम्बन्धित है परन्तु केन्द्रीय सरकार की भी इस बारे में जिम्मेदारी है। मैंने इस मामले को सरकार के साथ उठाया है। उसका उत्तर आने के पश्चात ही मैं कुछ निर्णय करूंगा।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में अध्यक्ष को निर्णय करना होता है। यदि आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए बुलाना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना को पहले ही अस्वीकार किया जा चुका है ...(**अन्तर्बाधाएं**)

बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE. BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE AND BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कल चार घण्टे सामान्य चर्चा करने का निर्णय किया गया था। इसमें से लगभग दो घण्टे का समय अभी शेष है। अतः हमें चार बजे तक इस चर्चा को समाप्त कर देना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : सामान्य चर्चा के लिए 6 घण्टे, संशोधनों के लिए 3 घन्टे तथा तीसरे पठन के लिये एक घण्टे का समय रखा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। कोई भी बात रिकार्ड नहीं की जायेगी। **(अन्तर्बाधा)****

यदि सभा समय बढ़ाने के लिए सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : संशोधन के लिए कल अनेक सूचनाएं दी गई थीं जिनको अभी तक परिचालित नहीं किया गया है। परन्तु इसके बाद दी गई अनेक सूचनाओं को परिचालित करा दिया गया है। जब तक सभी सूचनाओं को परिचालित नहीं किया जाता और सदस्यों को उनके अध्ययन के लिए समय नहीं दिया जाता, तब तक खण्ड-वार चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : हमें पहले समय के बारे में निर्णय कर लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिये निर्धारित किये गये कुल समय में वृद्धि नहीं की जा सकती। क्या 6-3-1 के अनुपात के लिए सभा सहमत है ?

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : इसके लिए 5-4-1 का अनुपात रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि लगभग 360 संशोधन हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि अध्यक्ष चाहे तो समय को एक घंटा बढ़ाया जा सकता है। आप समय को 6-3-1 के अनुपात में बांट सकते हैं। यदि आप महसूस करें कि द्वितीय पठन के लिये अधिक समय की आवश्यकता है तो आप समय में वृद्धि कर सकते हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य चर्चा के लिए अभी पांच घंटे का समय रख लिया जाये यदि आवश्यक हुआ तो इसको आधे घंटे तक बढ़ाया जा सकता है ।

संशोधनों सम्बन्धी सूचनाएं प्रेस में हैं । जैसे ही वे उपलब्ध होंगी उनको सदस्यों में परिचालित कर दिया जायेगा । नियमित रूप से प्रस्तुत किये गये संशोधनों को खण्ड-वार चर्चा से पूर्व सदस्यों में वितरित कर दिया जायेगा ।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : इस बात को देखते हुए कि अनेक संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं कि मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि समय को 5-4-1 के अनुपात से बांटा जाये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of order. This Bill has been very badly drafted. The amendments to the Bill are as lengthy as the Bill itself is. Therefore my request is that this may be referred to a Committee for making improvements in the body of the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : जो निर्णय किया जा चुका है उस पर चर्चा नहीं की जा सकती । नियमों के अन्तर्गत आने वाले संशोधनों को स्वीकार किया जायेगा ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को पुनः आरम्भ करने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये क्योंकि संशोधन बहुत लम्बे हैं । इससे तो यह पता लगता है कि सरकार ने इस विधेयक को बहुत सोच विचार के बाद तैयार किया है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि संशोधनों को आज परिचालित किया जायेगा तो उनका अध्ययन करना तथा शाम पांच बजे उन पर चर्चा करना सम्भव नहीं होगा । जैसा कि सुझाव दिया गया है इस विधेयक को दो अथवा तीन दिन के लिए प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है ताकि हम संशोधनों का अध्ययन करलें ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में माननीय मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री गोविन्द मेनन : इसको प्रवर समिति को नहीं सौंपा जा सकता । **(अन्तर्बाधा)**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं आरम्भ से ही इस बात के लिए अपील कर रहा हूं कि वाद-विवाद का समय बढ़ा दिया जाय क्योंकि सरकार इसको प्रवर समिति को सौंपने के लिए तैयार नहीं है ।

श्री गोविन्द मेनन : श्री सेठी के संशोधनों में यह कहा गया है कि मुआवजा सीधा अंशधारियों को दिया जाये न कि विद्यमान बैंकों को । मेरे विचार में विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है । सदस्यगण अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं । **(अन्तर्बाधायें)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा । **(अन्तर्बाधायें)***

उचित समय आने पर समय में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

कुछ माननीय सदस्य अपने स्थान से उठ खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठ नहीं जाते कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा । (**अन्तर्बाधायें**)**

श्री गोविन्द मेनन : मैंने विधेयक को विचार करने के लिए प्रस्तुत किया है । अन्य किसी भी प्रस्ताव को संशोधन के रूप में दिया जा सकता है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : कल भी अनेक सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया था। सिद्धान्त रूप में हम इस विधेयक के लक्ष्यों से सहमत हैं । उच्चतम न्यायालय इसको रद्द भी कर सकता है अतः (**अन्तर्बाधा**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने को तैयार नहीं हूं। अवसर आने पर समय में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at two minutes past Fourteen of the Clock

[**श्री एम. बी. राणा पीठासीन हुए**
Shri M. B. Rana in the Chair]

Shri George Fernandes (Bombay-South) : In morning I was speaking on the point of order.

सभापति महोदय : श्री तुलसीदास जाधव के पश्चात् मैं श्री फरनेन्डीज को बुलाऊंगा ।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : I want to request the Hon. Members and to you also to hold the proceedings of the House in a dignified way. No Hon. Member should create disturbance or interrupt while the other is speaking or when the chairman is on his legs. If the things are allowed to go on like this the visitors will have poor impression about us.

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं । अतः मैं भी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I want to request the Hon. Prime Minister through you Sir, to allow us to refer this Bill to the Select Committee to avoid the difficulties which may arise in future in the country. Some people are already trying to block this Bill. I know that Hon. Prime Minister wants to get it passed before the 11th. But directions

**सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

can be issued to the Select Committee to return this Bill within three days. So my suggestion of referring this Bill to Select Committee may be accepted.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): This is very important and controversial Bill. It is therefore necessary that this Bill may be considered carefully.

It will be a wrong practice to pass such an controversial bill without referring it to the Select Committee. No bill has been passed by this House without reference to the Select Committee. Sir you are the custodian of the House. So you can direct the Government to refer this bill to the Select Committee as there is a demand for it from all corners of the House. You can also direct the Committee to return it in three or four days. In fact neither proper attention has been given to the Bill nor proper Parliamentary practice has been observed in this regard.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Had this Bill been presented in the house on 21st; it would have been easily possible to refer this bill to the Joint Select Committee. This is not our fault and we should not be punished for it.

This bill has not been drafted after careful consideration. It is clear from the number of amendments tabled from the Government side.

We support the nationalisation more. But it is a question of procedure of the House. Similar situation had arisen at the time of the passing of Unlawful Activities Bill. Even then the said Bill was referred to the Select Committee.

I wrote a letter to the Hon. Minister of Parliamentary Affairs in which I requested him to bring the Bill at an earlier date so that it may be referred to the Select Committee.

Keeping in view all these things I would request the Government to reconsider the matter and this Bill may be referred to Select Committee who may discuss it for three or four days after which the Bill can be considered thoroughly.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : विधेयक को कल सभा में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था। दो अथवा तीन सदस्यों ने चर्चा में भाग भी लिया था। इस अवस्था में इसको प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव नहीं दिया जा सकता।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : सभी दल के कुछ सदस्यों द्वारा कल भी इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग की गई थी। कल इस प्रश्न पर काफी चर्चा की गई थी। तब मैंने सभा में विचार के लिये इस विधेयक को प्रस्तुत किया था। इस पर तीन अथवा चार सदस्यों ने अपने विचार भी व्यक्त किये थे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति के लिए तीन अथवा चार दिन में अपना काम समाप्त करना सम्भव नहीं होगा। परन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं वही इसको प्रवर समिति को सौंपने की बात कर रहे हैं। विधेयक की पुर: स्थापना के समय जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों ने इसका विरोध किया था।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : हमें यह बात कहने का पूरा अधिकार है कि इस

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये। हम संसदीय प्रथा की रक्षा करना चाहते हैं। उनको वैयक्तिक तत्वों को चर्चा में नहीं उठाना चाहिए।

श्री गोविन्द मेनन : मैंने जनसंघ पार्टी का उल्लेख किया था जिसने इस विधेयक के सिद्धान्त का विरोध किया था। मुझे पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जबकि विधेयक के सिद्धान्त का विरोध करने वाले इसे प्रवर समिति को भेजना चाहते हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है।

श्री द्विवेदी ने कहा है कि स्वयं सरकार की ओर से कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं तथा उनको कुछ और समय दिया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने और समय देने की बात को स्वीकार कर लिया है।

जैसाकि श्री राव ने कहा विधेयक को पुरः स्थापित किये जाने के बाद प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।

संशोधनों में यह भी कहा गया है कि मुआवजा सीधे अंशधारियों को दिया जाए न कि बैंकों को। मेरा निवेदन है कि विधेयक पर विचार करने की कार्यवाही को आगे चलाया जाये।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मेरा निवेदन है कि सरकार विरोधी दलों द्वारा दिये गये संशोधनों को सभा में स्वीकार नहीं करेगी परन्तु प्रवर समिति में वह ऐसा कर सकती है क्योंकि वहां प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं होता। दूसरे सरकार विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर सकी। अतः इसको प्रवर समिति को सौंपा जाना आवश्यक है।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : किसी देश के इतिहास में किसी भी विधान पर इतना मतैक्य कभी नहीं हुआ जितना कि आज इस विधेयक पर है। विरोधियों ने शुरू में इस विधेयक का इस कारण विरोध किया था कि यह अध्यादेश जल्दबाजी में जारी किया गया है। उसके बाद श्री मसानी ने सभा में कहा कि विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया गया। मैं संघ वालों से पूछना चाहता हूं कि वे जनसाधारण के हितों का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं जबकि उनकी नीति राष्ट्रीयकरण न करना और आर्थिक अधिकारों का केन्द्रीयकरण करना है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने के समर्थक भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके हैं कि क्या देश में गैर-सरकारी बैंक वांछनीय हद तक देश के संसाधन जुटा सके हैं तथा ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय क्षेत्रों को संसाधन उपलब्ध करा सके हैं। वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने संसाधन ऐसे लोगों को उपलब्ध कराये हैं जो एकाधिकारों पर नियंत्रण रखते हैं।

कल कुछ सदस्यों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को केवल एक नारा बताया था। क्या बैंकों में जमा 85 प्रतिशत राशि को समाज के नियंत्रण में लाना तथा संसाधनों का दुरुपयोग रोकना केवल एक नारा है? सौ के लगभग निदेशकों का पक्ष लेने वाले व्यक्ति अब लोकतंत्र की बातें

करने लगे हैं। यह तर्क ठीक नहीं है कि सर्वसाधारण के हित के लिए जो भी काम किया जाये, वह साम्यवाद है। मूलभूत अधिकारों का प्रश्न उठाया गया है परन्तु न्यायपालिका ने सम्पत्ति के अधिकार को सबसे निम्न मूलभूत अधिकार बताया है।

जब अध्यादेश प्राख्यापित किया गया था तो यह सुझाव दिये गये थे कि राष्ट्रपति को उस पर अपनी सम्मति नहीं देनी चाहिये। संसद् को इसे स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने तथा सरकार को हटा देने का अधिकार है। क्या ऐसे सुझाव देकर आप संसदीय प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं ? ऐसा सुझाव बहुत खतरनाक तथा बुरा है।

औद्योगिक साम्राज्यवाद की स्थापना तथा समाजवाद आपस में मेल नहीं खाते। समाजवाद का अर्थ यह है कि औद्योगिक साम्राज्यवाद स्थापित करने की आकांक्षा समाप्त कर दी जानी चाहिए।

इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण को सफलता प्राप्त हुई है। यद्यपि इसका समूचा धन जनसाधारण के प्रयोग में नहीं लाया जा सका है तथापि इसकी 60 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों तथा अर्ध नगरीय क्षेत्रों में हैं। यह बहुत बड़ी सफलता है।

समाचार-पत्रों में तथा देश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें सावधान होना चाहिये। वे लोग लोकतन्त्र के नाम पर एकाधिकारियों की बुरी से बुरी आकांक्षाओं का समर्थन करना चाहते हैं। यदि हम लोकतान्त्रिक तरीके से चलें तो हम सफल होंगे और हम जनसाधारण के लिए ऐसा समय लायेंगे जिससे उनका शोषण उन लोगों द्वारा नहीं किया जा सकेगा जिन्होंने सब स्थानों पर हम पर शासन किया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जो लोग प्रजातन्त्र के खतरे में होने, तानाशाही शुरू होने और मूल अधिकारों का उल्लंघन करने आदि का प्रश्न उठाकर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, स्वयं इस मामले में हार रहे हैं।

मैं राष्ट्रीयकरण की नीति का समर्थन करता हूं। हमारा दल दिसम्बर 1951 से, जब हमारे दल ने पहली बार संसदीय चुनाव लड़े, राष्ट्रीयकरण का समर्थन करता रहा है। राज्यसभा में हमारे दल के एक सदस्य ने मई, 1967 में ऋण संस्थाओं अर्थात बैंकिंग तथा बीमे के राष्ट्रीयकरण के लिए एक संकल्प प्रस्तुत किया था। सरकार ने यह संकल्प अस्वीकार कर दिया था जब बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण किया गया था तब भी सरकार ने राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। अब जबकि राष्ट्रीयकरण किया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। इससे समाजवाद का मार्ग खुल जायेगा तथा यह देश में पूंजीपतियों के एकाधिकार को समाप्त करने का आरम्भ होगा।

भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा है कि उन्हें ऐसे पद से हटाया गया है जैसे किसी क्लर्क को हटाया जाता है, परन्तु यदि जैसाकि उन्होंने कहा है कि उन्हें राष्ट्रीयकरण

र कोई विश्वास नहीं था और वह एक वफादार सिपाही की तरह इसको लागू करेंगे तो यह अपने आपको एक क्लर्क सिद्ध कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ने कहा है कि संसद् ने 1954 में निर्णय किया था कि आर्थिक विकास समाज के समाजवादी ढांचे की ओर ढाला जाना चाहिये। उन्होंने बार-बार कहा है कि राष्ट्रीयकरण कोई नई बात नहीं। यह सतत प्रक्रिया है। उन्होंने जिस प्रकार राष्ट्रीयकरण किया है उससे उन पर यह आलोचना करने का मार्ग खुल गया है कि इसके पीछे कोई आर्थिक प्रयोजन नहीं है, इस मामले के पीछे कोई और बात है।

मैं नहीं समझता कि यह एक ऐसी विधि है जिससे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ससाजवाद की ओर बढ़ेगी। क्या यह ठीक नहीं है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में ही इस देश के उन कर्मचारियों को जो आवश्यकता पर आधारित मजूरी की मांग कर रहे थे, दबाया गया था।

मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कुछ बातों पर विचार करें, राष्ट्रीयकरण का अर्थ यह नहीं है कि रेलवे तथा हवाई कम्पनियों का नियंत्रण बिड़लाओं के हाथ से लेकर किसी सिंह अथवा किसी झा के हाथ में दे दिया जाये। इसका अर्थ यह है कि इस पर अफसर शाही नियंत्रण न हो। मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है कि समाज का उन पर नियंत्रण होगा तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि उनमें होंगे परन्तु विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सरकार को तथा देश को चेतावनी देता हूं यदि अन्य राष्ट्रीयकृत संगठनों की भांति इस विधेयक में भी सरकार को भारी शक्तियां दी गईं तो इन शक्तियों का दुरुपयोग किया जायेगा और लोगों का ऐसे राष्ट्रीयकरण से विश्वास घट जायेगा।

श्री दांडेकर ने कहा है कि उन्हें पंजाब नेशनल बैंक से 22 प्रतिशत लाभांश मिल रहा था और राष्ट्रीयकरण के बाद उसका क्या होगा। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अब जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, उन सबकी तुलना में स्टेट बैंक अधिक लाभांश दे रहा है अर्थात् 23 प्रतिशत।

प्रधान मंत्री ने विदेशी बैंकों तथा छोटे भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया है। यह बैंक बहुत छोटे नहीं हैं और इनमें से कई बहुत अधिक लाभांश दे रहे हैं। 14 विदेशी बैंकों में लगभग 456 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। उन बैंकों के माध्यम से बहुत-सी विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है, इन छोटे बैंकों को क्यों छोड़ दिया गया है? सामान्य बीमा व्यापार का भी राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। क्या उसके लिए कोई विधेयक लाया जा रहा है?

इस विधेयक का वे समर्थन कर रहे हैं कि राष्ट्रीयकरण छोटे उद्योगपतियों तथा कृषकों और निर्धन लोगों को धन उपलब्ध कराने के लिये किया जा रहा है। परन्तु जब तक ऋण सम्बन्धी नीति नहीं बदली जायेगी तब तक उनको एक पैसा भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। स्टेट बैंक आफ इण्डिया के राष्ट्रीयकरण को कई वर्ष हो गये हैं परन्तु उसने भी 590 करोड़ रुपये में 129 करोड़ रुपया अपने निदेशकों तथा उनके समवायों को दिया है, यदि इन राष्ट्रीयकरण किये जाने वाले बैंकों में भी ऐसा ही होगा तो धन निदेशकों को मिलेगा जिससे बचने के लिये हम यह

विधेयक ला रहे हैं। इस विधेयक में यह बताया जाना चाहिये था कि इन बैंकों द्वारा विनियोजन किस प्रकार किया जायेगा।

मैं नहीं समझता कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कृषकों को कोई अधिक लाभ होगा। स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने 1966 में कृषकों को केवल 0.08 प्रतिशत ऋण दिया था। यदि आप अंशधारियों को प्रतिकर देना चाहते हैं तो प्रतिकर उनके अंशों पर तथा राष्ट्रीयकरण की तिथि को उसके बाजार मूल्य पर आधारित होना चाहिये। परन्तु विधेयक में ऐसा उपबन्ध नहीं है।

फ्रांस में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो बैंक आफ फ्रांस को, जिसकी स्थिति हमारे रिजर्व बैंक के समान है, ऋण पर नियंत्रण की नीति का काम नहीं सौंपा गया था। इस प्रयोजन के लिये एक बैंक नियंत्रक आयोग होना चाहिये जिसमें केवल तकनीकी व्यक्ति हों जो यह देखें कि समाज के निर्धन व्यक्तियों के लिये जो उपबन्ध किये गये हैं, क्या उनका वास्तव में पालन हो रहा है अथवा नहीं।

यह ठीक दिशा में एक कदम है, हमें देखना चाहिये कि वे लोग फिर गलती न करें और समाजवाद के मार्ग पर आगे बढ़ें।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : इस समय इस विधेयक का प्रस्तुत किया जाना प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस दल के लिये गर्व की बात है। कांग्रेस एक लोकतंत्रात्मक दल है जिसमें स्वतन्त्रतापूर्वक विचार व्यक्त किये जाते हैं। यह विधेयक आम कांग्रेसियों की जीत है जो देश में समाजवादी नीति के पक्ष में हैं।

इस विधेयक से हमारे देश में धन विनियोजन और तत्सम्बन्धी नीति को एक नई दिशा मिलेगी। इससे हमारे देश में तानाशाही अथवा साम्यवाद स्थापित नहीं होगा, बल्कि समाजवाद का हमारा स्वप्न पूरा हो जायेगा। इसके आलोचकों को यह बात समझनी चाहिये।

कृषि के क्षेत्र में प्रगति होगी, उद्योग बढ़ेंगे, निर्यात में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस प्रकार देश के पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों को लाभ होगा। अब तक किये गये प्रयत्नों से देहाती क्षेत्रों को विशेष लाभ नहीं हुआ है। यद्यपि सहकारिता के द्वारा किसानों की सहायता के लिये पर्याप्त धन लगाया जा चुका है परन्तु यदि देखा जाये तो उससे भी छोटे किसानों को बहुत कम लाभ हुआ है। अब तक बड़े-बड़े किसानों ने ही उसका बहुत लाभ उठाया है। अब सरकार को छोटे किसानों की सहायता के लिये अपने नियमों में संशोधन करना होगा।

पिछड़े क्षेत्रों में विकास करके सरकार को क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त करना चाहिये और इस कानून से लाभ उठाना चाहिए। छोटे उद्योगपतियों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करके, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस विधेयक द्वारा क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त करने का प्रयत्न करेगी और सफलता भी प्राप्त होगी।

पिछड़े क्षेत्रों के कृषि के विकास के लिये वहां आवश्यक वस्तुओं जैसे उर्वरक, बिजली, पानी, अच्छे बीज उपलब्ध करना है। इस दिशा में कदम उठाये जाने चाहिये।

कुछ लोगों ने मांग की है कि शेष बैंकों और विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। इस बारे में सरकार को अच्छी तरह विचार करके चलना चाहिये। इन बैंकों को सुचारु रूप से चलाने के लिये इनके अलग स्वायत्तशासी यूनिट बना दिये जाने चाहिये ताकि इनमें आपस में अच्छी प्रतियोगिता चल सके। युवा अवस्था के कर्मठ व्यक्तियों को बैंकों के कार्य में लगाया जाना चाहिए। इनके कार्य में लालफीताशाही नहीं आनी चाहिये।

एक महत्वपूर्ण समिति का सभापति होने के नाते मुझे अनुभव हो चुका है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ अन्याय हो रहा है। हमें सरकारी उपक्रमों के कार्य की सराहना करनी चाहिये। यदि उनके कार्यकरण में कुछ त्रुटियां हैं तो उनको समाप्त किया जाना चाहिए। उनको नौकरशाही के फंदे से निकाल कर वाणिज्यिक संस्थाओं की भांति कार्य करने दिया जाना चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री सभा में विवरण रखेंगे कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण का ढांचा किस प्रकार का होगा। हमें उस पर भी यहां चर्चा का अवसर मिलना चाहिये। हमें इसका निश्चित रूप में ध्यान रखना है कि हमारी समाजवादी नीतियां पूर्णतः लागू हों तथा देश के निर्धनतम वर्ग को लाभ हो।

श्री कृष्ण मेनन (मिदनापुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने दृढ़ता तथा साहस से काम लेकर यह विधेयक पेश किया। उन्होंने यह बहुत साहसपूर्ण कदम उठाया है।

यह पहली बार है कि देश में एकाधिकार को समाप्त करने के लिये कार्यवाही की गई है। देश की अर्थव्यवस्था पर निहित स्वार्थों ने अपना प्रभुत्व जमा रखा है। यह विधेयक उसे हटाने की दिशा में पहला कदम है।

हमारे देश के कुछ एक लोग इन बैंकों द्वारा देश के लाखों लोगों के जमा धन से लाभ उठा रहे थे। वे इससे सभी क्षेत्रों पर अपना नियन्त्रण बनाये हुए थे। इस कानून द्वारा वह समाप्त हो जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

कुछ लोगों ने कहा है कि यह कार्य राजनैतिक कारणों से किया गया है। हमें समझना चाहिए कि इसका राजनैतिक उद्देश्य यही है कि यह हमारे संविधान के उद्देश्यों के अनुसार है। सामाजिक कल्याण को हमारे संविधान में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। उसकी प्रस्तावना में ही सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात कही गई है।

यह कानून उसी प्रस्तावना की पूर्ति करता है। जहां आर्थिक समानता नहीं है, वहां सामाजिक न्याय और राजनैतिक समानता नहीं हो सकती। हमारे देश को सभी निर्धन देश कहते हैं। मैं यह बात स्वीकार नहीं करता। वास्तव में भारत के लोग निर्धन हैं। हमें लोगों को निर्धनता से छुटकारा दिलाना है। बैंकों के बारे में यह विधान निर्धनता को कम करने के लिये है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि अब सब मजदूरों की मजूरी बढ़ा दी जायेगी। इसके लिये हमें और व्यवस्था भी करनी होगी। गरीबी अमरीका में भी है। दो वर्ष अमरीकी राष्ट्रपति जानसन ने वहां संसद् से इस समस्या के समाधान के लिये विशेष अनुदान की मांग की थी। इतनी प्रगति कर लेने के बाद भी वहां पर लाखों की संख्या में लोग निर्धन हैं।

हमें देश के धन को इस प्रकार बांटना होगा कि इसके कारण देश में गरीबी कम हो। अत: यह वितरण बहुत महत्व की बात है। देश के निर्धन और धनी वर्गों में जो अन्तर है, उसे कम करना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में वित्तीय प्रणाली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसमें बैंकों का विशेष स्थान है। कई देशों के बैंक देश में राजनैतिक शक्ति को अपने नियन्त्रण में रखे हुये हैं। ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिये राष्ट्रीयकरण बहुत आवश्यक है।

बैंकों के अनेक कार्य हैं। वे धन लेते हैं और देते हैं। एक स्थान पर दबा हुआ धन किसी लाभ का नहीं परन्तु बैंक धन को लेते और देते हैं इससे धन उत्पन्न होता है। जो रुपया हस्तान्तरित होता रहता है उसका मूल्य एक स्थान पर रखे रुपये के मूल्य से कई गुना अधिक है। जब बैंकों पर कुछ एक ऐसे व्यक्तियों का नियन्त्रण होगा तो वे रुपये को जैसे चाहेंगे प्रयोग में लायेंगे। देश के लोगों के लिये वे कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। बैंकों के शेयर होल्डरों को बहुत लाभ होता है परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। जमा करने वालों को, जिनकी संख्या लाखों में होती है, बहुत कम लाभ होता है। उन्हें तो केवल ब्याज ही मिलता है। वह भी बहुत कम दर पर। शेयर होल्डर बैंकों से धन लेकर अपने निजी व्यापार आदि भी चलाते हैं। वह धन वास्तव में जनता का होता है। फिर शेयर होल्डरों में से कुछ एक बड़े लोग निदेशक बन जाते हैं और बड़े-बड़े वेतन पाते हैं।

हमने देखा है कि कैसे बैंकों के मालिक अपने निजी लाभ के लिये इनका दुरुपयोग करते हैं। सरकार ने ऐसी बातों को रोकने के लिये बैंकिंग कानून में संशोधन भी किया था। परन्तु वे लोग वकीलों, चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों और राजनीतिज्ञों की सहायता से कानूनों को निष्प्रभावी बनाने में सफल हो गये।

राष्ट्रीयकरण का अर्थ है राष्ट्र का स्वामित्व होना। अब सरकार इन संस्थाओं को अपनी नीति के अनुसार आदेश दे सकेगी, बहुत पहले हमारे देश में रेलें निजी कम्पनियों के अधीन थीं। उस समय उनको लाभांश देने की गारंटी थी। परन्तु रेलों को हानि होती थी और निदेशकों को सरकार से अपना लाभांश आदि मिल जाता था फिर उस समय की सरकार ने रेलों को

खरीद लिया। हम कह सकते हैं कि उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसीलिये आरम्भ में बैंकों का सामाजिक नियन्त्रण किया गया था। इसमें अनेक त्रुटियां थीं। केवल कर्मचारियों पर पाबन्दियां लगा देना सामाजिक नियंत्रण नहीं है। मैं राष्ट्रीयकरण को एक साधन मानता हूं। हमारा उद्देश्य छोटे लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करना है। अधिकाधिक लोगों को ऋण तथा वित्तीय लाभ होना चाहिये। छोटे-छोटे स्थानों पर बैंक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है। अब तक बैंकों का धन जमाखोरी आदि समाज विरोधी कार्यों में प्रयोग होता रहा है। कृषि के लिये देहातों में धन बहुत कम मात्रा में दिया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि यह कानून तो 14 बैंकों के बारे में है। हमें यदि शेष बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण करना पड़े तो उसके लिये भी इसी में व्यवस्था कर दी जानी चाहिये।

जिन सिद्धान्तों के आधार पर बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है, हमें उनको अब एक नया रूप देना होगा। यदि कोई युवक इन्जीनियरिंग की परीक्षा पास करने के पश्चात् अपना कोई छोटा मोटा उद्योग चलाना चाहता है और इसके लिये वह बैंक के पास ऋण लेने जाता है तो उससे यह प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्हारे पास या तुम्हारे पिता अथवा ससुर के पास कितना पैसा है। यदि उनके पास पैसा होता है तो उसे बैंकों में जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अतः ऋण देने के इस सिद्धान्त को हमें बदलना होगा। व्यक्ति की कार्य क्षमता की उसकी साख समझा जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से इस देश की सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अधिक अच्छा उपयोग कर सकेगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं पूछना चाहता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध इतनी भ्रान्ति क्यों है। राष्ट्रीयकरण के वेष में भ्रांति करने का अर्थ है कि हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

मुझे भारी संख्या में पत्र तथा तार प्राप्त हुए हैं और लोग मिले हैं और उसके आधार पर में कह सकती हूं कि सारे देश की जनता का समर्थन इस सन्दर्भ में हमें प्राप्त है। देश में कुछ ऐसे निराशावादी लोग भी हैं जिन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अच्छा नहीं बताया है किन्तु उनकी संख्या बहुत कम है और उनके तर्क में कोई जान नहीं है। आर्थिक दृष्टि से बैंकों का राष्ट्रीयकरण बिल्कुल उचित है और इससे हमारे करोड़ों लोगों की आशाओं की पूर्ति होगी।

1954 में इस संसद् ने सामाजिक व्यवस्था करने के लक्ष्य को स्वीकार किया था। यह कहना सही नहीं है कि सरकारी क्षेत्र दोषों से भरा हुआ है और गैर-सरकारी क्षेत्र सर्व गुण-सम्पन्न है। जो लोग सरकारी क्षेत्र की निन्दा और आलोचना करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अधिक जिम्मेदारी और बुद्धि से काम करें। जिस ढंग से व्यापारिक बैंक काम कर रहे थे, उसको देखते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक हो गया था।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अंशधारियों की पूंजी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि इन 14 बैंकों के पास कुल व्यय पूंजी केवल 2.4 प्रतिशत ही है। इस प्रकार इन बैंकों के प्रबन्धक केवल जनता के धन से ही बैंकों को चला रहे थे।

बैंकों का विषय गैर-समाजवादी देशों में भी चिन्ता का विषय रहा है। फ्रांस, स्वीडन और इटली जैसे पूंजीवादी देशों में भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। बैंक राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में बहुत ही निराधार वक्तव्य दिये गये हैं जिनको समझना कुछ कठिन है। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि बैंकों के समाजवादी नियन्त्रण को और अधिक समय क्यों नहीं दिया गया जबकि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें थीं। किन्तु सामाजिक नियन्त्रण की कमजोरी यह थी कि बहुत सारे बैंकों पर जिन लोगों का नियन्त्रण था और जो इनकी नीतियों पर नियन्त्रण रखते थे, वे किसी न किसी तरीके से अपना प्रभाव बनाये हुए थे और इस प्रकार उनको जो अनुदेश दिये जाते थे, उनका सही पालन नहीं होता था।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि इस विधान में विदेशी बैंकों को क्यों शामिल नहीं किया गया है। विदेशी बैंक एक विश्वव्यापी संगठन का अंग हैं और इससे वे निर्यातकों तथा आयातकों को कुछ विशेष सुविधाएं तथा सेवा प्रदान करते हैं और इस प्रयोजन के लिये भारतीय बैंकों की विदेशों में पर्याप्त शाखाएं नहीं हैं। विदेशी बैंकों पर कड़े विनियम लागू होते हैं। एक नियम के अन्तर्गत विदेशी बैंक केवल बन्दरगाहों में ही हो सकते हैं। देश के भीतरी भाग में वे अपनी शाखाएं नहीं खोल सकते। जो बैंक पहले अपनी शाखाएं खोल चुके हैं, उनको व्यापार करने की अनुमति होगी।

एक आपत्ति यह उठाई गई है कि छोटे बैंकों को क्यों छोड़ा गया है। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य कृषि, छोटे उद्योग तथा निर्यात का शीघ्र विकास करना तथा पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करना है। 50 करोड़ रु० से अधिक की पूंजी वाले बैंकों की शाखाएं बहुत सारे राज्यों में हैं जबकि छोटे बैंकों का कार्य स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है और उनसे छोटे व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की आवश्यकताएं ही पूरी होती हैं। छोटे तथा बड़े बैंकों में पहले ही कई विनियमों के अन्तर्गत भेद किया गया है। हमारा इरादा किसी केन्द्रीय शक्तिशाली एजेंसी द्वारा इन बैंकों को चलाने का नहीं है। प्रत्येक बैंक को स्वायत्तता प्राप्त होगी और बोर्डों को निश्चित शक्तियां प्राप्त होंगी। हमारे निदेश केवल नीति सम्बन्धी और सामान्य विषयों के बारे में ही होंगे। 14बैंक रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार में ही होंगे।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इन बैंकों में नौकरशाही नहीं होनी चाहिये। हमें इन बैंकों का अपना अलग स्वरूप रहने देने चाहिये। मैं अंशधारियों को यह आश्वासन देती हूं कि हमने जो मुआवजा रखा है, वह उचित है। हम यथाशीघ्र वास्तविक अंशधारियों को मुआवजा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भुगतान से अंशधारियों को कठिनाई होगी। मैं इसका कठोरता से खण्डन करती हूं। हाल ही में

सरकार ने 7 वर्षों में पुनर्देय ऋण $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत पर प्राप्त किया था। इसकी प्रतिभूतियां बाजार में निश्चित मूल्य से अधिक पर बिक रही हैं।

मैं बैंकों के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों को आश्वासन देना चाहती हूं कि हम उनके उचित हितों का ख्याल रखेंगे। हम उनसे शिष्टता तथा सहयोग की भी आशा करते हैं। हम यह भी आशा करते हैं कि कर्मचारी तथा प्रबन्ध जिम्मेदारी से काम करेंगे। मैं पहले ही सभा को यह आश्वसन दे चुकी हूं कि हम बैंकों के पास जमा पूंजी को एक पवित्र न्यास के रूप में समझेंगे।

डाकघर बचत बैंकों में $1\frac{1}{2}$ करोड़ खातेदार हैं तथा उनमें 1967 के अन्त तक 700 करोड़ रुपया जमा है। सरकार को, घोर आलोचक भी यह नहीं कह सकता कि उसके खातेदारों ने कभी भी यह सोचा हो कि उनके हित सुरक्षित नहीं।

हम जनता को अच्छी सेवा का आश्वासन देते हैं। पिछड़े हुए राज्यों में, विकसित राज्यों के पिछड़े हुए भागों में बैंकों की सेवा अधिक विस्तृत की जाएगी। बैंक व्यापक स्रोतों से धन एकत्रित करते हैं और उसका उपयोग संकुचित क्षेत्रों में करते हैं। विकास कार्यों में क्षेत्रिय संतुलन बनाने में राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिक सुगमता आएगी।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देती हूं, कि इसकी क्रियान्विति सरकार उसी रूप में करेगी जैसा कि उसको समर्थन प्राप्त हुआ है। इससे हम विभिन्न समुदायों की अनेक गम्भीर समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे।

मैं मानती हूं कि यह पग ऐतिहासिक नहीं है, अपितु उचित दिशा में उठाया गया है। मैं माननीय सदस्यों से इसे कार्यान्वित करने के लिए अपने सुझाव भेजने के लिए निवेदन करती हूं जिन पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री एस० के० सम्बन्धन (तिरुताणि) : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए तथा उसकी आलोचना के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

हमारा समाजवाद से गहरा सम्बन्ध है, इससे हमारे दक्षिण पंथी, जनसंघी तथा स्वतन्त्र सदस्य भी इन्कार नहीं कर सकते। हमारे जैसे निर्धन देश के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे अपने बैंकों तथा प्रमुख उद्योगों का जनहित के लिये राष्ट्रीयकरण करें। ऐसे उपयोगी कार्यों का विरोध मेरी समझ में नहीं आता।

उन बैंकों में जमा धनराशि का उपयोग कुछ विशिष्ट व्यक्तियों अथवा उनके संबंधियों के लिए ही होता था। जमा धन का कितना भाग जनहित में सामान्य जनता को दिया जाता था?

सामान्य बीमा को भी राष्ट्रीयकृत करने का आश्वासन दिया गया था। मैं आशा करता हूं कि उस आश्वासन को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा।

सभी जानते हैं कि इन चौदह बैंकों से हुए लाभ उनके संचालकों को ही मिले हैं, न कि सामान्य जनता को। उचित नियंत्रण के अभाव में कुछ छोटे बैंक तथा कुछ वस्त्र उद्योग फेल हो गये हैं। इसलिए सरकार को बैंकों के लिए अच्छे प्रबन्धकों का चयन करना चाहिए।

सरकार के इस कथन को सभी दलों ने तथा जनता ने स्वीकार कर लिया है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कृषि, उद्योग तथा कुटीर उद्योग उन्नत होंगे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह प्रबन्धकों को निदेश दे कि वे ग्राम तथा कुटीर उद्योग, विशेषत: हाथ करघा उद्योग जो कि पीछे बहुत उपेक्षित रहे हैं, धन देने के लिये प्राथमिकता दें।

स्टेट बैंक के आलोचकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सरकारी कृषि बैंकों ने कृषकों को धन दिया है। वह इन बैंकों को रिजर्व बैंक ने दिया था अर्थात सरकार ने दिया था। यदि आप विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं करते तो उन बैंकों में धन के अधिक जमा होने को कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहता हूं एक संशोधन द्वारा उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाये।

राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध कही गई प्रमुख बात यह है कि सरकारी संस्थान तथा जीवन बीमा निगम संतोषप्रद ढंग से नहीं चल रहे। उनकी कमियों को छिपाने की अपेक्षा दूर करने से उनमें पर्याप्त सुधार लाए जा सकते हैं।

सरकार को प्रबन्ध बोर्ड के चयन में सतर्क रहना चाहिए। मेरा निवेदन है कि हर बोर्ड में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि लिया जाना चाहिए, इससे हमें उनका सहयोग मिल जायेगा। मुझे इस विनिश्चय पर आश्चर्य हुआ है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को बन्द कर दिया जाएगा। सौभाग्य से इसकी व्यवस्था के लिये एक संशोधन लाया गया है। सरकार को ऐसा पग उठाना चाहिए की वर्तमान स्थिति बनी रहे। मैं चाहता हूं कि राज्य सहकारी बैंकों को धन की व्यवस्था करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्त में मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (हुस्कोटे) : मैं भी इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसाकि प्रधान मंत्री ने बताया बैंकों की निजी उद्योगों के साथ तुलना नहीं की जा सकती। 30 करोड़ रुपये पूंजी विनियोग से वे 2700 करोड़ रुपये पर नियन्त्रण रखते थे। निजी व्यक्तियों को इतनी बड़ी धनराशि बनाए रखने देना आयोजन के साथ मेल नहीं खाता।

अस्सी प्रतिशत निदेशक चार प्रमुख नगरों में रहते हैं। बैंक उद्योग वाणिज्य के अधिपतिओं के हाथ में रहे हैं और वे बड़ी धनराशि पर नियन्त्रण करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्राय: उपेक्षित रहे हैं। कृषि पर धन लगाना तो दूर, अपितु अब तक यह प्रयत्न भी नहीं किए गए हैं कि ग्रामीण अपनी थोड़ी बचत को कहीं पर सुरक्षित रख सकें। यदि उनकी बचत को बैंकों में रखने की व्यवस्था की जाय तो उससे पर्याप्त धन मिल सकता है।

हमारी जनसंख्या 53 करोड़ है जिसमें प्रति वर्ष $1\frac{1}{2}$ करोड़ की वृद्धि हो रही है। हमारे पास 40 करोड़ एकड़ भूमि है। हमारे पास कृषि के लिए और भूमि नहीं है। जन-संख्या वृद्धि का हमारे जीवन-स्तर पर अनुचित प्रभाव पड़ता है। वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में जनता अधिक उत्पादन नहीं कर सकती। इसके लिये उसे आश्वासन देना चाहिए कि उसके श्रम का 90%लाभ उन्हें मिलेगा। यदि हर एक व्यक्ति कुछ अधिक उत्पादन का प्रयत्न करता है तो हम निजी उद्योगों को खरीद सकते हैं।

वाणिज्यिकों और उद्योगपतियों, में देशभक्ति का अभाव रहा है। अमरीका ब्रिटेन में आपातकाल में पूर्ण एकता का परिचय दिया जाता है। हमारे व्यापारी वस्तुओं का अभाव और अकाल का स्वागत करते हैं जिससे कि वे लोग शीघ्र धनी बन सकें। हमारे व्यापारी लोग धन कमाने के लिये प्रायः उत्सुक रहते हैं कि 'युद्ध कब छिड़ेगा' ? हमारे तीनों आचार्यों, श्री रंगा, श्री कृपलानी तथा श्री राजगोपालाचारी ने राष्ट्रीयकरण का विरोध किया है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इसका विरोध न करें।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : यह साहसिक कदम उचित दिशा में उठाया गया है। अच्छा होगा यदि बाद में भी हम उचित दिशा में चलते रहें। श्री मसानी ने कहा है कि राष्ट्रीयकरण कांग्रेस के झगड़े की उपज है। आज राष्ट्रीयकरण का विरोध करने वाले जनता के पास जाकर अपना इस विषय पर मत व्यक्त भी नहीं कर सकते।

श्री मसानी ने चेतावनी दी है कि खातेदार आपके पास धन जमा नहीं करायेंगे। परन्तु यहां वे लोग भूल जाते हैं कि जमा की गई धनराशि जनता की है जिसका उपयोग जनता के हित में न होकर उद्योगपतियों के हित में होता रहा है, जो कि इन बैंकों के स्वामी बने बैठे थे।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwari in the Chair]

राष्ट्रीयकरण विरोधी लोग अब अनुभव करने लगे हैं कि देश के जनमत का एक बहुत थोड़ा भाग उनके साथ है। इसलिये वे अपना विरोध त्याग रहे हैं।

स्टेट बैंक राष्ट्रीयकृत रहा है और इसीलिये जनता का उस पर अधिक विश्वास बना हुआ है। अब सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में जनता का विश्वास बढ़ जायेगा।

वे अब एक दूसरी बात कहते हैं जिसका मुझसे अधिक सम्बन्ध है। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से यह गलत कदम उठाया गया है। क्योंकि देश और विदेश में हमारे विश्वास को धक्का लगा है और समस्त विदेशी पूंजी की हानि हो जायेगी। इस उपाय के विरुद्ध यही मुख्य तर्क है। यहां एक दल है जो हम पर देशद्रोही होने का आरोप लगाता है और दूसरी ओर यह भी कहता है कि विदेशी संसाधनों के बिना हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। और वे चाहते हैं कि देश में विदेशी पूंजी अनवरत रूप से आए तथा विदेशी सहायता भी अनवरत रूप से मिले। जनसंघ के सदस्य ने यही तर्क सामने प्रस्तुत किया तथा इसी तर्क को

अपनाया। मैं यह भी कह सकता हूं कि ये ही लोग हैं जो विदेशी पूंजीपतियों के प्रति निष्ठावान हैं और अपने देश के हितों की परवाह नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि वे लोग रुष्ट हैं। ये लोग एक ओर तो प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं और दूसरी ओर इस सदन में कहते हैं कि वे प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते। संविधान को समाप्त करने की बात करते हैं और देश की सत्ता को सेना के हाथों में सौंपने को कहते हैं।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कदम से कोई विचित्र बात उत्पन्न नहीं हो जायेगी, क्योंकि जीवन बीमा निगम तथा स्टेट बैंक के इतिहास का ब्योरा हमारे सम्मुख है। 21 जुलाई, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये जीवन बीमा निगम के बारे में दत्त प्रतिवेदन से पता चलता है कि जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण करने के उपरान्त 56 प्रतिशत पूंजी बड़े-बड़े व्यापारियों को मिली। इसका लाभ किन लोगों को हुआ, केवल बड़े-बड़े व्यापारियों को। जब सदन में यह मांग की गई कि जीवन बीमा निगम के धन से किन-किन बड़े-बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंच रहा है तो भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने यह कह कर उनके नाम बताने से इंकार कर दिया कि यह सरकार के हित में नहीं है। सरकार के हित का अर्थ हुआ बिड़ला तथा टाटा आदि का अपना हित। जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि जन सामान्य के धन का लाभ इन बड़े-बड़े सेठों और पूंजीपतियों को न पहुंचे, परन्तु हुआ कुछ भी नहीं। दत्त रिपोर्ट के अनुसार इन उद्योगपतियों के हिस्से जीवन बीमा निगम में 70 प्रतिशत तथा स्टेट बैंक में 80 प्रतिशत शेयर हैं। इस बैंक के केन्द्रीय सरकार के अधिकार में होने के बावजूद भी सरकार टाटा, बिड़ला तथा मफतलाल आदि को इससे लाभ उठाते नहीं रोक सकी। इस बात का भी क्या विश्वास है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से इन लोगों को लाभ नहीं होगा ? ये बड़े-बड़े उद्योगपति बड़े-बड़े पूंजीपति किस प्रकार से चालाकी से जीवन बीमा निगम तथा बैंकों के रुपये को अपने उद्योग तथा व्यापार में लगाते हैं, यह सब बातें मेरे से छुपी नहीं हैं। यह बात भी सर्वविदित है कि जीवन बीमा निगम जैसे वित्तीय संस्थानों ने इन पूंजीपतियों के हिस्सों को 20 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक खातों में कम दिखाया है। युद्ध के पश्चात इन व्यक्तियों द्वारा संचालित अधिकांश उपक्रमों को कुल पूंजी का 60 से 75 प्रतिशत जीवन बीमा निगम जैसे सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा धन दिया गया था। ये आंकड़े दत्त रिपोर्ट द्वारा दिये गये हैं। और शेष धन उन्हें विदेशी ऋण के रूप में मिला था। यह तो इनकी विचित्र उद्यमकारिता है। उनका अपना धन जो इन उद्यमों में लगा हुआ है, वह केवल 6 प्रतिशत है और इससे इतना अधिक लाभ लेना चाहते हैं। इस धन के लगाने से वे बहुत अधिक क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं। साधारण लोगों के धन को हड़प कर और उसका उपयोग करते हैं और पूंजीपति बन गये हैं। इस धन से उन्होंने विदेशी सहयोग तथा एकरारनामें किये हैं और उस पर भी वे प्रतिपूर्ति चाहते हैं।

यदि यह कदम मार्क्सवादी होता तो ये बड़े-बड़े पूंजीपति प्रतिपूर्ति नहीं ले पाते, इसके विपरीत ये पूंजीपति फिर हमें प्रतिपूर्ति देते। हम उन पूंजीपतियों की अतुल सम्पत्ति को जब्त

करके अपनी प्रतिपूर्ति करते । प्रजातंत्रीय आंदोलन की और आगे उन्नति के फलस्वरूप, जनमत के दबाव को देखते हुए मुझ पूरी आशा है कि सरकार स्वयं अपनी नीतियों में परिवर्तन लाएगी—केवल इन बैंकों में ही नहीं अपितु जीवन बीमा निगम जैसे अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों तथा क्षेत्रों में भी जो पहले से ही विद्यमान हैं । अपनी धन लगाने की नीति में भी सरकार परिवर्तन लायेगी । यदि वे ऐसा नहीं करेंगे और अपने पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे तो इस देश के लोगों की इस उपाय के सम्बन्ध में उनकी अपनी धारणा बदल जायेगी और वे आन्दोलन करने के लिए अग्रसर हो जायेंगे ।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : Mr. Speaker, Sir most of the people in the country and most of the Hon. Members in this House have welcomed this Bill. It is, therefore, an admitted fact that this Bill is for the betterment of the people of this counrty. It is also a fact that some of the people having vested interests have dared opposed this Bill. Those people belong to the Jana Sangh and Swatantra Parties with Captalistic Policies.

While opposing the Bill it said that there will be dictatorship, and autocracy in this country, but I may say that there will be control and check over those people who want to have command upon us through Capitalism and monopolitic Tendencies and Capital of these few people who were incharge of these banks increased unproportioally. We know that after indepenence how the Capital of Tatas and Birlas has increased manyfold. Therefore Congress Party has been held responsible for all this that rich are becoming richer. According to the decision of the Congress this measure has been adopted to eliminate this evil of imbalance and disparity in this country. When we welcomc this bill we should also see that this may not remain only on the papers.

The influence of bureaucracy, which the Government could not eradicate, should be kept aloof from the banks and those people should be appointed for the smooth running of the bank business who whole heartedly believe in the nationalisation of the banks. The main reason of failure of the public sector undertakings in our country is bureaucracy only.

These banks have become monopoly of the cities and that is why the industry in the cities have developed to a large extent, and so many problems have taken place in the cities. In order to remove these problems from the cities the banks must be taken to the villages and for that Government shall have to chalk out planning programmes. Adequate steps will have to be taken for proper planning and proper directions so the people of the villages and townships, which have not been developed so far, may utilise the services of these banks to the largest extent.

Government should declare immediately to make this step a success and it should tell the people who have become hopeful of this bill that they will be benefited, and therefore this should immediately be decided that the poor and small people will be benefited with the maximum loan facilities from these banks and proper help would be extended to them.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Hon. Prime Minister declare with full force that the Bill nationalising the Banks is fully justified. It means that there is no doubt in the mind of Prime Minister in this regard. But the Prime Minister had sent a note to the working committee on 10th July and the ordinance was promulgated in the evening of 19th July. In her note to the working committee the Prime Minister has stated "Either we can consider the nationalisation of the top five or six banks or issue directions that the resources of banks should be reserved to a larger extent for public purposes."

There was a doubt in her mind on 10th July whether five or six banks should be nationalised or social control over banks should be strictly adhered to. What was that thing which cleared doubt from her mind within these nine days and lead her to the conclusion of nationalising not only five or six banks but fourteen banks. I stand by this move, but we should understand thoroughly this politics, purpose and the feelings behind this move. I may say that this step of nationalising the banks was in retaliation to the defeat faced by the Prime Minister before Congress Parliamentary Board in the A. I. C. C. session in Bengalore on the question of the election of the party candidate for Presidentship ; and as a result this ordinance for the nationalisation of fourteen banks was promulgated in the evening of 19th July. It is a true fact and no body can challange it.

Had the purpose of Prime Minister been reactionary, had she wanted to have fundamental changes she would not have worked in a way she had been working in the past. There was no such energy, no such courageous zeal in her speach on radio broadcast regarding the nationalisation of Banks as should have been. It was only because there was no aim, no purpose and even no direction before her while promulgating the ordinance. Prime Minister herself had stated in her speech that there was not beginning of a new era with the nationalisation of banks. We have already four or five factories in public sector. But it may be said that the benefit of these factories has not gone to villages and down trodden but it has gone to Tatas, Birlas and Mafat Lal. Some days ago questions were raised regarding increase in the property and assets of the big business men and Industrialists during the last three years. While giving reply to the question Shri Morarji Desai himself stated regarding increase in the assets of Birlas that it increased from 292 crores Rupees in 1964 to 480 crores Rupees in 1966-67. Regarding Tatas it has increased from 417 crores Rupees to 547 crores Rupees. As far as Mafat Lal group is concerned they have made tremendous increase viz. their assests in 1964 was below 46 crores Rupees but in 1966-67 it increased to 106 crores Rupees. These figures will increase manifold when recent figures will be made available.

Life Insurance Corporation Unit Trust of India, Development Bank, Industrial Finance Corporation and State Bank, are all public organisations and are meant for helping the cultivator and common man. These organisations did not help the poor and all the loan facilities meant for cultivators and common men have been largely given to these big business concerns and Capitalists so long as this Government is not represented by the poor and common people no fundamental change will take place in this country. All this politics is a struggle for power. There is no confrontation of principles and ideology. It can not be taken for granted that they are reactionaries and they are progressives. This will be seen on 1st August on the motion of privy purses for ex-rulers and princes of this country as to who are reactionaries and who are progressive. Excepting clause No. 4 there is nothing good in this Bill. The foreign banks have been excluded in the definition of the Banking Company. The argument given by the prime Minister that the foreign banks have not been nationalised because these banks help in foreign trade is not convincing in the context that she is thinking of nationalising the foreign Export-Import policy also. It is only because they are afraid of their British and American bosses. We want that these banks should also be nationalised otherwise the capitalists will also utilise these small banks too whatever the legislation be. So long as these big capitalists have influence on the Government nothing could be made out.

The influence of bureaucracy should be eradicated. Even after the social control over banks United Commercial Bank, run by the Birlas, has given 10 lakh rupees to the A. I. C. C., Punjab National Bank gave Rs. 10 lakhs as loan. Therefore these banks give money to political parties and not to the cultivator or artisan etc. Therefore the banks should not be authorised to give loan to any political party or any person for political causes because simply nationalising the banks will not serve any purpose and good to the common men. The common

men such as representatives of bank employees, caltivators, Industrial labourers etc. should be included in the administration and management of the banks.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

If Government really want to give benefit to the rural areas with the nationalisation of the banks, you will have to make provisions in this bill for setting up adequate number of branch banks in the rural areas within a year. Cities with a population of 25 thousand people has been difined as rural areas, but the cities with a population more than 10 thousands people should be called a rural area.

We have nationalised banks and other industries but we have not fixed any limit of personal consumption or expenses of an officer or director of these undertakings and banks. In these industrial undertakings these expenses of a man go as high as 15 to 20 thousand rupees per month. We should curtail this expenditure to a maximum of rupees two thousands on an officer or a director including his allowances and salary; otherwise there will be no use of nationalising the banks.

We talk loudly of socialism but we do not act upon its principles. We do not give loan to the poor people like cultivator or taxi driver. In this connection I request the Hon. Prime Minister to set an example.

We believe in nationalisation but we oppose mixed economy as this leads to the spread of greater curruption and black marketing. Therefore the provision of mixed economy should be abolished. There should be control on personal consumption and banks, Industries and Insurance should be nationalised.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy Speaker, Sir, since when this Ordinance of Nationalisation was promulgated our S.S.P. brothern have become nervous. I do not know why they should look towards their own house. All of us should welcome Socialism. We have yet to fix a ceiling on urban property. The congress has taken a commendable step and in future also a number of such steps have to be taken with a view to have socialistic pattern of society in the country. Today every section of the society is welcoming this step of the Government.

We shoul take the full advantage of nationalisation of banks for the benefit of common man and uplift the poorer sections of the society. Credit should be made available to rural areas for their development. Agriculturists should get credit from these banks without any difficulty so that they may increase the agricultural production. The disparity between the rural and urban areas should be bridged.

With these words, I whole heartedly support this Bill.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : इस सभा में तथा सभा के बाहर बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक का प्रायः सभी वर्गों ने पूरा समर्थन किया है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक देश की मांग के अनुसार ठीक समय पर लाया गया है क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बिना समाजवाद की बात करना अर्थहीन है। यह विधेयक समाजवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ साथ मैं कुछ उन माननीय सदस्यों के विचारों से पूर्ण रूप से

सहमत हूं जिन्होंने यह कहा है कि केवल बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना ही समाजवाद नहीं है। 13 वर्ष पूर्व हमने जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण करके उसे देश के सरकारी क्षेत्र में एक बड़ी वित्त संस्था बनाया था। हमने इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसे भारत के स्टेट बैंक का रूप दिया था। किन्तु आज औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी दत्त प्रतिवेदन के निष्कर्षों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि जीवन बीमा निगम आदि सरकारी वित्त संस्थाओं से अधिकतर लाभ केवल चन्द बड़े उद्योगों ने उठाया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि देश के 20 बड़े उद्योगपति ही जीवन बीमा निगम से सबसे अधिक लाभ उठा सके हैं। इन वित्तीय संस्थाओं का लगभग 75 प्रतिशत धन बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाने में लगा है।

सरकार सदैव समाजवाद का नारा लगाती रही है किन्तु सरकार द्वारा किये गये उपाय समाजवाद लाने के लिये अधिक कारगर सिद्ध नहीं हुये। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार जो भी उपाय करती है, उसे बड़े उद्योगपति कारगर रूप से चलने नहीं देते हैं। वे सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाये रखते हैं। उदाहरणार्थ भारत के रिजर्व बैंक में सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त सरकार द्वारा नामजद निदेशक भी होते हैं। इस समय ये नामजद सदस्य सब बड़े-बड़े उद्योगपति हैं। जब स्थिति ऐसी है तो हम देश में समाजवाद की आशा कैसे कर सकते हैं। यही स्थिति अन्य सरकारी संस्थाओं तथा उपक्रमों में भी है। अतः जब तक इन संस्थाओं में उद्योगपतियों का प्रभुत्व रहेगा तब तक देश में समाजवादी ढांचा स्थापित करना असम्भव है।

मैं अन्त में केवल यह कहना चाहता हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाजवाद की दिशा में एक कदम है जो अपने आप में अपूर्ण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए और इन संस्थाओं पर से बड़े उद्योगपतियों का प्रभुत्व समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : मैं इस विषय पर अधिक नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे क्या बात थी। पहले भी अनेक संस्थाओं, उदाहरणार्थ इम्पीरियल बैंक, जीवन बीमा निगम आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया था किन्तु वह बहुत सोच बिचार के बाद किया गया था। विधि मंत्री ने स्वयं कहा है कि यह एक त्रुटिपूर्ण कदम है। उन्होंने जो संशोधन स्वीकार किये हैं उन पर उन्होंने विचार तक नहीं किया है। बंगलौर में कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में हुई घटनाओं के परिणामस्वरूप ही प्रधान मंत्री द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। प्रधानमंत्री ने कार्यकारिणी समिति में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया था, उस पर न तो मंत्रिमण्डल में और न ही कार्यकारिणी समिति में विचार किया गया था। यह दस्तावेज उस प्रस्ताव के साथ संलग्न था जो कार्यकारिणी समिति ने पारित किया था। पारित किये गये प्रस्ताव में बैंकों के राष्ट्रीकरण का कोई उल्लेख नहीं था।

अगले दिन राष्ट्रपति पद के लिये प्रत्याशी का मामला सामने आया। प्रधान मन्त्री ने पहले श्री वी० वी० गिरि और बाद में श्री जगजीवन राम के नाम का प्रस्ताव इस पद के लिये

प्रत्याशी के लिये किया। किन्तु कांग्रेस पार्टी के बहुमत द्वारा यह नाम स्वीकार न किये जाने के कारण अन्य व्यक्ति का नाम इस पद के लिये स्वीकार किया गया। प्रधान मंत्री यह कहकर बैठक से चली आई कि आप लोगों को इसका परिणाम भुगतना होगा। इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले भी इस प्रकार की स्थिति आई थी जब कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को अपने दल का निर्णय अपनी इच्छा के विरुद्ध मानना पड़ा था। नेहरू जी स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के स्थान पर श्री राजगोपालाचार्य को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे किन्तु उनकी पार्टी के निर्णय के अनुसार डा० राजेन्द्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। अगली बार नेहरू जी डा० राधा कृष्णन को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे किन्तु कांग्रेस पार्टी के निर्णय के अनुसार दुबारा डा० राजेन्द्र प्रसाद को ही राष्ट्रपति बनाया गया। नेहरू जी ने दोनों बार पार्टी के निर्णय को ही सर्वोपरि समझा। इसी प्रकार श्री मेनन को पार्टी के निर्णय के अनुसार अपना पद छोड़ना पड़ा था जब कि नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस की यह परम्परा रही है कि पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि माना जाये।

इस प्रकार की अफवाहें उड़ीं कि प्रधान मन्त्री ने सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशा को बुलाया है। लोक सभा भंग की जायेगी। ऐसे अवसर पर प्रधान मन्त्री को मानेकशा को नहीं बुलाना चाहिए था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में इतनी शीघ्रता नहीं की जानी चाहिये थी। अध्यादेश 19 जूलाई को जारी किया गया जब कि 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने वाला था। अध्यादेश को तैयार कराने की परम्परागत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। प्रक्रिया यह है कि जो मंत्रालय अध्यादेश से सम्बद्ध होता है, वह विधि मन्त्रालय के साथ मिलकर अध्यादेश तैयार करता है परन्तु यह अध्यादेश वित्त मन्त्रालय ने तैयार नहीं किया। मोरार जी से इस बारे में परामर्श तक नहीं लिया गया। अब इस बैंक के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित विधेयक को सभा में लाया गया है। क्या इसके कानून बन जाने पर इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ?

प्रधान मन्त्री ने कहा है कि इस मामले में भारत के 95 प्रतिशत लोग मेरे साथ हैं। यदि ऐसा है तो मैं प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं। परन्तु हमें, जो महलों में रहते हैं, जो अधिक धन दौलत और ऐश्वर्य-आराम चाहते हैं, उन्हें क्या हक है लोगों की गरीबी के बारे में बातें करने का। एक ओर हमारे लाखों लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर हम यह कहकर लोगों को धोखा देते हैं कि हम लोगों की निर्धनता पर चिन्तित हैं।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं आचार्य कृपालानी की यह शंका दूर करना चाहती हूं। मैं श्री मानेकशा से केवल एक बार मिली हूं और वह भी उस समय जब उन्होंने सेनाध्यक्ष का पद संभाला था।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैंने विचारार्थ यह विधेयक

सभा में पेश किया और मुझे इसके लिये सब ओर से समर्थन प्राप्त हुआ। मैं इसके लिये सबको धन्यवाद देता हूं। यहां तक कि जनसंघ के कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का समर्थन किया है। इसका अर्थ मैं यह लेता हूं कि उन्होंने भी विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिये हैं। कुछ शंकाएं उठाई गई हैं यथा सब बैंकों का राष्ट्रीयकृत क्यों नहीं किया गया, विदेशी बैंकों को क्यों छोड़ दिया गया आदि। प्रधान मंत्री इन शंकाओं का समाधान पहले ही कर चुकी हैं।

श्री कृष्ण मेनन ने ठीक ही कहा है कि यह विधेयक पूरी तरह बैंकिंग व्यवस्था को राष्ट्रीयकृत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तो कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए है। केवल वे बैंक ही राष्ट्रीयकृत किये गये हैं जिनमें 50 करोड़ से अधिक राशि जमा है। हम ऐसे बैंकों को राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत लाना चाहते थे जिनकी शाखाएं सम्पूर्ण देश में हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यह है कि जो क्षेत्र पहले बैंकों से लाभ नहीं उठा सकते थे, वे भी अब बैंकों से लाभ उठा सकें। श्री दांडेकर ने यह आशंका प्रकट की है कि ये बैंक वित्त मंत्रालय के विभाग के रूप में कार्य करेंगे और बैंकिंग विनियम अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों पर नियंत्रण की जो व्यवस्था है, उसे समाप्त कर दिया जायेगा। मैं उनका ध्यान विधेयक के खंड 25 की ओर दिलाता हूं जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इन बैंकों पर बैंकिंग विनियम अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे। सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड का नाम राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सेन्ट्रल बैंक कर दिया गया है। उन बैंकों के जो कर्मचारी स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होना चाहते हैं, उन्हें सेवा समाप्ति पर मिलने वाले सभी लाभ उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त विधेयक की रचनात्मक आलोचना नहीं की गई है। सलाहकार बोर्डों या निदेशक मंडलों के गठन के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर ध्यान दिया जायेगा। श्री मोरारजी देसाई से सम्बन्धित घटना जैसी कुछ असंगत बातों का जिक्र भी किया गया है जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता।

श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यज्ञदत्त शर्मा।

Shri Yajna Datt Sharma (Amtitsar) : Mr. Deputy Speaker, I am sorry to point out that the main issues raised in this connection by Members of Opposition have not been replied to by the Prime Minister or the Minister or by any Member of the Congress Party. The first point raised in this connection is that there were political motives, which impelled the Government to bring forward this Bill in such a hurried manner. This point has not been touched upon by the Prime Minister or the Law Minister in their speeches.

I want to raise a fundamental question in respect of bank employees. When the banks were brought under social control the rights of bank employees trade unions were limited by section 36A(D). The Prime Minister gave no assurance to the bank employees in this respect. In my opinion the right to fight for their rights for better service conditions etc. should not be snatched away from the trade unions of the employees.

The Prime Minister argued that those opposing this Bill are speaking in tune with China. This is no argument at all. She invited suggestions about the Bill. Some Members suggested

that the Bill should be referred to the Select Committee. Even this reasonable demand has not been accepted though it was not against their policy or public interest. That is why I doubt the integrity of Government in respect of the Bill. They always raise slogans of socialism but they never want from the core of their heart to bring socialism in the country. They only deceive peopole by raising the slogan of socialism. Perhaps they do not know that socialism is a thing which should be practised. These white elephants will not be able to bring about socialism in the country. I oppose this Bill and the Ordinance.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है कि :

"यह सभा बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 8) का, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 19 जुलाई, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री पाटोदिया का संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कंवरलाल गुप्त का संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

लोक सभा में संशोधन संख्या 3 पर मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided

पक्ष में 39; विपक्ष में 222

Ayes—39 Noes—222

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

The Amendment was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अब्दुल गनी दार का भी एक संशोधन है।

Shri Abdul Ghani Dar : Now there is no need of putting it to the vote of the House.

संशोधन संख्या 29 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The Amendment (No. 29) was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी के संशोधन को मतदान के लिए रखा जाता है।

संशोधन संख्या 234 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"राष्ट्रीय नीति तथा उद्देश्यों के अनुकूल अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति के लिए कतिपय बैंकिंग कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन तथा हस्तांतरण के लिए तथा तत्सम्बन्धी अथवा तदानुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 30 जुलाई 1969/8 श्रावण, 1891 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 30th July, 1969/Sravana 8, 1891(Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 7-11-69—600.